विस्तीर्ण क्षितिज

क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामुदायिक वन व्यवस्थापन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका

१६-२१ मार्च १९९८

अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र द्वारा आयोजित

काठमाण्डू, नेपाल

विस्तीर्ण क्षितिज

क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामुदायिक वन व्यवस्थापन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका

१६-२१ मार्च १९९८

प्रशासन स्रोत सुविधा, यू.एन.डी.पी., इस्लामाबाद, पाकिस्तान, द्वारा सहयोगित

अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र द्वारा आयोजित
काठमाण्डू, नेपाल

सर्वाधिकार © २०००
अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र

आवरण फोटो: घडीकी सुईके घुमने के आकार जैसा

१ इसिमोड के महानिर्देशकको हिन्दू कुश-हिमालयकी मिट्टीका हस्तांतरण करते हुए ।
२. स्थानीय विकास एवं भू-संरक्षण मन्त्रालयके सम्माननीय मन्त्रीद्वयद्वारा संयुक्त उद्घाटन
३. सभा अध्यक्ष डा. मोहनमान सैंजू
४. कार्यशाला गोष्ठीके सहभागीयोंके लिए प्रदर्शित सडक-नाटक की एक झलक

प्रकाशक
अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
जि.पि.ओ. बक्स ३२२६
काठमाण्डू, नेपाल ।

आइ.एस.बि.एन. ९२ ९११५ २८१ १

अनुवादक
निवेदिता मिश्र

टाइपसेटिङ
इसिमोड प्रकाशन इकाई

लेआउट
धर्मरत्न महर्जन

इस कृतिमे लेखकने अपने विचार और व्याख्याको प्रस्तुत किया है । इससे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) की विशेषता प्रकट नहीं होती है । इसमे व्यक्त किए गए विचार एवं भावनाएं किसी भी राष्ट्र, क्षेत्र, शहर एवं क्षेत्र अन्तर्गत के अधिकार या इनके सीमाओंका हनन् नहीं करती हैं ।

दोशब्द

हिन्दू कुश-हिमालय में प्रशासन खास कर विकेन्द्रीकरण और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में सहभागिता के क्षेत्र में इसीमोड के कोशिशों में यह कार्यशाला गोष्ठी एक नये अध्यायको दर्शाता है । इस मंच पर गाँव और जिला स्तरों पर निर्वाचित महिलाएं और पुरूषों गाँव, जिला और राष्ट्रीय वन समुदायों के सदस्यों और नेटवर्कों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को एकत्रित किया गया ।

हिन्दू कुश-हिमालय में विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, सहभागी प्रशासन आदि प्रधान मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं । स्थानीय समुदाय सहभागिता, शक्ति निक्षेपण और भूमिकाएं तथा जिम्मेवारियाँ स्थायी पर्वतीय विकास के लिए एक प्रभावकारी रूपरेखा के रूप में पहचानी गयी हैं । इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन, समाजिक एवं सांस्कृतिक विषमताएं आदि संबंधित हैं, और निर्णय एवं योजना निर्माण में स्थानीय समुदाय एक प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं । शासन का प्रश्न, जैसे कि स्थानीय स्रोत कैसे और किसके द्वारा उपयोगित किया जाना चाहिए, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है । जबकि इस क्षेत्र के बहुत से भागों में प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास लगातार हो रहा है, उसी जगह हम इसके निवारण में संलग्न प्रोत्साह जनक कार्यों को देख सकते हैं ।

हिन्दू कुश क्षेत्र में रहने वाले 140 मिलियन लोगों के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त पर्वतीय पर्यावरणीय संतुलन को उपलब्ध कराना ही इसीमोड का लक्ष्य है । इसीमोड यह समझता है कि पर्वतीय लोग, जो कि ज्यादातर सीमान्त और अन्य क्षेत्रों से अलग किए हुए वातावरण में रहते हैं, वे बाहरी प्रभावों से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं, जो कि उनके सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा के एकता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं । जरूरत यह है कि उन्हें समान, सामाजिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं जो उनके जीवन को पर्वतीय पर्यावरण के संतुलन में स्थायीत्व प्रदान करे ।

पिछले कुछ वर्षो में समुदाय आधारित एवं अनौपचारिक गाँव स्तरीय संस्थाओं ने वन स्रोत व्यवस्थापन में अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया हैं, और आज निर्वाचित गाँव और

जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ बढता हुआ सबंध स्थापित हुआ है । निर्वाचित संस्थाओं की ओर विकेन्द्रीकरण और शक्ति निक्षेपण तथा जिम्मेवारियों से संबंधित नए कानून, नियम और विधानों ने इस प्रक्रिया को और भी बढाया है । अब हमने यह जाना है कि वन स्रोत, प्रशासन, विकेन्द्रीकरण और शक्ति निक्षेपण जैसे मुद्दों के अभाव में, स्थायी रूप से व्यवस्थित नहीं किए जा सकते हैं ।

हिन्दू कुश-हिमालय के बहुत से देशों ने विकेन्द्रीकरण को सहभागी विकास के पूर्व अवस्था के रूप में स्वीकारा है । पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों को निश्चित करने की जरूरत के तहत आर्थिक विकास और गरीबी निवारण के कोशिशों को संतुलित करने के क्रम में स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं नयी चुनौतियों का सामना कर रही हैं ।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और अनौपचारिक या औपचारिक सामुदायिक संस्थाओं के बीच, संबंध, समन्वय और पूरकत्त्व जैसे शब्द नए और उदीयमान हैं । हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में स्थायी पर्वतीय स्रोत व्यवस्थापन के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों निकायों (स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं, और सामुदायिक वन) को एक साथ लाया जाए और साथ ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाए । हम चाहते हैं कि सामुदायिक वन स्रोतों के व्यवस्थापन और इसके लाभों के विभाजन में उन सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाए जो समानता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के सिद्धान्तों पर आधारित प्रजातांत्रिक प्रशासन की ओर अग्रसर हो ।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के नेताओं, जैसे कि गाँव विकास समिति या स्थानीय पंचायत के सदस्यों कार्यालय कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितियों के सदस्यों, गाँव वन विकास समिति के सदस्यों, महिला मण्डलों और दूसरे अनौपचारिक निकायों जो वन व्यवस्थापन से संबंधित हो, के बीच संबंध और समन्वय से ही ऐसी सर्वोत्तम योजनाएं बनती है ।

मैं कार्यशाला में सहयोग प्रदान करने वाले, जिला विकास समिति अध्यक्ष संघ, नेपाल, एवं समुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल, को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने और कार्यशाला गोष्ठी के संचालन में मदद करने के लिए मैं यू.एन.डी.पी. नेपाल, को भी धन्यवाद करता हूँ । फोर्ड फाउन्डेशन, नयी दिल्ली के सहयोग के बिना 'इसीमोड' के 'सहभागी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन' कार्यक्रम का संचालन असंभव था, इसलिए मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूँ ।

मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ कि हमारा प्रमुख लक्ष्य जो कि अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से क्षितिज को विस्तीर्ण करना है, अवश्य पूरा होगा ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति से वे विकास योजनाएं उभरेगी जो स्व-निर्भरता तथा आर्थिक रूप से समर्थता की ओर पर्वतीय समुदायों का नेतृत्व करेंगी । इन पर्वतीय समुदायों के विचारों को सुना जाना और आदर किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ प्राकृतिक स्रोतों का वर्तमान और भविष्य के संततियों के लिए व्यवस्थापन, संरक्षण और सुरक्षण होता है ।

एगबर्ट पेलिङ्क
महानिर्देशक

ज्ञापन

विभिन्न देशों के 80 महिलाओं और पुरूष से समन्वित छ: दिनों की गोष्ठी का संचालन, एवं परिचालन एक चुनौति ही है । सबसे अहं बात तो यह है कि पहली बार इसीमोड इस तरह की कार्यशाला गोष्ठी में सक्रिय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित कर रहा था ।

व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के अभाव में गोष्ठी सफल नहीं होती । क्योंकि इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने पर्याप्त रूप में अपने समय और स्रोत को इस गोष्ठी के संचालन में व्यय किया है । यद्यपि व्यक्तिगत स्तर पर सभी के नामों का उल्लेख करना असंभव है फिर भी निम्न लिखित व्यक्ति एवं संस्थाएं धन्यवाद के हकदार हैं ।

- हम उन सभी सहभागियों का धन्यवाद करतें हैं जो व्यक्तिगत स्तर वा संस्थागत स्तर पर अपने-अपने जगहों से यात्रा कर इस कार्यशाला गोष्ठी में भाग लेने आए हैं । उन्होंने अपने इच्छा को खुले रूप में प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत या संस्थागत प्रतिबद्धता को भी दिखाया ।
- हम खास तौर पर माधव पौडेल को जिन्होंने जिला विकास समिति संघ के माध्यम से इस कार्यशाला गोष्ठी की योजना और संचालन आदि के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दिया । हमें आशा है कि वे 'जिला विकास समिति संघ' के दूसरे सहकर्मियों को इस कार्यशाला में सहयोग देने के लिए हमारा यह धन्यावद संदेश उन तक पहुंचाएगे । इसी तरह इस गोष्ठी में सहयोग देने के लिए हम श्री हरिप्रसाद न्यौपाने, कार्यकारी समिति, एवं 'फेकोफन' (FECOFUN) के दूसरे कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं ।
- 'इसीमोड' और सहभागियों की ओर से हम उन सहभागियों का धन्यवाद करते है जिन्होंने इस गोष्ठी के दौरान पत्र को प्रस्तुत किया । इन पत्रों ने महत्वपूर्ण मुद्दों के पूर्व पीढिका को तैयार किया और विचारों और परिणामों को और भी पुष्ट किया ।
- 'इसीमोड' और दूसरे सहभागियों के तरफ से डा. मोहन मान सैंजू को आरंभिक सत्र के अध्यक्ष पद के लिए स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करते हैं । अपने व्यस्त

कार्यक्रमों के बावजूद उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया जो यह परिलक्षित करता है कि वे स्थानीय प्रशासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में कितनी चाहना रखते है ।

- हम 'सर्वनाम' समूह को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सत्य घटना पर आधारित 'नुक्कड् नाटक' को प्रस्तुत करने की चुनौति को स्वीकार किया । इस नाटक के माध्यम से बडी ही कुशलता पूर्वक निर्वाचित संस्थाओं और समुदाय वन व्यवस्थापन संस्थाओं के बीच समन्वय के महत्त्व को दिखाया गया है ।
- श्री भूमि रमण नेपाल, अकल बहादुर बस्नेत और 'हरियाली संगीत समूह' के सदस्यों की प्रस्तुति ने साबित किया कि संगीत और संस्कृति संप्रेषण की सशक्त माध्यम हो सकती हैं । हम उन्हें प्रेरणाप्रद प्रस्तुति और अपने असल गानो की प्रस्तुति को हमारे साथ बाँटने के लिए धन्यवाद देते है ।
- संगीत और नृत्य भाषागत रूकावटों को दूर करने के सशक्त माध्यम हैं । इस कार्य में मदद करने और नेपाल के लोक संगीत को प्रस्तुत करने के लिए मंजुल नेपाल और उनेक समूह को धन्यवाद देते हैं ।
- हम अमर बहादुर पहाडी, श्याम घिमिरे और बढी खेल गाँव के महिलाओं और पुरूषों को धन्यवाद देना चाहते है जिन्होनें क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मेजबान बनना स्वीकार किया । फलस्वरूप प्रत्यके व्यक्ति ने नेपाल के सामुदायिक वन को कार्यशील देखा और इस तरह हम में से बहुतों के लिए यह एक प्रेरणा प्रद उदाहरण था ।
- 'एन.इ.एफ.इ.जे.' (NEFEJ) ने संपूर्ण कार्यशाला गोष्ठी को फिल्म का रूप दिया है । हम इस प्रभावकारी फिल्म के प्रस्तुति को स्वीकृति देने के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं । हमें आशा है कि यह फिल्म कार्यशाला के परिणामों को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाएगा ।
- कार्यशाला गोष्ठी के उपयुक्त व्यवस्थापन उपलब्ध कराने के लिए हम 'गोदावरी रिसोर्ट' के कर्मचारियो को धन्यवाद देते हैं ।
- इस कार्यशालाको स्वरूप प्रदान करने के लिए एक कार्यकर्ता समूह की भी आवश्यकता थी । हम विशेष रूप से 'स्वीस सामुदायिक वन परियोजना' को धन्यावद देते है जिसने खगेन्द्र सिक्देल को पेशागत मदद के लिए उपलब्ध कराया । श्री सिक्देल के साथ काम करना एक खुशनुमा अनुभव था । आशा है कि भविष्य में भी उनके साथ काम करने के अवसर प्राप्त होगे ।
- हम ज्यूडी एमटीजको भी धन्यवाद करतें है जिन्होने अपने पेशागत क्षमता के माध्यम से इस कार्यशाला की योजना और व्यवस्थापन में सहयोग दिया । इस चुनौति पूर्ण कार्यशाला के विवरण को एकत्र करने तथा उसे समग्र रूप में प्रस्तुत करने में अभी आगे भी संलग्न रहेंगी ।
- विभिन्न भाषाओं की संप्रेषणता समस्याओं को चुनौतिपूर्ण रूप में स्वीकार करने के लिए हमारे पास दुभाषियों की एक समूह ही थी । उनके सहयोग ने यह सिद्ध किया कि भाषा इस कार्यशाला गोष्ठी में रूकावट नहीं थी । हम विशेष रूप से निवेदिता

मिश्र, त्रिभुवन पौड्याल, राजीव सिंह, मृणालनी राई, विनोद सुवेदी एवं विष्णु के.सी को धन्यवाद करते है ।

मैं अपने 'इसीमोड' के सहकर्मियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यशाला गोष्ठी के आयोजना के लिए महिनों से बहुत ही क्षमता पूर्वक कार्य करते रहे हैं । विशेषकर मैं गोविन्द श्रेष्ठ, रीता राना, सरीता जोशी, (पर्वतीय प्राकृतिक स्रोत विभाग के) को धन्यवाद करता हूँ ।

अनुपम भाटिया

संक्षेप

इस विवरण में विकेन्द्रीकरण और सहभागी तथा स्थानीय स्व-प्रशासन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । हिन्दू कुश क्षेत्र के लोगों की आवाज को एक साथ एक मंच पर उपस्थित करने के लिए कार्यशाला श्रृंखलाबद्ध कोशिशों का प्रतिनिधित्व करती है । ऐ से वातावरण में जहां कि पर्यावरण का तीव्रता पूर्वक ह्रास हो रहा है, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों से संबधित प्रशासन एवं अधिकारों के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए इस मंच का उपयोग हुआ है ।

हिन्दू कुश-हिमालय में प्रशासन, खासकर विकेन्द्रीकरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में सहभागिता के क्षेत्र में 'इसीमोड' के कोशिशों का एक नया आयाम इस कार्यशाला में प्रस्तुत हुआ है । यस मंच पर गाँव तथा जिला स्तर पर स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के जिला या राष्ट्रीय समुदाय वन समूह और नेटवर्को तथा गैर-सरकारी संस्थाओं, के महिला एवं पुरूष सदस्यों प्रतिनिधियों को एक साथ उपस्थित किया गया है ।

विषय सूचि

१

कार्यशाला गोष्ठी परिचय

२

उद्घाटन सत्र

३

सभा-सत्र

४

पत्र-प्रस्तुति

५

दर्पण समूह विचार विमर्श

६

द्वितीय सभा-सत्र

७

अंतिम-सत्र

८

परिशिष्ट

१
कार्यशाला गोष्ठी परिचय

पिछ्ले तीन सालों से 'अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, इसीमोड, ने अपने सहभागी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन संबंधि मुद्दों पर विचार करने के लिए नयी-नयी संस्थाओं को उभरने में सहयोग किया है । इस कार्यक्रम की प्रक्रिया पद्धति ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्वायत्त संस्थाओं एवं 'नेटवर्क' को पनपने में काफी योगदान किया है ।

संस्थागत विकास में इन प्रयासों ने 'नेपाल सहभागी कार्यान्वयन नेटवर्क नाम के राष्ट्रीय नेटवर्क संस्था', 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नेपाल', 'नेपाल मध्यस्थता समूह' एवं 'नवरचना, हिमाचल प्रदेश', भारत में एक गैर-सरकारी तथा समुदाय आधारित नेटवर्क, आदि के माध्यम से सहभागी विकास के कलात्मक पक्षों को संवोधित करने की जरूरतों पर जोर दिया है । साथ ही भूटान, भारत, और नेपाल के वरिष्ठ वन पेशावरों द्वारा आरंभ किया हुआ दो क्षेत्रीय नेटवर्क पूर्णता की प्रक्रिया में है, ये नेटवर्क हैं, हिन्दू कुश-हिमाली वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन मंच (हिफ्कोम) और 'महिला वन उपभोक्ता समूह का प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेटवर्क जो 'हिमवन्ती' के नाम से पंजीकृत है । इस महिला आधृत नेटवर्क में नेपाल, भारत, और पाकिस्तान की महिलाएं संलग्न हैं ।

आज इनमें से कुछ संस्थाएं स्वाधीन हैं । ये संस्थाएं सदस्यता सहयोग एवं कुछ हद तक आर्थिक सहयोग अन्य संस्थाओं से प्राप्त करती हैं जबकि दूसरी अन्य संस्थाएं बौद्धिक एवं आर्थिक सहयोग इसीमोड से प्राप्त करती हैं । इन संस्थाओं का मुख्य मुद्दा है ऐसी नीतियों को लागू करना जो सामुदायिक वानिकी में सटीक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित

करे । इन संस्थाओं ने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक विस्तृत मंच प्रदान करने में अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है । साथ ही विकास की प्रक्रियाओं में जन समुदाय के सक्रिय सलग्नता से संबंधित मुद्दों को भी प्रोत्साहित किया है ।

इन संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है वानिकी में में उन सुचारू व्यवस्थापन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना जो स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के पश्चात तैयार किया गया हो । साथ ही सही सूचना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता, और जिम्मेवारी, इन संस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं ।

इन तीन सालों में एक प्रमुख बात उभर कर सामने आयी है वह यह है कि वन स्रोतों का स्थायी व्यवस्थापन, शासन, विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण से संबंधित मुद्दों के अभाव में नहीं हो सकता है । जब समुदाय आधारित प्राकृतिक स्रोत पर जोर बढ्ता जा रहा है और अनौपचारिक श्रोत स्तरीय संस्थाओं ने उन प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन में अपने सामर्थ्य को दिखाया है वहीं आज गाँव एवं जिला स्तरीय संस्थाओं की संलग्नता भी वृद्धोन्मुख है ।

यह प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेप एवं निर्वाचित संस्थाओं के जिम्मेवारियों से संबंधित नये कानून, नियम एवं उपनियमों के साथ उभर कर सामने आयी है ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में वर्तमान उपर्युक्त प्रक्रिया ने सहभागी विकास में विकेन्द्रीकरण को एक पूर्व आधार के रूप में बढावा दिया है । सहभागी विकास की अवधारणा स्वावलंबी और स्वयंसिद्ध विकास प्रक्रिया के सिद्धान्त पर आधारित है जो लोगों को निर्वाचित, औपचारिक, और अनौपचारिक जन संस्थाओं के माध्यम से अपनी जरूरतों को प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है ।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और जन संस्थाओं का उदय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए उचित प्रबंध है । ये प्रक्रियाएं पर्वतीय विशेषताओं के संदर्भ में विशेष रूप को अख्तियार करती हैं । स्थायी पर्वतीय विकास के लिए विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेप, विभिन्न भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियों को प्रभावी योजनाओं के रूपमें पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है । ये प्रक्रियाएं पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषमताओं के प्रति सचेतता को बढावा देने में मदद करती हैं । साथ ही ये प्रक्रियाएं निर्णय निर्माण, योजना, आर्थिक कार्यक्रम एवं विकास योजनाओं के रेखांकन में स्थानीय समुदायों की भूमिका को बढाने में भी मदद करती हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को आर्थिक विकास के दौरान नयी-नयी चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करना पड्ता है साथ ही इन्हें इन क्षेत्रों में (पर्वतीय

क्षेत्रों में) प्राकृतिक स्रोतों के समग्रता को वरकरार रखने के संदर्भ में भी उचित व्यवस्थापन की ओर ध्यान रखना पडता है । यह स्पष्ट है कि इन संस्थाओं की नयी भूमिकाओं को अनुभव, ज्ञान, और स्थानीय संस्थाओं के संलग्नता से सहयोग प्राप्त हो सकता है ।

कार्यशाला उद्देश्य

कार्यशाला के उद्देश्य को निम्न प्रकार से नियोजित किया गया था ।

- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं, सामुदायिक वन संस्थाओं एवं नेटवर्क के प्रतिनिधियों को मंच प्रदान करना ताकि वे प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन (सामुदायिक वानिकी आधारित) में अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से पहचान सकें ।
- विकेन्द्रीकरण कानून, वन कानून और अभ्यासों से संबंधि नीतियों, नियम और उपनियमों को और आधिक विस्तार से समझने में सहयोग प्रदान करना ।
- विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और सामुदायिक वन व्यवस्थापन से उनके संबंध को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहयोग प्रदान करना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और औपचारिक या अनौपचारिक समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच पारस्परिकता के सामर्थ्य को पहचानना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच वर्तमान और संभाव्य विरोधों को हटाने वाले दृष्टिकोण और कार्यपद्धति को पहचानना ।
- सामुदायिक वन स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए समता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के सिद्धान्तों पर आधारित उन सर्वोत्तम अभ्यासों की जानकारी प्राप्त करना जो स्थायी कार्यप्रणाली (शासन) को बढावा देते हों ।

कार्यशाला के सहभागी

कार्यशाला के सहभागी बांगलादेश, भारत, नेपाल, और पाकिस्तान से आए थे । कार्यशाला के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनका चयन निम्नलिखित मापदण्ड पर आधारित था ।

- प्रत्येक देश के स्वशासित गाँव और जिला अथवा समकक्षी प्रशासनिक इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधि ।
- जिला अथवा राष्ट्रीय सामुदीयक वन नेटवर्क के कार्यालय पदाधिकारी या सहभागी देश के उपयुक्त संस्थाएं जो उपर्युक्त मापदण्ड के अनुकूल हों ।

उन्नासी सहभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया जिनमें चौवन पुरूष और पचीस महिलाएं थीं । महिला सहभागिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया साथ ही एक महिला को आमंत्रित करने के स्थान पर दो महिलाओं को एक साथ आने और कार्यशाला में भाग लेने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी । इतना ही नहीं बच्चों की देख भाल की व्यवस्था भी की गई थी ताकि महिलाएं कार्यशाला में सहभागिता से वंचित न रह जाएं ।

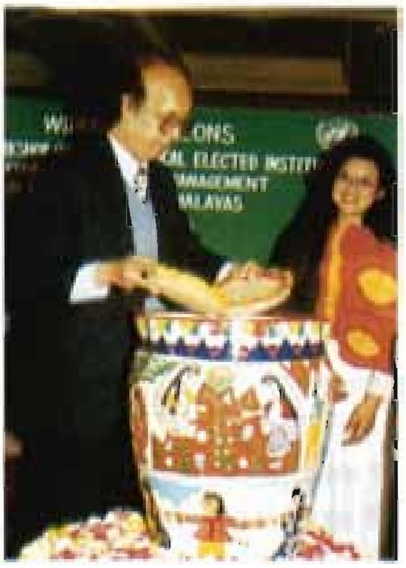

कार्यशाला गोष्ठी के उद्‌घाटन के दौरान 'मिट्टी मिलन' समारोह में बांगलादेश के डा. एम.एम. खान बांगलादेश से लाई हुई मिट्टी को घडे की मिट्टी में डालते हुए ।

सहभागियों द्वारा भिन्न-भिन्न देशों से लाई हुई मिट्टी से भरे घडे को श्री एगबर्ट पेलिङ्क (इसीमोड महानिर्देशक) को समर्पित किया जाना ।

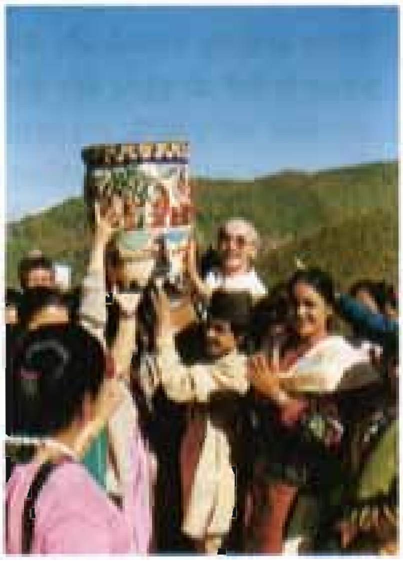

२
उद्घाटन सत्र

'इसीमोड' की अर्चना कार्की ने उद्घाटन समारोह में कार्यशाला के सहभागियों एवं अतिथियों का स्वागत किया । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री भक्त बहादुर रोकाया उद्घाटज सत्र के सभापति थे । अर्चना जी ने अन्य अतिथियों को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया । इन अतिथियों में थे सर्वश्री एगबर्ट पेलिङ्क (इसीमोड के महानिर्देशक) सुश्री केसांग छुन्ग्यलापा (सहायक आवासीय प्रतिनिधी, यु.एन.डी.पी. नेपाल), माधव पौडेल (सभापति, जिला विकास समिति, नेपाल, और सभापति, ललितपुर जिला विकास समिति) हरिप्रसाद न्यौपाने (सभापति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल) ।

अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व अर्चनाजी ने पूर्व दिवस में हुए अनौपचारिक 'मिट्टी मिलन' समारोह के विषय में विस्तार से बताया । यह 'मिट्टी मिलन' समारोह अनौपचारिक तो था लेकिन प्रतीक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था । उन्होंने कहा कि घडे पर बनी हुई आकृति पर्वत और पर्वतीय जीवन को प्रदर्शित करती है । घडे पर बने हुए चित्र जिसमे कि एक दूसरे के हाथों को गोलाकार और अविच्छिन्न रूप से पकडे हुए पुरूष और महिलाओं का चित्र जहाँ एक और पर्वतीय जीवन के सामान्य समस्याओं को दिखाता है वहीं यह चित्र उन सामान्य समस्याओं से एकजुट होकर जूझने की

स्थानीय विकास एवं वन तथा भू-संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री द्वय द्वारा संयुक्त उद्घाटन

प्रेरणा भी देता है । "सभी सहभागियों ने अपने-अपने स्थानों से मिट्टी लाकर इस घड्े में एक साथ डाला है, इसलिए यह मिट्टी काफी महत्त्वपूर्ण है, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसी मिट्टी से हमारा जीवन है ।

सुश्री कार्की ने प्रत्येक अतिथि से आग्रह किया कि वे ललितपुर से लायी हुई मिट्टी' को उस घडे में डालें और इस तरह वे 'मिट्टी मिलन' समारोह के सहभागी हों, साथ ही इस प्रक्रिया के द्वारा यह भी लक्षित हुआ कि वे प्रतिकात्मक रूप से एक साथ कार्यशाला के सहभागी हुए और इतना ही नहीं इस 'मिट्टी मिलन' कार्यक्रम ने वह भी दिखाया कि सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में एक बात सामान्य है और वह बात यह है कि यह क्षेत्र लाखों लोगों को जीवन और महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध कराता है । अर्चनाजी ने इस उद्‌घाटन सत्र के दौरान श्री एगबर्ट पेलिङ्क से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ।

इसीमोड महानिर्देशक एगबर्ट पेलिङ्कका स्वागत संबोधन

श्री पेलिङ्क ने कहा कि इस कार्यशाला गोष्ठी ने निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सामुदायिक वन समूहों और नेटवर्क के सदस्यों और गैर-सरकारी संस्थाओं को एक साथ एकत्रित किया है । प्राकृतिक स्रोत और वातावरण व्यवस्थापन में शासन, विशेषकर विकेन्द्रीकरण और स्थानीय सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में इसीमोड के कोशिशों में यह एक नयी शुरूआत है । इन कुछ वर्षो में निर्णय और योजना निर्माण की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्त्व को पहचाना गया है और साथ ही कुछ प्रश्न एसे भी उभरे है कि इन प्राकृतिक स्रोतों को कैसे और किसके द्वारा उपभोग किया जाए ।

यद्यपि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में लगातार वातावरण ह्रास दृष्टिगत है, फिर भी इसके विपरीत उत्साह वर्धक आशा की किरण भी नजर आयी है, और यही आशा की किरण इस कार्यशाला गोष्ठीका मुख्य विषय है । श्री पेलिङ्क ने कहा कि इन पिछले वर्षो में वन स्रोतों के व्यवस्थापन में समुदाय आधारित और अनौपचरिक गाँव स्तरीय संस्थाओं ने अपनी योग्यता को साबित किया है, और साथ ही निर्वाचित गाँव और जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ इनकी संलग्नता भी बढ्ती रही है । हिन्दू कुश-हिमालय के विभिन्न देशों में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया को सहभागी विकास के पूर्वाधार के रूप में प्रस्तुत किया है । विभिन्न निर्वाचित औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं और जरूरतों के प्रस्तुत करने के लिए

'इसिमोड' के महानिर्देशक श्री एगबर्ट पेलिङ्क द्वारा स्वागत संबोधन ।

लोगों को यह विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया मदद करती है । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और अनौपचारिक या औपचारिक सामुदायिक वन संस्थाओं के बीच संलग्नता, समन्वय और पारस्परिकता के शर्त नए एवं उभरते हुए थे, इसलिए एक ऐसी कार्यरेखा की आवश्यकता है जो इन दो महत्त्वपूर्ण इकाईयों (स्थानीय निर्वाचित संस्था और अनौपचारिक या औपचारिक सामुदायिक वन संस्था) को एक साथ कर सके । स्थानीय निर्वाचित नेताओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गाँव वन विकास समितियाँ, महिला मण्डल या दूसरे संबंधित निकाय जो वन व्यवस्थापन में संलग्न हों, इनके बीच संपर्क सहयोग और समन्वय के माध्यम से समानता, पारदर्शिता और कार्यक्षमता के सिद्धान्तो पर आधारित कार्य की रूप रेखा तयार की जाए जो प्राजातांत्रिक शासन को बढावा दे । कार्यशाला गोष्ठी की आयोजना इसलिए की गई है कि स्वयं-निर्भर, आर्थिक रूप से समर्थ पर्वतीय समुदायों को एकत्रित कर ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें स्थानीय विचारो को सुनकर उनका आदर किया जाए और प्राकृतिक स्रोतों को भविष्य संतति के लिए रक्षित और संचित किया जाए ।

श्री पेलिङ्ग ने कहा कि स्थानीय विचारो को निश्चित रूप से सुनने और उस पर विचार के उद्देश्य से कार्यशाला की प्रक्रिया का संचालन अंग्रेजी में नहीं कर हिन्दी, नेपाली और उर्दु में किया जाएगा । उन्होंने कार्यशाला की आयोजना में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए यु.एन.डी.पी. जिला विकास समिति नेपाल और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, को धन्यवाद ज्ञापन किया । साथ ही उन्होंने फोर्ड फाउन्डेशन नई दिल्ली, को भी धन्यवाद दिया जो निरन्तर रूप से इसीमोड के सहभागी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम को सहयोग देता आ रहा है ।

श्रीमति केसांग छुन्ग्याल्पा, सहायक आवासीय प्रतिनिधि, यु.एन.डी.पी./नेपाल ।

श्रीमति छुन्ग्याल्पा ने अपने वक्तव्य के आरंभ में कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों से आग्रह किया कि वे प्रमुख रूप से उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाले जो स्थानीय संस्थाओं और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के बीच संबंध कायम करते हों । उन्होंने कहा कि स्रोतों के सही परिचालन में कमी ही निर्धनता का मूल कारण है और यही अनुभव यह इंगित करता है कि समुदायों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशासन प्रक्रिया के माध्यम से स्रोतों को ठीक तरीके से परिचालित किया जा सकता है और इन समुदायों के द्वारा ही इनका अच्छी तरह से व्यवस्थापन किया जा सकता है । स्वशासित सामुदायिक संस्थाएं वहीं पर फैल सकी है जहाँ कि नीतियाँ और दूसरी संस्थाओं ने उनका साथ दिया है नहीं तो सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय सरकार के बीच तथा स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच का संबंध विवादास्पद ही था । यह आवश्यक है कि स्थानीय समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए नीतियों का निर्माण हो और साथ ही स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याओं से भी केन्द्र अवगत रहे । यु.एन.डी.पी. के कार्यक्रमों ने नेपाल में समुदाय, स्थानीय, जिला और केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच संबंध को विकसित

करने का प्रयास किया है । अन्त में श्रीमति छुन्नयाल्पा ने कहा कि यु.एन.डी.पी. इस कार्यशाला गोष्ठी से संबद्ध हो कर काफी प्रसन्न है क्यों कि इस गोष्ठी के माध्यम से इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा । उन्होंने कहा कि वे विश्वस्त हैं कि इस गोष्ठी में होने वाली अर्न्तक्रिया के फलस्वरूप विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया और वन स्रोत व्यवस्थापन के नए आयाम सामने आएंगे ।

माधव पौडेल, अध्यक्ष, जिला विकास समिति संघ, नेपाल (ए.डी.डी.सी.एन) तथा अध्यक्ष, ललितपुर जिला विकास समिति ।

श्री पौडेल ने कहा कि कार्यशाला गोष्ठी के दौरान विचार विमर्श किए जाने वाले मुद्दे न केवल नेपाल के लिए बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगे । इस कार्यशाला के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने विचार प्रस्तुत करेगें कि किस तरह प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के रास्ते में आने वाले चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए । उन्होंने कहा कि जिला विकास समिति संघ का मुख्य लक्ष्य है, प्रजातंत्र, विकेन्द्रीकरण, जिला स्तरीय शासन, और विकास इन चार प्रक्रियाओं के माध्यम से देश को सहयोग करना ।

नेपाल में जिला विकास समितियाँ विभिन्न कानूनी अड्चनों का सामना करती आ रही है, उन्होने कहा कि उन्हें आशा हैं कि इन कानूनी अड्चनों से संबधित सुझाव जो कि संसद में भेजे जा चुके हैं, निश्चित रूप से पारित होंगे ।

वन स्रोत संबंधी मुख्य मुद्दे पर बात-चीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में नब्बे प्रतिशत ईन्धन और चालीस प्रतिशत चारा इन वनों से ही उपलब्ध होते है, साथ ही बीहड् जानवरों का वासस्थल है, और भू-स्खलन से बचाव भी ये वन ही करते हैं ।

वातावरण की रक्षा के लिए हमारे सचेत कदम की आवश्यकता है, कि हम किस प्रकार से धरती की रक्षा और वन स्रोतों का उपयोग कर सकते है ?

सामाजिक विकास और सामुदायिक वानिकी में वन की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है साथ ही वन टीम्बर के अतिरिक्त उत्पादों और बाजार बागवानी की भी क्षमता रखता है । सामुदायिक वानिकी में स्थानीय शासन की भूमिका को निश्चित रूप से इंगित और स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री पौडेल ने कहा की कुछ लोग स्थानीय शासन की भूमिका के प्रति सशंकित है । उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का सामुदायिक वानिकी में राजनीतिकरण उचित नहीं है । निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक वानिकी के नियम एवं कानूनों को लागू एवं विकसित करना तथा विभिन्न

उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय कायम करना ही इन प्रतिनिधियों का मुख्य कार्यक्षेत्र था । चूंकि सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समस्याएं तकरीबन एक जैसी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जिला विकास समीती संघ पर्वतीय समस्याओं से संबधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए मुस्तांग जिले में एक कार्यशाला गोष्ठी आयोजित करने का प्रयास कर रहा है । अन्त में उन्होंने माननीय मंत्री वन तथा भू-संरक्षण, से यह आग्रह किया कि स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को अधिक सूविधाजनक बनाने के लिए संसद द्वारा पारित विकेन्द्रीकरण के बील में जिला विकास समीती संघ के विचारों को समाविष्ट करने में मदद करे ।

हरि प्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल ।

श्री न्यौपाने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही इस बात पर जोर दिया कि वन विकास, सीमान्त समुदायों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल सकता है । उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन के पुर्नस्थापना के लिए विभिन्न प्रकार कि इकाईयों कार्यरत हैं, जैसे कि वडी परियोजनाएं छोटी संस्थाएं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रयास भी वन संरक्षण में संलग्न हैं ।

उन्होंने इसीमोड को र्काशाला गोष्ठी की आयोजना के लिए धन्यवाद किया । इस गोष्ठी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहाकि इस कार्यशाला में विभिन्न देशों के सहभागी वानिकी, स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं से संबधित सामान्य संमास्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे । उन्होंनें सामुदायिक वानिकी संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जबसे नेपाल में नए वन कानून ने सामुदायिक वन और उसके प्रबंध में सहयोग देना शुरू किया है तब से ऐसी जगलें जहाँ कि घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वहीं अब घना वन है ।

श्री न्यौपाने ने वन और उससे संबंधित अन्य स्रोतों के विकास के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैसे बच्चे को जन्म देना ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके पालन पोषण की भी आवश्यकता है, उसी तरह वन निर्माण और उसके स्रोतों के संरक्षण की भी आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि वन स्रोत संरक्षण से संबंधित अभी और भी मुद्दे हैं जो सुलझाने बाँकी हैं । समुदायों से संबंधित धारणाओं का खण्डन करते हुए उन्होंनें कहा कि समुदायों ने वन का नाश नहीं किया है, लेकिन यह भी सच है कि केवल वन का परिचालन करना ही पूर्ण नहीं है । वन समुदायों के क्षमता कि कहावत प्रचलित है, "तेता पाँव पसारिये जेती लम्बी सौर", इसलिए समस्याओं की पहचान उनके अपने संदर्भ में होनी चाहिए और उनका समाधान भी व्यावहारिक ही होना चाहिए । जैसे कि ताले को खोलने की तकनीक यदि पता नहीं है तो चाभी का होना भी बेकार है । उन्होंनें कहा कि अधिक उपयुक्त कानून नियम, विनियम आदि के निर्माण और परिचालन के लिए यह आवश्यक है कि वन प्राविधिक और वन उपभोक्ता मिल कर काम करें ।

उन्होंने कहा कि दूसरी समस्या यह थी कि राजनीति ने स्थानीय संस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था और ये संस्थाएं राजनीतिज्ञों के हाथों की औजार बन गई थीं । श्री न्यौपाने ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए । वन समुदायें का स्रोत है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए । विदेशों में टिम्बर के निर्यात पर रोक लगना चाहिए । श्री न्यौपाने ने कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि माननीय स्थानीय विकास मंत्री वन विकास और वन व्यवस्थापन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों को गम्भीरता पूर्वक लेंगे और उनके बीच समन्वय का प्रयास भी करेगे ।

श्री न्यौपाने ने इस बात की पुष्टी की कि वन उपभोक्ता समूहोंमे कानूनी सचेतता अपेक्षाकृत कम ही है । उन्होंने कहा कि 7,000 वन उपभोक्ता समूहों में 6,000 ही प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यरत है और बचे हुए 1,000 वन उपभोक्ता समूह तकरीवन निष्क्रिय ही है । उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि निष्क्रिय संस्थाओं को अनुशासित करे और साथ ही दूसरी संस्थाओं को उत्साहित करें । कहीं-कहीं पर 'वन उपभोक्ता समूह कोष' अच्छी तरह से परिचालित नहीं थे और साथ ही कुछ उपभोक्ता समूह ठीक से व्यवस्थित नहीं थे तथा उनके बीच तारतम्यता का भी अभाव था । इसलिए उपायों और दण्ड की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है । उसी तरह जो उपभोक्ता समूह अच्छी तरह से कार्य कर रहें हो, उन्हें सरकार को चाहिए कि बढावा तथा मदद दे क्योंकि यही उपभोक्ता समूह नेपाल के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से विकिसित होने में मदद करेंगे ।

सुश्री कार्की ने इसके बाद माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, स्थानीय विकास मन्त्रालय नेपाल, और माननीय मंत्री श्री भक्तबहादुर रोकाया, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, नेपाल को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वल्लित करने के लिए आमंत्रित किया जो उन दोनों के कार्य क्षेत्र के संयुक्त रूप का द्योतक था ।

संबोधन भाषण, श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, स्थानीय विकास मंत्री, नेपाल ।

श्री सिंह ने कहा कि यद्यपि वन ह्रास की प्रक्रिया नेपाल में कोई नयी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो में इस प्रक्रिया ने विकराल रूप ले लिया है । यदि समय में ही इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य के स्वरूप की कल्पना असंभव है । उन्होने कहा कि वन ह्रास पर नियंत्रण किसी एक व्यक्ति, वा संस्था यहां तक कि किसी एक देश के द्वारा नहीं किया जा सकता है । उन्होंने कार्यशाला के सहभागियों द्वारा किए गए वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की । वन से संबंधित सभी इकाईयों द्वारा ऐसे प्रयास संयुक्त रूप में एक दूसरे को मदद करते हुए उत्साह एवं सलाह देते हुए, किए जाने चाहिए । सम्पूर्ण विश्व में इस मुद्दे से संबंधित लोगों की

सचेतता को निश्चित रूप से बढाया जाना चाहिए । श्री सिंह इस बात से खुश थे कि वन क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण से संबंधित क्षेत्रीय समाधान ही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है । उन्होंने कहा कि सहयोगी कार्यक्रमों ने वन स्रोतों के व्यवस्थापन में मदद पहुंचाया है । चुँकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों ने नीति नियमों से संबंधित मुद्दों और स्थानीय लोगों के जन जीवन को भी प्रभावित किया है ।

श्री पौडेले द्वारा विकेन्द्रीकरण बील पर उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्हें आशा है कि जल्द ही यह बील संसद में पारित हो जाएगा । वन व्यवस्थापन के इस क्षेत्र में स्वयं शासन के अभाव में स्थायी वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना कठिन है । नए वन कानून, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों को स्पष्ट करें तथा साथ ही लोगों को खुले एवं स्वतंत्र रूप में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करें । उन्होंने कहा कि हिन्दू कुश-हिमाल क्षेत्र के दूसरे देश जैसे कि भारत भी शक्ति विकेन्द्रीकरण को सहभागिता पर आधारित कार्यक्रमों के परिचालन के पूर्वाधार के रूप में ले रहा है । अन्त में उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के समास्याओं के प्रति सचेत है । ये लोग ही नेपाल में बडी संख्या में है साथ ही अपने विकास के प्रति भी सचेत है । श्री सिंह ने आशा व्यक्त कि इस कार्यशाला गोष्ठी में उन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा जो हिन्दू कुश क्षेत्र के निर्वाचित इकाईयों और वन उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा ।

इसके बाद सुश्री कार्की ने इस कार्यशाला गोष्ठी के विभिन्न देशों के सहभागी प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए बारी-बारी से आमंत्रित किया ।

डा. एम. एम. खान, प्राध्यापक, पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन, ढाका विश्वविद्यालय, बांगलादेश ।

डा. खान ने कहा कि इस महत्त्वपूर्ण गोष्ठी में आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है । उन्होंने कहा कि दूसरे सहभागियो ने पहले ही बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । अब वह दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते हैं । प्रथमत: यद्यपि स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ मौजूद हैं, फिर भी पूर्ण रूप सें उनमें शक्ति निक्षेपण नहीं हुआ है । साथ ही कुछ मुद्दों में उपयुक्त पैसे, योग्यता और नेतृत्व शक्ति की भी कमी महसूस की गई है । सामुदायिक वानिकी के संबंध में श्री खान ने कहा कि बहुत से नियम कानून अस्पष्ट और अनुपयुक्त हैं, और साथ ही समसामयिक भी नहीं हैं ।

राधा भट्ट, लक्ष्मी आश्रम, अल्मोरा जिला, उत्तर प्रदेश, भारत ।

राधा भट्ट ने हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय लोगों को एक साथ मिल कर महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए इसीमोड को धन्यवाद किया । उन्होंनें अपने सहभागी साथियों से आग्रह किया कि कार्यशाला गोष्ठी के बाद अपने देश और गाँव लौटने पर इस गोष्ठी में हुए निर्णयों एवं निष्कर्षों को वहाँ पर लागू करने का प्रयास करें । वह इस बात से सहमत थीं कि महत्त्वपूर्ण पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतों के परिचालन के लिए कडे नियमों का होना जरूरी है, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गाँव स्तर पर स्वायत्तता के अभाव में केन्द्र के नीति नियम प्रभावकारी नहीं हो सकेंगे । तृण मूल स्तर के लोगों के अनुभवों, सचेतता, स्थान विशेष जानकारी और तीक्ष्णता को पहचाना जाना चाहिए साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए । इस कार्यशाला गोष्ठी में सरकारी और ग्रामीण, दो प्रकार की संस्थाओं से प्रतिनिधि आए हैं । दोनो प्रकार के प्रतिनिधियों का साथ मिल कर विचार विमर्श करना एक ऐतिहासिक शुरूआत है । अपने समुदायों के प्रतिनिधि होने के नाते हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इस कार्यशाला गोष्ठी को सफल बनाएगें ।

गाणेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बोखिम गाँव विकास समिति, भोजपुर, नेपाल ।

श्री श्रेष्ठ ने सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ मिल कर अपने अपने संस्थाओं और प्राकृतिक स्रोतों के विकास से संबंधित रास्तों को खोजना चाहिए । जैसे कि स्थानीय विकास मंत्री और वन तथा भू-संरक्षण मंत्री ने संयुक्त रूप में दीप जलाकर कार्यशाला का उद्‌घाटन किया उसी तरह कार्यशाला में उपस्थित दोनों प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधि साथ मिल कर काम करें । मुद्दा यह था कि किस तरह से स्थानीय, निर्वाचित इकाईयों और वन उपभोक्ता समूह तथा समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच सामुदायिक वन को मद्दे नजर रखते हए समन्वय स्थापित किया जाए। कुछ कमजोरियों को पहचाना जा चुका था जैसे कि वैधानिक समस्याएं, राजनीति और वन अधिकारियों तथा तृण-मूल स्तर के लोगों के बीच के संबंध का अभाव । हम इस तरह से साथ मिल कर काम करें ताकि उन समाधानों का खोज करें जो इन कमजोरियों को दूर कर सकें । सामुदायिक वानिकी, स्थानीय लोगों में शक्ति संवर्धन का एक महत्त्पूर्ण साधन था । सामुदायिक वानिकी के विकास में तथा शक्ति संवर्धन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका को पहचानना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य था ।

'फेकोफन' (सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल), सामुदायिक वन विकास से संबद्ध है, और वन उपभोक्ता समूह द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं के समाधान में भी उन्हें सहयोग करता है । हमें इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से 'फेकोफन' को और अधिक शक्ति सम्पन्न और कार्यशील बनाना चाहिए । विशेष रूप से 'गाँव विकास समिति' जिला विकास समिति कानून, और वन कानून के बीच

तारतम्यता के लिए विचार विमर्श करना चाहिए । इन कानूनों ने और प्राधिकृत और जिम्मेवारी संबंधित समस्याएंओं को और अधिक बढावा दिया है । हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य समस्याओं के सामान्य समाधान के खोज की आवश्यकता है ।

मोहम्मद इकबाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाकिस्तान ।

श्री इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी उसी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं जैसा कि अन्य सहभागियों ने कहा है । वहाँ भी तृण-मूल स्तर के लोग ही सही अर्थ में वन के उपभोक्ता हैं, लेकिन पेड धीरे - धीरे काटे जा रहे हैं और प्राकृतिक स्रोतों की भी रक्षा उपयुक्त तरीके से नहीं हो पा रही है । अब कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं जैसे कि 'आगा खाँ ग्रामीण सहयोग परियोजना' कुछ नए दृष्टिकोणों को आधार लेकर कार्यशील हैं, साथ ही कुछ सहभागी मूलक प्रक्रियाएं भी उभर रही हैं । उन्होंने कहा कि उनके देशों से आए हुए सहभागी इस कार्यशाला गोष्ठी से सीखना चाहते हैं, और अपने अनुभवों को भी दूसरे देश के सहभागियो के साथ बांटना चाहते हैं । पाकिस्तान के ये सहभागी 'इसीमोड' और यु.एन.डी.पी., से उन कार्यक्रमों में सहययेाग की अपेक्षा रखते हैं जो पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में सकारात्मक परिवर्तनों को ला सके ।

इसके बाद सुश्री कार्की ने नेपाल के माननीय वन तथा भू-संरक्षण राज्य मंत्री श्री भक्त बहदुर रोकाया, जो कि इस सभा के अध्यक्ष भी थे, को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित किया ।

भक्त बहादुर रोकाया, माननीय राज्य मन्त्री, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

मंत्री श्री रोकाया ने नेपाल के अपने पडोसी राष्ट्रों के साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के विषय में जानकारी देते हुए संबोधन भाषण आरंभ किया । उन्होने कहा कि इस तरह की कार्यशाला गोष्ठी में वन संरक्षण पर विचार विमर्श करना एक समसामयिक मुद्दा है । उन्होंने आशा व्यक्त कीया कि इस कार्यशाला गोष्ठी के माध्यम से वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच संबंध कायम हो सके, ऐसे रास्ते निकल आएंगे । वानिकी और वन से संबंधित संस्थाओं का राजनीतिक कार्यकलाप वन विकास में बाधा है, यह सिद्ध हो चुका है । साधारणत: नेपाल में यह देखाजा चुका है कि राजनीतिक प्रतिनिधि सामुदायिक वानिकी और वन व्यवस्थापन के संबंध में अपेक्षाकृत कम व्यावहारिक और उदारवादी थे इसी लिए ऐसा सोचकर कि उपभोक्ताओं को वन व्यवस्थापन और विकास में संलग्न किए बिना वन व्यवस्थापन और विकास संभव नहीं है, ऐन कानून में उपभोक्ताओं को उपर्युक्त कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई । लेकिन स्थानीय निर्वाचित नेताओं की भी वन व्यवस्थापन और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है । वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं

के बीच किसी भी प्रकार के उल्भनों को दूर किया जाना चाहिए । वन व्यवस्थापन और विकास का कार्यभार जब एक बार उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के हाथ में चला जाता है तो उन्हें चाहिए कि वे मिल कर काम करें क्योंकि दोनो ही संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में संलग्न हैं ।

सामुदायिक वन भी आय आर्जन करने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे कि किमती पेड, जडी बूटी, और अन्य टीम्बर, और वन उतपादन आदि । स्थानीय निर्वाचित इकाईयों को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में वन उपभोक्ता समूहों को मदद करे ताकि भविष्य में दोनो इकाईयों के बीच संबंध और अधिक सुदृढ हो सकें । यह कार्यशाला गोष्ठी विकेन्द्रीकरण कानून में संशोधन से संबंधित विचारों को आगे लाएगा, ऐसी आशा है ।

जब से स्थानीय लोगों ने वन और वन उत्पादों के महत्व को समझा है वन उत्पादों की चोरी और गैर कानूनी निर्यात कम हो गई है । उन्होंने कहा कि जब वे पिछ्ले वर्ष संसद के सदस्य थे, तब एक प्रस्ताव रखा गया था कि वन स्रोतों से प्राप्त आय को गाँव विकास समिति और जिला विकास समिति को दिया जाएगा । उस समय उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि आय को सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को दिया जाना चाहिए । आगामी जाडे के संसद सत्र में यह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और जो समूह इस प्रस्ताव में रूचि रखते हैं वे अपने परामर्शो के साथ "प्राकृतिक स्रोत एवं पर्यावरण संसदीय समिति" से सम्पर्क करें । श्री रोकाया जी ने यह आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला गोष्ठी से ऐसी नीतियाँ सामने आएंगी जो संबंधित निकायों के बीच सामन्जस्य कायम करने में मदद करेंगी ।

माननीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्रीमति कार्की ने कहा कि श्री रोकाया जी ने कार्यशाला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्त्व को प्रकाशित करते हुए वन विकास श्रोत विकेन्द्रीकरण से संबंधित समस्याओ तथा समुदायों की भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला है ।

सुश्री कार्की ने सभी वक्ताओं का और साथ ही दूसरे सहयोगी साथियों का जिन्होने इस कार्यशाला गोष्ठी के संचालन में सहयोग दिया था, का धन्यवाद किया ।

सुश्री कार्की ने कहा कि समुदाय ही समाज के आधार हैं, और समुदाय मिल कर ही राष्ट्रस्तम्भ कायम करते हैं । स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं और उनके नेताओं ने समुदायों के कार्यकलापों को परिचालित करने में बहुत ही मदद किया है । वन विकास से संबंधित कार्यो में समुदायों की रूचि ने ही सामुदायिक विकास और दीर्ध अवधि वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं को जन्म दिया है । ऐसी आशा है कि कार्यशाला में भाग लेने वाले सहभागी हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर के सामुदायिक वन व्यवस्थापन को पनपने और मजबूत होने में अपना योगदान करेंगे ।

३
सभा-सत्र

प्रारंभिक सभा सत्र में सामुहिक विचार विमर्श किया गया । इस विचार गोष्ठी का शीर्षक था, "विस्तीर्ण क्षितिज: हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समस्त स्थानीय शासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन को चुनौतियाँ" । इस सत्र का उद्देश्य था हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में स्थानीय शासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना ।

इस सत्र के अध्यक्ष थे डा. श्री मोहनमान सैंजू, कार्यकारी अध्यक्ष, एकीकृत विकास अध्ययन, काठमाण्डू । सहभागियों का चयन राष्ट्र के आधार पर (जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और कार्यक्षेत्र विशेष के आधार पर), किया गया ।

निम्न लिखित कार्यशाला सहभागी इस विचार गोष्ठी के सदस्य चुने गए ।

अध्यक्ष : डा मोहन मान सैंजू

बांगलादेश: डा. एम.एम. खान

पाकिस्तान: श्री हैदर खान
श्री सफा अली

अध्यक्ष - डा. मोहन मान सैंजू

भारत : श्री रमेश शर्मा
डा. बी.पी. मैथानी
सुश्री राधा भट्ट
श्री कुलभूषण उपमन्यू
श्री चण्डी प्रसाद भट्ट

नेपाल: श्री हरी प्रसाद न्यौपाने
श्रमिति माया देवी खनाल
श्री माधव पौडेल

यह सत्र श्री अनुपम भाटिया के स्वागत संबोधन से प्रारंभ हुआ । उन्होंनें स्वागत संबोधन के क्रम में श्री मोहनमान सैंजू, अध्यक्ष, एकीकृत विकास अध्ययन, काठमाण्डू का परिचय दिया । श्री भाटिया ने कहा कि उपर्युक्त संस्था नेपाल के सबसे पुराने और पूर्ण प्रतिष्ठित शोध और विकास के संस्थाओं में से एक है । यह क्रियाशील शोध और उनके उपयोगिताओं पर कार्यरत है ।

डा. सैंजू बहुत से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पदों पर कार्य कर चुके हैं, जैसे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य, और उपाध्यक्ष और अमेरिका और क्यानाडा में नेपाल के राजदूत । साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की नेपाल की संस्थाओं में नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभायी हैं और "राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद्" तथा 'एकीकृत ग्रामीण विकास उच्च स्तरीय समिति' भी उनके कार्य क्षेत्र रहे है । डा. सैंजू के बहुमुखी सेवा के लिए उन्हे नेपाल के विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है ।

सामुहिक विचार गोष्ठी के आरंभ होने से पहले डा. सैंजू ने विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों का और उनके कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त में परिचय दिया । उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है की सहभागी अपने अनुभवों और विचारों से कार्यशाला को लाभान्वित करेंगे ।

बांगलादेश

डा. एम. एम. खान, प्राध्यापक, पब्लिक एडमिनिष्ट्रेशन विभाग, ढाका विश्वविद्यालय डा. खान "रूरल डेवलपमेन्ट इन बांगलादेश" के लेखक भी है । प्रजातंत्र और स्थानीय शासन से संबंधित इनके कुछ लेख भी प्रकाशित हो चुके है ।

डा. खान ने सत्र के आरंभ में ही सहभागियों को इस सत्र के मुख्य मुद्दे के विषय में याद दिलाया, उनके अनुसार मुख्य मुद्दा था 'स्थानीय शासन को सामुदायिक वन प्रक्रियाओं के साथ किस प्रकार समन्वित किया जाए' । उन्होंने दो समस्याओं को इंगित

किया पहली समस्या स्थानीय निर्वाचित एकाईयों से संबंधित थी, और दूसरी सामुदायिक वन व्यवस्थापन से संबंधित थी ।

डा. खान ने कहा ऐतिहासिक काल ब्रीटिश भारत में, ऐसा हमेशा देखा गया कि स्थानीय शासन केन्द्रीय शासन के मुलाजिम के रूप में कार्य करता था तथा केन्द्रीय शासन के लिए सहयोग जुटाया करता था । इस तरह इन स्थानीय शासन में क्षमता वर्धन के स्थान के बदले इन्हें निम्न लिखित समस्याओं का सामना करना पडता था ।

- स्वायत्तता की कमी
- अपर्याप्त पूंजी, अपने ही कोष के परिचालन की क्षमता में कमी
- सक्षम लोगों की कमी, केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी लेकिन वे स्थानीय तौर पर सक्षम नहीं थे और
- निर्वाचित स्थानीय नेता हमेशा प्रभावकारी नहीं होते थे और साथ ही वे सच्चे अर्थ में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि भी नहीं होते थे ।

सामुदायिक वानिकी के मुद्दे में वन विभाग अभी भी केन्द्र नियंत्रित ही था, जो वन कर्मचारियों और स्थानीय जनता के बीच अविश्वास का वातावरण तैयार करता था । वन विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति श्रेणी के आधार पर आधारित था । वन अधिकृतों को केवल यांत्रिक प्रशिक्षण दिया जाता था व्यावहारिक अनुभवों का उनमें खासा कमी थी । ज्यादातर वन कानून असमसामयिक थे, और उनका संशोधन भी नहीं किया गया था । वन नीति स्पष्ट और क्षेत्र सिमित नहीं थी ।

डा. खान ने निम्न लिखित सुझावों को प्रस्तुत किया

- शक्ति निक्षेपण और स्थानीय स्वायत्तता- यदि एक बार लोगों के अधिकार और जिम्मेवारियों दे दी जाए तो स्थानीय इकाईयाँ निश्चित रूप से विकसित होंगी ।
- समुदाय आधारित संस्थाओं को प्रोत्साहन
- ये संस्थाएं अचानक उभरी हैं, लेकिन इनमे अर्थ और नेतृत्व की कमी है, साथ ही इनके विकास में सहयोग की आवश्यकता है ।
- वन विभाग और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच संबंध में बढावा । राष्ट्रीय स्तर के राजनीति को इस तरह के कार्यकलाप के लिए नयी कार्य योजना की आवश्यकता होगी । सरकारी अधिकृतों को व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यता ताकि वे स्थानीय स्तर के संस्थाओं के साथ काम कर सकें ।
- सरकारी कर्मचारियों की दादागीरी भी खत्म हो । दक्षिण एशिया के सभी देशों में यह एक ज्वलंत समस्या है ।

पाकिस्तान

श्री हैदर खान - सदस्य, उत्तरी क्षेत्र परिषद् ।

स्थानीय परिषद् में निर्वाचित होकर श्री खान स्थानीय सरकार के वन सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए । इनका दर्जा क्षेत्रीय मंत्री का है । मुख्य रूप से ये वन क्रियाकलापों से संबंधित नीतियों के निर्माण में संलग्न हैं साथ ही एडबोकेसी, समुदाय परिचालन और आर्थिक मामलों की भी देख रेख करते हैं ।

पाकिस्तान में दों प्रकार के वन हैं सरकार संरक्षित वन, और नीजी वन । अकेले ही सरकार के लिए वन स्रोत व्यवस्थापन करना काफी कठिन था । सामुदायिक वनों में समुदाय ने संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों के काटने की जिम्मेवारी ली । ऐसा सोचा गया कि यदि समुदायों को ये जिम्म्ेवारियाँ दी जायगी तो वन संरक्षण को फायदा होगा । यदि वन नीति और समुदाय के फायदों में उल्झनें आएंगी तो वन ह्रास अवश्य होगा । इसलिए वन के प्रति समुदायों का लगाव बहुत ही महत्वपूर्ण है । राजनेता और गैर-सरकारी संस्थाएं सरकार और समुदायों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । यदि गैर-सरकारी संस्थाएं समुदायों के साथ काम करती हैं, तो वे स्थानीय निर्वाचित इकाईयों और सरकार दोनों के बीच समन्वय कर सकती हैं । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं का सामुदायिक वानिकी में संलग्न होना जरूरी है ।

वन व्यवस्थापन के लिए सरकार के द्वारा स्थानीय जनता को उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण भी अपर्याप्त थे । हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समुदायों की समस्याओं और बाधाओं को सरकार को समझना चाहिए ।

श्री शफा अली - समुदाय संचालक, उत्तरी क्षेत्र, पाकिस्तान । अपने समूह सदस्यों के साथ, जो कि सफलता पूर्वक अपने वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन करते हैं, श्री अली समुदाय संचालन करते हैं ।

पहले पाकिस्तान में श्री अली के क्षेत्र में वन क्षेत्र राज्य द्वारा नियंत्रित और संरक्षित थे। 1972 में केन्द्र सरकार ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया । लेकिन वन विकास के बदले वन नाश होने लगा । इसके बाद समुदाय सदस्यों ने ही सरकार की अनुमति से एक समूह बनाया जिसने वन व्यवस्थापन शुरू किया, और साथ ही वन स्रोतों के निर्यात और वन कटाव पर भी पाबंदी लगा दी गई । अब इस समय यह निश्चित किया गया है कि न तो सरकार वन कटाव करेगी और न ही समुदाय । समुदाय उपभोक्ता समूह के स्वीकारोक्ति के बिना वन विभाग, वन कटाव नहीं कर सकता है । समुदाय कोष के अभाव में वन संरक्षण पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है । इसी बिन्दू पर यह आवश्यक है कि समुदाय, स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ, और सरकार, अपनी-अपनी भूमिकाओं को

निश्चित कर लें । ऐसे में कानूनी सलाह और गैर-सरकारी संस्थाएं, उपभोक्ता समूह, स्थानीय निर्वाचित संस्था और केन्द्र सरकार, को मदद के लिए हैं ।

भारत

श्री राकेश शर्मा- सहायक निर्देशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को एक सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से भु.पी.ए.ए. सिविल कर्मचारीयों के क्षमता वृद्धि में कार्यशील हैं ।

कार्यशाला का आधारभूत मुद्दा यह था कि सामुदायिक वानिकी पद्धति का निर्माण कैसे हो जो प्रशासनकि स्तर के साथ तृण मूल स्तर के लोगों का संपर्क स्थापित कर उन्हें फायदा पहुँचा सके । भारत के संदर्भ में कुमाऊँ में जिला वन व्यवस्थापन वन विभाग के हाथों में था और वन कर्मचारी वन के साथ समुदायों के संबंध को नहीं समझते थे । वन अधिकृतों ने गाँव के लोगों को वन व्यवस्थापन के तरीकों से अलग रखा । 1930 से कुमाऊँ और गढ्वाल में 'वन पंचायत' का आविर्भाव हुआ, जो आधारभूत रूप से सामुदायिक वन प्रणाली ही थी । यह प्रणाली काफी प्रभावकारी सिद्ध हुई । यह एक समुदाय आधारित वन व्यवस्थापन था, जिसमें समुदाय एक साथ मिलकर समिति का निर्माण करते, जो वन व्यवस्थापन करती थी । लेकिन इस प्रणाली को स्थानीय प्रशासन प्रणाली से संबंधित नहीं किया गया था । उस समय कुमाऊँ, और गढवाल के 15,000 गाँव में 4,500 वन पंचायते थीं । समुदायों के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र अच्छे स्थिति में थें लेकिन साथ ही सभी समूह वन व्यवस्थापन में उतने सक्षम नहीं थे ।

'विश्व बैंक परियोजना' लाई गयी थी जिसके माध्यम से यह सोच उभरा था कि वन पंचायत को स्थानीय प्रशासन इकाईयों के साथ संबंधित किया जाए । भारत में उस समय एक संबैधानिक संशोधन किया गया था जिसका लक्ष्य था कि पंचायत में शक्ति विकेन्द्रित किया जाए । भारत में सामुदायिक वन की नीति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग थीं । एक ऐसे प्रणाली की आवश्यकता थी जिससे कि गाँव पंचायतों का वन समूहों के साथ सीधा संबंध हो और दोनों ही मिल कर विकास के लिए कार्य कर सकें, इसलिए उनके बीच समन्वय का होना आवश्यक था । दूसरा मुद्दा था कि किस प्रकार लोगों में सामुदायिक वन में काम करने के लिए क्षमता वृद्धि की जाए । स्थानीय लोगों को अपनी क्षमता वृद्धि करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक था । यह उपर्युक्त कार्यक्रम के स्थायित्व के लिए अत्यन्त ही आवश्यक था ।

पर्वतीय क्षेत्र में पुरूष नहीं बल्कि औरतें ईन्धन इकठ्ठा करती हैं क्योंकि इसे औरतों का काम समझा जाता है । यह प्रणाली पूर्ण रूप से लिङ्ग पक्षपात पर आधारित था । इसलिए समुदाय आधारित संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं को समुदायों की क्षमता वृद्धि और लिङ्ग सजगता पर भी काम करना था ।

स्थानीय संस्थाएं और स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं, समन्वित नहीं थे । इस दृष्टिकोण को बदलना था । इस तरह वक्ता ने ऐसा महसूस किया कि समन्वय, परिवर्तित दृष्टिकोण और क्षमता वृद्धि, ये तीन भविष्य के महत्त्वपूर्ण मुद्दे होंगे ।

डा. बी.पी मैथानी, निर्देशक, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्था, गौहाटी, आसाम । डा. मैथानी "(लोक कार्य एवं ग्रामीण तकनीकि विकास परिषद्) काउन्सिल फार एडभान्समेन्ट आफ पिपल्स एक्शन एड रूरल टेक्नोलोजी" के सदस्य हैं । यह एक ऐसी संस्था है, जो स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढावा देती है, और इसका उद्देश्य है स्वैच्छिक संस्थाओं और स्थानीय शासन के बीच निकट संबंध कायम करना ।

भारत के पूर्वीय हिमाल क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ वन और क्षेत्र स्रोत, समुदाय के अधीन है । इस क्षेत्र में 200 से अधिक वन प्रजातियों रहती थीं और वे स्वयं ही अपने पारंपरिक तरीके से वन व्यवस्थापन और उपभोग करती थीं । इस तरह भारत के अन्य हिस्सों के वन व्यवस्थापन के प्रणाली से यहाँ का वन व्यवस्थापन प्रणाली भिन्न था । अभी 40 प्रतिशत वन क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है और 60 प्रतिशत वन क्षेत्र लोगों द्वारा प्रबंधित है । प्रत्येक गाँव की अपनी पारंपरिक संस्था थी जैसे कि, गाँव प्रमुख और गाँव परिषद् । ये संस्थाएं वन क्षेत्र व्यवस्थापन में संलग्न थी तथा इनके अपने नियम कानून थे । मौसमी खेती मुख्य पेशा था जो वन से जुड्ा हुआ था । सर कार के स्वामित्व में संरक्षित वन (रिजर्व फेरेस्ट) अरूणाचल प्रदेश में सम्पूर्ण वन क्षेत्रका 25 प्रतिशत मणीपूर में 3 प्रतिशत, मेघालय में 4 प्रतिशत मिजोरम में 56, प्रतिशत और नागालैण्ड में 12 प्रतिशत थे ।

गाँव परिषद् द्वारा वन व्यवस्थापन किया जाता था । वन प्रजाति प्रमुख वन संरक्षण के प्रति अधिक सजग नहीं थे क्योंकि वे वन के बाहर रहते नहीं थे और न ही उन्हें इसके महत्वका ही ज्ञान था । प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास हो रहा था क्योंकि वन का नियंत्रण वन प्रजातियों के प्रमुखों के हाथ में था । उन क्षेत्रों के सीमाओं के भीतर उद्योग की स्थापना भी वन ह्रास का प्रमुख कारण था । जनता की अपील पर सर्वोच्च अदालत, भारत, ने वन आधारित उद्योगों को उन क्षेत्रों से हटाने का आदेश दिया था । सरकार ने स्थानीय पारंपरिक इकाईयों को वन व्यवस्थापन के लिए कानूनी विधान की व्यवस्था की । इन इकाईयों की अपनी न्याय व्यवस्था, प्रशासन और व्यवस्थापन प्रणाली थी । वक्ता ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि, स्वैच्छिक संस्था भी इन व्यवस्थापन कार्यों में संलग्न होना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वे समुदायों को यह विश्वास दिलाएं कि जो वन वे काट रहे हैं वही उनेक आय के स्रोत भी हो सकते हैं । स्थानीय प्रमुख ये सोचते थे कि वे ही वन के सर्वेसर्वा थे । इसलिए स्थानीय समुदायों में प्रजातांत्रिक भावनाओं का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि वन व्यवस्थापन के कार्यो में जैसे कि, निर्णय-निर्माण और लाभांश विभाजन आदि में पारदर्शिता आ सके ।

राधा भट्ट, लक्ष्मी आश्रम, अल्मोडा, उत्तरप्रदेश ।
राधा भट्ट उत्तराखण्ड की गांधी वादी संस्था, लक्ष्मी आश्रम में 1951 से ही सदस्य के रूप में कार्यरत हैं । इनका प्राथमिक कार्य है, प्रत्येक प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पानी, मिट्टी और वन के व्यवस्थापन संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर खास कर महिलाओं को एकत्रित करना । वे "चिपको आंदोलन" (हरे भरे पेड़ो को काटने से रोकने के लिए चालाया गया आंदोलन), से भी संलग्न रही हैं । वृक्षारोपण, खुले खदानों से मिट्टी की रक्षा और बडे-बडे बांध को हिमालय के उत्तराखण्ड में बनने से रोक्ने जैसे कार्य भी उनके क्षेत्र रहे हैं ।

राधा जी के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वन ह्रास का मुख्य कारण है, वन विभाग की मानसिकता । सरकारी अफसरों को यह गुमान है कि शिक्षित नहीं होने के कारण गाँव के लोग कुछ नहीं जानते हैं । इन अफसरों ने शुरू से ही ऐसा सोचा है कि इन ग्रामीण लोगों को पहले शिक्षित किया जाना चाहिए और राधाजी के अनुसार जब तक ऐसी सोच रहेगी, उन्हे नहीं लगता है कि स्वायत शासन तब तक लागू हो पाएगा । शक्ति निक्षेपण और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को परिचालित करने के लिए ग्रामीण लोगों में विश्वास का होना आवश्यक है, इसलिए शक्ति निक्षेपण और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से पहले स्थानीय लोगों में विश्वास की भावना को विकसित करना आवश्यक है । स्थानीय लोगों की क्षमता और इच्छा के अनुसार ही कार्य होना चाहिए तभी बदलाव संभव है ।

जब स्थानीय समुदायों की बात ली जाए तो निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को शामिल किया जाए । बहुमत की नहीं बल्कि साधारण सहमति की बात होनी चाहिए । पंचायती राज प्रणाली में भी निर्णय निर्माण का अधिकार सरकार के ही हाथों में ही था । पंचायती राज ने लोगों को निर्णय करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान किए लेकिन वे पूर्ण नहीं थे । कर विभाग, वन विभाग, और जिला प्रदेश के द्वारा बजेट नियंत्रित होता था, इसलिए राधा जी का मानना है कि जब तक इन मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता तब तक स्वयं शासन की प्रणाली कारगर नहीं हो सकती है । अल्मोडा में वन पंचायत से प्राप्त कर करीब 10 करोड भारतीय रूपया था, लेकिन यह सरकार द्वारा नियंत्रित था । इस तरह का नियंत्रण स्वयं शासन को बढावा नहीं दे सकता और इस तरह वन तथा अन्य स्रोतों का संरक्षण भी नहीं हो सकता था । इसलिए स्वयं शासन के संदर्भ में कार्य पद्धति और योजना को स्थानीय लोगों के हाथ में देना पड़ा । इस पद्धति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था, बजेट और योजना तर्जुमा आदि स्थानीय शासन के हाथों में देना पडा ।

जब तक राष्ट्रीय वन नीति स्वयं शासन के मुद्दे को नहीं उठाती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता । अभी राष्ट्रीय वन नीति, वन नियंत्रण पर ही जोर देती है । पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतों को समग्र रूप में लिया जाना चाहिए और जल, वन, मिट्टी आदि को

अलग-अलग इकाई में बांटना चाहिए । पर्वतीय इलाके विशेष, के लिए योजना और नीति आदि बनाते समय उपयुक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए । बदलाव के लिए यह शुरूआत गैरसरकारी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण तृण-मूल स्तर से किया जाना चाहिए । यदि यह साकार होता है तभी नाटकिय बदलाव आ सकता है ।

श्री कुलभूषण उपमन्यू: 'नवरचना', हिमाचल प्रदेश ।
श्री उपमन्यू 'नवरचना' के प्रारंभिक सदस्य हैं । 'नवरचना' हिमाचल प्रदेश में समुदाय आधारित संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं का नेटवर्क है । इसका मुख्य कार्य है, प्राकृतिक स्रोतों पर लोगों के नियंत्रण को कार्य रूप देना । श्री उपमन्यू 'हिमालय बचाओ आंदोलन' के भी सक्रिय सहभागी हैं । वन समुदाय समूह और सरकार के प्रत्येक स्तर के बीच संयुक्त कार्यक्रम लागू करने में श्री उपमन्यू प्रयत्नशील हैं । इनका मुख्य लक्ष्य यह है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वयंशासित समुदायों की अवधारणा पर आधृत स्थायी विकास की उपलब्धि ।

पर्वतीय क्षेत्रों में जल, वन, जमीन और पशु-पालन व्यवस्थापन के लिए एकीकृत समग्र योजना की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग इन्हीं स्रोतों पर निर्भर करते थे । मुख्य मुद्दा यह था कि पर्वतीय क्षेत्रो में कौन इन स्रोतों का नियंत्रण करता था ।

जब तक ये स्रोत केन्द्र और उच्च स्तरीय लोगों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे, तब तक ये स्रोत संरक्षित नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये उच्च स्तरीय लोग प्रत्यक्ष रूप से इन स्रोतों पर निर्भर नहीं करते हैं । इन स्रोतों के ह्रास से ये पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं हैं, और न ही ये इनके नाश से दर्द का ही अनुभव कर सकते हैं । उदाहरण के तौर पर यदि पर्वतीय क्षेत्रों में खदान खनन और बांध निर्माण का असर स्थानीय लोगों को होता था तो इन कार्यो से उन लोगों को फायदा होता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों से काफी दूर थे । यह विरोधाभास बराबर रूप से समुदाय स्तर और राष्ट्रीय स्तर योजना में देखा जा सकता था । यद्यपि सच्चे अर्थ में समुदाय और राष्ट्र के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि समुदाय ही राष्ट्र हैं, और उच्च स्तरीय वर्ग जो योजना निर्माण करते थे वे सोचते थे कि समुदायों का फायदा उनके फायदे से विपरीत था । परिणाम स्वरूप वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच मत भेद आरंभ हुआ इसी तरह बांधनिर्माण करने वालों और उनसे प्रभावित पर्वतीय लोगों में भी मतभेद शुरू हुआ । मुख्य मुद्दा यह था कि, किस तरह से इन मतभेदों को दूर कर समाधान का रास्ता ढूंढा जाए ।

विकास का वही ढाँचा जो समुदाय के समक्ष रखा गया समुदाय में कमी का कारण माना गया । क्योंकि लोगों मे ऐसा विश्वास था कि यदि वे इस विकास के ढाचे से सहमत हों तो इस विकास से होने वाले फायदे के वे हकदार होंगे, लेकिन यह उनका भ्रम था । पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक स्रोत के स्थायी विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया । विकास की बात चलने पर स्कूलों में अधिक कमरे का निर्माण, सड्कों के

चौडीकरण आदि जैसे मुद्दे उठते थे, जबकि जीवन से संबंधित जैसे कि गाँव में बेरोज-गारी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना अधिक आवश्यक था ।

इसी संदर्भ में विकेन्द्रीकरण जैसे मुद्दों को उठाया गया । अभी विकेन्द्रीकरण का सही अर्थ है, शक्ति का विभाजन । जो निर्णय केन्द्र में नहीं लिए गए उन्हें राज्य और जिला स्तर के प्रशासन में भेज दिया गया, जबकि कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों के कारण स्थानीय समुदायों को सच्ची स्वायत्तता का दर्जा मिला । तभी विकेन्द्रीकरण पद्धति अपने सही अर्थो में लागू होगा जबकि समुदाय अपने जीवन से संबंधित मुद्दों का निर्णय लेगा । इस तरह के समुदाय व्यवस्थापन में समग्रता का दृष्टिकोण होना चाहिए । जैसे कि प्राकृतिक स्रोत के अन्तर्गत वन, भूमि, जल और पशुपालन सभी का व्यवस्थापन समुदाय आधारित हो, तभी सच्चे अर्थो में स्वयं शासन लागू होगा ।

भारत में तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश में सही अर्थ में विकेन्द्रीकरण फलित होगा, ऐसी आशा की गई, लेकिन केवल उपरी बदलाव ही आया । पंचायत, सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करते थे । इस भूमिका में वे वनों और दूसरे प्राकृतिक स्रोतों का सही अर्थ में संरक्षण और व्यवस्थापन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता था, न कि समुदायों की इच्छा और जरूरतों के अनुसार । पंचायत और दूसरी स्थानीय संस्थाओं को समुदायों के जरूरतों और समस्याओं को समझना चाहिए ।

भारत में गाँवो की कानूनी अवस्था नहीं है । 10 और 12 गाँवोंका पंचायत होताथा और वे सामान्य आवश्यकताओं को आपस नहीं बांटते थे । अद्यपि 'ग्रामसभा' को कुछ अधिकार दिए गए थे लेकिन सभी लोग बैठक में इकठ्ठा नहीं होते थे और इस तरह 10 या 20 लोग, 3,000 लोगों के लिए निर्णय ले लेते थे, यह ठीक नहीं था । यदि वे प्राकृतिक समुदायों का उपयुक्त प्रकार से व्यवस्थापन चाहते थे तो उनका कानूनी करण होना आवश्यक था । यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश और गढवाल में नहीं थी, वहाँ कर–ग्राम थे लेकिन सरकार को केवल कर से मतलब था नकि गाँव की समस्याओं से ।

इस बात पर जोर देना चाहिए कि समुदाय ही प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित योजनाओं का निर्माण करे । वे लोग जिन्होंने योजनाओं को बनाया वे ग्रामीण लोगों की समस्याओं से वाकिफ नहीं थे, और लोग इन योजनाओं के निर्माण में शामिल नहीं हुए । गाँवों में एक रूपता लाने के लिए व्यवस्थापन की जिम्मेवारियों को समुदायों को देना चाहिए ।

आज पारंपरिक रोजगारों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है । इसलिए स्रोतों के आधार पर भी रोजगार के अवसर बनाए जाने चाहिए और इस के लिए योजनाएं हम स्वयं ही निर्माण करें पूरे भारत में गाँव विकास से संबंधित तकनीकि शोध नहीं किए गए हैं । श्री उपमन्यू के गाँव में पशुपालन एक मुख्य रोजगार है लेकिन पशुपालन में

आवश्यक पड्ने वाले सामानों जैसे कि हल आदि की व्यवस्था की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में वन व्यवस्थापन में विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को उपयोग में लाया गया, जिससे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शंका पैदा होने लगी । निर्वाचित इकाईयों के बीच समन्वय की आवश्यकता थी, लोगों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए था कि वे निश्चित कर सके कि कौन सी संस्था स्रोत व्यवस्थापन में हिस्सा लेगी । साथ ही वन विभाग का भी दृष्टिकोण बदलना चाहिए ।

श्री चण्डी प्रसाद भट्ट - दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल, गोपेश्वर, उत्तर प्रदेश ।
'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' एक गाँधीवादी सर्वोदय संस्था है । यह स्थानीय समुदायों को क्षमता प्रदान कर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के उपर उनके नियंत्रण को बढावा देता है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत उनके जीवन और पारंपरिक जीविका से जुड़े हुए हैं । यह संस्था 'चिपको आंदोलन' का जन्मदाता माना जाता है । इस 'चिपको आन्दोलन' ने वन-विभाग के उन नीतियों को चुनौति दी थी जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश का पर्वतीय जिला, उत्तराखण्ड के वनों का औद्योगिकरण होने वाला था ।

आजकल (चिपको आंदोलन के समय) केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया जा रहा था । लेकिन व्यक्तिगत जरूरतों और सोच के अनुसार ये समस्याएं विभिन्न स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रकार से मूल्यांकित हो रही थी, जिससे समस्याएं एक दूसरे से भिन्न थी । 'चिपको आंदोलन', इस मुद्दे पर कि कुछ पेडों को क्यों नहीं गिर ाया जाए, स्थानीय लोगों का 'वन विभाग' को एक प्रत्यक्ष चुनौति था । 'वन पंचायत' अधिकारियों से उल्झे हुए थे । लेकिन जो मुख्य रूप से इस आंदोलन में भाग ले रहे थे वे ऐसे लोग थे जिनकी जीविका प्राकृतिक स्रोतों से जुडी हुई थी ।

भारत की प्रथम वन नीति 1952 में और दूसरी 1988 में बनायी गई । यद्यपि दस साल बीत गए हैं फिर भी ये नीतियाँ अभी तक लागू नहीं हो पायी हैं । भारत के कुछ ही हिस्सों में संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुआ था । श्री चण्डीप्रसाद जी ने कहा कि वे इस वात अडे थे कि यह एक लोक कार्यक्रम है और सरकार की इसमें भूमिका एक सहयोगी के रूप में होनी चाहिए । संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अभी भी धुमिल था, और वे इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं थे । वक्ता का यह मानना था कि निर्णय-निर्माण का अधिकार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से वन से जुडे हुए हैं । निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का बहुमत होना चाहिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं प्राकृतिक स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से जुडी हुई हैं ।

श्री भट्टजी ने यह प्रस्ताव रखा कि वन पंचायत को ग्राम पंचायत के अन्तर्गत काम करना चाहिए । प्रत्येक हिमाली गाँव में एक 'गाँव वन' हो जो वन पंचायत द्वारा प्रबंधित हो । प्रत्येक 'गाँव वन' में नौ प्रमुख थे । वक्ता ने यह सुझाव दिया कि नौ में से पांच महिलाएं होनी चाहिए ताकि वे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

नेपाल

श्री हरी प्रसाद न्यौपाने - अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संध, नेपाल, (फेकोफन)

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल की मुख्य घोषणा है, सामुदायिक उपभोक्ता समूह के हरेक क्रियाकलाप अर्थात प्रारंभिक विकास से लेकर वन अधिकरण तक को सहयोग देना । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संध, नेपाल, मुख्य रूप से नीति-निर्माण प्रस्ताव, नेटवर्क बनाना, सूचनाओं का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है । 'फेकोफन' सामुदायिक वन व्यवस्थापन को नेपाल में बढावा देने के उद्देश्य से सरकार के हरेक स्तर जैसे गाँव विकास समिति, जिला विकास समिति और वन तथा भू-संरक्षण मंत्रालय के साथ भी काम करता है ।

श्री न्यौपाने ने कहा कि वे लोग सामुदायिक वन व्यवस्थापन को इस स्थिति तक पहुँचाने में बहु त से सीढियों को पार कर चुके हैं । सामुदायिक वन जो हस्तांतरित किए जा चुके थे, वे कुछ क्षेत्रों में अच्छी स्थिति में थे । लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता समूह हमेशा अच्छी तरह से वन व्यवस्थापन और समन्वय नहीं कर पाते थे । सामुदायिक वन, कानूनों, नियमों और विधानों के दोहरेपन का सामना कर रहा था । समुदायों का पूर्ण रूप से सहभागी नहीं होना भी बाधा था, मुख्य रूप से लिङ्ग समानता का अभाव, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से परंपरा और संस्कृति से जुडा हुआ था ।

दूसरी समस्या थी, लोगों की आर्थिक स्थिति, जिसके कारण वे विकास के कार्यक्रमों में समय नहीं दे पाते थे । उपभोक्ता समूह को यह चाहिए कि वे बैठकों और सभाओं के माध्यम से लोगों में चेतना और इच्छा जगाए । बाहरी ऐजेंसियों के साथ समन्वय का भी अभाव था । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के साथ पूर्ण रूप से संबंध और समन्वय बढाया जाने की आवश्यकता थी । इन संस्थाओं के साथ निरंतर संबंध कायम हो, यह आवश्यक था ।

सामुदायिक वन कानूनों और नगरपालिका जिला और गाँव विकास समितियों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करने वाले कानूनों के बीच उल्झन बरकरार थी । इन उल्झनों को दूर किया जाना चाहिए और वन कानूनों को स्थापित किया जाना चाहिए, जिनके माध्यम से उपभोक्ता समूह को स्वामित्व, वन परिचालन, और वन क्षेत्रों में अधिकार सौंपे गए थे । दूसरे उल्झन थे उपभोक्ता समूहका अपने अधिकार और

कर्तव्य के विषय में जानकार नहीं होना । अधिकार, नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधी उल्झनों का सुलझना आवश्यक था ।

वन से संबंधित मामलों में गाँव विकास समिति और जिला विकास समिति में समन्वय आवश्यक था ।

उपभोक्ता समूह, स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं और सरकार की एजेन्सियों के बीच अधिकार को लेकर विरोध उत्पन होता था । इस कार्यशाला के माध्यम से ऐसे रास्ते खुलने चाहिए जो कि उपभोक्ता समूह, गाँव विकास समिति, जिला विकास समिति और सरकारी एजेन्सियों और संघ के बीच समन्वय और परस्पर निर्भरता को दिखा सके । जिससे कि किसान और साधारण जनता सामुदायिक वन के विकास के लाभ से वंचित न रहें ।

सच्चाई यह है कि, कानून और उससे संबंधित नियम-विनियम मन्त्रालय द्वारा थोपे गए हैं, इनमें तारतम्यता की कमी है । श्री न्यौपाने ने आशा व्यक्त की यह कार्यशाला गोष्ठी उन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अन्य वक्ताओं द्वारा उठाए गए हैं, और साथ ही वन-स्रोतों से प्राप्त होने वाले फायदों के समान विभाजन तथा स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह के बीच सामंजस्य जैसे मुद्दोंको प्रकाशित करेगा ।

माया देवी खनाल - अध्यक्ष, हिमाली तृण-मूल महिला प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेटवर्क (हिमवन्ती) ।
सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में 'हिमवन्ती' प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से जुडी हुई हैं, तथा तृण-मूल महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने में सहयोग देती है । वर्तमान में इस संस्था का कार्य है महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करना तथा इस हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के अन्य महिलाओं के साथ उनका संबंध स्थापित करना ।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागेदारी महत्वपूर्ण है । 'हिमवन्ती' के माध्यम से महिलाओं को उत्साहित करके, जीविका के लिए उठाए गए संघर्षो में उनकी भागेदारिता हो, ऐसा वातावरण तैयार करना ताकि वे स्वावलंबी भी हो सकें ।

गाँवो में अब भी महिलाएं सर ढककर ही दूसरे पुरूषों और अग्रजों का सामना करती हैं । पुरूषों के साथ खुल कर बात चीत नहीं कर पाती हैं । जब महिलाओं ने विकास के कार्यो में भाग लेना शुरू किया, या यूँ कहिए कि घर से बाहर आने लगीं तो लोगों ने उन्हे गलत समझना शुरू किया । गाँवो में लोग अभी भी विश्वास करते हैं, कि औरते फैसले स्वयं नहीं कर सकती हैं ।

उन्हें कार्यशाला में आमंत्रित करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साह देने के लिए 'हिमवन्ती की ओर से माया जी ने 'इसीमोड' को धन्यबाद दिया । दूसरे सहभागियों से विचार विमर्श करना सहयोग पूर्ण था । यह गोष्ठी महिलाओं को और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाएगा, और विकेन्द्री-करण की कोशिशों में महिलाओं की सहभागिता को और अधिक बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसी आशा है । महिलाएं साथ मिल कर बहुत कुछ कर सकती हैं और एक दूसरे को सहारा और उत्साह भी दे सकती हैं । इस वातावरण में कुछ भी असंभव नहीं है ।

'चिपको आंदोलन' को शुरू करने वाली गौरा देवी ने उन्हें प्रेरणा दिया । महिलाओं को कुछ अधिकार मिलना ही चाहिए । वे कानून और उनके व्यवहार के प्रति सचेत हों । यद्यपि महिलाओं को घर - गृहस्थी देखनी पड़ती है फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना चाहिए । धीरे - धीरे पुरूष भी अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे और उनके सहारे उन्हें काफी सहयोग मिलेगा । श्री माया जी ने आशा व्यक्त की, कि कार्यशाला के अन्त में सहभागी ऐसे निर्णयों और सुझावों पर पहुँचेंगे जो आगे मार्ग प्रशस्त करेगा ।

अध्यक्ष के उद्‌गार

डा. सैंजू ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के सदस्यों के अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है ।

डा. सैजू ने कहा कि, कोई भी समस्या सुल्झे बिना नहीं रह सकती है, इसलिए आवश्यक है कि उन सुझावों पर पहुँचा जाए जो आधारभूत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हों । उन्होंने खास कर हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के वन व्यवस्थापन में निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका से संबंधित मुख्य मुद्दे को तथा स्थानीय स्तर के सरकार की समस्याओं को चिन्हित् किया ।

प्रत्येक देश के मुद्दे प्रजातांत्रिकरण, शासन और विकेन्द्रीकरण, से संबंधित थे । साथ ही निर्वाचित अधिकारियों के जिम्मेवारियों से संबंधित मुद्दे भी विचारणीय थे । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में निर्वाचित स्थानीय इकाईयों की एक अपनी निश्चित भूमिका है । हमे यह देखना है, कि, विकास के विभिन्न पक्षों से वे किस तरह जुडे हैं और हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में ये इकाईयाँ किस प्रकार से इन व्यवस्थापनों को देख रही हैं ।

बढ़ती हुई संलग्नता और विरोधों को महसूस किया जाता रहा था जैसे कि वन उपभोक्ता समूह और निर्वाचित इकाईयों के बीच विरोध, गाँव विकास समिति और व्यक्ति विशेष के बीच विरोध, क्योंकि नये-नये विकास के कदम और आशाएं बढ़ रही थी । जैसे-जैसे भूमिकाओं में बदलाव और आशाएं उभरती गई वैसे-वैसे नये-नये विरोध

भी पैदा हुए, इनको सुल्झाना आवश्यक था । नये कानून और नियम बने लेकिन वे उसी रूपमें लागू नहीं हो पाए जिस रूप में आशा की गई थी । सकारात्मक नीतियों के होते हुए भी समस्याएं और विरोध बरकरार ही थे, उनको पहचानना आवश्यक था । मुख्य मुद्दा यह था कि किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाए । डा. सैंजू ने इस विचार गोष्ठी में उठाये गए मुख्य मुद्दों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया ।

१. यह आवश्यक है कि हमारे जीवन पद्धति और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में तारतम्यता लाई जाए । क्योंकि यह हमारे जीवन का अंग है । हम प्राकृतिक स्रोतों का सम्मान करते हैं, और उन्हे नाश होनें से बचने के लिए हम आवश्यक कदम उठाएं । प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास इतिहास में नहीं हुआ करता था, यह चलन आज की बात है इसलिए इसे सुधारा जा सकता है । दृष्टिकोण और व्यवहार भी बदल सकते हैं । सभी समस्याएं सुल्झने योग्य है, यदि इन्हें एक के वाद एक सुल्झाया जाए । हमें अपनी पारंपरिक मूल्यों को पहचानना है ।
२. हमने यह जाना कि सामुदायिक वन व्यवस्थापन केवल सामुदायिक वन समूहों द्वारा नहीं हो सकता था, निर्वाचित संस्थाओं के साथ समन्वय और संबंध आवश्यक थे, और भविष्य के कार्ययोजना में यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होगा ।
३. वन कर्त्ताओं के ही दृष्टिकोण में ही परिवर्तन नहीं होना था बल्कि नीति निर्माण कर्त्ता और राजनीतिओं के सोच में भी परिर्वतन आवश्यक था ।
४. राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक कार्यकलाप में महिलाओं की सहभागिता महत्त्वपूर्ण थी । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का और अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक था ।
५. विकेन्द्रीकरण का अर्थ होना चाहिए लोगों और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं में शक्ति निक्षेपण, स्वायत्तता का क्या अर्थ था इस संदर्भ में ? इसे किस प्रकार परिभाषित करना था ? निर्णय-निर्माण अधिकार और स्वायत्तता समानान्तर होने चाहिए थे । इमान्दार सहभागिता की आवश्यकता थी न कि दुरूपयोग की ।
६. वन संरक्षण में संलग्न स्थानीय सरकारी संस्थाएं और निर्वाचित इकाइयों के बीच संबंध को विकसित करना, और अधिक सहयोग संचार प्रणालीकी आवश्यकता थी ।
७. क्षमता वर्धन के साथ-साथ लोगों के अपने ज्ञान और अनुभव में विश्वास की भावना की आवश्यकता थी । नयी-नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए नये-नये तकनीकियों में नये प्रशिक्षण की आवश्यकता थी । जिससे व्यंवस्थापन प्रणाली में प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया । महिलाओं की सहभागिता को बढाना था, इसलिए चेतना में बढावा और शिक्षा की जरूरत हुई ।
८. पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य संम्पत्ति व्यवस्थापन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को उत्पन्न करना था ।

९. नियम, कानून और विधानों में दोहरोपन और अस्पष्टता थी । विभिन्न स्तरों पर उल्झने भी थीं । कुछ समस्याओंको रोका भी जा सकता था, यदि उन्हें पहले ही पहचाना जाता ।

डा. सैंजू ने कहा कि हमें ऐसे कार्य पद्धतियों की शुरूआत करनी चाहिए जो हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषें को निर्णय निर्माण के सभी पक्षेां में, जो कि उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, सहभागी होने के लिए क्षमता प्रदान करे । यह सभी इकाईयों का समग्र लक्ष्य होना चाहिए । उन्होंने अयोजनाकर्त्ताओंको उन्हें इस सत्र का अध्यक्ष बनाने के लिए और इस महत्त्वपूर्ण रोचक विचार-गोष्ठीको सुनने का मौका देने के लिए धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि यह अपने तरह का मंच है, जिसका मुख्य लक्ष्य है, शासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के बीच अर्न्तक्रिया को बढावा देना ।

पुष्पों के माध्यम से 'इसीमोड' के प्रतीक चिन्ह की प्रस्तुति ।

इसीमोड के प्रायोगिक क्षेत्र, गोदावरी (ललितपुर, नेपाल) में नेपाल के एक सहभागी द्वारा वृक्षारोपण

४
पत्र-प्रस्तुति

कार्यशाला गोष्ठी से पहले ही कार्यशाला के विषय से मिलते हुए विभिन्न मुद्दों पर पत्र तैयार करने के लिए सहभागियों को सूचना दे दी गई थी । पत्र-प्रस्तुति के लिए इस सत्र की आयोजना अलग से एक साथ की गई थी ताकि उन पत्रों को कार्यशाला के सहभागियों के सामने प्रस्तुत किया जा सके । पत्र-प्रस्तुत कर्त्ताओं को तीन समूह में रखा गया । इन समूहों में विभिन्न देशों को शामिल किया गया, और भिन्न-भिन्न विषयों और भिन्न-भिन्न मुद्दों के विभिन्न पक्षेां पर, विस्तार से सहभागियों का बात चीत करना ही इस सत्र का उद्देश्य था । सहभागी इन तीनों समूहों में (जो भिन्न विषयों पर आधारित था) भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे । समूहों में पत्र प्रस्तुति के बाद एक सभा-सत्र की भी आयोजना की गई थी, जिसमें उन समूहों में विचार किए गए विषयों को कार्यशाला के सभी सहभागियों के समक्ष संक्षेप रूप में रखा जा सके ।

श्री ए.एल. जोशी, मुख्य योजना अधिकृत, वन तथा भू-संरक्षण मंत्रालय, द्वारा वानिकी पर पत्र प्रस्तुति

समूह एक

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण एवं आधारभूत पक्ष
द्वारा श्री चण्डी प्रसाद भट्ट एवं रमेश पहाडी

यह बहुत पहले की बात नहीं थी जबकि वन क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों को जीविका का आधार समझा जाता था और उनके संरक्षण को संस्कृति का

अभिन्न अंग । इस तरह के जीवन पद्धति ने वनवासियों को स्वतंत्र समाज का दर्जा दिया था । इन संस्कृतियों से जुडी हुई कहानियाँ हिमाली क्षेत्रों में मशहूर थीं । उनके स्वतंत्र आर्थिक अवस्था ने धर्म, समाज और संस्कृति, के विभिन्न पक्षों को विकसित होने का मौका दिया । सदियों तक हिमाली क्षेत्र विभिन्न समाजों का घर रहा था । विभिन्न प्रकार के जीवन पद्धति होते हुए भी प्राकृतिक स्रोत जीविका का सामान्य साधन था इसलिए उनका उपयुक्त उपयोग और संरक्षण भी सामान्य था ।

हिमालय जल और वन का भंडार रहा है, इस तरह यह एशिया महादेश के मौसम को नियंत्रित भी करता है । उत्तराखण्ड हिमालय के बीच में है, और भारत के बुहत से भागों को जल प्रदान करता है । यह प्राकृतिक स्रोतों, खनीजों और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है यह तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, और इसे देवभूमि भी कहा जाता है । कठिन भौगोलिक अवस्था होते हुए भी इस क्षेत्र के लोग उर्वर खेतीहर भूमि, जल और वनों के कारण सहजता से ही जीवन यापन करते थे । इनके जरूरतों का 80 प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतों और सांस्कृतिक अवस्था से ही पूरा हो जाता था । दोसौ साल पहले उत्तराखण्ड को अन्न, पशुपालन, जडीबुटियों और दूसरे अन्य वन उत्पादों के लिए धनी समझा जाता था इसीलिए विगत में बहुत से राज परिवारों ने इस पर अपना कब्जा जमाना चाहा । अंत में यह ब्रिटिशों द्वारा हथिया लिया गया । इसके बाद वन स्रोत तेजी से नाश होते गए ।

उन्नीसवीं शताब्दी के शुरूआत से लोगों को प्राकृतिक स्रोत के उपयोग से अलग रखा जाने लगा क्योंकि ब्रिटिश, भूमि और वनों पर अपना अधिकार रखना आरंभ कर चुके थे । 1817 और 1832 के बीच 'कर' के उद्देश्य से वनों का नापी और व्यवस्थापन शुरू हुआ । वनों के औद्योगिकरण के उद्देश्य से उन्हें ठेकेदारों को दिया जाने लगा । इस तरह वनों का नाश आरंभ हुआ । औपचारिक रूप से 1878 में वन विभाग की स्थापना हुई और आगामी 50 वर्षो में अधिक से अधिक वन 'संरक्षित' घोषित हुए, और इस तरह स्थानीय लोगों का जीवन और उनका पारंपरिक वन व्यवस्थापन पद्धति बुरी तरह से प्रभावित हुआ । गाँव के लोगों ने वन की अवहेलना शुरू कर दी जिससे वनों में साधारणत: आग लग जाया करती थी । असंतुष्टि पनपने लगी और लोगों ने कुलीगिरी और जबर्दस्ती मजदूरी, जो कि सरकार द्वारा लादी गयी थी, के विरूद्ध आवाज उठाना शुरू किया ।

लोगों के शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 1911 और 1917 के बीच '(वन शिकायत समिति) फोरेष्ट ग्रियवान्स कमिटि' की स्थापना की, जिसके माध्यम से बहुत से सुझाव सामने लाए गए । फलस्वरूप दो प्रकार के वनों का वर्गीकरण हुआ । पहले वर्गके वनों का कोई व्यापारिक मूल्य नहीं था और उसमें लोग रह सकते थे । वर्ग दो के वनों को परिभाषित किया गया और, वह वन विभाग के नियंत्रण में था । साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि गाँवों के निकट पाए जाने वाले

वनों को पंचायतों को हस्तांरित कर दिया जाए । 1972 में 'भारतीय वन कानून' पारित किया गया, और कानून ने स्पष्ट रूप से वन पंचायतों और वन अधिकृतों की भूमिकाओं को निश्चित किया । 1931 में वन पंचायत के नियम पारित हुए ।

सम्पूर्ण भारत में स्थानीय शासन के सकारात्मक संस्था के रूप में पंचायत परंपरा जाना जाता था । यह उत्तराखण्ड में भी लोकप्रिय था । लेकिन ब्रिटिश के शासन काल में यह संस्था सरकारोन्मुख हो गई, और स्वतंत्रता के 50 वर्षो के बाद भी यह सरकारोन्मुख ही है । आजकल तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं । पंचायत नियंत्रित वन, वन विभाग द्वारा नियंत्रित संरक्षित वन, और कर विभाग द्वारा नियंत्रित, सिविल वन । अभी उत्तराखण्ड का केवल 10 प्रतिशत वन क्षेत्र वन पंचायत नियंत्रित है ।

यह पूर्ण रूप से विदित था कि प्राकृतिक स्रोत के व्यवस्थापन के लिए जो कोई भी कदम ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए थे वे या उनकेफायदे के लिए थे न कि स्थानीय जनता के लिए । उनके शासन का सबसे बडा प्रभाव था पारंपरिक संस्थाओं का चरमराना और लोगों की सरकार पर बढ्ती निर्भरता । वही वन जो लोगों के जीविका का सहयोगी था, लोगों के द्वारा ही नष्ट होने लगा । स्वतंत्रता के बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो वन और लोगों के बीच संबंध को फिर से कायम कर सके ।

1980 के वन संरक्षण कानून ने केन्द्रीकरण को बढावा दिया, वन विकास को नहीं । 1988 में एक नयी वन नीति की घोषणा की गई जो वन और उन लोगों के बीच संबंध को महत्व देती थी, जो वनों पर निर्भर करते थे । इस नीति ने स्थानीय लोगों के अधिकार संरक्षण पर जोर दिया ।

दो सौ वर्षों से सरकार द्वारा वनों का दुरूपयोग, लोगों का वन स्रोतों से अलग रहना और पारंपरिक संरक्षनात्मक दृष्टिकोण की कमी के कारण काफी क्षति हुई । वनों के ह्रास का अर्थ था सरकार को कर प्राप्ति में कमी और वातावरण का विभिन्न प्रकार से प्रभावित होना, जैसे कि जल स्रोतों का सुखना, भूस्खलन और बाढ में बढोत्तरी आदि । 1970 के दशकों में जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वातावरणीय समस्याओं पर विचार विमर्श हो रहा था, उसी समय उत्तराखण्ड के सुदूर जिले चमोली में 'दशोली ग्राम स्वराज मण्डल' वातावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कार्य में जुटा हुआ था ।

'दशोली ग्राम स्वराज मण्डल' का लक्ष्य था ग्राम स्वशासित सरकार और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की उपलब्धि । इस संस्था ने वन संरक्षण और उनके स्रोतों के उपयुक्त उपयोग के लिए कार्य किया था, और लोगों के अधिकार के लिए भी आवाज उठाई थी । साथ ही स्थानीय लोगों की संघटनात्मक शक्ति को बढावा, और महिलाओं को शराब बंदी के लिए आवाज उठाने के लिए उत्साहित करना भी इस मण्डल का कार्य था । लोगों के पारंपरिक अधिकार को बचाने के लिए आवाज उठाने

के कारण इस मण्डल के वन अधिकृतों के साथ विरोध का भी सामना करना पडा । 1970 के भयानक बाढ ने मण्डल को महसूस कराया कि प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए वनों को संरक्षित करना आवश्यक था ।

'चिपको आंदोलन' 1973 में आरंभ हुआ । यह आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए और सरकार द्वारा वनों के दुरूपयोग और नीलामी के विरूद्ध चलाया गया था । यह आंदोलन बहुत तेजी से फैला और लोगों नें इसके बारे में अच्छी तरह से जाना । इस आंदोलन ने एक तरफ अहिंसा पर जोर दिया तो, दूसरी ओर वृक्षों के प्रति लोगों के प्यार को भी उजागर किया । मण्डल की महिला सदस्यों ने वनोंको 'माँ' का दर्जा दिया, क्योंकि वन लोगों की देख भाल करता है । इस तथ्य से वाकिफ होते हुए कि वन के विकास से ही लोगों का विकास संभव है, आंदोलन ने छ: मांगें सरकार के समक्ष र खीं ।

१. संवेदनशील हिमाली क्षेत्र में वन नीतियों के द्वारा वनों को ऐसा वनाया जाए कि वे मिट्टी और जल के संरक्षक के रूप में रहें, तथा औद्योगिक उद्देश्य से वृक्षों के काट्ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ।
२. वनों का पूर्णरूप से निरीक्षण हो और वन उत्पादों का वे उपभोग करें जो वन के उपर पूर्ण रूप से निर्भर करते है ।
३. उन कार्यक्रमों के तहत, जो गाँवों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बंजर जमीन पर वन लगाए जाएं । समाजिक वन और कृषि वन को प्रोत्साहित किया जाए ।
४. वन से संबंधित कार्योके लिए ठेकेदारी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और स्थानीय लोगों को वन संबंधित सभी कार्यो के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाए ।
५. वन के क्षेत्रों में वन उत्पादों पर आधारित लघु उद्योग स्थापित हों । कच्चे पदार्थ और टिम्बर वन से प्राप्त किए जाएं और तकनीकि सहयोग की व्यवस्था की जाए ।
६. वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उन पौधों को शामिल किया जाए जो लोगों के जरूरतों को पूरा करते हों । न कि उन पौधोंको जो तीव्रता से बढते हो और व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों ।

यदि इन मांगो को ईमान्दारी से लागू किया गया होता तो इनके सकारात्मक परिणाम अवश्य दीखते । लेकिन सरकार ने इनमें से बहुत से कार्यक्रमों (मांगों) को लागू नहीं किया । लेकिंन 'चिपको आंदोलन' एक आधारभूत आंदोलन के रूप में उभरा और इसके बाद बहुत से और भी वन आदोलन किए गए । इन आंदोलनों से केवल वन की ही रक्षा नहीं हुई बल्कि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे सामने लाए गए जैसे कि, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का अधिकार, वन अधिकृतों द्वारा ही वन कानून का उल्लंघन, और लोग अपने ईन्धन की जरूरतों को कैसे पूरा करें, यदि विभाग सूखे वृक्षोंको बेच देता है ।

'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' ने गाँव की महिलाओं को एकत्र किया और वानिकी तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कैम्पों की आयोजना की । इन कार्यो द्वारा मण्डल, भूस्खलन से जमीनों को बचाना और बंजर जमीनों को हरा-भरा और उर्वर बनाने का, उद्देश्य रखता था । बहुत से सकारात्मक परिणाम देखे गए । स्थायित्व लौट रहा था और जल स्रोत फिर से भरने लगे थे । ये कार्यक्रम सरकार के दूसरे खर्चीले वन विकास परियोजनाओं के अनुपात में अधिक सफल रहे, अंतर इतना ही था कि जहाँ सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी थी वहीं लोग हृदय, दिमाग और भावनाओं के साथ वन संरक्षण कार्यक्रम में लगे हुए थे ।

सम्पूर्ण विश्व में इसी तरह की अवस्था देखी जा सकती है, जहाँ वन का ह्रास हो रहा है, और वन लोगों के जरूरतों को पूरा करने में दिन-बदिन असमर्थ हो रहा है । इन समस्याओं को सुल्झाने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम लागू नहीं किए गए हैं । इन सबके पीछे एक प्रमुख कारण था, तानाशाही सोच जिसने वन के उपर से लोगों के नियंत्रण को खत्मकर दिया और वन सरकारी जरूरतों के लिए ही रह गए । ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद भी यह सोच और बनावट खत्म नहीं हो पायी । वास्तव में प्राकृतिक स्रोतों के संदर्भ में सरकार की भूमिका यह होनी चाहिए कि वह लोगों को तकनीकि प्रशिक्षण और योजना दे ताकि लोग इस क्षेत्र में एक बार पुनः दक्ष हो सकें ।

पहले कदम के रूप में नियमों और कानूनों को सहयोगात्मक होना चाहिए तथा कार्य-क्रमों को लोगों के बीच से आरंभ होना चाहिए न कि सरकार द्वारा । यद्यपि भारत में 'संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम' में लोगों की सहभागिता को महत्त्व दिया गया था फिर भी इसका सफल होना संदेह पूर्ण था क्योंकि लोगों के संस्कृति, मूल्य और परंपराओं के आधार पर यह कार्यक्रम नहीं बना था । सरकार को चाहिए था कि इस भावना पर रोक लगाए कि वनों तथा प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर ही केवल था, लोगों पर नहीं । जब तक सरकार यह सोचती रहेगी कि लोगों का विकास सरकार की जिम्मेवारी है तब तक लोगों की सहभागिता का सिद्धान्त सरकार के घमंड का परिचायक ही रहेगा ।

प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और उनसे संबंधित कार्य योजनाओं में लोगों को संलग्न रहना था । ये कार्य योजनाएं लोगों के परंपरा और जरूरतों के अनुसार होना था और सरकार को उनके कार्यक्रमों में सहयोग देना था । इस प्रकार की चेष्टा लोगों की सोई हुई मानसिकता को जगाती और उनके उत्साह और क्षमता को भी बढाती । प्राचीन काल के पंचायत प्रणाली का फिर से अनुसरण करना एक अव्यवहारिक बात थी किन्तु उस प्रणाली के सकारात्मक पक्षों को भी नहीं भुलाना चाहिए था । लक्ष्य यह था कि ग्रामीण समाज को एक आधारभूत इकाई के रूप में लिया जाए । लेकिन न तो पंचायतों को प्राकृतिक स्रोतों के परिचालन का अधिकार दिया गया और न हीं लोग ही ग्राम सभा बैठकों में शामिल होते थे । वे सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि संस्था नहीं थे ।

'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' ने यह अनुभव किया कि न तो वन भूमि की कमी थी और न ही लोगों की । जरूरत थी, उन दोनों के बीच तारतम्यता स्थापित करने की लेकिन सरकार और लोगों की मानसिकता ने इसे बढावा नहीं दिया । इस प्रकार के सोच को अचानक ही नहीं बदला जा सकता था । इस तरह एक प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता थी जो इन दोनों मानसिकता को एक दिशा में आगे बढ्ने के लिए प्रेरित करे ।

'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' का यह सोचना था कि गाँव प्रबंध प्रणाली, जो दो सौ साल पहले लागू था उसे पुन: व्यहार में लाया जाए । जिससे सभी गाँवो का अपना वन हो और जो उनके द्वारा ही व्यवस्थित हो । चूंकि लोग वन ह्रास से प्रभावित थे, इसलिए यदि उन्हें वन व्यवस्थापन का कार्य सौपा जाता तो वैनिश्चित ही इसे कार्यान्वित करते।

वन पंचायतों को सरकार के हस्तक्षेप से अलग रखना था और वे ही जो गाँवो के भीतर कार्य करते थे, इसके सदस्य हो सकते थे । महिलाओं को विशेष रूप से उत्साहित करना था । तकनीकि सुझाव, स्रोत, एक उपयुक्त वातावरण और जरूरत के हिसाब से लोगों की क्षमता बढाना ही सरकार का कार्य होना था । सरकारी अफसरों को सामान्य जनता द्वारा अपने को बडा ठानना बंद करना था । ग्रामीण स्रोतों की अवस्था को सुधारना था और ग्रामीण संस्थाओं का आपस में विरोध की भावना को भी खत्म करना था । 'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' को लोगों के स्रोतों से संबधित धारणा को विकसित करना था, तभी वे प्राकृतिक स्रोतों के ह्रास से उत्पन्न समस्याओं का सामना कर सकते थे ।

चिपको आंदोलन से प्राप्त शिक्षा

- प्रत्येक समूह और समुदाय की अपनी एक विशेष स्थिति थी । यह संभव थाकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न राजनीतिक सोचों से संबंध रखता हो, फिर भी उनके एक साथ मिलकर कार्य करने से ही समस्याओं का समाधान हो सकता था ।
- 'चिपको आंदोलन' ने वन तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए तथा गाँवो और स्थानीय लोगों के विकास के लिए कार्य क्रिया । इसने चेतना जागृत की, और महिला मण्डल दलो के माध्यम से महिलाओं के शक्ति संबंर्धन में भी सहयोग दिया ।
- लोगों ने दूसरे स्थानीय जनता में चेतना फैलाया ताकि उन्हें अवसर प्राप्त हो सके और वे इस दिशा में कार्य कर सकें । 'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में उन लोगों की शक्ति और कला को उपयोग में ला सका,' और यह एक बहुत वडा कदम था ।

- पर्यावरणीय नीतियाँ लोगों के अपने पारंपरिक रीतियों के अनुसार ही होनी थी । 'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' का यह विश्वास था कि वन और पर्यावरण में प्रत्येक व्यक्ति का बरावर हिस्सा था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनके सुरक्षा में बरावर भाग लेना चाहिए ।
- लोग पश्चिमी प्रणाली और तकनीकियों पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे । वे क्यों नहीं अपने ही प्रणालियों के अनुसार ही काम कर सकते थे । पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर के वे अपनी सभ्यता का मूल्य ही पीछे छोड्ने जा रहे थे ।
- 'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' विश्वस्त था कि चूँकि वन लोगों की सम्पत्ति है, इसलिए तृण-मूल स्तर के लोग इसकी सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं । इसलिए वनों को लोगों के नियंत्रण में दे दिया जाए और सरकार के नियंत्रण से इसे स्वतंत्र किया जाए ।
- स्रोत जनता के ही थे लेकिन लोगों की सहभागिता की भी आवश्यकता थी । सरकार की भूमिका सहयोगी के रूप में थी । सरकारी कार्यक्रम सरकार की सेवा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए होने थे ।

समसामयिक पंचायती राज; लोग आधारित वन व्यवस्थापन - क्या कहीं मिलन बिन्दू है ?
द्वारा - सुभाष मेन्धुपुरकर

इस पत्र के आरंभ में पंचायत का परिचय, एक स्थानीय स्वशासित सरकार के रूप में देते हुए पत्र प्रस्तुत कर्ता ने हिमाचल प्रदेश में वनों के उपर नियंत्रण का इतिहास और लोगों का वनों के साथ अत्यधिक संबंध तथा महिलाओं और सीमान्त लोगों पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत किया । हिमाचल प्रदेश के विशेष पंचायती राज की समीक्षा की गई और लोग आधारित वन व्यवस्थापन के लिए ग्राम पंचायतों की विभिन्न इकाईयों में विभाजन की संभाव्यता पर भी विचार किया गया ।

पंचायत प्रणाली का शाब्दिक अर्थ है, पांच बुद्धिमान लोग । स्थानीय स्वशासन के रूप में इस प्रणाली का आरंभ भारतीय उपमहादेश में पहली बार हुआ था । जाति प्रधान और पितृ प्रधान प्रणाली पर आधारित होने के कारण इस स्व-शासन से महिलाओं और गैर आर्य लोगों को अलग ही रखा गया । पंचायत का कार्य था प्राकृतिक स्रोतों का विभाजन और उनसे उठने वाले विवादों का समाधान करना । समाज के द्वारा उन्हें इतनी अधिक मान्यता प्राप्त थी कि उनके निर्णय के विरूद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकती थी ।

ब्रिटिश शासन काल में न्याय के लिए लिखित अनुबंधों के आधार पर निर्णय और विरोध समाधान प्रणाली बनायी गई; जो उस समय प्रचलित जातीय व्यवस्था को भी मद्दे नजर रखती थी । जमीनों के अनुबंधों (सबूतों) को रखा जाने लगा और एक अदालत प्रणाली को भी आरंभ किया गया । इस अदालत के समक्ष सभी बराबर थे । ब्रिटिशों ने गाँवों का वर्गीकरण, कर-संकलन के आधार पर किया न कि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन स्थान के रूप में । यह सोच कर कि लोग उनके अपने प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से ही नियंत्रित किए जा सकते हैं, गैर नीजी जमीन, वन और जल स्रोत सरकार के सम्पत्ति हो गए । ग्राम - स्तरीय शासन तथा वैधता के लिए पंचायतों को सहयोग मिलना बंद हो गया । लेकिन उन्हें सामाजिक मान्यता थी ।

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के समय पंचायती राज प्रणाली पर काफी विचार विमर्श हुए । जाति-प्रथा के प्रति सचेत और आर्यो द्वारा दबाए हुए वर्गो ने इस प्रणाली को संवैधानिक मान्यता देने का विरोध किया । गाँवों की परिभाषा के बारे में विचार नहीं किया गया, जिससे ब्रिटिशों द्वारा बनाए हुए परिभाषा के दायरे में ही 'गाँव' परिभाषित होता रहा तथा उसी तरह सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का स्वामित्व भी सरकार के पास ही रहा । स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार ने पंचायत राज प्रणाली के अध्ययन और सुझावों के लिए 'बलवंत राज मेहता समिति' का गठन किया । सुझावो के अनुसार गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक दूसरे से जुडे हुए निर्वाचित इकाईयों को स्थापित करना था । साथ ही इन इकाईयों को योजना निर्माण और विकास के कार्यो के लिए जिम्मेवारी देना और उन्हें इन कार्यों को करने तथा सहयोग देने वाले उपयुक्त स्रोतों की व्यवस्था करना भी था । कुछ विद्वानों ने मनोयन के आधार पर पार्टी विहीन पंचायत बनाने का सुझाव दिया, तो कुछ विद्वानों ने पार्टी आधारित प्रजातांत्रिक पद्धति पर निर्वाचित इकाई बनाने का सुझाव दिया ।

समिति के सुझाव अनुसार केन्द्र की शक्ति को पंचायत में निक्षेपण करना था । जिन संस्थाओं में शक्ति निक्षेपण होना था, वे 'पंचायत समिति' के नाम से जाने जाते थे तथा उनकी वनावट प्रजातांत्रिक पद्धति पर होनी थी, और निम्नतम संभाव्य स्तर पर होते हुए भी विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त स्रोत उनके अधीन थे । 1977 में 'अशोक मेहता समिति' का गठन पंचायत राज प्रणाली के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए हुआ । इस समिति नें पंचायत राज प्रणाली में समानता और लिङ्ग-विषयक मुद्दे जैसे कुछ नए आधारों को जोडा । लेकिन किसी भी समितिने न तो गाँव के परिभाषा को निश्चित किया, और न ही प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और जीविका के बीच ही कोई संबंध स्थापित किया ।

कुछ राज्यों ने इन सुझावों को माना और पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की । कुछ समय के बाद भारतमें ये संस्थाएं 73 वें संवैधानिक संशोधन के लिए मोडेल के रूप में उभरीं । इस तरह, संशोधन भी 'गाँवों' को परिभाषित करने में असफल रहा ।

स्व-व्यवस्थित इकाई और स्व-शासित इकाई के बीच का अन्तर भी स्पष्ट नहीं हो पाया । लिङ्ग और समानता के विभेद को कम करने के उद्देश्य से सीटों का आरक्षण भी किया गया लेकिन शक्ति निक्षेपण की प्रणाली अस्पष्ट थी, तथा भ्रष्टाचार के लिए भी काफी गुंजाइश थी । यह वही संदर्भ था जिसमें कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज कानून 1994 का परिक्षण होना था ।

स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश ने भारत के दूसरे भागों की तरह अधिकतर वन भूमियों पर अपना नियंत्रण रखा और वनों से प्राप्त करों को विकास कार्यों तथा अन्य आधारभूत सेवाओं में उपभोग किया । निम्न वर्गो के मांगो को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सामान्य भूमि कानून की घोषणा की और 1975-77 के बीच सामान्य भूमि के एक बहुत बडे हिस्से को लोगों में बांटा । इस तरह उच्च वर्गीय लोगों के पास के जरूरत से अधिक भूमि को लेने के बदले समुदाय के धरोहर को नीजी धरोहर में बदल दिया ।

हिमाचल प्रदेश में भी वनस्रोतों के साथ लोगों का घना संबंध था । राज्य ने स्रोतों पर लोगोंके विभिन्न अधिकारों को समझा और कुछ हद तक उन अधिकारों की परिपूर्ति भी की गई । 1948 से अधिकार प्राप्त लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिम्बर का उपयोग किया गया । यद्यपि टिम्बर से प्राप्त लाभ का उपभोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए लगाए हुए टिम्बर के लाभ से कहीं अधिक था, लेकिन जिन लोगों को यह लाभ प्राप्त होता था, वे पहले से ही धनी थे और दैनिक क्रियाकलापों के लिए वन पर उनकी निर्भरता भी काफी कम थी ।

टिम्बर के साथ-साथ चारे, ईन्धन और औषधि वाले जडीबूटियों के लिए, लोग वन पर निर्भर करते थे । हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण निरीक्षण से यह मालूम हुआ कि ज्यादातर वृक्षारोपण में टिम्बर की ही प्रधानता थी, न कि दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले पौधों की । इससे लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पडा क्योंकि वनों में टिम्बर की लकडियों के अधिक हो जाने से घास और झाडियाँ कम उगने लगी । इस व्यवस्था से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई वे थीं महिलाएं । वनों में परंपरागत रूप से सुदूर पहाडियों से वे ही चारे और ईन्धन की लकडियो को इकठ्ठा करने आती थी और साथ ही वे गरीब लोग भी जो जडी-बुटी वाले पौधो को बेच कर कुछ आय आर्जन कर लेते थे । शुरूआत के 80 के दशकों में जब विश्व बैंक प्रोजेक्ट के तहत कुछ गाँव की सामान्य भूमियों को चारागाह के रूप में प्रयोग करने से रोक दिया गया था और उन भूमियों में टिम्बर की लकडियों के लिए वृक्षारोपण करने के बाद उसमें तार के बाड लगाए गए थे, तो कुछ जिलों के लोगों ने इसके विरूद्ध आवाज उठायी । फलस्वरूप बडे पत्रों बाले वृक्षों का रोपण किया गया ।

दाता एजेन्सियों ने जब परियोजना द्वारा प्रायोजित गाँव विकास समितियों में 'महिला मण्डल' के महिलाओं को शामिल करने को लिए दबाव डाला तो विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यदि इन समितियों में शामिल किया जाता तो उन्हें इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कहा नहीं जा सकता था, इसके विपरीत महिलाओं पर दबाव डालना अधिक आसान था । हिमाचल प्रदेश में महिला मण्डलों की विस्तृत बनावट और संस्थागत रूप होने के बावजूद, इनमे से बहुत से महिला मण्डल दब-दबे बाले परिवारों की प्रमुखता में फलफूल रहे थे, जिसके कारण इनमे सरकारके साथ विवाद करने की शक्ति कम होती जा रही थी ।

दूसरे कारण भी हिमाचल प्रदेश के वनों को प्रभावित करते थे । राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद सरकार ने विकास और कल्याण मूलक कार्यक्रमों को करना आरंभ किया । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता पडी । फलस्वरूप 1988 तक हरेक सोलहवाँ बालिग व्यक्ति इन कार्यो में शामिल किया गया । नकद आय और पुरूषों का शहरोन्मुख होने के कारण कृषि पर निर्भरता कम होती गई और धीरे धीरे यह धारणा बनती गई कि वन टिम्बर के लकडी के उत्पाद के लिए ही है । उसी तरह फुलवारी खेती जो कि तथाकथित बेकार जमीनों पर किया जाने लगा जिससे धीरे धीरे चारे और ईन्धन की कमी होने लगी ।

समाज के विभिन्न वर्गो नें बदले हुए जीविका के तरीकों को भिन्न-भिन्न प्रकार से देखा । जीविका का आधार जो स्थानीय स्रोतों पर निर्भर करता था वह अब एक नये क्रम में स्थापित होने लगा था । तीन प्रकार के सामाजिक वर्ग देखे जाने लगे - वे लोग जो अभी भी अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते थे: वे लोग जिनके आजीविका का आधार राज्य सरकार में नौकरी थी, या व्यापार करते थे और, वे लोग जो प्राकृतिक स्रोतों पर भी निर्भर नहीं करते थे और न ही राज्य सरकार में उनकी पहुँच थी ।

हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज प्रणाली के तहत 1968 के वास्तविक कानून ने इन इकाईयों को स्पष्ट रूप से विकास की योजनाओं और कुछ सिविल सेवाओं को परि चालित करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया था । 1994 कानून में पंचायती राज संस्थाओं का, स्थानीय शासन और विकास कार्यों में संलग्नता को, इंगित किया था । प्रश्न यह उठा कि क्या इन पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में स्व-शासित इकाई के रूप में बनाया जाए ? राज्य ने पूर्ण रूप से ग्राम सभा की बनावट को नियंत्रित किया था । ग्राम सभा में साधारणत: आठ से दस किलोमीटर में फैले हुए पाँच या छ: ग्रामों को शामिल किया जाता था । ग्राम सभा के बनावट में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाता था, लोगों की सुविधाको नहीं । साथ ही यह प्रश्न भी उठता था कि क्या ऐसे प्राशासनिक इकाई कार्यकारी इकाई बन सकते थे ? क्यों कि हिमाचल प्रदेश के गाँव भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक समूहों से भरा है

और फिर लिङ्ग समानता और सामाजिक मूल्यों के सिद्धान्त भी योजनाओं और विकास के कार्यो में स्पष्ट नहीं थे । इसी तरह प्रशासनिक नियम जैसे की 'कोरम' परिपूर्ति संबंधि औपचारिकता आदि, जैसे किसी निर्णय को कुछ ही सहभागियों के उपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा पारित हो जाया करता था बनिस्पत इसके कि असंतुष्ट सदस्यों के लिए फिर से बैठक बुला कर उस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए ।

निर्वाचित प्रतिनिधियों और लोगों के बीच एक बढी खाई मौजूद थी और निर्धन लोगों के प्रतिनिधियों पर उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाल पाते थे । भ्रष्टाचार भी काफी फैला हुआ था । पंचायत द्वारा योजित विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने में लोग असमर्थ थे । विभिन्न ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गए पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) लोगोंको सहुलियत देने के बदले उन पर अफसरी दिखाते थे । कनिष्ठ अभियंता (जुनियर इन्जीनियर) और प्रशासनिक कर्मचारी, एक साथ मिलकर गाँव के स्तर पर आंरभ किए जा सकने वाले विकास के कार्यक्रमों का अवरोध करते थे । हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कानून के भावार्थ के अनुसार पंचायतों को राज्य सर कार के एजेन्ट के रूप में देखा गया था । यद्यपि पंचायतोंको कार्य संचालन के लिए स्वतंत्रता दी गई थी फिर भी पंचायतों को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अनुमति की आवश्यकता पडती थी । यद्यपि पंचायत के कार्यो के देखने समझने के लिए समितियों के निर्माण के लिए, आवश्यक अवसर प्रदान किए गए थे लेकिन इन समितियों का कभी निर्माण नहीं हुआ ।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठा कि क्या पंचायत राज संस्थाएं सामान्य स्रोतों के व्यवस्थापन में लोगों को लाभ होने वाले कार्यो को सम्पादित करने की भूमिका निभा सकती हैं । कानून के अनुसार सरकार ने ग्राम पंचायतों को वन, बेकार जमीनों, चारागाहों और ग्रामीण क्षेत्रों के अनधिकृत जमीनों के व्यवस्थापन के लिए दिया, और कोष भी प्रदान करने के लिए अनुमति दी । यदि इन योजनाओं का कार्यान्वयन होता तो पंचायत वन और दूसरे स्रोतों का प्रबंध भी करते तथा गरीबी और खास कर महिलाओं के दैनिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति भी करते लेकिन इन योजनाओं के कार्यान्वयन के सहयोग के लिए नियम नहीं पास किए गए ।

इसी तरह, यद्यपि वन विभाग ग्राम पंचायतों के कार्यो और उसके शक्ति से अवगत थे फिर भी इन कार्यो के समीक्षा ने और भी अधिक शंका-उपशंका को बढावा दिया । मुख्य मुद्दा यह था कि किस प्रकार वन विभाग पंचायतों को जिम्मेवार पूर्ण बनाए । ग्राम पंचायत ग्राम सभा की ओर जिम्मेवार हों और ऐसी पद्धति अपनायी जाए कि सामान्य स्रोत व्यवस्थापन के संबध में लोक प्रतिनिधियों के बीच जिम्मेवारी की भावना आए । यदि ग्राम सभा अच्छी तरह कार्यशील होता तो ग्राम पंचायत प्रभावपूर्ण रूप से कार्य करता क्योकि ग्राम सभाओं से ही ग्राम पंचायत की बनावट होती है । लेकिन 1994 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज कानून के अनुसार ग्राम सभा बुहत से कार्यो को

करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, इसके निर्णयों को भी बहुत महत्त्व नहीं दिया जाता था । साथ ही न तो महिलाएं और न हीं सीमान्त लोग ही इन निर्णयों में भाग लेते थे । इन संस्थाओं को कार्यशील बनाने के लिए यह आवश्यक था कि ग्राम सभा को और भी अधिक व्यवस्थित बनाया जाए और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो लोगों को इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित करे तथा लिङ्ग और वर्ग के आधार पर किए गए भेदभाव भी न हों ।

सामान्य जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाएं जो कि गाँव के प्रत्येक सामाजिक राजनीतिक समूह द्वारा बनाए गई हों, ऐसी योजनाओं को बडे समूह या सामान्य जरूरतों से संबंध रखने वाले समूह या इनके प्रतिनिधियों के समक्ष रखने से पहले उन पर विचार कर लेना आवश्यक था । इन ग्राम सभाओं को गाँव के सामान्य भूमि या रेखांकित असंरक्षित वन को पुनरूत्पादन के लिए कब्जे में करने के लिए कहा जा सकता था ।

इस तरह अपेक्षाकृत बडा ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं को शक्ति प्रदान कर सकता था और ग्राम सभा के कार्यो में विश्वसनीयता आ सकती थी । उनके तत्कालीन स्रोत इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं थे लेकिन लोगों को इसके लिए इस्तमाल किया जा सकता था । यह प्रभावकारी ही नहीं होता बल्कि लोगों की सहभागिता भी बढ्ती और पंचायत के कार्यो में पारदर्शिता भी आती । पंचायतों और दूसरे स्थानीय संस्थाएं जैसे कि महिला मण्डलों के बीच संस्थागत व्यवस्थापन को भी विकसित करना था । इसे कार्यरूप में बदलने के लिए पंचायत के नेताओं के बीच दृष्टिकोणों का आदन-प्रदान आवश्यक था। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्तर के समूहों और ग्राम पंचायतों के बीच निरंतर अर्न्तक्रिया और बात-चीत के लिए कार्य रूप रेखा विकसित करना था ।

जन चेतना वृद्धि : नेपाल में सामुदायिक वन व्यवस्थापन में स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका

द्वारा: हरि प्रसाद न्यौपाने ।

यद्यपि नेपाल की जनसंखया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए वन स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन पिछ्ले कुछ वर्षो से वन से सरकार को प्राप्त होने वाले कर घटते जा रहे थे । वन स्रोतों की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो रही थी । सामुदायिक वानिकी को बढावा देने वाला '1992 वन कानून' अच्छी तरह से लागू होना था ताकि वन का संरक्षण और सुरक्षा हो सके । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बनाए जाने थे, और पहाडों में खास कर तराई क्षेत्र में इन्हें अधिक कार्यशील बनाना था । सामुदायिक क्षेत्रों से बाहर के वनों के व्यवस्थापन में स्थानीय लोगों को शामिल किया जा सके जो सहभागिता के पद्धति पर आधारित होता ।

नेपाल के वन कानून के ऐतिहासिक सर्वेक्षण द्वारा यह विदित हुआ कि 1989 के वन विकास वृहत् योजना से पहले तक वन व्यवस्थापन सरकार के जिम्मे ही था । इस वृहत योजना के द्वारा ही वन व्यवस्थापन में सामुदायिक सहभागिता के महत्व को पहचाना गया । लेकिन 1993 के वन-कानून में वन व्यवस्थापन में सामुदायिक सहभागिता को निश्चित किया गया । सामुदायिक वानिकी आवधारण ने स्थानीय लोगों को एक नई आशा प्रदान की । 1996 तक 5,300 उपभोक्ता समूह बनाए गये, और सामुदायिक वन क्षेत्र उनके हवाले किए गए । वन उपभोक्ता समूहोंका बनना और वन क्षेत्रों के हस्तांतरण से नेपाल में वन की अवस्था में सुधार आया । सामुदायिक वानिकी ने दूसरे और भी नीतियोंको बढावा देने में मदद किया उदाहरण स्वरूप लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, वन स्रोतों का स्थायी उपयोग, निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता, लाभांश विभाजन तथा दूसरे कई सामाजिक आर्थिक विकास आदि । दूसरी तरफ अधि-कारियों को वन व्यवस्थापन में स्थानीय समर्थता के प्रति सचेत भी रहना था । स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानना था और सामुदायिक वानिकी, वन उपभोक्ता समूह निर्माण, कार्य योजना तैयारी, क्रियाशील सहभागिता, और कार्यक्रम परिचालन आदि में प्रशिक्षित होना था, नहीं तो सामुदायिक वानिकी, जन सहभागिता और लाभांश विभाजन आदि की अवधारणा कानून की ही बात वन कर रह जाती । नेपाल में सामुदायिक वन के सफलता में उपभोक्ता समूहों की कार्यक्षमता रीढ की हड्डी थी । वन संबंधित मुद्दों के कानूनी पक्षों से लोगों को अवगत कराने में सरकारी अफसरों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । इन अफसरों ने उपभोक्ता समूहों के कार्यकलापों का मार्ग दर्शन किया और यथा संभव सुविधाएं प्रदान की । साथ ही इन्होंने उपभोक्ता समूहों के मार्ग दर्शन के क्रम में संस्थागत समन्वयता, विरोध समन, और कार्य योजनाओं में भी अग्रणी भूमिका निभायी । इस तरह सामुदायिक वानिकी की सफलता शुरू हुई ।

जब वन स्रोतों का उपयोग औद्योगिक कार्यो में शुरू हुआ तभी वातावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि वन विकास गुरूयोजना और वन कानून में इन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है । वन स्रोतों के उत्पादन मूलक उपयोग के लिए उपभोक्ता काफी इच्छुक थे । वन आधारित उद्योगों का विरोध नहीं था लेकिन आधार-भूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्रोतों से उन्हें वंचित किया जाना भी मंजुर नहीं था । साथ ही वे चाहते थे कि उद्योगों में वनों का दुरूपयोग न हो । 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ' की स्थापना 1995 में हुई । बहुत से वन उपभोक्ता समूहों के संयुक्त रूप से किए गए कार्यशाला गोष्ठियों का परिणाम यह संघ था । इसकी पहली सभा काठमाण्डू में अप्रील 1996 में की गई । इस सभा में 40 जिलों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सभा का उद्घाटन वन तथा भू-संरक्षण मंत्री ने किया । इस सभा में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया । यह समिति नेपाल के प्रत्येक विकास क्षेत्र के एक महिला और एक पुरूष के प्रतिनिधित्व से प्रारंभ हुआ ।

संघ का मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ता समूहों के बीच एकता को बढाना और उनके तकनीकि ज्ञान को बढाना ताकि सरकारी वन नीति कानून और नियमों का परिचालन

सही ढंग से हो सकें । स्थानीय लोग वन तथा वातावरण के संरक्षक थे, इसीलिए वन स्रोतों पर नियंत्रण के अधिकार की प्राथमिकता उन्हें ही मिलनी चाहिए था । वानिकी के प्रत्येक पक्ष पर उनका प्रवेश होना था । हिमाली क्षेत्र में कानून आधारित सामुदायिक वानिकी को बढावा मिलना आवश्यक था । सरकारी प्रयासों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाने थे ताकि ग्रामीण जनता प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग के लिए सचेत और अधिकार प्राप्त हो सके । साथ ही लोगों में स्रोतों के प्रति अपना और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पनप सके । संघ ने इन मुद्दों को कार्यरूप में परिवर्तित करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और इसके लिए 'नेपाल पर्यावरण पत्रकार संघ' और विदेशी दातृ के सहयोग से वृहत पैमाने पर रेडियो प्रचार कार्यक्रम की आयोजना करता आ रहा था ।

तराई क्षेत्र के बारा जिले में यह अफवाह फैली थी कि करीब 32,430 हेक्टर वन क्षेत्र फिनलैण्ड के एक कम्पनी को दिया जाएगा । फिनलैंण्ड के इस कम्पनी के सहयोगी तीन नेपाली कम्पनी भी होंगे ऐसी सोच उभरी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि वन विकास कार्यक्रम बहुत संभव है कि बंद कर दिया जाएगा । यद्यपि यह एक जनमुद्दा था, फिर इससे लोगों को वंचित रखा गया । सरकार चुप थी । संघ ने इस मुद्दे में अपनी सचेतता दिखाई । जबकि उस क्षेत्र (तराई) के उपभोक्ता समूह वन क्षेत्र के व्यवस्थापन में सक्षम थे फिर भी उस क्षेत्र के वन को विदेशी कम्पनी के हवाले क्यों किया जाना चाहिए था । इस तरह के सरकारी कदम नेपाल के कानून का मजाक नहीं उडाते ? यह आवश्यक था कि इस तरह के गलत सोच का विरोध हो लेकिन सरकार फिर भी मौन रही । साथ ही बारा के बहुत से निवासी इस मुद्दे से वाकिफ नहीं थे । श्री न्यौपाने ने इस प्रश्न को उठाने की इच्छा जाहिर की कि क्या लोगों को ऐसे कदमो का साथ देना चाहिए या फिर उन्हें एक जुट होकर इनका विरोध करना चहिए ।

1997 में संसद के जाडे के सत्र में वन मंचालय द्वारा वन-कानून के पुनार्वलोकन से संबंधित मुद्दे उठाए गए । यह प्रस्ताव वन उपभोक्ता समूह के इच्छा के विरूद्ध हो सकता था । ऐसे मुद्दों को वन स्रोत व्यवस्थापन के विभिन्न इकाइ यों के साथ सलाह मशविरा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिएं था । सरकार का कर्तव्य इतना ही नहीं था कि वनों को उपभोक्ता समूह के हवाले किया जाए बल्कि यह भी था कि यह हस्तांतरण स्थायी हो । हस्तांतरण से पहले कुछ प्रारूप तैयार किए जाने थे और यह वही विन्दु था जहाँ संघ मदद के लिए आगे आ सकता था । कुछ समस्याएं सर्वे और भूमि प्रशासन द्वारा और भी अधिक बदतर बना दिया गया था, उदाहरण स्वरूप जब एक वन समुदायको हस्तांतरित किया जाता था तो वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम में होता था । इस तरह की परस्पर विरोधी अवस्थाएं स्थानीय नेताओं और प्रतिनिधियोंद्वारा सुल्झाया जाना चाहिए था । नेपाल में स्थानीय लोगों और किसानों के सुविधा के लिए सामुदायिक वानिकी से संबंधित प्रतिबद्धताओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उपभोक्ता समूहों, गाँव विकास समिति, जिला विकास समिति, सरकारी एजेन्सियों और संघ के बीच परस्पर समन्वय और परस्पर निर्भरता की आवश्यकता थी ।

मुख्य मुद्दे

सहभागियोंद्वारा निम्न लिखित मुद्दे उठाए गए

- स्थानीय इकाईयों और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को और अधिक अधिकार सम्पन्न करना चाहिए ताकि वे दूसरी इकाईयों से समन्वय बढा सकें ।
- राज नेता जब गाँवो में वोट मांगने जाते हैं तो वे जनता से सैकडों वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन वादो में से मुश्किल से एक भी पूरा किया जाता है । लोगों को इतना सचेत बनाया जाना चाहिए ताकि वे उम्मीदवारों को पहचान सकें और उसी के अनुसार उनका चयन कर सकें । कुछ लोग पैसे के बदौलत चुनाव जीतते हैं, जो ठीक नहीं है ।
- ठेकेदार भी भ्रष्टाचारी ही हैं । यदि गाँव विकास के लिए एक लाख रूपया दिया जाता है, तो ठेकेदार उसमें से 50 प्रतिशत डकार जाते हैं । ऐसे अभ्यासों को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए । कडे नियम और कानून बनाए जाने चाहिए ।
- महिलाओंको आगे लाना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराना चाहिए ।
- पर्वतीय क्षेत्रों में वन उत्पादों के निलामी पर रोक लगना चाहिए ।
- घूस-खोरी और सरकारी भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए ।
- स्थानीय इकाईयों को अधिकार और जिम्मेवारी दी जानी चाहिए ।
- वन संबंधी इकाईयों का गलत उपयोग रूकना चाहिए ।
- भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढता रहा है, विभिन्न कानूनों की बात होती है, लेकिन यदि कानून का उचित प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसे कानून का क्या अर्थ है । गाँवो में वन, वन अधिकारियों के नियंत्रण में होते हैं और अधिकारी भ्रष्ट हैं । यदि एक वृक्ष के काट्ने की अनुमति होती है, तो चार वृक्ष काटे जाते हैं ।
- वनों को लोगों को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए तथा नियम बनाने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए । लोगोंको अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका दिया जाना चाहिए । ग्राम पंचायत इसमें काफी मदद कर सकता है । जिन गाँवों मे सचेतता अभी है वे गाँव वन संरक्षण की ओर प्रयत्नशील हैं, लेकिन जब वे लोग वन में जाते है तो उन्हे वन अधिकारीयों से अनुमति लेनी पडती है । लोगों ने वन के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए लगता है कि उन्हे कुछ अधिकार भी दिया जाना चाहिए ।
- निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में लोगों के विचारों को महत्त्व दिया जाना चाहिए । बाहरी लोगों की अपेक्षा ग्राम पंचायत गाँव के विकास संबंधी जरूरतों को अधिक समझता है । पर्वतीय क्षेत्रो में प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए सरकार को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।
- विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय इकाईयों और सामुदायिक वानिकी के बीच संबंध होना चाहिए ।

समूह दो

सामुदायिक वन व्यवस्थापन और समाधान में स्थानीय संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूहों के बीच विरोध

द्वारा दिलराज खनाल

प्रशासन में समान सहभागिताका अर्थ है, प्रत्येक नागरिक को सहभागी होने का समान अवसर । विकेन्द्रीकरण प्रजातांत्रिक प्रणाली की रीढ है । यह एक ऐसी श्रृंखला है जो स्थानीय प्रशासन को केन्द्रीय प्रशासन से जोडती है । विकेन्द्रीकरण प्रणाली स्थानीय शासन को स्वशासन की क्षमता प्रदान करती है, आर्थिक विकास में सहयोग करती है, सामाजिक विकास में सहायक होती है, सांस्कृतिक विकास में सहयोग देती है तथा साथ ही समग्र कोशिशों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उकासती है ।

यह पत्र प्राकृतिक तथा वन स्रोतों के प्रजातांत्रिक पद्धति द्वारा सार्वजनिक स्वामित्व से संबंधित था । जब तक सार्वजनिक और निरंतर स्वमित्व को कानून के अन्तर्गत नहीं किया जाता, तब तक प्राकृतिक स्रोतों को भविष्य के सन्तति के लिए संरक्षित नहीं किया जा सकता था ।

कुछ हद तक वन व्यवस्थापन में स्थानीय स्वशासन और समुदाय सहभागी प्रक्रिया में स्थानीय निर्वाचित इकाइयों के अधिकार और जिम्मेवारियों से संबंधित कानूनी संशोधन किए गए । स्थानीय सामुदायिक वन व्यवस्थापन में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलता आ रहा था । 'लीज समूह' और 'धार्मिक वन व्यवस्थापन' समूहों ने भी एक प्रभावकारी भूमिका निभायी ।

इन उपलब्धियों के बावजूद नेपाल में वन स्रोत एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा, और इस मुददे को राजनीतिक फेर बदल के समय गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया । इसी तरह वर्तमान कानूनी ढाँचा और विनियमों ने स्थानीय, निर्वाचित इकाईयों और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के बीच संभाव्य विरोध को बढावा दिया । नियम विनियमों को लागू करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी थी । साथ ही नेपाल में आगामी स्थानीय स्वशासन बील और वन कानून का पुनरावलोकन विरोधको उत्पन्न कर सकता था । समय पर ही सुधारोन्मुख मापदण्ड को पहचाना जाना चाहिए, और इन विरोधों को कम करने तथा स्थानीय संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के बीच संबंधो को सुदृढ करने में प्रयोग होना चाहिए ।

नेपाल में विगत के केन्द्रीय शासन के परंपरा के कारण पूर्ण स्थापित पारंपरिक स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का अभाव रहा है । समुदाय आधारित संस्थाए जो प्राचीन काल में सफलता से काम करती थी, वे संस्थाए प्राय: राणाकाल में खतम कर दी गईं और

1950 ई. तक करीब-करीब सभी वन नीजी घोषित कर दिए गए । बाद में वन-स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए स्थानीय इकाईयों को जिम्मेवारी देने की कोशिशें काफी कमजोर थी, और ज्यादातर असफल रहीं । वन व्यवस्थापन में समुदाय सहभागिता के कमी के कारण वृहत पैमाने पर वन क्षेत्र अधिग्रहण और वन का नाश होना आरंभ हुआ । 1988 में वन क्षेत्र गुरूयोजना प्रस्तुत किया गया । इस गुरू योजना के द्वारा वन उपभोक्ता समूहों को सामुदायिक वनों का स्वाभित्व प्रदान किया गया जिससे सामुदायिक वानिकी को स्थायी विकास के अवसर प्राप्त हुए । 1993 का वन कानून और 1995 के वन नियमों ने सामुदायिक वानिकी और उपभोक्ता समूह समिति की अवधारणा को कानूनी तौर पर स्थापित किया । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वे इकाई थे जिन्होने समुदाय के फायदे के लिए वनों का व्यवस्थापन किया । एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद उपभोक्ता समूह एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में काम कर सकता था । यह समूह प्रशासनिक प्रणाली के तहत कानूनी अधिकार और जिम्मेवारीयों की क्षमता से परिपूर्ण होकर काम कर सकता था । उसी तरह दूसरे कानूनो ने स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं, गाँव विकास समितियों, नगरपालिकाओं, और जिला विकास समितियो को प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए कानूनी अधिकार और जिम्मेवारियाँ दी । इस कारण सामुदायिक वन व्यवस्थापन में विरोध उत्पन्न होना आरंभ हुआ । इन विरोधों के स्वभाव की समीक्षा के लिए दो शोध अध्ययन प्रस्तुत किए गए । इस अध्ययन ने यह दिखाया कि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों और वनों पर दोहरे स्वामित्व ने इन विरोधों को जन्म दिया । उपभोक्ता समूहों ने गाँव विकास समितियों के प्राकृतिक स्रोतों पर अधिकार को नकारा । दूसरा विरोध तब उत्पन्न हुआ जब परियोजनाओं के परिचालन के सिलसिले में गैर-सरकारी संस्थाओं का गाँव विकास समितियों के साथ समन्वय के लिए प्रावधान प्रदान किए गए । यह अस्पष्ट था कि किस प्रकार की गैर-सरकारी संस्थाओं को इस नियम का पालन करना होगा क्योंकि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जिला वन कार्यालय के साथ पंजीकृत थे और 'जल उपभोक्ता समूह' सिंचाई विभाग के साथ पंजीकृत थे । अनिश्चितता के कारण यह विरोध आरंभ हुआ कि क्या ये समूह और सामुदायिक संस्थाए स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं या स्थानीय प्रशासनिक इकाईयों के मातहत में काम करेंगी । प्राकृतिक स्रोत उपभोग और व्यवस्थापन के संबंध में विरोध उत्पन्न हुआ और ये मुख्य रूप से वन सिंचाई और खदानों के आय आर्जन संबंधि क्रियाकलापों से संबंधित थे ।

संसद में स्थानीय स्वशासन बील स्थगित अवस्था में है, जिसके अनुसार स्थानीय इकाईयों को उचित स्वायत्तता दी जानी थी और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता था कि दूसरे समुदाय आधारित संस्थाओं के अधिकार को कम करेगा । अगर यह बील पास हो जाता तो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं का समुदाय आधारित संस्थाओं के कार्यकलाप पर काफी हद तक नियंत्रण हो जाता । विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन रिपोर्ट (1996) ने वन कानून में संशोधन का सुझाव दिया साथ ही व्यवस्थापन के लिए सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार को हस्तांतरित किए जाए, इस मुद्दे पर भी जोर दिया।

इस रिर्पोट ने दूसरे वन कानूनों में भी संशोधन का सुझाव दिया जो काफी हद तक स्थानीय समुदाय आधारित संस्थाए, स्थानीय सरकार द्वारा नियंत्रित हों इस तथ्य पर जोर देता था ।

वर्तमान और संभाव्य विरोध, अधिकार नियंत्रण, प्रक्रिया, और समन्वय जैसे मुद्दों से ही जुडे रहे । इन मुद्दों से जुडे विरोधों को खतम करने के लिए काफी प्रयास किए गए । कुछ सफल भी हुए और कुछ सफल नहीं हो सके । कानूनी कारवाही के द्वारा ही इन विरोधों को कम करना सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण था लेकिन इस प्रक्रिया में भी काफी समस्याएं थी जैसे कि प्रक्रियागत देरी, कानूनी औपचारिकताएं और जीत हार की अवस्था, जिसमे उन संवेदनशील मुद्दों जैसे वन उत्पादन का उपयोग, जिन पर कुछ समुदाय काफी निर्भर करते थे, वे प्रभावित होते, और इस तरह समानता के सिद्धान्त के प्रति न्याय की कमी देखी जा सकती थी ।

दूसरे तरीकों जैसे कि परस्पर वार्तालाप, विभिन्न विकल्प बीच-बचाव, और मित्रभाव का भी सुझाव दिया गया । उद्योगों में विभिन्न विकल्प की प्रक्रिया के द्वारा मजदूर और व्यवस्थापन के बीच विरोधों को कम किया जाता था, लेकिन नेपाल में अभी तक इसका उपयोग प्रभावकारी तरीके में नहीं हुआ था । समान्य फायदे के लिए आपसी समझदारी के द्वारा विरोधों को खतम करने के लिए और दोनों पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए मित्रता और बीच बचाव प्रक्रिया को अपनाया जाता था । सामुदायिक वानिकी में विरोधों को खतम करने के लिए इन उपर्युक्त पद्धतियों को अपनाया जा सकता था । दोनों विरोधी समूहों के प्रतिनिधियों के द्वारा आपसी वार्तालाप के प्रक्रिया को अपना कर सामुदायिक वानिकी के बहुत से मुद्दे को सुल्झाया जा सकता था । यह पद्धति कोई महंगी नहीं थी और न ही समय की अधिकता की आवश्यकता थी, इस तरह दोनो तरफ के पार्टियों के समस्याओं को सुल्झाया जा सकता था । इस तरह समुदाय विरोधों को खतम करने के लिए यह अनिवार्य पहला विकल्प होता और दूसरे उपयुक्त विकल्प तभी प्रयोग में लाए जाते जब यह असफल हो जाता ।

इन विरोधों के आरंभ होने से पहले ही रोक की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता था । इसके अन्तर्गत बढती हुई सामुदायिक चेतना, कानूनी मुद्दों में उपभोक्ता समूह का ज्ञान और उनके विचारों और समस्याओं को नित्य रूप से सुनना, आदि को समावेश किया जा सकता था । अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने कानूनी मुद्दों से संबंधित सूचनाओं को अपने ही तक सीमित रखा और जिससे स्थानीय लोग इन सूचनाओं से अनभिज्ञ रहे और सही रास्तों के चयन में भी असमर्थ रहे । यह बदलना चाहिए । समुदायों को सूचनाओं से अवगत होना चाहिए और साथ ही शिक्षित, तथा सामुदायिक वानिकी उपयोग और व्यवस्थापन से भी वाकिफ होना चाहिए । विरोधों के कारणों के आधार पर कानूनों में संशोधन किया जा सकता था । यह एक प्रभावकारी पूर्व कदम था ।

जिस किसी भी पद्धति से विरोधों को सुल्झाना था वह इस प्रकार का होना चाहिए था कि जो यह निश्चित कर सके कि वे समाधान, सामाजिक न्याय और समानता प्रदान करने योग्य हों ।

गाँव विकास समिति, नगरपालिका और जिला विकास समिति से संबंधित कानून प्राकृतिक स्रोत और वन स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित अधिकार ।

कानून	निर्वाचित संस्था	कानूनी अधिकार और कर्तव्य
गाँव विकास समिति	गाँव विकास समिति	• वन स्रोत संबंधित अधिकार • वन स्रोतों को नीजी संम्पत्ति में बदलने से संबंधित अधिकार • वन स्रोतोंको बेचने से संबधित अधिकार
नगरपालिका	नगरपालिका	• वन संम्पत्ति के रक्षा से संबंधित अधिकार • वन स्रोतोंको नीजी संम्पत्ति मे बदलने से संबंधित अधिकार
जिला विकास समिति	जिला विकास समिति	• वन स्रोतोंको बेचने से संबंधित अधिकार • वन स्रोतों पर कर वृद्धि से संबंधित अधिकार ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन: गढवाल हिमालय के वन नीति, पंचायतों और वन पंचायतों का विवरण ।

द्वारा एस. श्रीधर और हेम गैरोला

भारत के सांघिक राजनीति ने भौतिक और आर्थिक स्रोतों के नियंत्रण और पहुँच से संबंधित मुद्दों के क्लिष्ट चित्र को प्रस्तुत किया । गढवाल के वनों में समुदायों का नियंत्रण और पहुँच का अभाव था । भारतीय स्वतंत्रता के करीब 50 वर्षो के वाद भी तानाशाही राज्यकी छाप अभी मौजूद थी और लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव नहीं आया था । 90 के आरंभ में भुक्तान का संतुलन जैसी समस्याओं ने भारत को वृहत् पैमानें पर इन समस्याओ से जूझने के लिए बाध्य किया और परिवर्तन की ओर उन्मुख किया । तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संबैधानिक संशोधन और केन्द्र राज्य संबंध में स्वच्छता की पहचान की आवश्यकता आधारभूत राष्ट्रीय स्वरूप को जरूर बदल सकता था । लेकिन फायदे के समुदायों के लिए सचेत कदम और न्याय तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली में इनके नियंत्रण और पहुँच में बरावर की साझेदारी के बिना समुदायों के लिए आवश्यक रूप से फलपूर्ण सबित नहीं हो सकते थे । भारत के सांघिक रूप रेखा ने कानूनों का एक सिलसिला प्रदान किया और केन्द्रीय कानून प्रक्रिया भारत में फैले हुए

विभिन्न सेक्टर में लागू हुआ । वन और बीहड जीवन वह क्षेत्र था, जिसमें प्रगतीशील केन्द्रीकरण प्रक्रिया लागू हुई । केन्द्रीकरण इतना अधिक फैल रहा था कि राज्य सरकार नें न केवल बलपूर्वक वन स्रोतों का परिचालन करना शुरू किया बल्कि नीजी क्षेत्रों से प्राप्त टिम्बर पर भी अधिकार जमाया । उसी तरह केन्द्र सरकार ने छोटे से छोटे वन क्षेत्रों के निर्णय प्रक्रिया में भी अपना हस्तक्षेप शुरू किया । साथ ही छोटे-छोटे नियम-विनियमों ने कानून को बाधित किया और वर्तमान प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रकार का था कि, प्रशासनिक आदेश कभी-कभी कानून से परे रख कर उपयोग होते थे, खास कर वहाँ जहाँ संभाव्य दोहरापन था ।

वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा आर्थिक रूप से प्रायोजित अत्यधिक आकर्षक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'संयुक्त वन प्रबंध' था । पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रशासनिक इकाई के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा हुई । यह वन पंचायत का मातहत था जो कानूनी प्रणाली द्वारा अपने क्षेत्रों में स्रोतों का विकास और व्यवस्थापन करता था । तिहत्तरवें संशोधन के तहत वन स्रोतों में पहुँच और उन पर नियंत्रण के विना पंचायत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे ।

वर्तमान वन नीति से संबंधित बहुत सी शिकायतें की जा सकती थी, खास कर जब वनको राज्य की संम्पत्ति ठाना जाना, जैसा कि ब्रिटीश राज्य में किया जाता था । उसी तरह वैसी नीतियाँ जो वन संरक्षण में लोगों की क्षमता को कम आंकती थी । साथ ही वैसी नीतियाँ जो लोगों के वन संरक्षण प्रक्रिया में एकदम कम सहभागिता को मान्यता देती थी, यह समभते हुए भी कि बहुत से वनवासी समुदाय अपनी जीवका के लिए वनों पर ही निर्भर करते थे । उत्पादन में वृद्धि के द्वारा उन राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करना लक्ष्य था, जो व्यापारिक या औद्योगिक पक्ष से संबंध रखते थे न कि सामान्य लोगों की जरूरतें जो ईन्धन और चारा आदि से संबंधित थे । वन पर दवाब को कम करने के क्रम में औद्योगिक उपयोग को नजर अंदाज कर दिया गया जो कि वन ह्रास का मुख्य कारण था । नये उद्देश्यों को शामिल किया जाना था, जैसे कि वन निर्माण के माध्यम से रोजगार बढाना बचे हुए प्राकृतिक वनों (जो कि जैविक विषमता और स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता था) के संरक्षणके माध्यम से भारत के प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण करना ।

प्रशासन में स्थानीय समुदायों की भूमिका में ह्रास के फलस्वरूप बढते हुए वैमनस्य को महसूस कर अंततः 1993 में पंचायती राज कानून लागू हुआ, जिसमें राज्यों को अपने विकल्पों को लागू करने और राज्य अर्थ आयोग को स्थापित करने का मौका दिया गया ताकि राज्य और स्थानीय इकाईयों के बीच आर्थिक लाभांशों का निक्षेपण हो । इस समभौते के बावजूद राज्य सरकारों ने महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप अपने अधीन ही रखे, जिससे उस उद्देश्य का हनन हुआ जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया था कि लोगों की इच्छा और जरूरतों के अनुसार ही वन संरक्षण की जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी

गई थी । पूरक कानून, उत्साहपूर्ण कार्यकलाप के परिणाम स्वरूप मिलने वाले शक्ति नियोजन आदि की कमी थी । साथ ही पंचायत अंतर्गत वन पंचायत के बनावट के लिए खास कानूनी प्रावधान नहीं था, इस लिए वन पंचायत केवल वन के उपयोग को कानून सम्मत बनाता था । अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए पंचायत कानूनको उन मुद्दों की ओर उन्मुख होना था जो विभिन्न प्रकार के संस्थाओं द्वारा नियंत्रित थे, लेकिन उनपर इस तरीके से विचार किया जा रहा था मानो इन कार्यों को करने के लिए कोई रूपरेखा नहीं बनायी गई हो । वर्तमान अधिकार के रूप रेखा को निरंत्तर रूपसे शक्ति सम्पन्न करने के लिए पंचायत केवल एक उपरी आवरण था ।

पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्थागत इकाई थे । सिमित क्षेत्रों में वनों पर स्थानीय नियंत्रण को मुहैया कराना इनका उद्देश्य था । भौगोलिक रूप से इन प्रावधानों का विस्तार किया गया और यद्यपि वन पंचायतों ने स्थानीय नियंत्रण के लिए एक यांत्रिक प्रक्रिया उपलब्ध कराया था, फिर भी काफी समस्याओं का सामाना करना पडा । १९९४ के मार्च में स्थानीय प्रतिनिधियों ने बहुत से ऐसे मुद्दों को चिन्हित किया जिनको सुल्भाना अत्यन्त ही आवश्यक था । ये मुद्दे थे सरपंच में शक्ति का संधीभूत होना, फलस्वरूप दूसरे सदस्यों की उपेक्षा, महिलाओं की नगण्य भूमिका प्रशासनिक कार्य पद्धति के विषय में अनभिज्ञता, अधिकार और कर्तव्य के प्रति चेतना की कमी, कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निर्देशन रेखाओं की कमी, और दूसरी विभिन्न प्रकार की समस्याएं ।

वर्तमान स्थिति, विकास में परिवर्तन की अवस्था थी खास कर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में । इस दिशा में उठाए गए कदम स्थानीय अवस्था के स्थायित्व के वाह्यावरण के रूप में बदलने के लिए उपयोग किया गया । द्वय और बहुआयामिक सहयोगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का शुरूआत किया गया । ये कार्यक्रम स्थानीय समुदायों के लिए स्थायित्व के आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित थे । उदाहरण स्वरूप "स्वराज कार्यक्रमों" ने पंचायतों के मातहत पीने के पानी और पर्यावरण के मुद्दे की ओर ध्यानाकर्षण किया । लेकिन सरकार ने एक गैर-सरकारी संस्था को इस कार्यक्रम की देख भाल के लिए स्थापित किया । जल-स्रोत वन पंचायत अथवा वन विभाग के तहत वन में पाए जा सकते थे, इस तरह संस्थागत ढाँचा को नकारा गया और विरोध आरंभ हुए । "संयुक्त वन प्रबंध" कार्यक्रम ने नियंत्रण और पहुँच से संबंधित बहुत से मुद्दे को उठाया था जो पहले से ही समस्या के रूप में थे ।

इस तरह कानूनी, प्रशासनिक और सरकारी नीति के स्पष्ट ढाँचे के अभाव में स्थानीय समुदायों को वन व्यवस्थापन से अलग रखा गया और फलस्वरुप वे कष्ट में रहे ।

उत्तर प्रदेश के गढवाल हिमालय में वन और दूसरे स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए एक एकीकृत ढाँचा और संस्थागत सोच की आवश्यकता थी ।

विरोध व्यवस्थापन विकल्प

न्यायिक इकाईयों के माध्यम से समाधान की कमियाँ

- पारंपरिक कचहरी पद्धिति
- स्थायी निर्णय
- पूर्ण जीत पूर्ण हार
- बहुत खर्चीला

अन्य न्यायिक इकाईयों के माध्यम से समाधान और उनकी कमियाँ

- किसी एक पक्ष में निर्णय और दूसरे को हानि
- निर्णय लेने वाली संस्था से संबंध रखने वाले पक्ष के प्रति निर्णय ।

बीच बचाव

- ऐसी संस्था के द्वारा विचार विमर्श जो विरोध से संबंध नहीं रखते हो ।
- जिला विकास समिति, जिला वन अधिकृत, और दूसरी संस्थाएं
- विभिन्न विकल्पों द्वारा
- उन लोगों के माध्यम से जो विरोध में शामिल लोगों के द्वारा चुने गए हो ।
- उन लोगों के माध्यम से जो निर्वाचन के उपयुक्त हो ।

परस्पर वार्तालाप

- विरोधी पार्टियों के माध्यम से ही विरोधों का सुल्झाव
- सुमधुर संबंध की स्थापना के माध्यम से वैमनस्यता का अंत
- प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संलग्नता के कारण क्षमता विकास

पूर्व रोक

- लोगों की चेतना और कानूनी ज्ञान का विकास
- उपयुक्त कानूनी संशोधन
- नीतियों में एकरूपता

विरोध व्यवस्थापन का अंतिम लक्ष्य है दीर्घ अवधि समाधान, सामाजिक न्याय और समानता और निष्पक्षता ।

बांगलादेश के चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में सामुदायिक वानिकी और स्थानीय प्रशासन के मुद्दे और चुनौतियाँ ।

द्वारा डा. एम. एम. खान

बांगलादेश के दक्षिण - पूर्व में चिटगाँव एक पर्वतीय इलाका है जिसकी जनसंख्या करीब 974,445 है । इसका क्षेत्रफल 5,098 वर्ग माइल है । यह बांगलादेश के दसवें भाग के क्षेत्र में फैला हुआ था लेकिन इसमे बांगलादेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का केवल एक प्रतिशत ही यहाँ रहता था । ज्यादातर चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र वन निर्माण के लिए उपयुक्त था और करीब सम्पूर्ण क्षेत्र का एक तिहाई भाग या तो सुरक्षित अथवा सरकार संरक्षित वन से घिरा हुआ था और वन विभाग द्वारा नियंत्रित था । सरकारी वनों के लिए सबसे गंभीर समस्या थी, वन स्रोतों का काले बजारो में बिक्री ।

चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र के सामुदायिक वानिकी और स्थानीय प्रशासन मुद्दों और चुनौतियाँ का, और क्षेत्र से संबंधित नियम और कानून से सम्बन्धित मुद्दों पर इस पत्र में समीक्षा की गई थी और साथ ही उनका पुनरावलोकन भी किया गया था ।

चिटगाँव के पर्वतीय क्षेत्र में संभावित जन संख्या 974,445 है । ब्रिटीश राज्य में देश के दूसरे भाग की अपेक्षा यहाँ कुछ अलग ही तरीके से शासन होता था । 1900 ई. में चिटगाँव कानून निम्न लिखित उद्देश्य के तहत बनाया गया था, 'वनवासी लोगों के अधिकार जरूरतों की एवं परंपरा की रक्षा, तथा उनके स्थानीय और जातीय विशेषताओं के संरक्षण के माध्यम से उनके सांस्कृतिक पहचान की रक्षा । सम्पूर्ण कार्यकारी न्यायिक और आर्थिक अधिकार चिटगाँव जिले के डिप्टी कमिशनर और डीभिजनल-कमिशनर को दिया गया । वे लोग जो उस पर्वतीय क्षेत्र से संबंध नहीं र खते थे और बाहर से आकर रहने लगे थे उन्हे वहाँ जमीन रखने से वंचित किया गया । 1964 में उस समय के पाकिस्तान सरकार ने इस निषेधको रोक दिया जिससे कुछ चिटगाँव वनवासी समूह ने सरकार के विरूद्ध विद्रोह का एलान किया ।

फलस्वरूप 1989 में बांगलादेश के राष्ट्रपति ने पर्वतीय क्षेत्रों में शासन से संबंधित तीन कानूनों को स्वीकृति दी । 1997 के दिसम्बर में बांगलादेश सरकार और चिटगाँव के निवासियों के बीच शांति समझौता हुआ और इस तरह उस दशकों के विद्रोह का अंत हुआ । यह समझौता चिटगाँव जिले में स्थानीय सरकार और एक क्षेत्रीय इकाई के माध्यम से शक्ति निक्षेपण और अधिकार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था ।

उपर्युक्त चिटगाँव के इतिहास को प्रस्तुत कर डा. खान ने चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र कानून और वन संशोधन अध्यादेश 1989 के बीच अंतर पर विचार विमर्श आरंभ किया । इस अध्यादेश के द्वारा वन कानून 1972 अच्छी तरह से पुनरावलोकित हुआ । यद्यपि

ये दोनों ही कानून भिन्न उद्देश्य के कारण काफी भिन्न थे लेकिन दोनों का भाव एक ही था, दोनो ही काफी हद तक नियंत्रित कानून थे । वन कानून, (1927) पर्वतीय सभाओं के प्रत्येक पक्ष पर सरकार के नियंत्रण का मार्ग बनाता था, और अध्यादेश वन संम्पत्ति सरकार के अधीन रखने का भाव परिलक्षित करता था । इस अध्यादेश के अनुसार वन और उसके स्रोतों का संरक्षण प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित था और स्थानीय लोग इसमे कहीं से भी संलग्न नहीं थे । उसी तरह स्थानीय प्रशासन सभा द्वारा बने हुए उप नियम के तहत वन से संबंधित क्रियाकलापों में सहभागी होने के लिए सच्चे अर्थ में अवसर प्राप्त नहीं थे । लोगों में विश्वास के अभाव के आधार पर अध्यादेश का निर्माण हुआ जिसके द्वारा वन के दुरूपयोग किए जाने पर सजा का प्रावधान था, वनिस्पत इसके कि वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच समन्वयता में सहयोग देता । डा. खान ने निष्कर्ष भाषण में चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में सामुदायिक वानिकी और स्थानीय प्रशासन के भविष्य पर प्रकाश डाला । उनके अनुसार वर्तमान अवस्था उत्साहप्रद नहीं थी । बांगलादेश के पूरे क्षेत्र में ६ प्रतिशत वन क्षेत्र था और प्रत्येक व्यक्ति वन क्षेत्र घटकर 0.002 हेक्टर हो गया था जो कि संसार में सबसे कम था । वार्षिक वन ह्रास की गति 3.3 प्रतिशत थी जो कि चितांजनक थी । चिटगाँव में करीब 750,000 एकड वन पिछ्ले कुछ वर्षो में समाप्त प्राय हो गया था । बांगलादेश में स्थानीय सरकार को न तो स्वायत्तता दी गई थी और नहीं प्राप्त स्रोतों का परिचालन की अनुमति ही । ये सारे स्रोत स्थानीय स्तर पर मिलिटरी शासन के सहयोग के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा परिचालित होते थे । यद्यपि शक्ति निक्षेपण और स्वामित्व की बातें की गई थी लेकिन कोई कदम सच्चे अर्थ में स्थानीय इकाईयों को प्रभावकारी नहीं बना सके । 'चिटगाँव शान्ति समझौता' एक अपवाद था, लेकिन इसे भी संसद में औपचारिक रूप से निश्चित करना था और कार्यशील बनाना था ।

1978 में वन विभाग ने एक सामुदायिक वन परियोजना को शुरू किया । इस परियोजना के अन्तर्गत विभाग को जनता के जमीन पर स्थानीय समूहों के साथ मिल कर असमान पौधों का रोपण और संस्कृति की स्थापना, रक्षा, और व्यवस्थापन में मदद करना था । ये परियोजनाएं असफल रहीं । इन असफलताओ के कारणों कें अन्वेषण के फलस्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि वन विभाग के अधिकारियों का सामुदायिक वन कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण सहयोग मूलक नहीं थे । उन्हें लगा कि सामुदायिक वानिकी एक तकनीकि कार्यक्रम था जो कि पेशेवरों द्वारा ही कार्यान्वित हो सकता था । कष्टदायी कानूनों की उपस्थिति ने भी वनों को पुलिस के अधीन कर दिया और गाँव के लोगों को चोर करार दिया और वन अधिकारिंयो और लोगों के बीच दीर्घकालीन दुश्मनी को और अधिक बढाया दिया । साथ ही बहुत से वन अधिकृत और कर्मचारी जो सामुदायिक वानिकी मे संलग्न थे, पूरी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं थे ।

डा. खान ने अवस्था में सुधार के लिए निम्न लिखित विचार व्यक्त किए ।

- स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता संदेह पूर्ण थी । इस दिशा में एक उचित कदम की आवश्यकता होगी । यदि स्वायत्तता के माध्यम से शक्ति निक्षेपण में मदद होगा और चिटगाँव के जन प्रतिनिधियां को अधिकार मिलेगा ।
- स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से शक्ति सपन्न करना उनके स्वयत्तता को बर-करार रखने के लिए आवश्यक था । समझौते में इस तरह का प्रावधान था ।
- स्थानीय निकायों पर नौकरशाही के नियंत्रण को निश्चित रूप से कम करना, समझौते के प्रावधान ने इस दिशा में काम किया ।
- स्थानीय इकाईयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छान बीन प्रणाली, तथा प्रशिक्षण और प्रोनत्ति में रोक की जरूरत थी ताकि यह निश्चित हो सके निकायों के निर्णय सही तरीके से लागू हों ।
- स्थानीय विकास के प्रति इमान्दारी, कडी मेहनत, और नेतृत्व जैसी भावनाओं का उद्भव ।

पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में सामुदायिक वानिकी का उद्भव और स्थानीय प्रशासन के साथ इसका संबंध

द्वारा अलिगौहर और मोहम्मद इकबाल

पाकिस्तान के वन को इतिहास ने परिलक्षित किया कि मजबूत नौकरशाही, तानाशाही और तकनीकि प्रक्रियाओं ने वन को, देश के वासियों और संस्कृति से अलग रखा । इस प्रणाली ने लोगों के वन के साथ दीर्घकालीन संबंध से और सरकारी विभागों से जिनके पास अधिकार थे, अलग रखा । इस संदर्भ में सामुदायिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण वानिकी की अवधारणा अर्थहीन थी ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के लिए वानिकी में प्रजातांत्रिकरण एक चुनौति थी । विभिन्न निकायों के बीच प्रभावकारी और स्थायी सहभागिता को विकसित करने के लिए संस्थागत, कानूनी और राजनीतिक नवीकरण आवश्यक था । सरकारी अधिकारियों को समुदायों के प्रति जिम्मेवार बनाने में प्रजातांत्रिकरण का उपयोग हुआ । समुदायों को क्षमता विकास के जरीये शक्ति सम्पन्न कर और उन्हें एक शक्ति सम्पन्न संस्था के रूप में व्यवस्थित कर, यह किया जा सकता था ।

ऐतिहासिक रूप से मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संस्कृति आधुनिक नौकरशाही की आधार नहीं थी । इसलिए "इस्ट इंडिया कंपनी' ने अपने मुगल प्रणाली के आधार पर कडे परिश्रम से वन नौकर शाही को अवधारणा की और इसके द्वारा वन कानून का निर्माण किया । इसका मुख्य उद्देश्य था शान्ति सुरक्षा बनाए रखना न कि लोगों के हित के विषय में सोचना । पुलिस, आर्मी और दूसरी सेवाओ से वन अधिकारी चुने जाते थे और पूरे 19 वीं शताब्दी में वन का इस तरह दुरूपयोग किया गया ।

1878 के भारतीय वन कानून ने वन को दो श्रेणीयों में बांटा, ये थे सुरक्षित वन, और संरक्षित वन । एक घटना के जौंच बूझ के क्रम में जिसमें कि कुमाऊ के वनों में आग लगने से हजारो एकड वन जल गए थे, 'विन्धन आयोग' ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वन विभाग वनों के इस नए श्रेणियों का नियंत्रण ग्रामीणो को देदे । 1923 के नए वन योजना के तहत वनों के व्यापारिक लाभांशो के कुछ प्रतिशत का उन्हें हकदार बनाया गया ।

1950 में नीजी वनों का नियंत्रण राज्य सरकारके नियंत्रण में हो गया जिससे लोग प्रतिक्रिया में आकर वृक्षों को काटना प्रारंभ करने लगे ।

पाकिस्तान में सुरक्षित वन बुहत ही सीमित थे जिससे टिम्बर और ईन्धन की लकडी के उत्पादन और निकासी में काफी असंतुलन महसुस किया जा रहा था । सदियों से आन्तरिक और बाह्य कारणों से वन स्रोतों का ह्रास और नाश होता रहा था । पाकिस्तान के वन के इतिहास से यह स्पष्ट होता थाकि वन के व्यवस्थापन और संरक्षण में समुदायों की संलग्नता के लिए काफी कदम उठाये गए थे लेकिन इन कदमों के विरोध में सरकार भी उतनी ही अडचनें पैदा करती रही थी । विशेष रूप से 1978 से सरकार और दातृ संस्थाएं, वन विकास कार्यक्रमों में समुदायों को एक इकाई के रूप में संलग्न कराने के लिए कदम उठाते रहे थे । इन कोशिशों के बावजूद सामुदायिक और सामाजिक वनों की सफलता में विभिन्न प्रकार की रूकावटों को महसूस किया गया है ।

लेकिन पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में काफी सफलताएं भी हासिल किया हैं । एक उदाहरण 'चल्त चप्रोते' से आया था, यह उत्तरी भाग में था । यहाँ 6 गाँवो ने वन व्यवस्थापन का भार, वर्तमान पारंपरिक प्रणाली को हटाकर वहन किया था । चप्रोते की इस घटना ने उत्तरी क्षेत्र के वनों को एक नयी आशा प्रदान की । एक ज्वलंत प्रश्न 'आगा खाँ ग्रामीण सहयोग परियोजना' और दूसरी संस्थाओं के लिए यह थाकि किस तरह समुदाय पर्यावरणीय संतुलन और स्थायी विकास में अपना सहयोग दे सके । सामुदायिक वानिकी के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी और निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह कर सकते थे । जैसे विशिष्ट नीतियों का निर्माण और परि-चालन । लेकिन पाकिस्तान और उसके जैसे अन्य देशों में जहाँ कि समाज के कुछ अभिजात वर्ग राजनीति को प्रभावित करते थे, वहाँ साधारणत: सामान्य लोगों की इच्छाओं और आशाओं को महत्त्व नहीं दिया जाता था । निर्वाचित प्रतिनिधि जिन्होंनें वानिकी (fostering) में और दूसरे विभागों में योगदान दिया, वे ऐसे शख्शियत थे जो चुनावी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे । लेकिन सामुदायिक वानिकी में निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती थी ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के देश, वन व्यवस्थापन के संबंध में कमोबेश एक जैसी ही समस्याओं का सामना करते आरहे थे । सामुदायिक वानिकी में मुख्य चुनौति थे, राष्ट्रीय

नीति और कानून समुदाय क्षमता वृद्धि, संबंधित क्षेत्रो में वन व्यवस्थापन में एकता, और वन अधिकारियों की पुर्नबहाली (reorientation) और पुन प्रशिक्षण ।

पाकिस्तान में क्षेत्रीय सरकार के माध्यम से ग्रामीण वनों को अधिकार दिया गया था कि सरकार के अधिकारों को ग्रामीण समुदायों को सौंपना ताकि सरकार अधिकृत जमीनों को सुरक्षित वनों में परिवर्तित कर सके । लेकिन वन व्यवस्थापन में समुदाय सहभागिता के तहत एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जिसमें मानव मूल्य, जिम्मेवारी की भावना एकता परस्पर विश्वास, त्याग, आदि प्रतिष्ठा और नौकर शाही से अधिक महत्त्व रखते हों । दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में वन संस्थाओं की बुनियाद पुलिस और आर्मी आफीसरों द्वारा रखी गई थी, जिनका रूख काफी कडा था । वन अधिकारियों के बीच इस तरह के रूख के पनपने से आफीसरो और ग्रामीणों के बीच एक खाई सी बनती गई । इसीलिए सहयोगी वन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से चलाने के लिए बहुत से सुधारों की आवश्यकता थी । जिनमें नीति और कानूनगत सुधार, और वन विभाग की कार्यक्षमता को बढाने के लिए संस्थागत सुधार उल्लेखनीय थे ।

समूह तीन

नेपाल में वन व्यवस्थापन और वन व्यवस्थापन में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका ।

द्वारा माधव पौडेल

नेपाल में लोगों के सामाजिक आर्थिक संतुलन को बनाए रखने में वन ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया । अनुभव ने यह दिखाया कि यदि नेपाल के वनों का उपयुक्त तरीके से व्यवस्थापन किया जाता तो ये न केवल राष्ट्र के मांगो को परिपूरित करते बल्कि ऐसे कई अवसरों का सृजन होता जो लोगों के जीवन स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता ।

लेकिन लोगों की सक्रिय सहभागिता में कमी, राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी, लोगों में चेतना का अभाव, प्राकृतिक स्रोतों की अवस्था, और सुस्त तरीके से कृषि में बढोत्तरी आदि वन स्रोतों को बुरी तरह से प्रभावित करते रहे । यद्यपि नेपाल के वनों के उपयोग, संरक्षण, और विकास के लिए प्रभावकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता थी ।

यद्यपि नेपाल के वन अपने जैविक विषमता के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन करीब १९५९ से वृहत् पैमाने पर वन नाश के कारण यह विशेषता काफी प्रभावित हुई । अत्यधिक चारागाहों का प्रचलन, उपज के लिए सीमान्त भूमियों का उपयोग और बाढ ने नेपाल के वनों का ह्रास किया । वन के संरक्षण और व्यवस्थापन से संबंधित लोगों के ज्ञान और चेतना को जगाने वाले कार्यक्रमों की कमी भी वन ह्रास का कारण बनी । नेपाल

की बढती हुई जन संख्या ईन्धन, खाद्य सामग्री, खाद और चारे के लिए वन पर निर्भर करती थी । तीव्र गति से बढ्ती हुई जनसंख्या, निर्धनता और वैकल्पिक रोजगार के अवसर की कमी ने भी वन स्रोतों पर दबाव को बढाया । नेपाल का जैविक, भौतिक बनावट भी वातावरण के ह्रास का कारण वना । साल के चार महिनों की अविरल वर्षा के कारण तेजी से बहती हुई नदियो में मिट्टी आसानी से बह जाया करती थी ।

१९५० तक नेपाल के वन पारंपरिक तरीके से व्यवस्थित किए जाते थे । इनमे से कुछ वन कर संकलन के लिए बढाए जाते थे और खास कर पहाडों में समुदाय के लाभ के लिए निरंतर रूप से व्यवस्थित किए जाते थे । १९५६ में राष्ट्रीयकरण के साथ वन पर नीजि स्वामित्व का अन्त कर दिया गया और वनों के संरक्षण संबंधि क्रियाकलाप का दायित्व सरकार पर आ गया । नीजि वन, सरकार के स्वामित्व में आगए और वनों के पूर्व स्वामी जिनका स्वामित्व वनों से हट गया था, वनों का उपयोग लापरवाही के साथ करने लगे । अत्यधिक तेजी से वन का नाश होने लगा और सरकार का नियंत्रण और वनों के लिए उनकी देख रेख भी पर्याप्त नहीं थी । यद्यपि नेपाल के पाँच-वर्षीय कार्यक्रम ने वन विकास के लिए बहुत से विकल्प बनाए, लेकिन आशा से बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई । इकाई आधारित नीतियो में समन्वयता के दृष्टिकोण की कमी थी, केन्द्रीय क्षेत्रीय, और स्थानीय विकास संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम काफी कमजोर थीं और कार्यक्रमों को काफी सुस्त तरीके से लागू किया गया । वन नाश और भूस्खलन निरंतर रूप से होते रहे । कृषिगत उत्पादकत्व में वृद्धि नहीं आयी, वैकल्पिक रोजगार के मार्ग विकसित नहीं किए गए फलस्वरूप गरीबी बढती रही ।

नेपाल के संविधान ने जोर दिया कि राष्ट्र के प्राकृतिक स्रोतों को लाभदायी और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, स्वच्छ वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए लोगों में चेतना जागृत की जानी चाहिए, भौतिक विकास से वातावरण पर पडने वाले विपरीत प्रभावको रोकना चाहिए, और राष्ट्र के विलक्षण पौधो और जानवरों के संरक्षण के लिए विशेष उपायों की सृजना होनी चाहिए । वनों, जंगली जीव जन्तु, प्राकृतिक स्रोतों, और वातावरण के संरक्षण के अनुसार ही कानूनी और संस्थागत उपायों की सृजना की गई थी, और नेपाल को वन कानून निर्माण के संबंध में प्रारंभिक राष्ट्र समझा जाता था ।

बहुत सी असफल कोशिशों के वाद १९८७ में सामुदायिक वन की अवधारणा ने अपना पांव जमाया और वनों को उपभोक्ता समूह को हस्तांतरित करने के कदम उठाए गए । १९८९ में प्रजातंत्र के पुर्नस्थापना और १९९२ में स्थानीय निर्वाचन के बाद उपर्युक्त प्रक्रिया और भी मजबूत होती गयी । वन विकास गुरू योजनां ने भी इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया । इसी तरह विकेन्द्रीकरण और उपयुक्त शासन प्रणाली के अनुसार नागरिक ही विकास प्रक्रिया के सूत्रधार हुए और परिवर्तन के आधार भी । स्थानीय संस्याएं निर्णय प्रक्रिया, स्वामित्क जिम्मेवारी आदि जैसे बुंदों के प्रति समर्पित देखे गए, क्योंकि पिछ्ले अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका था कि

केन्द्र के द्वारा किए गए विकास के कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों और समस्याओं के लिए अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि अप्रभावकारी भी थे ।

स्थानीय स्तर की संस्थाओं में स्वायत्तता स्थापित करने के मुद्दे में दीर्घकालीन सोच होने के वावजूद स्थानीय इकाईयों में विकेन्द्रीकरण और शक्ति निक्षेपण जैसे मुद्दों के प्रति उदासीनता ही रही । लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विश्वसनीय नहीं थे और केन्द्रीय अधिकारियो के प्रति झुकाव यथावत ही रही । लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया नहीं थी और न ही प्रभावकारी रूप से इसका परिचालन किया गया था ताकि यह सामान्य लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके । तत्कालीन वर्तमान कानून और नियमो में स्थानीय संस्थाओं से संबंधित कुछ विकल्प (Provisions) थे लेकिन जब स्थानीय समस्याओं को सुल्झाने के लिए स्थानीय संस्थाओको शक्ति सम्पन्न करने, विकास मूलक कार्यक्रम को लागू करने और स्थानीय विकास प्रक्रिया के सूत्रधार की भूमिका अदा करने आदि में गंभीर समस्याओं का सामना करना पडा । परस्पर जुझ्ने वाले अधिकारों और जिम्मेवारियो, राजनीतिकरण का डर, इकाईगत कार्यक्रमों में पूरकत्व की कमी, अधिकारों का अस्पष्ट निक्षेपण और स्थानीय प्रतिनिधियों को अधिकारो की कमी आदि के कारण समस्याएं उठी । लोक प्रतिनिधि यों को वन व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, भूस्खलन नियंत्रण आदि के प्रति जिम्मेवार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मापदण्डो की आवश्यकता थी । कार्यों का स्पष्ट रेखांकन, कर्तव्य, केन्द्र, जिला और ग्रामीण संस्थाओं के जिम्मेवारियो की स्थापना की आवश्यकता थी । केन्द्रीय, इकाई गत और स्थानीय संस्थाओं के बीच पूरकत्व की भावना की मजबूती की आवश्यकता थी । यह आवश्यक था कि तृण-मूल स्तर में योजनाओ की प्रक्रियाओं को आरंभ करना और स्थानीय विकास प्रक्रिया में पूरकत्व और समन्वयात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करना । लोगों में चेतना जागृत करने के लिए विशेष कोशिशों को शुरू करने की आवश्यकता थी ।

लोगों की सहभागिता को नकारने की प्रवृत्ति के प्रति सामुदायिक वन की अवधारणा एक अपवाद के रूप में उभरी थी । फिर भी नेतृत्व और समन्वय में बहुत से खायी वैसे ही रहे, जिसके कारण थे आधिकारिक और सुयोग्य संस्थाओं की कमी । साथ ही कुछ उच्च स्तरीय पदाधिकारी और कानून निर्माता अभी नेपाल के सामुदायिक वन के प्रति संकीर्ण विचार धारा रखते थे । साधारण: वन संबंधी मुद्दों के प्रति जनचेतना की कमी, केन्द्र के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रति तदर्थ दृष्टिकोण, प्रभावकारी कार्यक्रमों की कमी, संबंधित इकाईयों के बीच समन्वय की कमी अभी भी वर्तमान थी ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन सहभागियों में एकजूटता की कमी से अन्य समस्याएं निकली । सामुदायिक वन की वर्तमान प्रणाली में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को नजर अंदाज किया । इसलिए स्थानीय इकाईयों का सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के प्रति असहयोगात्मक दृष्टिकोण था । इस तरह वन विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए । स्थानीय,

निर्वाचित नेताओं और वन उपभोक्ता समूहों की भूमिकाएं स्पष्ट नहीं थे । विकेन्द्रीकरण कानून इन समस्याओं को मद्दे नजर रखकर होना चाहिए । विकेन्द्रीकरण यदि सामुदायिक वानिकी से संबद्ध नहीं हो तो यह अपूर्ण होगा । इसलिए सामुदायिक वानिकी में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए । इसी तरह आधारभूत विकास, स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, आयमूलक रोजगारी में नए तकनीकियों का विकास जैसे मुद्दों में जनता नीजी सहभागिता को विकसित करने के लिए निर्वाचित संस्थाएं इच्छुक थी; और ऐसा तभी हो सकता था जब सामुदायिक वन उपभोक्ता का साथ हो । वन नीतियों ने भी सामुदायिक विकास कार्यकलापों में उत्साह दिया और इस तरह स्थानीय संस्थाए जनता और नीजी सहभागिता को बढावा दे सकीं ।

लोगों का यह मानना था कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक आदर्शों द्वारा मान्यता के आधार पर काम करता तो विकास के कार्यक्रमों में उसकी भूमिका को कम से कम कर दिया जाता और इसतरह वह मतदाताओं के बीच अपनी पहचान खोता जाता । निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत के आधार पर कार्य करना चाहिए न कि अपने पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बहुमत के आधार पर । निर्वाचित प्रतिनिधि सामुदायिक समूहों में चेतना वृद्धि के लिए नेतृत्व करें और कोष का गलत इस्तमाल नहीं करें । सभी संबंधित पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, जो अपनी-अपनी पार्टी के आधार पर निर्वाचित हुए हैं । साथ ही उन्हें सभी प्रतिनिधियों के बीच जनमत के आधार पर कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । मुख्य मुद्दा यह था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का सामुदायिक वानिकी में सहभागिता को निश्चित करना न कि स्रोतों पर नियंत्रण करना।

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामुदायिक वन और स्थानीय शासन के मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ

- द्वारा डा. बी.पी. मैथानी

भारत के उत्तर पूर्व के सात राज्य जैविक विषमता, जातीय बहुतायतता, स्थानीय ज्ञान, और स्थानीय संस्थाओं के धनी हैं । इसी कारण यह एक विशेष भौगोलिक इकाई है । भौतिक रूपरेखा में परस्पर विरोध देखा जा सकता था, और ये विभिन्नता ब्रम्हपुत्र उपत्यका के तराई से लेकर पूर्वी हिमालय के उच्चतम शिखर श्रृंखला तक देखी जा सकती थी । यद्यपि भौगोलिक क्षेत्र के दो तिहाई भाग वन से ढके हुए देखे जा सकते थे । इनमें से बहुत से वन या तो किसानों के विभिन्न प्रकार के खेती के कारण नष्ट हो गए । यह वन क्षेत्र करीब २०० से उपर वन वासी जातियों का निवास था, जो जातीय विषमता का एक महत्त्वपूर्ण परिचायक था । प्रत्येक वन वासी जाति और गैर वनवासी जाति का अपना एक खास सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली था और मिश्रित और समन्वय सांस्कृतिक उत्थान का आधार था । पिछले शतक में तेजी से जनसंख्या दर परिर्वतन होने के कारण जनसंख्या के आकार और प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ । 1991 में 310 लाख से उपर लोगों के सांस्कृतिक और जातिगत विषमताओं के बावजूद कुछ

प्रस्तावित रूपरेखा

- प्रत्येक गाँव विकास समिति में ५३ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं । अगर वे सचेतित किए जाएं तो वे वन के विकास, संरक्षण और व्यवस्थापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहकर सकते हैं ।
- निर्वाचित प्रतिनिधि साधारणत: वन उपभोक्ता समूहों से संलग्न नहीं है, इसलिए वे वन उपभोक्ता समूहों के बैठको में उन्हें गाँव विकास समिति के प्रतिनिधि के रूप में निमंत्रित किया जाना चाहिए ।
- सामुदायिक वनों के लाभांशों और उत्पादों को दूसरे सामाजिक विकास के कार्यो में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह तभी सम्भव है जब इन उत्पादों से आय आर्जन किया जाए । वन उपभोक्ता समूहों के पास आय मूलक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए पर्याप्त कोष नहीं है । इसलिए व्याज सहित वा रहित ऋण प्रदान किए जाने चाहिए ।
- गाँव विकास समिति और वन उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता वर्धक और कारीगरी मूलक प्रशिक्षण आवश्यक है ।
- राष्ट्रीय सरकार और वन उपभोक्ता समूहों के प्रयासो से वन आधृत उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए ।
- हिमाली क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए वन संरक्षण के समय पर्यटन को भी मद्दे नजर रखना चाहिए ।
- वन जिला विकास समिति, गाँव विकास समिति और उद्योगों के कानूनों में पूरकत्व की भावना होनी चाहिए ।
- उपभोक्ता समूहों में सभी उपभोक्ताएँ समान रूप से परिचालित हों, इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि यदि उपभोक्ता हैं, तो उन्हें कार्यकारिणी समिति में नहीं होना चाहिए । जब निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में रहते हैं तो समस्याएं उठ्ती हैं । लेकिन निर्वाचित नेताओं और वन उपभोक्ता समूहों के बीच विचार विमर्श से समन्वय में मदद मिलता है ।
- स्थानीय निर्वाचित नेताओं और वन उपभोक्ता समूहों के बीच कोष और स्रोतों के नियंत्रण को लेकर मतभेद, उसी तरह दोनों इकाईयों के बीच किसी व्यक्ति को लेकर मतभेद, वन उपभोक्ता समूहों के लिए ठीक नहीं है । इस पर गंभीरता पूर्वक सोचा जाना चाहिए ।
- वन उपभोक्ता समूह के नेतृत्व की भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया जाना चाहिए, इसे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहो के जिम्मे ही रहना चाहिए ।
- राजनीति एवं वन उपभोक्ता समूहो में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

विशेषताएं उनमें सामान्य ही थी । ये विशेषताए थीं, अनुपातिक अर्थ व्यवस्था जो परिवर्तनमूल कृषि पद्धति से उत्पन्न होती थी; और मजबूत पारंपरिक संस्थाएं जो स्रोत उपयोग का संचालन और व्यवस्थापन करती थी और समुदायों के सामाजिक आर्थिक कार्यो को भी व्यवस्थित करती थी । वनों और भूमियों के महत्त्वपूर्ण भाग समुदायों के स्वामित्व में थे न कि सरकार के । यद्यपि औपचारिक संस्थाओं के पादुर्भाव से पारंपरिक संस्थाएं टूट रही थी फिर भी बहुत से लोग अपनी पहचान के लिए अभी भी भूमि और भूमि से संबंधित स्रोतों से जुडे रहते थे ।

भारत के पूर्वी हिमालय की अवस्था और शासन पद्धति पूरी तरह से भिन्न थी । भारत में पंचायत के माध्यम से प्रशासन एक आधारभूत कानून था । लेकिन पूर्वी हिमालय में इसका इस्तमाल नहीं था इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की राज्य सरकारें थी और इन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त थी । प्रत्येक राज्य के अपने विकेन्द्रीकरण कानून और नियम थे और प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय स्वशासित संस्थाएं थीं । ऐतिहासिक रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार के आदिवासी समूह परिवर्तन मूलक कृषि प्रक्रिया में अपने जीवकोपार्जन के लिए संलग्न थे, और वे अपने कानूनी क्षेत्र के भीतर सर्वेसर्वा शक्ति को स्वीकार भी करते थे । वन और भूमि के इर्द-गिर्द ही पारंपरिक संस्थाओं के क्रियाकलाप सिमित थे क्योंकि वन और भूमि ही मुख्य रूप से आर्थिक स्रोतों के साधन थे । इन्ही स्रोतों के विभाजन और उपयोग में इनके क्रियाकलाप केन्द्रित थे । फलस्वरूप गाँव स्तर पर मजबूत और कानून सम्मत संस्थाएं उभरीं जो सामान्य संम्पत्ति और स्रोतों का व्यवस्थापन करती थी और पारंपरिक नियमों-कानूनों के अनुसार शांति सुव्यवस्था भी कायम करती थीं । सबसे अधिक सामान्य पारंपरिक संस्था थी 'गाँव बरा', यह समूह (आदिवासी) के नेताओं द्वारा बनता था, जो गाँव सभा बनाते थे । यह एक शक्ति शाली संस्था होती थी जो समुदायों द्वारा सामान्य संम्पत्ति और स्रोतों के स्वशासन और स्व-व्यवस्थापन पर आधारित थी । ये पारंपरिक संस्थाएं लगातार रूप से समुदायों को प्रभावित और उनका मार्ग निर्देशन करती थीं खास कर जब इन समुदायों का आधुनिक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ अर्न्तक्रिया और आमना-सामना होता था । राज्य सरकार ने कानून और अधिकार, कर्तव्य आदि की निश्चितता के माध्यम से इन संस्थाओं को औपचारिकता प्रदान किया।

पंचायती राज और आदिवासी सभाएं विकेन्द्रीकृत प्रशासन के औपचारिक स्थिर संस्थाएं थी । तिहत्तरवें कानून संशोधन के पाँच वर्ष बीत चुके थे, लेकिन विकेन्द्रीकरण की ओर के प्रयास धीमी गति के थे । सभी राज्यों ने पंचायती राज कानून को लागू कर दिया था, लेकिन त्रिपुरा अपवाद था, जहाँ कि पंचायतों को क्रियाशील बनाने में बहुत ही कम सफलता हासिल की गई थी । सामान्यत: बहुत से कारणों की वजह से उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्र मुख्य धारा से कट रहे थे । जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब एक संबैधानिक सभा की उप-समिति ने आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से संवंधित मुद्दों का जाँच किया । पर्वतीय

समुदायों को कुछ अंश तक स्वायत्तता देने के लिए छठा विकल्प अपनाया गया । छठे विकल्प के अन्तर्गत राज्य और पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं के बीच बहुत से क्षेत्र में बीच-बचाव (आमना-सामना) के लिए स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण किया गया। प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग व्यवस्थापन और पारंपरिक अभ्यासों के संरक्षण से संबंधित विषयों के लिए इन परिषदों को विभिन्न प्रकार के कानून निर्माण के अधिकार थे । साथ ही परिषदों को कार्यकारी नैयायिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार दिए गए थे ताकि वे आदिवासी स्वशासन के विभिन्न अंगो से संबंधित रहें । इस तरह संविधान के छठे विकल्प का भाव था, स्व-व्यवस्थापन और स्वायत्तता जब कि नए पंचायती राज कानून ने स्थानीय इकाईयों के विकास मूलक भूमिका पर जोर दिया । लेकिन स्वायत्त जिला परिषद् के कानून निर्माण अधिकार में रूकावटें आयीं क्योंकि कानून निर्माण के बाद राज्य सरकार की स्वीकारोक्ति की आवश्यकता थी । दूसरे राज्यों ने स्थानीय स्वशासन के अपने खास तरीके के नमूनों को अपनाया जो विकेन्द्रीकृत स्रोत व्यवस्थापन और ग्रामीण विकास से संबंधित था । वन और दूसरे स्रोत व्यवस्थापन के लिए भारत में राज्यगत विशेष नीतियाँ नहीं थी । राज्य सरकारें साधारणत: राष्ट्रीय नीतियो और कानूनों का ही अनुगमन किया करती थी । वर्तमान राष्ट्रीय नीति 1988 में घोषित हुई थी । इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण स्थिरता और क्षेत्रगत संतुलन को कायम रखना । इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में इन से प्राप्त होने बाले आर्थिक लाभ को भी जोडा । छठे विकल्प वाले क्षेत्रो में स्वायत्त जिला परिषदों ने स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार के कोशिशों को कार्यान्वित किया । इस तरह कानून और कानून का परि चालन दोनो ही स्वायत्त जिला परिषद् के अधिकार थे, जिन्होंने अधिकारिक रूप से राज्य सरकार के कानूनों को अपनाया था । प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद् के अपने वन-कानून थे, जो प्राथमिक रूप से परिवर्तन आधारित कृषि पद्धति में पहले से अच्छी संरक्षण प्रक्रिया पर जोर देते थे । उत्तर-पूर्वी भारत की एक खास विशेषता यह थी कि वन का बहुत ही छोटा भाग राज्य सरकार के प्रभावी नियंत्रण में था । 40 प्रतिशत से कम वन जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में थी जबकि 60 प्रतिशत से अधिक वन जमीन लोगों के अधिकार में थी । वन पर लोगों का नियंत्रण तीन प्रकारका था : 1) पारिवारिक स्वामित्व 2) वंश गत (जातिगत) स्वामित्व 3) ग्रामीण स्वामित्व । इन स्वामित्व के श्रेणियो के सापेक्षिक माप का ज्ञान नहीं था, लेकिन वनों पर नियंत्रण का पारिवारिक स्वामित्व जातिगत या गाँव परिषद् के नियंत्रण का विषय था और यह वही बिंदु था जब वन नीति में लोगों के सहभागिता का मुख्य प्रभाव था ।

अपने उच्च स्थान के गुणों के कारण गाँवो के मुखिया और जातिगत मुखिया गाँव के सामान्य स्रोत साधनों के लाभांश से अनुपात से अधिक भाग को ले सकते थे, और फलस्वरूप लोगोंको समुदाय स्रोत व्यवस्थापन के लिए सामान्य सहमति के लिए उत्तेजित करते थे, जो चुनौति थी । गाँव के मुखिया और जाति मुखिया द्वारा उत्पादनों के लाभांशो का 50 प्रतिशत को सदस्यों में बाटना एक ऐसी प्रक्रिया थी जो कि समुदायों को इस अभ्यास के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती थी । ऐसी कई घटनाएं

पायी गई थी जिनके तहत वनीकरण के लिए लगाए गए वृक्षों को पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही समुदायों द्वारा काट दिया जाता था । लेकिन प्रचलित संस्थागत और सामाजिक सांस्कृतिक ढाँचे ने ऐसी स्थिति की सृजना की जिसके तहत सामान्य स्रोत संम्पत्ति, खास कर वन के विकास में समुदायों के अर्थपूर्ण सहभागिता के अवसर प्राप्त हुए ।

सबसे महत्त्पूर्ण फायदा था, अनुकूल संस्थागत संरचना । चूँकि बहुत सी भूमियों और वन जमीनों पर लोगों का ही नियंत्रण रहा, जो कि सहभागी स्रोत व्यवस्थापन के रूप-रेखा का प्रारंभिक विन्दु था । दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जन समुदायों के बीच इस चेतना को विकसित करना कि वन के संरक्षण और उसके उत्पादकत्व में वृद्धि के द्वारा दीर्घकालीन स्थायी विकास की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है । दूसरा लाभ था स्व-व्यवस्थापन और शासन का मजबूत स्थानीय संस्थाओं का वर्तमान होना । ऐसी संस्थाए काफी समय से वर्तमान थी; और इनका मुख्य कार्य था अपने कानूनी सीमा के भीतर भूमियों और वन स्रोतों का परिचालन उपयोग और व्यवस्थापन करना । लेकिन यह लाभ उस व्यवहारिक पक्ष द्वारा नकारा गया जब इन संस्थाओं का कानून निर्माण अधिकार, नैयायिक क्रियाकलाप और आर्थिक अधिकार, आदि प्रक्रिया गत कठिनाईयों के कारण शक्ति हीन कर दिए गए और इसका कारण था कानून और कार्यों में दोहरे भाव की उपस्थिति । इस क्षेत्र में बीचौलिए, अनौपचारिक समुदाय आधारित, और स्वयं-सेवक संस्थाओं द्वारा सेवा उपलब्ध कराया जा सकता था ।

उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से वन वर्गीकृत नहीं थे, जिनमे नीजि और समुदाय, नियंत्रित वन थे । केवल कुछ हिस्से ही वास्तव में स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थित होते थे, और फलस्वरूप वृहत् वैमाने पर ह्रास ने स्वशासित संस्थाएं, स्वायत्त जिला परिषदों, या गाँव परिषदों को इन ह्रासोन्मुख वन जमीनों को वन या भू-संरक्षण विभाग को ठेके के आधार पर वृक्षारोपण करने और पुनरूत्पादन मूलक बनाने के लिए देने पर वाध्य किया, लेकिन अपर्याप्त पूर्व तैयारी के कारण समुदायों की सहभागिता में केवल कमी ही नहीं थी बल्कि उनकी सहभागिता नकारात्मक भी थी । इन क्षेत्रों में तीसरी प्रकार की संस्थाए जैसे गैर-सरकारी संस्थाएं या समुदाय आधारित अनौपचारिक संस्थाएं ऐसी घटनाओं को घटने से केवल रोक ही नहीं सकती थी बल्कि सहभागी स्रोत व्यवस्थापन और उपयोग को पुर्नसंचालन भी कर सकती थी । एक स्थानीय भूमिकर कानून, समुदायों के जमीनों के नीजिकरण के प्रक्रिया को धीमा कर सकता था और ऐसा होने के लिए पारंपरिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिकरण बहुत महत्त्वपूर्ण था, जिसके लिए राजनीतिक परिस्थिति की अनुकूलता की आवश्यकता थी ।

भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंध को कारगर होने के लिए वन विभाग और समुदाय आधारित अनौपचारिक संस्थाओं को अधिक सुविधा मूलक और तकनीति तथा आर्थिक सहयोग अधिकारिक रूप में उपलब्ध कराने में समर्थ होना था,

न कि केवल लाभांशों के प्राप्ति में । पारंपरिक (वा स्थानीय) स्रोत संरक्षण और व्यवस्थापन के नमूने सभी राज्यों में पाए गए थे । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह समस्या थी कि संयुक्त वन प्रबंध से संबंधित दूसरे मुद्दों को समझने और सुलझाने के लिए स्वयं-सेवी संस्थाएं नहीं थी । साथ ही टीम्बर की चोरी, वन तस्करों और विना कोई रोक टोक के वन के गलत उपयोग से मुनाफा प्राप्त करने वाले तो एक गंभीर चुनौति के रूप में वर्तमान ही थे ।

भारत के पूर्वी हिमालय में स्थानीय शासन की विशेषताएं

- सभी राज्यों में गाँव परिषद् हैं तथा जिन्हें न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं ।
- सभी भूमियाँ और वन स्रोत समुदाय के है न कि व्यक्ति वा राज्य के ।
- स्थानीय संस्था (गाँव परिषद्) भूमि और वन स्रोतों का उपयोग और व्यवस्थापन करती है ।
- शासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए केवल एक ही संस्था जिम्मेवार है ।
- इस क्षेत्र में उपयुक्त स्वयं सेवी संस्थाएं नहीं हैं ।

समस्याएं और रूकावटें

- विशेष भूमि-कानून, नहीं है । सरकार ने परिवर्तित कृषि से छुटकारा पाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और यह कार्यक्रम उद्यानकला की ओर उन्मुख है। इससे समुदायों के नेताओं ने भूमियों पर व्यक्तिगत संम्पत्ति के रूप में अधिकार जमाना शुरू किया है तथा उद्यान कला कृषि आरंभ किया है । समुदाय के सभी सदस्य यह नहीं कर सकते हैं । इस तरह इस प्रक्रिया ने भूमियों और वनों को नीजकरण की ओर धकेला है ।
- लाभांशो का समानुपातिक विभाजन नहीं है । लाभांश का आधा हिस्सा गाँव के नेता को मिलता है और आधे में से समुदाय के सभी सदस्यों को हिस्सा दिया जाता है ।
- आन्तरिक उलझने वर्तमान हैं साथ ही निर्धनों के अधिकारों को सीमान्त किया गया है ।
- महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है, लेकिन पारंपरिक संस्थाओं में उनकी भूमिका कमजोर है । उन्हें निर्णय-निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया है ।
- पंचायत शासन में 30 प्रतिशत सुविधा वर्तमान नहीं है ।
- स्रोत व्यवस्थापन में जरूरी पडने वाले कारीगरी और तकनीकियों का पारंपरिक संस्थाओं में कमी है ।

हिमाचल प्रदेश में वानिकी और स्थानीय शासन.
द्वारा कुलभूषण उपमन्यू ।

हिमाचल प्रदेश में दीर्घकाल से ही वन, टिम्बर उत्पादन और सौन्दर्य दोनों का केन्द्र बिन्दु था । लेकिन पिछले दो दशको में इन वनों के स्वस्थ विकास और भविष्य के विषय में चिन्ता महसूस की गई, फलस्वरूप उल्लेखनीय विचार विमर्श भी हुए । इस पत्र में उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया जिन्होने वन को प्रभावित किया । साथ ही वनों के बदलती हुए विशेषताओं की समीक्षा की गई, तथा भविष्य के लिए विकल्पों का सुझाव दिया गया ।

पिछले 150 वर्षो में वन स्थानीय समुदायों, साम्राज्यवाद और विकास जैसे विकल्पों के अधिकारिक विषय के रूप में रहा था, फलस्वरूप प्राकृतिक विकास को दाव पर लगाकर कृत्रिम विकास उभरा । स्थानीय समुदायों ने वन क्षेत्रों को ग्रामीणों और खाना-बदोशों दोनों के लिए टेरेस मूलक कृषि तथा स्थान मूलक खेती के लिए उपयोग करने का दावा किया । इन मागों के परिपूर्ति के लिए वन क्षेत्रों के उपजों को समुदायों के जरूरतों के अनुसार बदल दिया गया और लोगों को इच्छित कृषि कार्य के लिए वन जमीनों पर कार्य करना पडा । इस तरह वन-जमीन कृषि, भूमि, चारागाह और वन क्षेत्रों में बंटा और वन क्षेत्रों का प्राकृतिक विकास और पुनरूत्पादन शक्ति अवरूद्ध हुई । वन क्षेत्र प्राकृतिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति के बीच के संतुलन के चित्र का प्रतिनिधित्व करता था ।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत टिम्बर निष्कासन, वन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था । वन (व्यवस्थापन) सेट्लमेन्ट के प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समुदायों के वन उपयोग पर नियंत्रण (रोक) द्वारा अच्छे टिम्बरें के उत्पादन का मार्ग खोला गया । पशुओं की वृद्धि में कमी में रोक के लिए और टिम्बर लाने के लिए उपयुक्त तरीकों के अलावा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन और सुधार मूलक वानिकी को प्रश्रय दिया गया । जिससे बहुत ही कम समय में ही स्थानीय लोगों की जीविका प्रभावित हुई । इस तरह ब्रिटीश-राज्य के बाद के समय में वन-जमीन उद्यानीकरण आदि के कारण औद्योगिक उद्देश्य की ओर अधिक अग्रसर हुए । सीमान्त करण की प्रक्रिया बढ्ने लगी और वन स्रोतों पर से स्थानीय समुदायों का नियंत्रण निरंतर रूप से घटने लगा । ब्रिटीश-साम्राज्य और उसके बाद दोनो ही समय में वन व्यापारिक उद्देश्य के लिए अधिक उपयुक्त होने लगा और स्थानीय जरूरतों के लिए इसका उपयोग कम हो गया ।

इन सभी प्रक्रियाओं का प्रभाव यह हुआ कि पारंपरिक सामुदायिक वन उपयोग पर रोक लग गया और इसका उलंधन अपराध माना गया । चारागाहों (पशुओं को चराने) पर रोक के कारण चारा आदि के माध्यम से होने वाले जीविकोपार्जन में कमी आयी और लोगों और पशुओं की बढ्ती हुई जन संख्या को ह्रासोन्मुख स्रोत आधारों पर

निर्भर करना पडा जिससे वन, ईंधन और चारों की लकडियों में निरंतर कमी दिखने लगी । इन बदलावों के कारण महिलाएं, पशुपालक, और ग्रामीण कारीगर ही अधिक प्रभावित हुए । शायद सबसे अधिक जैविक विषमता, इससे प्रभावित हुई और वन की विभिन्न प्रजातियाँ तथा वन-जन्तु धीरे - धीरे घट्ने लगे । वन संपदा का संरक्षण, ब्रिटिश साम्राज्य के बाद के समयों की नीति थी, और वन नाश के प्रभावों के प्रति बढ्ती हुई सचेतता ने हिमाचल प्रदेश के सरकार को वन ह्रास को रोकने वाले और उनसे संबंधित कार्यक्रमों के शुरूआत के लिए प्रेरित किया । इन कार्यक्रामों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, जैविक विषमता संरक्षण, वन पुनरूत्पादन और समुदाय संलग्नता । अभी हाल तक राज्य-वानिकी का प्रधान उद्देश्य कर में बढोत्तरी के तहत वृक्षारोपण आरंभ हुआ । सीमान्तता और वन स्रोतों से स्थानीय लोगों को अलग रखने के कारण उनकी जीविका प्रभावित हुई, फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा की भावना से वनों का गलत उपयोग (चोरी आदि) शुरू हुआ । हाल ही में संयुक्त वन प्रबंधी अवधारणा ने स्थानीय और वन विभाग के प्राथमिकता के बीच विरोधाभास को हटाने का प्रयत्न किया । लेकिन संयुक्त वन प्रबंध हिमाचल प्रदेश में गतिशील होने में असफल रहा । यह वन विभाग के कडियों को तोडने में असमर्थ रहा तथा जिसके तहत संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया था । चुँकि जिला वन प्रदाधिकारियों द्वारा संयुक्त वन प्रबंध कानूनी तौर पर स्वीकारा नहीं गया था इसलिए जो वन संयुक्त रूप से लोगों और वन विभाग द्वारा व्यवस्थापित किये जाते थे तथा उन वनों को विभाग पुन: अपने अधीन में कर सकता था ।

वन व्यवस्थापन में समुदायों की सक्रियता के प्रति सरकार के रूखे वर्ताव के बावजूद स्थानीय प्रणाली वर्तमान रही और यहाँ तक कि अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार के समक्ष और अच्छी तरह से सफल रही । पारंपरिक संरक्षण प्रणालियों में पवित्र वृक्ष श्रृंखला प्रणाली, अत्यधिक सफल रही और इसने राज्य सीमा को भी पार किया । दूसरी प्रणालियाँ जो कि अभी भी वर्तमान थीं, स्रोतों के निकास को नियमित किया ताकि स्थायित्व बना रहे । इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ आती थीं जैसे कि अधि-समय (ओभर टाइम), स्थान और मौसम गत । साथ ही, वन संरक्षण समूह राज्य और राज्य के बाहर भी उभरे जिनका काम था चारा और जलावन की लकडियों की कमी पर निगाह रखना । निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में इन समूहों की बहुत ही अधिक सहभागिता थी । इन्होनें स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी और विषम आवश्यकताओं (भिन्न भिन्न आवश्यकताओं) के प्रति इनका निर्णय लचीला था । ये कोशिशें (उपर्युक्त उल्लिखित समूह) भौतिक मापदण्ड जैसे कि अस्तित्व दर और कानून उल्लंघन के संदर्भ में भी अधिक सफल रहीं । महिलाओं की सहभागिता बहुत ही अधिक थी । बहुत सारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित हुआ ।

अस्सी के दशकों में चम्बा जिले के भतियत तहसील में व्यापारिक वानिकी के विरूद्ध जन-आदोलन एक महत्त्वपूर्ण कोशिश थी । इस आंदोलन ने राज्य के व्यापारिक

वानिकी को चुनौति दी । इस आंदोलन का मुद्दा था, व्यापारिक वानिकी के कारण जीविकोपार्जन का नाश और इसी आधार पर वार्ता के फलस्वरूप वन प्रशासन में जनमुखी परिवर्तन लाए गए थे और ये परिवर्तन थे, युकेलिप्टस के वानिकी पर रोक, निषेधित ओक का संरक्षण, और व्यापारिक प्रजातियों पर रोक । हिमाचल प्रदेश में जनमुखी परिवर्तनों के लिए आंदोलनों में यह प्रथम आंदोलन था । यद्यपि हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवका के पद्धतियों में वन ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया है और निभाता रहेगा, लेकिन इन 150 वर्षो में बहुत से परिवर्तन दृष्टिगत हुए । लोगों ने अपने स्रोतों को बदल दिया जैसे कि ईन्धन और चारे को सामान्य भूमि में न उपजाकर नीजि भूमि में उपजाना शुरू किया, और तब बाजार की ओर उन्मुख हुए इस तरह स्थानीय वन की समृद्धि की ओर झुकाव कम होता गया । स्रोतों से अलग होकर जीविकोपार्जन की इस प्रणाली ने नए समाज को जन्म दिया । स्थानीय (आदिवासी) लोग वन से प्राप्त किए गए उत्पादों पर निर्भर करते थे, दूसरे प्रकार के लोग (जो वन के अतिरिक्त दूसरे स्रोतों पर भी निर्भर करते थे), अपने स्रोतों को बाजार से भी खरीद सकते थे, दूसरे स्थानों से आए लोगों (पर्यावरणीय कारण से स्थान परिवर्तन करने वाले लोग) ने आदिवासियों को स्थान च्युत किया । ये सीमान्त आदि-वासी न तो वन से संबंधित रहे और न हीं इनमे क्रय शक्ति थी ।

विकास की प्रक्रिया से सबसे अधिक वे लोग लाभान्वित रहे जो विभिन्न स्रोतों से संबंध रखते थे । जीविकोपार्जन और स्थानीय वन-स्रोतों के बीच संबंध विच्छेद हुआ और राज्य सरकार वन स्रोतों को इन्हें प्रदान करने के लिए बाधित हुई । यह ग्रामीकरण के दाव पर शहरीकरण के फैलाव का विकास था और साथ ही शक्ति का केन्द्रीकरण और संम्पत्ति का एकत्रीकरण इस बदलाब का फल था । यह प्रक्रिया केवल सामाजिक रूप से ही नहीं अनपेक्षित थी बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अस्थायी थी । भूष्खलन और बाढ में वृद्धि ने यह सूचित किया किस तरह प्रकृति एक अनिश्चित भविष्य की ओर सूचित करती है । विकास के परिणाम और विकास के लिए चुकायी गई किमत बराबर नहीं थी । जीविकोपार्जन के मौके में बरावर की साझेदारी नहीं होने की वजह से भूमि और वन से जुडे लोग (आदिवासी) भी विभिन्न श्रेणीयों में बट गए, कुछ तो वन स्रोतों के सही उपयोग के प्रति भी नकारात्मक हो गए । उन पर जो कि वन से सीधे प्रकार से वन के उपजों को प्राप्त करते थे, और भी अधिक अनुपातिक बोझ आ पडा । समाज का कोई भी वर्ग वन के स्थायी उपयोग के प्रति सकारात्मक रूप से जुडे नहीं थे और इस तरह भविष्य में वन स्रोतों की अनिश्चित उपलब्धता के कारण इन उपभोक्ता के द्वारा वन उत्पादन का गैर जिम्मेवार तरीके से उपभोग किया जाने लगा । जीविका के जरूरतों के लिए प्राकृतिक स्रोतों का कम उम्र के होने की प्रकृत्ति में वृद्धि आया फलस्वरूप विवादों का जन्म हुआ ।

स्थानीय समुदायों मे ही एक आशा बची हुई थी जिनके माध्यम से वन विभाग को चुनौति दी जा सकती थी और स्थानीय पद्धति पर आधारित योजनाओं के द्वारा कमियों

का सामना किया जा सकता था । इस तरह जीविका के लक्ष्य की और स्थायित्व की परिपूर्ति के संयुक्त अभियान ने शासन और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के आधारभूत मुद्दों में फिर से नयी जान डाल दी । इसके तहत वन उत्पादन की प्राप्ति की जिम्मे-वारी और इसके (वन उत्पादन) के पुनरूत्पादन और स्थायी उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता के बीच तारतम्यता की प्रधानता थी । इसका मुख्य उद्देश्य था लक्षित समूह (आदिवासी) के पुरूष और महिलाओं को इसमे शामिल करना । जीविका के ढांचे की विषमता और जैविक विषमता के साथ इसके संबंध को भी प्रकाशित किया गया ।

अधिकार उसी तरह वर्तमान थे जिसके तहत वे लोग भी जो कि वन स्रोतों पर ही केवल निर्भर नहीं करते थे, वे भी वन स्रोतों का निरंतर रूप से प्रयोग करते रहे, लेकिन स्रोतों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं करते थे । फलस्वरूप आदिवासियों द्वारा की गई संरक्षण की कोशिशें बाधित हुई । स्थानीय संरक्षण समूह ने वन व्यवस्थापन के लिए एक आदर्श इकाई को पाया, यह इकाई थी, छोटे गाँव का समूह जो एक ही वन क्षेत्र का उपयोग करती थी । सभी सदस्यों के बीच खुली सभाओं में पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया ने तृण-मूल स्तर पर सहभागिता को सकारात्मक भूमिका और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ओर निर्देशित किया ।

हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों का 65 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्विक किया गया । केन्द्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये परियोजनाएं कार्यान्वित की गई, और इस तरह स्थानीय स्वामित्व की भावना की कमी हुई । पंचायती प्रशासन भी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण और व्यवस्थापन में संलग्न नहीं थी केवल केन्द्रीय परियोजनाओं के परिचालन में सक्रिय थीं । यद्यपि स्थानीय लोगों ने स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन किया था लेकिन चुँकि जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार था कि वह इन प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर सकता था, इसलिए ये प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा इन मजिस्ट्रेटों के प्रति अधिक जिम्मेवार थे ।

विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग कृषि उत्पादनों को बढाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण वर्ग विशेष तक ही सीमित था । चूँकि विभागों के बीच कार्य कलाप समन्वयात्मक नहीं था इसलिए जन सहभागिता के नाम पर कार्यों में दोहरापन पाया गया । ग्रामीण लोगोंका जीवन, स्रोत आधारित था लेकिन स्रोत व्यवस्थापन की ओर समग्र दृष्टिकोण नहीं थी ।

हिमाचल प्रदेश के वनों पर उनके उत्पादन क्षमता से बढकर बोझ आन पडा । वनों के स्थायी व्यवस्थापन के लिए निकास (वन उत्पादनों का व्यापारिक निकास) को पर्यावरणीय दृष्टि से सीमित करने के लिए निश्चितता होनी चाहिए, और इन निकासों से प्राप्त लाभांशों का विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओ में विभाजन होना चाहिए तथा इसकी कीमत उन्हें भी चुकानी चाहिए जो वनका उपयोग तो करते थे लेकिन इसकी सुरक्षा से

दूर थे । जीविकोपार्जन के नए तरीकों को वन के समृद्धि से जुडना चाहिए । स्थानीय जरूरतों को मद्दे नजर रखते हुए स्रोत व्यवस्थापन होनी चाहिए न कि औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए । दीर्घकाल के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन के स्वभाव और बाजार के उतार-चढाव का सामना कर सकने योग्य विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन की रूपरेखा तैयार हो, इसकी जरूरत है । समानता के सिद्धान्त का अनुगमन होना चाहिए ।

न्याय-सम्मत वन व्यवस्थापन के लिए नयी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए था । इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था थी स्थानीय उपभोक्ताओं का समूह । वन पर सामुदायिक अधिकार द्वारा व्यक्तिगत अधिकार को खतम किया जाना चाहिए था । स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वन विभागकी भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता थी । वन विभाग की कोशिशों को नीति निर्माण और स्थानीय जरूरतों को नजर अंदाज करने की प्रवृत्ति से हट कर समान और स्थायी वातावरण में स्थानीय इकाईयों के कार्यकलाप पर केन्द्रित किया जाना चाहिए । स्थानीय परिवर्तनों जैसे कि, अधिकारों के क्षेत्रों (अधिकार सीमा) का पुर्नव्यवस्थापन और स्थानीय इकाईयों को कानूनी मान्यता की जरूरत थी । अन्त में समाज में दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता थी, और साथ ही विभिन्न प्रकार के विकास मूलक कार्यकलाप और कानूनी परिवर्तनों का एक मजबूत सामाजिक आधार को निश्चित करना था, और ऐसा वातावरण तैयार करना था जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा करे ।

हिमालच प्रदेश के लिए आवश्यक रूपरेखा

- **ग्रामीण समुदाय एक संवैधानिक इकाई होनी चाहिए और इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए ।**
- **प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आधार पर न कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र के आधार पर लिङ्ग भेद और समानता के मुद्दों को सुल्झाना चाहिए ।**
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका समन्वय और सुविधा प्रदान कर्ता, के रूप में होनी चाहिए लेकिन निर्णय-निर्माण अधिकार सामुदायिक संस्थाओं पर आधारित होना चाहिए और यह गाँवं परिषद् के माध्यम से जुडा होना चाहिए ।**

उत्तराखण्ड में वन और गाँव समुदाय भूमि

द्वारा आर.एस. तोलिया

प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि भूमि, वन, जल और मत्स्यपालन आदि का एक बहुत बडा भाग लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था । इसे सामान्य संम्पत्ति स्रोत के नाम से जाना जाता था । ऐसे सामान्य संम्पत्ति स्रोतों ने प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत लोगों को खास कर ग्रामीण लोगोंको जीवका प्रदान और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि, आर्थिक

और पर्यावरणीय विकास में सहयोग दिया । ये सामान्य संम्पत्ति स्रोत बुरी तरह से दबाए गए जो न्यून उत्पादकत्व के कारण बने । इनका पुर्न संचालन होना आवश्यक था, ताकि ये आर्थिक वृद्धि और विकास में पूर्ण रूप से योगदान दे सकें । सामान्य संम्पत्ति स्रोत के स्थायी व्यवस्थापन के लिए इनका सजग निरीक्षण और मूल्यांकन आवश्यक था । समानता के दृष्टिकोण और पहुंच के अभाव में इनका और भी अधिक अनअनुपातिक और नकारात्मक उपयोग हो सकता था । सामान्य संम्पत्ति स्रोत से संबंधित समस्याओं के कारणों का निश्चित रूप से खोज होना चाहिए और उनके समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए । इस परिपत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) भारत में भूमि और वन का ग्रामीण समुदायों के साथ ऐतिहासिक संबंध पर प्रकाश डाला गया ।

भारत में सामान्य संम्पत्ति स्रोत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्रोत आते हैं, सभी सुरक्षित वन, सभी अवर्गीकृत वन, ह्रासित वन भूमि तथा एक तिहाई से अधिक गैर वन भूमि । इसलिए इन स्रोतों के पूर्ण संचालन, व्यवस्थापन और विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए । भारत के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए वन स्रोत विशेष महत्त्व रखते थे । उत्तराखण्ड में 19 वीं शताब्दी के मध्य में भूमि व्यवस्थापन के कई प्रयास किए गए और ग्रामीण संम्पत्तियों के प्रति कुछ विशेष प्रचलित हक भी कायम किए गए जो वर्तमान समय तक भी ग्रामीणों के मस्तिष्क में विद्यमान हैं ।

वन व्यवस्थापन और जमीन से संबंधित बहुत सारे मुद्दे जैसे कि 'नापे हुए जमीन' बनाम 'बिना नापे हुए जमीन' आदि उलझे हुए मुद्दों को समझना आवश्यक था क्योंकि उत्तराखण्ड में सारी जमीनें या तो 'नापे हुए जमीन' के वर्ग में पडती थी या 'बेनाप-वर्ग' की जमीनो के अन्तर्गन आती थी । जमीनों को वर्गीकृत करने के लिए उत्तराखण्ड के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नियमों की व्यवस्था थी । जबकि राज्य के सभी 'बेनाप' जमीनें राज्य के संम्पत्ति थे तो कुछ ही अधिकार ग्रामीण को वन क्षेत्र के लिए दिए गए थे, और स्थिति यह थी कि उत्तराखण्ड का बहुत ही छोटा हिसा 'नापित वर्ग' के अन्तर्गत आता था जो कि नीजि संम्पत्ति थी ।

स्वतंत्रता के बाद स्थानीय समुदायों ने एक एकड जमीन तक कृषिगत पकड की छूट पायी । किन्तु इस छूट की प्रक्रिया ने यह डर उत्पन्न किया कि हो सकता है कि जमीनों के अनियंत्रित उपयोग और अनाधिकार वर्चस्व इन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से विलय ही कर दे । 1955 से 1966 तक के जमीन व्यवस्थापन कार्यक्रम ने गाँव सीमा के अन्तर्गत आने बाली करीब-करीव प्रत्येक 'बेनाप' जमीन को नापा और इस तरह 'बेनाप' जमीन की अवधारणा समाप्त हुई । हाल ही में पर्वतीय क्षेत्र खटौनी (अधिकारों का रेकर्ड) ने दो प्रकार की जमीनों का उल्लेख किया - जमीन्दारी खटौनी, इस व्यवस्थापन से पहले के नापे हुए जमीन और जमीन्दारी रहित खटौनी, वो जमीनें जो वर्तमान व्यवस्थापन के तहत नापी गई थी । इस प्रणाली के अन्तर्गत कुछ जमीनें 'वन जमीन' के अन्तर्गत रखी

गई और इस तरह 1980 के 'वन संरक्षण कानून' के द्वारा यह लागू किया गया कि 'वन जमीन' गैर वन कार्यकलापों के लिए परिवर्तित नहीं किया जायगा, यदि किया भी गया तो पहले केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

उत्तराखण्ड में वन से संबंधित बहुत से सरकारी प्रयास किए गए उनमें से कुछ उपभोग मूलक थे और कुछ संरक्षण मूलक । उत्तराखण्ड के इतिहास ने इसके अलावा लोगों के विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भी झेला है । इस शताब्दी के आरंभिक दशकों में करीब 30,000 हेक्टर वनों को आग लगा दिया गया । जाँच बुझ समिति ने इस घटना का विवरण दिया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए जो समुदायों के पक्ष में थे, फलस्वरूप बहुत से ऐसे सुझाव पेश किए गए जो सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए । इस रिपोर्ट ने 1911-17 के जमीन व्यवस्थापन द्वारा दिखाए गए बृहत पैमाने पर 'सुरक्षित वन' को रेखांकित किया और बहुत से ऐसे नियमों को भी दिखाया जो कि निवासियों के वन के प्रति अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे । इनमें से कुछ नियम तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बहुत ही अस्पष्ट रूप से समझे गए थे । इस समिति ने यह भी महसूस किया कि इन समुदायों की शिकायतों के साथ-साथ, जोकि 11 वर्गो में विभाजित थे, साक्षियों ने साधारणत: उनके हको से संबंधित मुद्दों को पहचाना था जिसके तहत यदि वन लाभांशों को स्थानीय लोगों में वितरित किया जाता व्यापारिक रूप से मूल्यवान वनों का संरक्षण और उपयोग हो सकता था । वन नीतियों के पाक्षिक परिणाम जैसे कि वानिकी के कार्यक्रम के कारण श्रम का कृषि और आय उत्पादन से पलायन, फलस्वरूप बहुत से स्थानीय लोग निर्धनता की ओर अग्रसर हुए । इस तरह इन उपर्युक्त मुद्दों को भी समिति ने रेखांकित किया ।

चार साधारण उपायों का प्रस्तावित किया गया, संक्षेप में वे इस प्रकार थे: (१) कुछ विशेष प्रकार के वनों को सरकार के नियंत्रण से अलग करना, (२) सुरक्षित-वनों के सीमा रेखाओं का पुनरावलोकन, (३) सरकार द्वारा वन अधिग्रहण के प्रक्रियाओं की खोज-बिन, जिन के प्रति लोगों की शिकायतों को दूर नहीं किया गया था (४) जहाँ तक संभव हुआ सुरक्षित-वन से संबंन्धित नीति नियमो को खारिज किया गया । फलस्वरूप दो प्रकार के सुरक्षित-वन निश्चित किए गए, जिनमें एक था जिसके तहत निषेध नाम मात्र को था और स्थानीय निवासी इसका उपयोग कर सकते थे । 'कुमाउ वन शिकायत समिति' 1921 अक्टूबर, द्वारा प्रस्तावित इन चार उपायों से ही, सामुदायिक वन जो कि पहाडों में 'पंचायती वन' या 'वन पंचायत' के नाम से जाने जाते थे, उभरे थे ।

पूर्व रूप से 'कुमाऊँ वन शिकायत समिति' सामुदायिक वानिकी में विस्तारता लाने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले के रूप में समझा गया । साथ ही ब्रिटीश साम्राज्यवाद के खिलाफ उठने वाल जन-आवाज को भी इसने सहायता प्रदान की थी । लेकिन कुछ वर्तमान शिकायतें भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी जैसे स्थायी वन व्यवस्थापन और उसका आर्थिक पक्ष और, सीमान्त लोगों की जरूरतें ।

चारागाह और व्यापारियों से शुल्क संकलन जैसी दूसरी शिकायतों को समझा गया और सुझाव प्रस्तावित किए गए । जैसे कि कुछ दोषारोपण, यथा मंदिर, वृक्ष और छोटी वाटिकाएं सुरक्षित-वन के अन्तर्गत शामिल किए गए थे, जो कि कुछ जगहों में सच साबित हुए थे । फलस्वरूप यह आदेश हुआ कि इन उपर्युक्त शिकायतों को दूर किया जाए और सही स्थिति पैदा की जाए । इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी स्कूलो में वानिकी के महत्त्व का परिचय दिया जाए और वन संरक्षण की जरूरत से भी अवगत कराया जाए । इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि लोग स्वयं ही संरक्षण के तरीकों को अपनाएगें और यहाँ तक कि उन वनों के संरक्षण के प्रति भी सचेत रहेगें जो 'सुरक्षित वन' के दायरे से बाहर थे ।

और जब सरकार ने समिति के सुझावों को स्वीकृत किया तो वर्ग एक के सुरक्षित वनों में और भी अच्छे वन व्यवस्थापन के अभ्यासों को लागू होते देखना काफी कौतुहल पूर्ण था । कुमाऊँ के लोग बहुत से सालो सें, कुमाऊँ को समय प्रतिबंधित जिला कानून से अलग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, फलस्वरूप 1927 में इसके परिक्षण के लिए एक समिति स्थापित की गई । लेकिन 1937 में जब भारत सरकार के निर्देशानुसार कुमाऊँ कानून को विभिन्न सम्पूर्ण भारत कानून के अन्तर्गत मिला दिया गया तब कुमाऊँ से संबंधित कानून का लचीलापन खतम हो गया । फलस्वरूप सामान्य संम्पत्ति स्रोतों से जुडी हुई बहुत सी आवश्यकताएं जैसे कि भूमि, वन और जल, बुरी तरह से प्रभावित हुई और उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र को हानियों का सामना करना पडा जो आज भी जारी है ।

उस समय राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि कुमाउँ के प्रशासन को दूसरे क्षेत्रों के प्रशासन के साथ मिला कर चलाना होगा और इसी के तहत आवश्यक सुझावों के लिए 'कुमाऊँ कानून समिति' की स्थापना की गई । पूर्व की 'कुमाउँ वन शिकायत समिति' एक सामान्य संम्पत्ति स्रोत, वन से जुडी हुई थी जब कि यह 'कुमाऊँ कानून समिति' विभिन्न स्रोतों जैसे कि जमीन, और प्रशासन से संबंध रखती थी ।

जब 1940 में समिति ने रिपोर्ट पेश किया तो क्षेत्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव के अनुसार कोई नए कानून की व्यवस्था नहीं की जाएगी बल्कि जहाँ तक संभव हो सकेगा पुराने नियामों में ही संशोधन किया जाएगा ।

1920 ई. के दौरान पंचायती वन आंदोलन मद्रास सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था । इसकी सफलता ने उनकी प्रणालीयों का अध्ययन करने के लिए 1927 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अधिकृत नियुक्त करने का फैसला किया । तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में आंदोलन प्रारंभ हुआ और विभिन्न स्थानों, जैसे कि गढवाल और अल्मोडा में पंचायती वन अचानक उभरने लगे । कुमाउँ के संदर्भ में वन संबंधी मुद्दों में कमीशनर को सहायता पहुँचाने के लिए 'कुमाऊँ वन सलाहकार समिति' की स्थापना हुई ।

'कुमाऊँ वन शिकायत सलाहकार समिति' ने अपने विवरण में वर्ग दो के वनों और पुराने सुरक्षित वनों के उपयोग के संदर्भो में ग्रामीणों के अधिकारों और छूटों को भी समाविष्ट किया । इस समिति ने कुमाऊँ के 'सुरक्षित वनों में ग्रामीणों के अधिकार की खोज' शीर्षक के तहत एक विवरण प्रकाशित किया । चारागाह संबंधी अधिकारों में लचीलापन लाया गया और दूसरे सुझाव भी पेश किए गए । इसी बीच 1940 तक वन पंचायत काफी हद तक प्रगती में थी फलस्वरूप 1993 तक केवल उत्तराखण्ड में 4,064 और 15,951 सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गाँव ने अपने सामुदायिक वनों को अपना लिया था । इस प्रक्रिया को 'संयुक्त वन प्रबंध' ने पूर्ण सहयोग दिया था ।

1976 के भारतीय संविधान संशोधन ने वन और वन्य जीव जन्तु संरक्षण को राज्य सरकार की अनुसूचि से हटा कर समसामयिक सूचि में शामिल किया ताकि इनके संरक्षण को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया जा सके । 1980 का 'वन संरक्षण कानून' जो कि उपर्युक्त तब्दीली के बाद का पहला कानून था, जिसके तहत यह प्रस्तावित किया गया था कि बिना केन्द्र सरकार के पूर्वस्वीकृती के राज्य सरकार किसी भी सुर क्षित वन को गैर-सुरक्षित वन घोषित नहीं कर सकती है । 1989 के संशोधन ने सभी वन जमीन के संरक्षण और लोगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन पैदा करने में काफी हद तक सहयोग दिया । 1985 में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई । इस मंत्रालय को राज्य सरकार के वन विभाग को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया । इस प्रकार के विभिन्न केन्द्रीकरण प्रणाली ने एकबार फिर असंतुलन कायम किया और लोग पुन: वन से बेरूख होने लगे और यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं थी बल्कि संपूर्ण भारत इससे प्रभावित हुआ । वन व्यवस्थापन और उसके उत्पादनों के प्रति लोगों के अधिकार को समझा गया और 1988 के भारतीय वन नीति और नीति सर्कुलर जून 1, 1900 के माध्यम से संपूर्ण भारत में 'संयुक्त वन प्रबंध' को मान्यता दी गई ।

इन नई नीतियों ने स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवक संस्थाओं को सरकार के सहयोगी का दर्जा देते हुए वन संरक्षण और उपेक्षित जमीनों के पुनरूत्थान में इन्हें शामिल किया । लोगों के जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई । फलस्वरूप काफी बदलाव आया क्योंकि पहले की नीतियों के अनुसार स्थानीय लोगों को वन नाशक के रूप में देखा जाता था और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता समझी जाती थी । तथ्यगत रूप से वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित और उत्थापित संयुक्त वन प्रबंध से बहुत पहले ही यह प्रणाली 'वन पंचायत' के नाम सें उत्तराखण्ड में प्रचलित हो चुकी थी । इसी प्रकार के दूसरे सामुदायिक वन प्रणालियाँ विभिन्न राज्यों में वर्तमान थी जो वन विभाग की सहायता से पुन: संचालित किए गए ।

दूसरे राज्यों के सामुदायिक वन अभ्यासों की तुलना में वन पंचायत विभिन्न विशेषताओं को धारण करता है । ये वन पंचायत स्थानीय समुदायों के विरोध से उभरे थे, क्योंकि

सरकार वनों को आर्थिक स्रोत के रूप में देखती थी लेकिन इन के समुदायों के विरोध ने वनों और सुविधाओं को निश्चित किया । ये वन पंचायत अभी भी केवल एक ही संयुक्त वन व्यवस्थापन प्रणाली हैं, जिसे 1925 का वन कानूनी सहयोग प्राप्त है । और जब इन वन पंचायतों का एक बार वन जमीन पर निर्माण हो जाता है तो, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है । इन वन पंचायतों का सभी वर्ग के सुरक्षित वनों तक विस्तार हो सकता है और वर्ग २ के सुरक्षित वनों द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं, यहाँ तक कि पुराने सुरक्षित वनों द्वारा भी इनका निर्माण हो सकता है । इस तरह वन पंचायत ही केवल ऐसा संयुक्त वन प्रबंध प्रणाली है, जिसका विस्तार सभी वन जमीनों पर हो सकता है । 1980 के वन संरक्षण कानून के तहत नए वन पंचायतों के निर्माण के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । इस तरह की प्रणाली देश के किसी भी संयुक्त वन व्यवस्थापन प्रणाली में नहीं अपनायी गई थी ।

1992 के 73 वें संविधान संशोधन ने विकेन्द्रीकृत योजना को स्थान दिया । इसके तहत पंचायती राजों को उनके अपने मुद्दों को प्रजातांत्रिक वातावरण में व्यवस्थित करने का मौका दिया गया और उनके बहुत से अधिकार गाँव पंचायत के अधीन थे । गाँव पंचायत को आवश्यकता पड्ने पर वन पंचायत सहयोग उपलब्ध करा सकता था और यहि स्रोत पूर्ण रूप से उपलब्ध हों तो उनका प्रयोग भी किया जा सकता था ।

पूर्वकाल में वन पंचायत वन विभाग, और कर विभाग की उपेक्षा को भोग चुका था क्योंकि इन्हीं विभागों द्वारा उसका व्यवस्थापन और नियंत्रण किया जाता था । 1992 के बाद वन पंचायत की स्थिति में सुधार लाने के लिए काफी कदम उठाए गए । 1998 के मार्च में उत्तर प्रदेश में एक वृहत वन परियोजना जो कि विश्व बैंक द्वारा सहयोगित था, आरंभ किया गया । इसके उद्देश्यों में एक था वन पंचायत को सहयोग देना । लेकिन यह सहयोग तभी उपलब्ध हो सकता था जब ये वन पंचायत विश्व बैंक द्वारा 'संयुक्त वन प्रबंध' प्रणाली को लागू करने के लिए बनाए गए रूप रेखा को स्वीकार करे । यह विशेष पर्वतीय गाँव उत्तराखण्ड में 'संयुक्त वन प्रबंध' योजना परिचय कराने के कारण औपचारिक रूप से आदर्श गाँव प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया । अपने स्रोतों को स्वयं ही व्यवस्थापित करने के लिए समुदाय की यह एक आधुनिक प्रतिबद्धता थी ।

५
दर्पण समूह विचार विमर्श

सभा सत्र और दूसरे सत्रो में उठाए गए मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए छोटे-छोटे 'दर्पण समूह' बनाए गए । चार दर्पण समूह थे, इन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के राजनीतिकरण और दूसरे दस मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करें । सभी समूहों से यह आग्रह किया गया था कि वे मुख्य मुद्दों और उसके अलावा कम से कम दूसरे तीन मुद्दों पर बात चीत करें । मुद्दों का चुनाव और प्राथमिकता समूह की मर्जी पर छोड दिया गया था । समूहों को यह भी छूट थी कि वे अपने मुद्दों की पहचान करें ।

मुख्य मुद्दा: समुदायिक वन उपभोक्ता समूह का राजनीतिकरण

राजनीतिकरण के नकारात्मक पक्ष के भय जैसे कि पार्टी राजनीति में सहभागिता, गुट निर्माण, और पारदर्शिता की कमी के कारण बहुत से सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों ने स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं के साथ अर्न्तक्रिया करना तथा दूसरे राजनीतिक क्रियाकलापों की उपेक्षा की । समूहों से यह कहा गया कि इस भय की सार्थकता पर तथा इसके परिणामों पर विचार विमर्श करे । स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं से संबध कायम करने और विच्छेद करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया ।

विचार विमर्श करते हुए सहभागी

मुख्य मुद्दे

मुद्दा-१ स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को जिम्मेवार और पारदर्शक बनाने के लिए रूप रेखा तैयार करना ।

मुद्दा-२ स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय कायम करने के लिए रूप रेखा

तैयार करना ।

मुद्दा-३ विकेन्द्रीकरण और वन क्षेत्र से संबधित कानून, नियम और उपनियमों को निश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाना ।

मुद्दा-४ उपभोक्ता समूहों की योजनाओं को कार्यान्वयन करने के क्रम में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और दूसरे इकाईयों के बीच उठने वाले विवादों को कम और शान्त करने के लिए कार्य योजना बनाना ।

मुद्दा-५ दोहरे पन को कम करने और स्रोतों के उपयोग को लाभदायक बनाने की रूप रेखा ।

मुद्दा-६ महिलाओं को राजनीति एवं वन उपभोक्ता समूहों में अधिकार सम्पन्न करने की योजना बनाना ।

मुद्दा-७ स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए योजनाओं, बजेट निर्माण कार्यक्रम, कार्यान्वयन और विकास कार्यक्रम का लेखा जोखा रखने तथा, कार्यो में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों की भूमिका को और अधिक बढाने के लिए योजना बनाना ।

मुद्दा-८ स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं को स्थानीय विकास के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए दबाव डालने के लिए योजना बनाना ।

मुद्दा-९ वन उत्पादनों में निर्धन एवं सीमान्त लोगों का समान पहुंच हो इसके लिए उन्हें योग्य बनाने की योजनाओं का निर्माण करना ।

मुद्दा-१० स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह की ओर से वकालत करने के लिए दबाव दिया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाना ।

समूहों को यह निर्देश दिया गया था कि गाँवस्तर, जिलास्तर, राष्ट्रीय स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उपर्युक्त मुद्दों से संबधित ठोस निर्णय पर पहुँचें ।

दपर्ण समूह विचार विमर्श पर सभा सत्र की आयोजना ।

पहला समूह

पहली प्राथमिकता – वन उत्पादनों के उपयोग में निर्धन और सीमान्त लोगों के समान पहुँच के लिए उन्हें योग्य बनाने वाली योजनाओं की रूपरेखाएं

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के लिए बनाएजाते हुए नियमों और कानूनों में लोगों की सहभागिता को बढाना ।
- निर्धनों और सीमान्त लोगों के पहचान के लिए स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों की संलग्न करने की आवश्यकता ।
- निर्धन और सीमान्त लोगों में उनकी जरूरतों के अनुसार वन उत्पादनों को कम

दामों पर और कभी-कभी नि:शुल्क वितरण करना । जहाँ कहीं भी संभव हो निर्धनों और सीमान्त लोगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करना ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आमदानी का उपभोग निर्धनों और उन लोगों के उन्नति के लिए होना चाहिए जिन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो ।

दूसरी प्राथमिकता – राजनीति और सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की भूमिका को बढाने के लिए योजना बनाना ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के कार्यकारी समिति में महिलाओं की सहभागिता को निश्चित करने के लिए कानून में ५० प्रतिशत सीटों का आरक्षण । इस तरह की कानूनी व्यवस्था के होने तक प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे महिलाओं को, उनके अपने नेतृत्व के लिए सहयोग प्रदान करे । उसी तरह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में गरीबों के सहभागिता के लिए स्थानीय प्रतिनिधि व्यवस्था मिलाए ।

तीसरी प्राथमिकता – उपभोक्ता समूहों की योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं और दूसरी इकाईयों के बीच उठने वाले विवादों को कम करने और खत्म करने के लिए योजनाएं ।

- नियम और कानून सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अनुकूल होने चाहिए और वन उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधियों को चाहिए इस कार्य में अग्रसर हों ।
- वर्तमान कानून और प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण कानून ने स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दोनों को वन उत्पादन का उपयोग करने का अधिकार दिया है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है । इन मुद्दों की ओर मुखातिब होने के लिए मंच की आवश्यकता ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के बीच सीमा संबधी विवादों को सुलझाने के लिए सहयोग उपलब्ध होना चाहिए ।

चौथी प्राथमिकता – निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को जिम्मेवार और पारदर्शी बनाने के लिए कार्य योजना का निर्माण ।

- लोगों के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से इमान्दार होना चाहिए ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के मासिक आय और व्यय के रेकर्ड को स्थानीय समुदायों को देखने परखने के लिए उपलब्ध होना चाहिए ।
- वे समूह और संस्थाएं जो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के तहत काम करती हों उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे अपनी आमदानी और व्यय को जनता की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराएं ।

- उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पारितोषिक दिया जाना चाहिए जो अच्छा काम करते हों ।

विशेष स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

- स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुल्फाने के लिए स्थानीय, निर्वाचित संस्थाएं और 'फेकोफन' सहयता उपलब्ध कराएं । वे समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर नहीं सुल्फायी जा सकती हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए ।
- सरकार, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और 'फेकोफन' के बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए ।
- हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में हुए एकीकृत विकास पर विचार विर्मश करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजना होना चाहिए और, एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो उन लोगों को शामिल करे जो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में संलग्न हों ।

समूह दो

इस समूह ने एक अच्छा सुफाव दिया कि सभी संस्थाएं, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ, और दूसरी संस्थाएं जो हिन्दू कुश-हियमालय क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे एक दूसरे के साथ संबंध कायम करें । उन्होंनें इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूहों के बीच संबंध होना चाहिए ।

पहली प्राथमिकता – निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को जिम्मेवार और पारदर्शक बनाने के लिए कार्य योजना बनाना ।

जिम्मेवारिता

- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को एक मुख्य निर्णय-निर्माणक संस्था के रूप में होना चाहिए और उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे निर्णय ले सकें, योजना बना सकें और कार्यक्रमों को लागू कर सकें । प्राकृतिक स्रोतों के लिए गाँव समितियों जैसे स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं या वन उपभोक्ता संस्थाओं को जिम्मेवारी दी जानी चाहिए ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सभी समुदाय सदस्यों को और वन उपभोक्ता समूहों को समान सहभागिता मिलनी चाहिए । सहमति के आधार पर सभी निर्णय किए जाने चाहिए ।
- यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि आशा और कानून के अनुरूप कार्य नहीं करें तो ऐ से में एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें वापस बुलाया जा सके और उनके निर्वाचन को रद्द किया जा सके ।

- निर्वाचित संस्थाएं और वन उपभोक्ता समूह साथ मिल कर पर्यावरणीय संतुलन के लिए योजनाएं बनाए । इस प्रक्रिया में बहुतायात रूप में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए ।

पारदर्शिता

- सभी अधीनस्थों और प्रत्येक स्तर में पारदर्शिता होनी चाहिए ।
- सभी संस्थाएं और समितियाँ सम्पूर्ण लेखा और आय-व्यय विवरण को खुले रूप में लोगों के समक्ष पेश करें । इसे एक स्थानीय परंपरा के रूप में बनाना चाहिए ।
- स्थानीय निर्वाचन में हुए खर्च को जनता के समक्ष रखना चाहिए ।
- ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि सभी नागरिक किसी भी प्रकार की सूचनाओं को बिना किसी लागत को प्राप्त कर सके । यह जनता के प्रतिनिधि का मुख्य कार्य होना चाहिए ।
- निर्वाचन निश्चित रूप से समय पर होना चाहिए ।
- यह पारदर्शिता कार्यान्वित हो सके इसलिए लोगों को कार्यरत शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत कराया जाना चाहिए । ये वही रास्ते हैं, जिनके द्वारा पारदर्शिता प्राप्त किया जा सकता है ।

दूसरी प्राथमिकता – विकेन्द्रीकरण और वनक्षेत्र से संवंधित कानून और नियमों के बीच समग्रता लाने के लिए रूप रेखा बनाना ।

- विकेन्द्रीकरण और वन संबंधित कार्य के लिए आवश्यक है कि धरातल स्तरीय वास्तविकता पर, कानून आधारित होना चाहिए । गाँव-पंचायत स्तर और दूसरे वैसे ही स्तर पर कानून का निर्माण होना चाहिए ताकि कानूनों का अधिक प्रभावकारी रूप में उपयोग होना । यदि संशोधन आवश्यक होगा तो आसानी से किया जा सकता है ।
- स्थानीय निर्वाचित इकाईयों के माध्यम से स्थानीय वन स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए उप-नियम आदि बनाने चाहिए ।
- गाँव-पंचायत से प्रस्तावों को लिया जाना चाहिए और स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ, इन प्रस्तावों को कानून निर्माताओं तक पहुँचाएं और कानून इन सुझावों को समावेश करें ।
- किसी भी कानून की स्थापना से पहले स्थानीय लोगों के सुझाव पर विचार होना चाहिए ।
- जल, वन और जमीन से संबंधित कानून परस्पर बांधित नहीं होने चाहिए । राष्ट्रीय स्तर के कानून सामुदायिक स्तर के कानूनों और नीतियों को निश्चित रूप से पूरक होने चाहिए ।

तीसरी प्राथमिकता – महिलाओं को राजनीति एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए कार्य योजना बनाना ।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के कार्यो में तथा दोनों के बीच संबंध में प्रगति लाने के लिए महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है । लेकिन जब भी इस प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, तो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अनिश्चित हुई है ।

- महिलाओं को निर्णय-निर्माणक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मजबूत और प्रभावकारी कानून की आवश्यकता है ।
- महिलाओं और सुविधा विहीन वर्ग के लिए निश्चित अवधि तक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि अवधि निश्चित नहीं होगी तो आरक्षण का दुरूपयोग हो सकता है ।
- महिलाओं को लिए चेतना जागरण मूलक कार्यक्रम की आयोजना होनी चाहिए और राजनीति तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन में उन्हे बराबर की सहभागिता मिलनी चाहिए ।
- महिलाओं को वैकल्पिक आय आर्जन से संबंधित विशेष कार्यक्रम और सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।
- यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाएं जो प्राकृतिक स्रोत उपयोग से संबंधित हैं, उन्हें यह मौका मिलना चाहिए कि वे अपने विचारों और सुझावों को प्रस्तुत कर सकें ।

समूह तीन

पहली प्राथमिकता – सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच समन्वय ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों का वन उत्पादों पर के व्यापारिक उपयोग पर बढ्ता हुआ जोर और, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं का सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को 'आर्थिक शक्ति' के रूप में समझना ।
- स्थानीय इकाईयों के साथ संबंध कायम करने में सामुदायिक वन उपभोक्ता के सृजक की असफलता ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निम्न लिखितों द्वारा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं,
- राजनीतिक नेता
- वन तथा दूसरे अधिकृत
- माफिया समूह
- और वातावरण संरक्षक समूह ।
- जब संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो जाती है और वनों का व्यापारिक उपभोग संभव

हो जाता है तब इनमें से प्रत्येक समूह का वनों का उपयोग लक्ष्य बन जाता है ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों और वन अधिकृतों के बीच, उसी तरह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और निर्वाचित संस्थाओं के बीच विवाद सुल्झाने की प्रक्रिया का अभाव ।
- विवादों को सुल्झाने की क्षमता और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं तथा दूसरी इकाईयों के साथ निभाए जाने वाली अपनी भूमिका को अधिक सुदृढ बनाने के लिए भी सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं ।

दूसरी प्राथमिकता – सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच समन्वय बढाने के लिए कार्य योजनाएं ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का क्षमता निर्माण अपने व्यवस्थापन कौशल को अवश्य वढाएं और उस समझ को कायम करें जिसके द्वारा दूसरी इकाईयों के उद्देश्य को, जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, समझें तथा सावधानी के साथ आगे बढें ।
- दैनिक जरूरतों, जैसे ईंधन, चारा आदि के लिए और जल स्रोत संरक्षण पर ही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों का ध्यान केन्द्रित होना चाहिए ।
- राजनीतिकरण के भय के बिना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का आंगिक रूप से स्थानीय निर्वाचित समूहों के साथ संबंध नहीं जुडना चाहिए । किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजनीतिकरण उतना खराब नहीं है । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अपने कौशल को बढाएं और उस वातावरण में रहना सीखें जिनमें उनका जन्म और पोषण हुआ है ।
- वन विभाग की तुलना में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अपने कार्य योजना की तैयारी और व्यवस्थापन में और अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए आवाज उठाते रहें । वास्तव में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह की प्रत्येक छोटी से छोटी कार्य योजना, समुदाय के संलग्नता से होती है, इसलिए वन विभाग द्वारा निर्देशत कार्य योजनाओं का सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह द्वारा खारिज होना चाहिए । इसके लिए सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह की क्षमता में आवश्यक रूप से वृद्धि होनी चाहिए ।
- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के बदलते हुए माहौल में वन विभाग को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए । जिला वन अधिकृत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह की वढती दुई क्षमता को अवश्य पहचानें और उन्हें सहयोग दें न कि उनके अस्तित्व पर नजर गडाएं ।
- स्थानीय स्तर पर विवाद सुल्झाने की शुरूआत की आवश्यकता और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय निर्वाचित समूहों के बीच स्थान निर्माण की आवश्यकता ।

तीसरी प्राथमिकता – विकेन्द्रीकरण और वन क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नियमों के बीच पूरकत्व लाने के लिए कार्य योजना ।

- केवल गावैं स्तर पर ही हम वन संचालन नहीं कर सकते हैं । इसलिए वन संरक्षण कानून तथा वन क्षेत्र संचालन कानून और विकेन्द्रीकरण से संबंधित कानूनों के बीच पूरकत्व की आवश्यकता है ।
- प्रत्येक राष्ट्र को अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वन क्षेत्र के प्रत्येक स्तर में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में उठने वाले विवादों को सुल्फाकर लक्ष्य प्राप्त करना होगा और आवश्यकता पडने पर कानून में संशोधन भी करना होगा ।
- हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में अपनाइ गई प्रक्रिया के अनुभव से शिक्षा ली जा सकती है । इस क्षेत्र के कार्यप्रणाली द्वारा पूरकत्व प्राप्त किया गया है ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के कार्यप्रणाली से प्राप्त विगत वर्षो के अनुभव भी विवाद उठने वाले बिन्दू को दिखाने हैं ।

चौथी प्राथमिकता – राजनीति एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों में महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने की कार्य योजना ।

- राजनीति एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों में महिलाओं की समान सहभागिता, उनके शक्ति सम्पन्न होने के लिए आवश्यक है ।
- प्रशासन के प्रत्येक स्तर में आरक्षण इसका उत्तर नहीं है, यह उन्हें शुरूआत करने के लिए एक मौका देना है, केवल ।
- परिवार एवं गाँव संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर शुरूआत होनी चाहिए ।
- महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रकाशन द्वारा और उनके समझ और समिक्षात्मक शक्ति को बढाने के माध्यम से उन्हें शक्ति सम्पन्न किया जा सकता है ।
- महिलाओं के लिए आर्थिक क्रिया कलाप जैसे महिला दुग्ध परियोजना, महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आदि भी उन्हें शक्ति सम्पन्न कर सकते हैं ।
- महिलाओं के समूह को वाह्य संसार में अपेक्षाकृत अधिक उजागर किया जाना चाहिए और परस्पर विचार विमर्श तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अवसर प्रदान के द्वारा उनकी कार्य क्षमता को बढाया जा सकता है ।
- सभी स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं को अवसर प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए ।

समूह चार

इस समूह के सदस्यों ने मतदान द्वारा तीन मुद्दों का चयन किया और चार छोटे समूह बनाए गए । प्रत्येक समूह को खास नजरीय के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया गया । ये नजरीय थे-गाँव स्तर, जिला स्तर, राष्ट्र स्तर, और अन्तर्राष्ट्र स्तर ।

पहली प्राथमिकता – सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच समन्वय ।

गाँव स्तर

- समन्वय समिति का निर्माण । समन्वय समिति के प्रतिनिधि, निर्वाचित इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधि और दूसरे इकाईयों के प्रतिनिधि इस समन्वय समिति का निर्माण करें ।
- प्रत्येक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के क्रिया-कलापों की सूचना गाँव स्तरीय, स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक तीन महिने में भेजी जानी चाहिए ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं लोगों की वन संबंधी सचेतता को वढाने वाले कार्यक्रमों की आयोजना पर अपने बजट का एक हिस्सा निश्चित रूप से व्यय करे ।

जिला स्तर

- जिला सभा स्तर पर कोई भी वन समिति नहीं है । भारत में जिला सभा और वन समितियों के बीच समन्वय लाने के लिए जिला स्तर पर वन समिति का गठन होना चाहिए । इस समिति को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से जिला वन अधिकृत को इसका सचिव बनाया जाना चाहिए ।
- वे लोग जो जीविकोपार्जन के लिए वन पर निर्भर करते हैं, उन्हें सरकार को एक कार्य योजना परिपत्र (मेमोरेण्डम) देना चाहिए ।
- जिला वन समिति को और भी अधिक कार्यशील बनाने के लिए, विभिन्न गाँवो के निर्वाचित प्रतिनिधि वन से संबंधित कार्य योजना परिपत्र सरकार को पेश करें ।
- जिला वन अधिकृत को वन संबंधि समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से जिला वन समिति के बैठकों में उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए । ऐसी बैठकें साल में एक या दो बार आयोजित की जानी चाहिए ।
- जिला सभा सदस्यों को भी ऐसी बैठकों में आमन्त्रित किया जाना चाहिए ।
- राष्ट्रीय वन की सुरक्षा के लिए जिला वन समिति के मातहत एक उप समिति बनानी चाहिए ।
- महिलाओं की सहभागिता बढाने के उद्देश्य से वन समितिओं और उपसमितियों में निर्वाचित महिलाएं होनी चाहिए ।

राष्ट्रीय स्तर

- ऐसी नीतियों का निर्माण, जो उनलोगों को उत्साहित कर सके जो कृषि-वन में संलग्न हैं ।

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्यक्रम के सर्वेक्षण ओर योजना निर्माण में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं की सहयोगी भूमिका ।
- वन संरक्षण के लिए सरकार अनुदान प्रदान करे ।
- वन आधारित उद्योगों के लिए नीतियों का निर्माण ।
- वन उत्पादनों पर दोहरे कर को दूर करने के लिए प्रयास ।
- सहकारिता के माध्यम से सामुदायिक वन आय को विकास कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित करना ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

- अन्र्तसरकारी स्तर पर राजनीतिज्ञ, प्रशासक और सामुदायिक प्रतिनिधि निरंतर रूप से एक दूसरे से मिलते रहने चाहिए ।
- अध्ययन भ्रमण और कार्यशालाओं की आयोजना होनी चाहिए ।

दूसरी प्राथमिकता – राजनीति एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में शक्ति संपन्न करने की कार्य योजना ।

गाँव-स्तर

- नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाओं की सहभागिता कम से कम ३० प्रतिशत हो ।
- महिलाओं में क्षमता और चेतना के वृद्धि के उद्देश्य से कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण और दूसरे कार्यक्रम की आयोजना होनी चाहिए ।
- पुरूष, जो विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने ही घर की महिला सदस्यों को सहभागी होने के लिए अवसर प्रदान करें ।
- पैतृक संम्पत्ति में महिलाओं को कानूनी अधिकार अवश्य दी जानी चाहिए ।
- उन महिलाओं को पारितोषिक दी जानी चाहिए जो साल भर काफी उर्जा से काम करती रहीं हो ।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संयुक्त रूप से प्रशिक्षण र्कायक्रम का संचालन करें ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के सदस्य संयुक्त रूप से महिलाओं की समस्या से अवगत होने और उनके समाधान के लिए सभाओं का आयोजन करें ।

जिला-स्तर

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के महिलाओं में नेतृत्व शक्ति बढाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- जिला-स्तरीय प्रशासनिक इकाईयों के स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।
- निवार्चित महिलाएं निश्चित रूप से महिने में एक या दो बार बैठकों की आयोजना करें और निर्वाचित जिला सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षको इन बैठकों में निश्चित रूप से आमंत्रित करें ।

राष्ट्रीय-स्तर

- स्थनीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ।

अन्तर्रष्ट्रीय स्तर

मुद्दों और समस्याओं के संभाव्य समाधान के लिए महिलाओं की सभा आयोजित होनी चाहिए ।

तीसरी प्राथमिकता – विकेन्द्रीकरण और वन क्षेत्र से संबंधित कानून नियम और नीतियों में पूरकत्व लाने की कार्य योजना ।

गाँव स्तर

स्थानीय निर्वाचित संसथाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के सदस्यो को वर्तमान कानून नियमों से परिचित कराना ।

- कानूनी बाधाओं के समाधान के लिए अन्तरक्रिया कार्यक्रमों की आयोजना ।
- कानूनी विधान के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर संवाद कार्यक्रम की आयोजना और स्थानीय निर्वाचित इकाईयों के माध्यम से केन्द्र स्तर सुझावों और संशोधनों को भेजा जाना चाहिए ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधि अन्तरक्रिया कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच अधिकारों के दोहरेपन को दूर करें ।
- 'इसीमोड' के सहयोग से नेपाल में 'फेकोफन' के अध्यक्ष इस प्रक्रिया की शुरूआत करें ।

जिला-स्तर

- वन समिति/उपसमिति विशेषज्ञों की खोज करें, जो वन नीतियाँ बना सकें । इन विशेषज्ञों को सभाओं में समय-समय पर आमंत्रित किया जाना चाहिए ।
- जनतोन्मुख वन कानून बनाने के उद्देश्य से, वन समिति के सदस्यों को चाहिए कि वें विधान से संबंधित बुँदों को तैयार कर उन पर कार्य करें और सामुदायिक सदस्यों में इनकी जानकारी बढाएं ।

राष्ट्रीय स्तर

- नीति निर्णय से पहले सरकार को चाहिए कि वह वन से संबंधित विभिन्न निकायों से संपर्क करे ।
- संबंधित विधानों के दोहरेपन पर विचार विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना होनी चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

- तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग होना चाहिए ।
- संबंधित देशों में अध्ययन भ्रमण और कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ।

सभा सत्र

नेपाल के विकेन्द्रीकरण कानून और वन कानून की तुलनात्मक समीक्षा ।
द्वारा नारायाण बेलबासे और ध्रुवेश रेग्मी ।

नारायण बेलबासे और ध्रुवेश रेग्मी पर्यावरणीय कानून के विशेषज्ञ हैं और, वे जनतोन्मुख विधान संस्था में कार्यरत हैं । वे पर्यावरणीय विधानों के विकास से संबंधित क्षेत्रों में कार्यशील हैं । साथ ही ये नेपाल के कानून को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों के समकक्ष लाने के लिए प्रयत्नशील हैं । इतना ही नहीं ये इन कानूनों के कार्यान्वयन और पर्यावरणीय कानूनी शोध में इनके उपयोग के लिए भी प्रयत्नशील हैं ।

नेपाल में स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक वन व्यवस्थापन के बीच संबंध कायम करने में उपस्थित होने वाले मुद्दे और चुनौतियाँ
द्वारा, अमृत लाल जोशी

श्री जोशी नेपाल के श्री ५ के सरकार में वन तथा भू-संरक्षण मंत्रालय में मुख्य योजना अधिकृत हैं । इन्होंने नेपाल में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान

किया हैं । अध्यक्ष : गणेश प्रसाद तिमिलसिना, जिला विकास समिति अध्यक्ष: पर्वत जिला, नेपाल ।

नेपाल के विकेन्द्रीकरण कानून और वन कानून की तुलनात्मक समीक्षा ।
द्वारा नारायण बेल बासे और प्रवेश रेग्मी

नेपाल के पर्वतीय किसानों ने स्वयं के कोशिशों के आधार पर ऐतिहासिक समय से ही स्थानीय वन व्यवस्थापन की प्रणाली की स्थापना की । इस प्रणाली के तहत स्थानीय नियमों को अपनाया गया और फलस्वरूप एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उपभोक्ता (लाभ प्राप्त) समूह के द्वारा वन उपयोगों को निरंतरता दी गई और बाहरी व्यक्तियों को इससे दूर रखा गया । ग्रामीण समुदायों ने एक समूह का निर्माण किया और वन के कुछ हिस्सेको 'रानीवन' का नाम देकर उसका उपयोग कुछ ही महीने किया जाता था और साल के बाकी महिनों में इसे पुनरूत्पादन के लिए छोड् दिया जाता था । वर्तमान समय में जो नेपाल में जो सामुदायिक वानिकी का प्रचलन है, वह उपर्यक्त प्रणाली पर ही आधारित है । इस 'रानीवन' से संबंधित नियम कानूनों के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था थी, और उस क्षेत्र के दूसरे गाँव भी उन नियमों का पालन करते थे । आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसके तहत सामुदायिक वानिकी के द्वारा कानूनों और स्वामित्व के बावजूद सफलता पूर्वक वनों का व्यवस्थापन किया जाता है ।

1957 के पहले स्थानीय समुदाय स्वंय ही वन उत्पादनों का नियंत्रण किया करते थे । उस समय वन उत्पादनों के नियंत्रण और नियमित करने के लिए किसी प्रोत्साहन मूलक कार्यों (इनामों, मेहनताना आदि) की आवश्यकता नहीं थी । 1957 के राष्ट्रीयकरण के बाद लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होने लगी, डर यह था कि वनों के पारंपरिक उपयोग और प्रवेश में कहीं कटौति न हो जाए । चूँकि वन के राष्ट्रीयकरण (स्वामित्व हटने) के बाद किसी भी प्रकार के अनुदान की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए बहुत से लोगों ने जानबूझकर वन जमीनों से वन का नाश करने लगे ताकि इनका र ाष्ट्रीयकरण न हो । वन व्यवस्थापन की सामुदायिक जिम्मेवारी खत्म हो गई और वन एक खुले संम्पत्ति स्रोत के रूप में परिवर्तित हो गया । संस्थागत क्षमता की कमी के कारण राज्यों का वन पर नियंत्रण असफल हो गया ।

1961 के वन कानून ने वनों का राज्य प्रशासन निश्चित किया और वनों पर राज्य के नियंत्रण को पुर्नबहाल करनें के उद्देश्य से कुछ राज्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त वनों का, स्थानीय स्तर पर स्थांतरण किया गया । सत्तर के मध्य में नीति निर्माणकों ने यह महसूस किया वन व्यवस्थापन में स्थानीय लोगों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि वे इन वनों पर निर्भर करते हैं । गैर-सरकारी संस्थाओं की संलग्नता ने इसे बढावा दिया और 1975 में सरकार द्वारा प्रायोजित वन-व्यवस्थापन सभा की आयोजना काडमाण्डू में की गई । इस वृहत मंचपर दूसरे देशों के वन अधिकृतों और वरिष्ठ अफीसरों का

सम्मेलन हुआ । फलस्वरूप श्रृंखलाबद्ध रूपसे कानूनी अन्तर्क्रियाओं ने नेपाल को वर्तमान सामुदायिक वन की अवधारणा के बिल्कुल करीब ला दिया । लेकिन आरंभिक सफलता सिमित थी, क्योंकि वन नियम अव्यवहारिक थे जो सभी उपभोक्ताओं के सहभागिता के लिए उपयुक्त वातावरण देने में असफल रहे थे ।

1986 में वन नीतियों का औपचारिक पुनरावलोकन किया और फलस्वरूप 1988 का 'वन क्षेत्र के लिए गुरू योजना' का निर्माण हुआ । यह वह नीति थी जिसके तहत मध्यम और दीर्घ कालीन लक्ष्यों का समावेश किया गया था जो वन कार्य योजना को दूसरी शताब्दी तक पहुँचाने वाली थी । इस 'गुरूयोजना' के प्राथमिक उद्देश्य थे, ईंधन, टिम्बर, चारा आदि आधारभूत आवश्यकताओं और दूसरे वन उत्पादनों की स्थायी परिपूर्ति एवं वन स्रोतों के व्यवस्थापन, संरक्षण एवं विकास में लोगों की सहभागिता को बढावा देना । महिलाओं की सहभागिता भी इस 'गुरूयोजना' की निर्देशिका में शामिल की गई थी । इस निर्देशिका के अनुसार उपभोक्ता समिति सदस्य में एक तिहाई महिलाओं को होना चाहिए । सामुदायिक एवं नीजी वनों को प्राथमिकता दी गई है, व्यक्तिगत एवं समुदायों के अपने आधारभूत आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए वन स्रोतों का व्यवस्थापन उनके अपने प्रयासों के द्वारा हो, ऐसी नीतियो का विकास हो रहा था । पर्वतीय वन स्रोतों के इस प्रकार के व्यवस्थापन को समय सापेक्ष समुदायों और व्यक्तिगत क्षमता और इच्छा के आधार पर किया जा रहा था । 1990 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद 'सामुदायिक वन कानूनो' का पुनरावलोकन किया गया और जिसके द्वारा जिला वन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि वह उपभोक्ता समूह का निर्माण करे और वन क्षेत्रों का हस्तातरण करे और साथ ही तकनीकि सहयोग भी प्रदान करे । सामुदायिक वन विकास से प्राप्त सभी भौतिक लाभ उपभोक्ता समूह को जाता था । इसी समय नेपाल में प्रजातन्त्र और बहुदल पार्टी प्रणाली के उदय के साथ विकेन्द्रीकरण प्रणली भी करवट ले रहा था ।

नेपाल में विकेन्द्रीकरण की नीति 1965 के बाद विभिन्न स्तरों में उभरी थी और 1983 में विकेन्द्रीकरण कानून के रूप में स्थापित हुई । इस कानून ने एक महत्तवपूर्ण आधार को तैयार किया और उपभोक्ता समूह अवधारणा के माध्यम से स्रोत व्यवस्थापन को सरकार ने स्थानीय समुदायों को समर्पित कर दिया । इस कानून के मार्फत् से सरकार ने यह प्रयास किया था कि स्थानीय वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित विकास कार्यो में प्रवेश करा कर शक्ति अपने हाथ में रखा जा सकता है, लेकिन प्रजातन्त्र के पुनर्बहाली के बाद यह प्रयास निश्चेष्ट हो गया । 1996 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में एक नयी उच्च स्तरीय विकेन्द्रीकरण समिति की स्थापना हुई । समिति के नीति सुझाव निम्न लिखित रूप से हैं - स्थानीय स्तर पर सहभागी विकास और निर्णय निर्माण दृष्टिकोण का अनुसरण करना; स्थानीय स्तर पर स्रोतों का परिचालन और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को संस्थागत रूप देना । आयोग के रिपोर्ट ने यह भी सूचित किया कि स्थानीय सरकार द्वारा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त आम्दानी से

संबंधित विवाद 'वन कानून' और 'नेपाल खदान कानून' के परस्पर विवादास्पद प्रावधानों के कारण उत्पन्न होते आए हैं । फलस्वरूप इस आयोग ने इनके संशोधन या समाप्ति का सुझाव दिया । लेकिन रिर्पोट सामुदायिक वन उत्पादनों के व्यवस्थापन और इन के उपभोग के विषय में मौन रहा । स्थानीय स्वशासन बिल तैयार हो चुका है और संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है । एक बार कानून का स्वरूप लेने के बाद यह सरकार के विकेन्द्रीकरण जैसे नये प्रयास को एक कानूनी ढांचे में लागू करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

नेपाल के 1990 के संवैधानिक बूंदें नें विकेन्द्रीकरण के माध्यम से लोगों को शक्ति के स्रोतों के रूप में स्थापित किया है । आर्टिकल 26 (3) के अनुसार सरकार राष्ट्र के प्राकृतिक स्रोतों और राष्ट्रीय सांस्कृतिक (ऐतिहासिक) संम्पत्तियों का इस प्रकार सें परि-चालन करे कि राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं लाभदायक हो सके । यद्यपि आर्टिकल (26) ने विशेष रूप से सामुदायिक वानिकी का उल्लेख नहीं किया फिर भी इसने सामुदायिक वानिकी के लिए कानूनी सहमति का प्रावधान दिया जो स्थानीय वन उपभोक्ता समूह के इर्दगिर्द घूमता था जिसके द्वारा वन का संरक्षण, व्यवस्थापन और उपभोग होता है ।

1993 के नये वन कानून और 1995 के 'वन नियमों' के अनुसार श्री ५ के सरकार (नेपाल) ने वन उपभोक्ता समूह को, एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्रदान किया । विस्तृत प्रावधानों के माध्यम से वन उपभोक्ता समूह के निर्माण, उनके कार्य योजना का निर्माण, उन्हे वन हस्तांतरण, उपभोक्ता समूह के कोशों का व्यवस्थापन, वन उत्पादनों का संकलन, विक्री, और लाभांश विभाजनों का व्यवस्थापन आदि सुनिश्चित किया गया । यदि जिला वन अधिकृत किसी भी वन उपभोक्ता समूह को कार्ययोजना के अनुसार कार्य करते नहीं देखता तो उसे यह अधिकार प्राप्त था कि उस वन उपभोक्ता समूह के पंजीकरण को रद्द कर सके और सामुदायिक वन के स्वामित्व को पुन: अपने अधीन कर सके । वन उपभोक्ता समूह इसके विरूद्ध क्षेत्रीय वन निर्देशन के पास अपील कर सकता था ।

नये कानून और प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ वन हस्तांतरण की संस्था में वृद्धि की आशा थी । जिला वन अधिकारी द्वारा लक्षित उद्देश्य प्रत्येक वर्ष घटता रहा है क्योंकि उपभोक्ता समूहों के निर्माण और वन हस्तांतरण की प्रक्रिया में उपयुक्त मांगे और आवश्यकताएं इतनी बढ् गई है, जो वर्तमान अधिकारियों के वश की बात नहीं है । 1987/88 के तथ्यांक के अनुसार सामुदायिक वन प्राप्त वन उपभोक्ता समूह की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई थी । 1997 के अंत में 6,022 वन उपभोक्ता समूह थे जिसमें पूरे नेपाल के 59 जिला के 6 लाख 40 हजार घर (मकान) शामिल थे । लेकिन सामुदायिक वन कानून, नीतियों और कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से लागू किए गए । जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकट भविष्य में बढ्ने ही वाली है न कि घटने वाली । वन नितियों के प्रति नौकर शाही का रवैया भी नये

सामुदायिक वन कानून के रास्ते में अड्चन थी । नेपाल में कुछ सरकारी वन अधिकृत वन स्रोतों के स्वामित्व और व्यवस्थापन के लिए स्थानीय लोगों के अदक्ष अधिकारों में विश्वास करते थे । राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जन्तु संरक्षण कानून 1974 के तहत 'बफर क्षेत्र' व्यवस्थापन कानून 1996 ने नेपाल के 'बफर क्षेत्र' के लिए संगठित उपभोक्ता समूह को बढावा दिया । इसी तरह 'जल स्रोत कानून 1992' ने सिंचाई कार्यक्रमों के स्थायी विकास के लिए 'जन उपभोक्ता समूहों' के पंजीकरण के लिए एक कानूनी स्वरूप प्रदान किया ।

यद्यपि संविधान साधारण रूप सें विकेन्द्रीकरण के आधारभूत ढांचे को दर्शाता है । फिर भी स्थानीय प्रशासन के प्रभावकारी परिचालन में उपेक्षा और विकेन्द्रीकरण के स्पष्ट नीतियों की कमजोरियाँ नजर आती हैं । तीन स्थानीय प्रशासन कानून बना गए, वे थे, गाँव विकास समिति कानून 1992, नगरपालिका कानून 1992, और जिला विकास समिति कानून 1992 । ये कानून संविधान के निर्देशिकाओं को लागू करने के लिए बनाए गए थे । इन कानूनों ने 'दो पहिए' स्थानीय प्रशासन इकाईयों का प्रावधान किया था, वे थे 'तृण मूल' स्तर पर गाँव विकास समिति या नगरपालिका और जिला स्तर पर 'जिला विकास समिति' । इन इकाईयों से विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया द्वारा तथा स्थानीय इकाईयों को विकास का अधिकार के द्वारा सहभागी प्रजातंत्र और स्थानीय विकास का पूर्वाधार तैयार हुआ । इस तरह सरकार विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के प्रति प्रतिवद्ध दिखी ।

कानून में गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए भी एक भूमिका की व्यवस्था की गई ताकि वे जनता की सहभागिता को बढा सकें और स्थानीय इकाईयों और विकास कार्यकलापों के बीच संबन्ध स्थापित करने का काम कर सके । प्रत्येक गाँव विकास समिति क्षेत्र में गाँव विकास परियोजना के देख-रेख, मूल्याँकन और व्यवस्थापन आदि के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को कार्यभार सौंप कर गाँव विकास समिति निश्चिंत हुई थी । लेकिन इन गैर-सरकारी संस्थाओं के अधिकार कर्त्तव्य और कार्यो में संकीर्णता दृष्टिगत होती थी ।

यद्यपि ये कानून लागू किए गए थे और 'स्थानीय स्व-शासन बिल' संसद में पेश किया जा चुका था, दक्षों ने कहा कि सामुदायिक विकास के लिए निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में लोगों के सहभागिता के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया था । ज्यादातर विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रसारित किए गए और उनका लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पडा कि नहीं, इसपर विचार नहीं किया गया । जिला विकास समिति ने यह पाया कि वे कार्यक्रम जो उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं किए गए थे, केन्द्र के द्वारा स्वीकृत किया जाता था । गाँव विकास समिति और उसके उपर के स्तरों में पारदर्शिता की कमी देखी जाती थी । लेखा परिक्षा भी कभी-कभी ही की जाती थी और लोग भी यदा कदा ही गाँव विकास समिति, नगरपालिका और जिला विकास समिति के आर्थिक पक्षों पर बात चीत करते थे । विकेन्द्रीकरण प्रक्रियागत असमंजसता का कारण

था । प्रशासक सूचनाओं की प्राप्ति में कमी, और वे अपने राजनितिज्ञ समकक्षियों से पेशागत आदर भाव की कमी महसूस करते थे । नौकर शाही नियंत्रण में रहने के ही अभ्यस्त हो गए थे । सांसदो और जिला स्तरीय राजनीतिज्ञों के कार्य सीमाओं के बीच अस्पष्टता थी । स्थानीय राजनीतिज्ञ यह चाहते थे की सांसद स्थानीय राजनीति से अलग रहें और अपना ध्यान और कार्यक्षमता कानून, नीतियाँ और काठमाण्डू पर केन्द्रित करें । 'गाँव विकास समिति' और 'वन उपभोक्ता समूह' के बीच संबंध के सिलसिले में कुछ दक्षों का यह विश्वास था कि साधारणत: 'गाँव विकास समिति' के सदस्य वन उपभोक्ता समूह के प्रति काफी सहयोगपूर्ण थे । सामुदायिक वानिकी अत्यधिक सफल हो सकती थी यदि 'गाँव विकास समिति' और 'वन उपभोक्ता समूह' आत्मनिर्भर और विश्वास के साथ काम करें । 'गाँव विकास समिति' और 'वन उपभोक्ता समूह' के बीच के समन्वयात्मक संबंध के महत्व को पहचान कर वन विभाग ने 'गाँव विकास समिति' के सदस्यों को सामुदायिक वन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की थी । निश्चित रूप से 'उपभोक्ता समूह' की अपेक्षा गाँव विकास समिति को अधिक जनादेश प्राप्त था । लेकिन प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पर 'उपभोक्ता समूह' का ध्यान केन्द्रित होना, उपभोक्ता समूह को और अधिक दक्ष बनाने में सहयोग प्रदान के लिए एक अच्छा अवसर था । ये अवसर 'गाँव विकास समिति' को प्राप्त नही था । यदि इन दोनों इकाईयों के बीच समन्वय के लिए प्रक्रियागत कार्य होते तो ये दोनों इकाईयाँ एक दूसरे के पूरक होते । इसके असफल होने जाने से व्यवस्थापन और प्राकृतिक स्रोतों के स्थायी उपयोगों के बीच करीव-करीव एक वृहत अन्तराल हो सकता था । यह विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन के सिद्धान्तों और नीतियाँ का रूकावट होता ।

विकास की अवस्था में परस्पर विरोध हमेशा से उत्पन्न होते थे । वे लोग जिन्होंने नए नियम और कानून बनाए उन्हें महसूस करना चाहिए कि उन्हें बाह्य क्षेत्र का अनुभव नहीं है । जरूरत थी एक ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया की जो तुरंत प्रत्युत्तर दे सके और विवाद को दूर करने की कोशिश कर सके । सामुदायिक वानिकी से संबंधि भिन्न-भिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते थे और साथ ही सामुदायिक वानिकी से संबंधित कानूनी दोहरापन भी मौजूद था । उदाहरण के तौर पर वन उपभोक्ता समूह के निर्णय और कार्यो के उपर वन कानून अधिकार में परस्पर विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखता था । वन विभाग के आधिकारिक श्रृंखला के अनुसार अंतिम निर्णय का अधिकार 'वन क्षेत्र व्यवस्थापन समिति' (MOFSC) के पास था न कि लोगों के पास जैसा कि 1990 के संविधान में उल्लिखित है । सामुदायिक वन की सफलता के लिए इस तरह की भाषा में संशोधन और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली शक्ति निक्षेपण संबंधि अनिश्चितता का दूर होना आवश्यक था । कुछ नियम ऐसे भी थोपे गए थे जो बिना कारण के वन उपभोक्ता समूह को शर्तों में बांधते थे और नियंत्रित करते थे ।

यदि कोई जिला वन अधिकृत किसी सामुदायिक वन को वन उपभोक्ता समूह से खारिज कर देता था तो इसके विरूद्ध में क्षेत्रीय वन निर्देशक के पास अपील किया जा सकता

था और उसका निर्णय अंतिम होता था । कोर्ट में जाने के लिए किसी भी प्रावधान का अस्तित्व नहीं था । चूँकि जिला वन अधिकृत और क्षेत्रीय वन निर्देशक दोनो ही (वन क्षेत्र व्यवस्थापन समिति) MOFSC के कर्मचारी थे इसलिए यह निश्चित था कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात पूर्ण होते, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन होता था । इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक देखने की जरूरत थी क्योंकि जिला वन अधिकृत उस निचले तबके के कर्मचारी के रिर्पोट के आधार पर सामुदायिक वन को उपभोक्ता समूह से खारिज करता था जिसकी अपनी ही तकनीकि दक्षता शंकापूर्ण थी । सूक्ष्म अवलोकन से दूसरे कई और दोहरेपन और विरोधाभासित मुद्दे सामने आए ।

वन और विकेन्द्रीकरण कानून के बीच एक विरोधाभास संबंधि समस्या थी । स्थानीय प्रशासन इकाईयों के सदस्य साधारण रूप से यह विश्वास करते थे कि 'गाँव विकास समिति' या 'जिला विकास समिति' के क्षेत्र अन्तर्गत पडने वाले वन 'गाँव विकास समिति' या 'जिला विकास समिति' के संम्पत्ति थे । क्योंकि वन कानून ने 'गाँव विकास समति' या 'जिला विकास समिति' के राजनीतिक श्रृंखलाओं को अनदेखा कर दिया था, और यह आर्थिक कमी के कारण अव्यवस्थित ही रहता, जबकि वन उपभोक्ता समूह के पास विकास कार्य के लिए अत्यधिक स्रोत थे । यदि विकेन्द्रीकरण कानून कडाई के साथ अनुसरित किए जाते तो सामुदायिक वन कार्यक्रम को राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पडता । इस तरह 'गाँव विकास समिति' और 'जिला विकास समिति' के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणात्मक बदलाव लाने के लिए सचेतक कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण उपयोगी होते क्योंकि वन उपभोक्ता समूह, 'गाँव विकास समिति' और 'जिला विकास समिति' एक दूसरे पर निर्भर करते थे और वे सब एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील थे ।

वन कानून 1993 और विभिन्न विकेन्द्रीकरण कानूनों की भाषाओं में असमानता के कारण भी असमंजसता उत्पन्न हुई । 'जिला विकास समिति' कानून, और 'गाँव विकास समिति' कानूनों ने 'जिला विकास समिति' और 'गाँव विकास समिति' को उपभोक्ता समूह के उपर, उनके निंर्णय प्रक्रियाओं के उपर, एवं परियोजना परिचालन के उपर, उन्हें अपरिवर्त्तिनिय अधिकार सौंपे । यद्यपि वन कानून के तहत पंजीकृत 'वन उपभोक्ता समूह' और 'जिला विकास समिति' या 'गाँव विकास समिति' कानून के अन्तर्गत बनाए गए 'उपभोक्ता समूह' के बीच काफी अन्तर था, फिर भी जब तक जिला वन अधिकृत 'जिला विकास समिति' के मातहत में था तब तक 'वन उपभोक्ता समूहों' के स्वायत्तता को बचाए रखना और विवादों को रोकना काफी कठिन था । उसी तरह वन कानून और दूसरे कानूनों जैसे जनता सडक कानून 1974, जल स्रोत कानून 1992, और दूसरे विकास मूलक विधानों के बीच विरोधाभास मौजुद थे । सर्वोच्च अदालत ने प्रस्तावित किया था कि 1961 का वन कानून एक विशेष कानून का था जिसके तहत वन व्यवस्थापन के लिए विशेष प्रावधान थे और इसलिए वन व्यवस्थापन के लिए यह

कानून अस्तित्व में रहना चाहिए । इस मुद्दे पर बहस किया गया कि चूँकि वन विभाग की कार्य योजनाओं में विवाद समाधान शामिल नहीं है, इसलिए श्री ५ के सरकार को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शिथिल नहीं होना चाहिए, विवादों को इसका रूकावट नहीं बनने देना चाहिए ।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन खास कर वन स्रोत तथा उपभोक्ता समूह और गैर-सरकारी संस्थाओं से संबंधित 'गाँव विकास समिति' कानून, 'जिला विकास समिति' कानून, तथा स्थानीय स्वशासन बिल विभिन्न प्रकार के पूरकत्व, विरोधाभास और अन्तरालों से परिपूर्ण थे । स्थानीय इकाईयों और उपभोक्ता समूहों के बीच संबंध और समन्वय को वर्गीकृत और परिभाषित करने के लिए यह एक उपयुक्त समय था । स्थानीय इकाईयाँ अन्ततोगत्वा अधिक अधिकार सम्पन्न होतीं और करों, शुल्कों तथा लेवी के संकलन के लिए भी आधिकारिक रूप से जिम्मेवार होतीं । जिससे प्राकृतिक स्रोतों पर अत्यधिक असर उपभोक्ता हो सकता था और फलस्वरूप प्राकृतिक स्रोतों की ह्रास की स्थिति आ सकती थी । इसलिए नीति लेखकों ने यह सुझाव दिया कि इन अन्तरालों और विरोधाभासों को तभी व्यवस्थापित किया जा सकता था जबकि नेपाल के वन स्रोतों का स्थायी व्यवस्था स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक संस्थाओं में सहयोग में किया जाए ।

1993 का वन कानून, वन विधान, पर्यावरण संरक्षण कानून 1996, और पर्यावरण संरक्षण विधान 1997 का सावधानी पूर्वक निर्माण किया गया ताकि वे दोनो अर्थपूर्ण और व्यवहारिक हों । साथ ही सरकार ने यह महसूस किया की गैर-सरकारी संस्थाओं और स्थानीय लोगों का साथ मिल कर काम करना अत्यन्त आवश्यक था । फलस्वरूप नयी-नयी संस्थाएं उभर रही थी । संस्थाओं के बीच के संबंध को बढावा दिया जा रहा था और, सामुदायिक वन का क्षेत्र तेजी से बढ रहा था । लेकिन रूकावटें उसी प्रकार हतोत्साह करने वाली थीं । नीतियों का निर्माण और उनका पुनर्निमाण, कानून बनाना और उनका संशोधन और, अधिक संख्या में उपभोक्ता समूह को बनाने का लक्ष्य आदि सभी स्थायी और समानता के सिद्धान्त पर आधारित सामुदायिक वन कार्यक्रम को लागू करने की अपेक्षा अधिक सहज थे ।

इन रूकावटों में सबसे महत्वपूर्ण रूकावटें थीं, जमीन के स्वामित्व संबंधि असुरक्षात्मक अवस्था, और वन विभाग के निर्णय के विरोध में जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की कमी । यदि वन उपभोक्ता समूहों के समय, कोशिशों और भौतिक लगानी के फलस्वरूप अच्छे परिणाम उपलब्ध नहीं होते तो उपभोक्ता समूह पूर्ण रूप से इसमें सहभागी होने में अनिच्छुक होते । इसके विपरीत वे व्यवस्थापन प्रणालियों पर दबाव देने के लिए पूर्ण रूप से निश्चित थे जिससे भौतिक सुविधाओं का बढते क्रम में लाभ सिद्ध था । संस्थागत धीमेपन के इतिहास को समाप्त होने की आवश्यकता थी शायद अधिक महत्वपूर्ण, असल रूकावटें मौजूद थीं, अधिक काम का बोझ, बढी हुई

जिम्मेवारियाँ, सफल शुरूआतों के उपर नियन्त्रण का खोना और वर्तमान कमजोरियों और कमियों से प्राप्त लाभों का खोना आदि । जब तक सामुदायिक वन परिचालन वन विभाग के इच्छा पर निर्भर करता रहता तब तक ये आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण, लोगों की कार्य की आत्मा और कानून दोनों को प्रभावित करते रहते ।

साथ ही सामुदायिक वन कार्य योजना को अभी भी 'उपभोक्ता समूहों' के अधिकारों को सीमित करना बाँकी था । कार्य योजना को तैयार करते समय जिला वन अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते थे । वन कानून की सीमाओं से उपभोक्ता क्या प्राप्त कर सकते थे, यह स्पष्ट नहीं था जिससे बहुत से कार्ययोजना, नीतियों और विधानों के विषय वस्तु को अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित नहीं करते थे । अभ्यास और नीतियों के बीच कायम धीमापन न केवल प्रगति के रूकावट का कारण बना बल्कि उस सामान्य विश्वास को भी बढावा दिया कि सरकार प्रायोजित कार्यक्रम सरकार के लिए ही थे न कि सामान्य समुदायों के लिए । वन अधिकृतों के बीच वनों के संरक्षण के प्रति अनिच्छा बरकरार थी ।

सरकार के विभिन्न संस्थाओं और (वन क्षेत्र व्यवस्थापन समिति) MOFSC के साथ वन विभाग का काम करना आवश्यक था ताकि कानून के विभिन्न पक्षों को 1992 के वन कानून के साथ एकरूप बनाया जाए । कानून का संशोधन उस तरह से होना आवश्यक था ताकि वह 'गाँव विकास समिति' के भूमिका को मध्यस्थकर्ता के रूप में स्थापित करे । कानून में सलाहकारों का भी प्रावधान होना चाहिए था, और ये सलाहकार भी 'गाँव विकास समिति' के सदस्य हो सकते थे । कानून को एक ऐसे प्रावधान की व्यवस्था करनी चाहिए जिसके अनुसार 'वन उपभोक्ता समूह' 'गाँव विकास समिति' के प्रतिनिधियों को जब भी संभव हो अपने बैठको में आमंत्रित करें और आवश्यकता पडने पर समस्या के समाधान के लिए भी सलाह लें । लेकिन इससे पहले गाँव विकास समिति, वन उपभोक्ता समूह को एक स्वयात्त संस्था के रूप में देखें और उनकी स्वायत्तता और निर्णयों का आदर करें तथा उनके योगदानों की पहचान करें । गाँव विकास समिति और जिला विकास समिति अपनी भूमिकाओं को सहयोग कर्ता और सुविधा उपलब्ध कर्ता के रूप में देखें । उन्हें सामुदायिक वानिकी को एक दीर्घकालीन परियोजना के रूप में देखना चाहिए और वन उपभोक्ता समूह को उनके उपभोक्ता समूह के रूप में देखना चाहिए जिन्हें उनके स्वयं के कानून उन्हें बढावा दें । सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ न कि दर्जे में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप । 1990 से पहले बहुत से नेपाली ग्रामीण वनों को 'सरकारी वन' कह कर बुलाते थे लेकिन अब वे इन्हें 'हाम्रो वन' कह कर संबोधित करते हैं । इस तरह का परिवर्तन चार सालों के अन्तराल में हुआ था । यद्यपि सामुदायिक वन कार्यक्रम राष्ट्र के वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अत्यन्त ही प्रभावकारी कार्यक्रम था लेकिन फिर भी वन उपभोक्ता समूह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे । कानूनी और नीतिगत ढाचों में विकास लाना चाहिए और उन्हें इस तरह से

संशोधित करना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रगत नीतियों और कानूनों पर पडने वाले उनके विपरीत प्रभावों को कम किया जा सके । समय की यह मांग थी कि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित इकाई के साथ गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया जाए और कार्यक्रम को सफल बनाया जाए ।

वन उपभोक्ता समूह: नेपाल के वनों के व्यवस्थापन के लिए स्वशासित संस्थाए ।

द्वारा ए.एल. जोशी

नेपाल में 4.5 मिलिमन हेक्टर वन जमीन हैं, जो इस राष्ट्र के 37 प्रतिशत जमीन में फैले हुए हैं । ये वन जमीन विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं । इस क्षेत्र में वन जमीन का क्षेत्रफल छोटा होना और छोटे-छोटे समूहों में वसो-वास की प्रकृति के कारण वन व्यवस्थापन के लिए सामुदायिक वानिकी ही एक मात्र अन्तिम विकल्प था । तराई क्षेत्र में वन दूर-दूर तक फैले हुए थे और जिनमें वसो-वास का चलन नहीं था इसलिए इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक वानिकी के साथ-साथ व्यापारिक वन व्यवस्थापन संभव था । नेपाल की अर्थव्यवस्था भूमि आधारित थी और अधिक से अधिक लोग कृषि पर निर्भर करते थे । नेपाल के कृषि प्रणाली में वन एक अविभाज्य अंग था और पर्वतीय कृषि के उत्पादकत्व को बरकरार रखने में सहायक था । वन उत्पादक का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता था, इनका अत्याधिक उपयोग मध्य पहाड और (शिवालिक श्रृंखलामें) में और तराई में होता था । मध्य पहाड और शिवालिक श्रृंखला के वन के उत्पादन गृह कार्यो के लिए उपयोग में लाए जाते थे जबकि तराई के वनों कि कटाई गैर कानूनी रूप से होती थी और टिम्बर की बिक्री नेपाल तथा भारत के बाजारों में की जाती थी ।

1951 तक वनों का उपयोग साधारणत राष्ट्रीय सरकार के लिए आए उपलब्ध कराने के लिए होता था, लेकिन इस साल नीति बदल गई और आय प्राप्ति का स्रोत बनाने की अपेक्षा वनों के व्यवस्थापन की नीति पर जोर दिया गया । वन व्यवस्थापन से संबंधित सरकार का पहला कदम वह था जब 1957 में नीजी वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया । राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था बढ्ते हुए नीजी नियंत्रण को सिमित करना और लोगों तथा राष्ट्र के लाभों की रक्षा करना । लेकिन कानून का अर्थ और उसके मर्म के प्रसारण में असफल होने के कारण, तथा तत्पर व्यवस्थापन के कार्यकलापों में कमी के कारण तथा-कथित वन के स्वामियों ने वनों का नाश करना आरंभ कर दिया और, इस प्रकार वन जमीन नीजी कृषि जमीन में परिवर्तित होने लगे । वन संरक्षण व्यवस्थापन और क्रय-विक्रय से संबन्धित कोई भी क्रियाकलाप वैज्ञानिक नहीं थे । इस तरह की नीतियों ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को बढाया और इस तरह सरकारी अधिकारियों और स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच का अन्तराल भी बढा । यह प्रक्रिया करीब 20 सालों तक चली और तब जा कर सरकार ने यह

महसूस किया कि पिछले कुछ विधानों और कार्यकलापों के नकारात्मक परिणामों का पुनरावलोकन आवश्यक था ।

सामुदायिक वन कानून सर्वप्रथम वन कानून 1961 के तहत 'पंचायत वन' और 'पंचायत सुरक्षित वन नियम' 1978 के रूप में लागू किया गया । उन जगहों पर जहाँ कि वनों के पास उपभोक्ता समुदाय थे, इन नियमों ने स्थानीय गाँव पंचायत को वन हस्तांतरित किया । स्थानीय उपभोक्ताओं को वन हस्तांतरित किया जाए, ऐसी मांग की गई, जो कि अधिक व्यवहारिक थी । 1987 में 'सामुदायिक वन नियम' का संशोधन हुआ जिसके तहत वनों का सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित होना निश्चित हुआ । 1989 में एक राजनीतिक आंदोलन ने पंचायत प्रणाली का नेपाल में अंत किया और प्रजातंत्र की स्थापना हुई । नए प्रजातंत्र के माहौल में 1993 वन कानून और । 1995 'वन नियम' आदि लागू किया गया और जिनके माध्यम से वन उपभोक्ता समूहों को अधिक अधिकार और जिम्मेवारियाँ दी गई । सामुदायिक वन उन लोगों के द्वारा व्यवस्थापित हुए जिन्हें वास्तव में वनों की जरूरत थी, और जो वन का व्यवस्थापन कर सकते थे । उसी तरह वन विभाग के सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षण और तकनीकि सहयोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए । वन कानून 1993 का 'सामुदायिक वन विभाग' पूरे विश्व में अत्यधिक लोक प्रिय हुआ और इसे प्रगतिशील, आधुनिक और अतुलनीय कानून की संज्ञा दी गई । एक सरसरे तौर के अध्ययन ने यह रिर्पोट दिया है कि 61 प्रतिशत नेपाल के वन क्षेत्र "सामुदायिक वन" के काबिल हैं ।

लेकिन 'सामुदायिक वन' कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने के लिए कुछ अन्तरालों रूकावटों और विवादों को व्यवस्थित करना बाँकी ही था । 'सामुदायिक वन' को वन विभाग के कर्मचारियों के सहयोग की अधिक आवश्यकता थी, खास कर जब प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक वन उपभोक्ता समूह बनाए जा रहे थे, लेकिन इसके विपरीत 'वन विभाग पुनर्व्यवस्थापन 1992' के तहत वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई । जबकि सामुदायिक वन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रगति पर था वहीं बहुत से कारणों के कारण तराई में वन उपभोक्ता समूह का निर्माण धीमी गति पर था ।

1995 के उप-कानूनों के लागू होने के बावजूद कुछ कमजोरियाँ अभी भी वर्तमान थीं । ये कमजोरियाँ पाक्षिक रूप से निम्नलिखित कारणों के कारण विद्यमान थीं, 'वन उपभोक्ता समूहों' के अनुपयुक्त कार्यकलापों के प्रति वन विभाग की सीमित प्रतिक्रिया, सामुदायिक विकास कार्यो पर व्यय करने के लिए वन उपभोक्ताओं को निर्देशिकाओं की आवश्यकता, और 'वन उपभोक्ता समूह' और 'गाँव विकास समिति'/वार्ड के बीच सामुदायिक वन व्यवस्थापन के संबंध में अस्पष्ट संबंध ।

दूसरा मुद्दा नेपाल के बढते हुए विकेन्द्रीकृत सरकार प्रणाली से संबंधित था । साथ ही यह भी सत्य था कि वन उपभोक्ता अभी भी आधिकारिक रूप से 'गाँव विकास समिति'

और 'जिला विकास समिति' से जोडे नहीं गए थे । चूँकि सामुदायिक वन व्यवस्थापन की आधारभूत जिम्मेवारी वन उपभोक्ता समूह को ही दी जानी चाहिए, इसलिए इन्हें स्थानीय प्रशासन संस्थाओं के समन्वयात्मक भूमिका के साथ जोडा जाना चाहिए । वर्तमान समय में विकेन्द्रीकरण कानून और वन कानून के समीक्षा के क्रम में विभिन्न विवादस्पद और दोहरे पन की प्रवृत्ति से परिपूर्ण प्रावधान पाए जा सकते हैं, खास कर 'सामुदायिक वन' प्रावधान । दोनों उपर्युक्त कानूनों ने विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्तर पर शक्ति सम्पन्नीकरण के सिद्धान्त पर कार्य किया । लेकिन पंचायत के नेताओं का सामुदायिक वन पर नियंत्रण का पूर्व प्रयास असफल रहा, और बाद के कानूनों ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता स्वयं ही वन व्यवस्थापन में गतिशील और अधिकार सम्पन्न हों ।

बहुत से पूर्वाधारों के कारण मजबूत 'वन उपभोक्ता समूह' की स्थापना से समूह के आर्थिक कोषों में बचत हुई । क्योंकि इन उपभोक्ता समूहों का वन व्यवस्थापन, स्वयंसेवक पद्धति द्वारा, वन उत्पादनों के विक्री से प्राप्त आय से तथा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त, अनुदान से होता था । आरंभ में सारे आर्थिक कोष वन विकास में केवल व्यय किए जाते थे लेकिन जब आर्थिक बजट में इजाफा होने लगा और वन कार्यक्रमों में रूपयों की आवश्यकता कम होने लगी, तब सरकार ने कानून में संशोधन किया कि वन उपभोक्ता समूह के बचे हुए आर्थिक कोष दूसरे सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में खर्च किए जा सकते हैं, जैसे कि पीने का पानी, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य, सफाई, सडक और सामाजिक कार्यो आदि । फलस्वरूप अधिक सामुदायिक कार्य होने लगे, बनिस्पत उसके जब केवल सरकारी बजट को ही इन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था । फलस्वरूप उपभोक्ताओं की सोचों पर सकारात्मक प्रभाव पडा । इस तरह सामुदायिक वन के माध्यम से प्राप्त आर्थिक स्रोत ने 'सामुदायिक वन' के लिए यह संभव किया कि 'सामुदायिक वन' केन्द्र बन कर अपने इर्द गिर्द के स्थानीय विकास के लिए कार्य कर सकें ।

नेपाल में वन व्यवस्थापन के लिए सामुदायिक वानिकी एक मात्र वैकल्पिक व्यवस्था थी । यह विकेन्द्रीकृत और प्रजातांत्रिक थी और सभी प्रकार के उपभोक्ता इसमें समावेश किए जा सकते थे । जिन स्रोतों से सामुदायिक वानिकी की उत्पत्ति हुई उससे संभव हुआ कि सामुदायिक वानिकी सामुदायिक विकास के लिए एक प्रभावकारी कार्ययोजना हो सकती थी । वर्तमान कार्यक्रमों को अवश्य ही निरंतरता दी जाए तथा स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ, और सरकारी संस्थाएं सामुदायिक वन के कार्यक्रमों की योजनाओं, ढांचा निर्माण और समन्वय आदि को रूप देनें में अपनी भूमिका निभाएं ।

सहभागियों की प्रतिक्रियाएं

कल्याण राज पांडे, समूह नेता, सहभागी जिला विकास कार्यक्रम, यू.एन.डी.पी, नेपाल ।

"मैं वन विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन मैंने 'सहभागी जिला विकास कार्यक्रम' के नाम से विदित विकेन्द्रीकरण और स्वप्रशासन कार्यक्रम में काम किया है । यह कार्यक्रम 'यू.एन.डी.पी.' और 'राष्ट्रीय योजना आयोग' द्वारा नेपाल के २० जिलों में संचालित किया जा रहा है । मैं इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए कुछ मुद्दों पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ । श्री जोशी ने कहा कि विकेन्द्रीकरण लागू नहीं हो रहा है क्योंकि केन्द्र नहीं चाहती है कि शक्ति उसके हाथ से जाए । जब कि श्री जोशी स्वयं ही एक सरकारी मुलाजिम है, इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं ही विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते हैं । मैं उनके मुद्दे सें सहमत हूँ । यद्यपि विकेन्द्रीकरण बहुत सालों से एक विषय के रूप में रहा है, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि विकेन्द्रीकरण के नियम और कानून केन्द्र स्वयं के द्वारा बनाये जाते हैं । फिर हम इन नियमों और कानूनों के माध्यम से कैसे विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं । यदि हम विकेन्द्रीकरण और स्व-शासन के विषय में सोचते हैं तो, इसकी प्रक्रिया तृण-मूल स्तर पर आंरभ होनी चाहिए । अर्थात् विभिन्न 'उपभोक्ता समूहों' का परिचालन और उनके कार्यक्षमता में विकास होना चाहिए । 'सहभागी जिला विकास कार्यक्रम समुदाय', 'गाँव विकास समिति', और 'जिला विकास समिति' के साथ उनके क्षमता वृद्धि के लिए, और विकास के कार्यक्रम, उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं । मेरे विचार से कानून संशोधन एक मुश्किल कार्य है । अगर संसद स्व-शासन बिल को पारित करता हैतो 36 दूसरे नियम और कानून संशोधित होने चाहिए । कौन सभी नियमों को बदलना चाहेगा ? इच्छा हो भी तो कौन भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों और संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा । तकनीकि क्षमता के साथ-साथ 'गाँव विकास समिति' और 'जिला विकास समिति' को हमें जिम्मेवारियाँ देनी होंगी । यदि हमें विकेन्द्रीकरण और स्व-शासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें श्रेणी संस्थाओं (केन्द्रकी संस्थाए) और स्थानीय इकाईयों के बीच के विवाद को खत्म करना होगा ।"

सूर्य अधिकारी, कानून अधिकृत, वन विभाग, श्री ५ सरकार, नेपाल ।
"कानूनों को हर वक्त संशोधित किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की गोष्ठी के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके अनुसार कानून बनाए जा सकते है । किस प्रकार स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों' के साथ समन्वयक और जिम्मेवार बनाया जा सकता है ? इसके लिए किस प्रकार की नीतियों को बनाना चाहिए ? किस प्रकार वन कानून और विकेन्द्रीकरण कानून को एक दूसरें का पूरक बनाना चाहिए ? हमें इन विषयों पर सोचने की आवश्यकता है । स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए ।

राकेश शर्मा, उप-निर्देशक, उत्तर प्रदेश अकादमी प्रशासन, नैनीताल, उत्तरप्रदेश, भारत ।
"श्री जोशी ने कहा कि 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह' अवश्य बढना चाहिए । अगर

ऐसी बात है तो समय में ही पिछडे हुए आवेदनों पर कारवाही होनी चाहिए । नेपाल का सामुदायिक वन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है लेकिन विकेन्द्रीकरण विकास प्रक्रिया को 'गाँव विकास समिति' के माध्यम से जोडा जा रहा है । गाँव विकास समिति को सामुदायिक वन कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिया जाता है लेकिन सामुदायिक वन इस तरह के किसी भी प्रकार के सहयोग को प्राप्त नहीं करता है, और उससे स्व-निर्भर होने की अपेक्षा की जाती है । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के सभी देश सामुदायिक वन के मोडेल पर आधारित वन-केन्द्रीत विकास के विषय में सोचे ? सामुदायिक वन समूह को एक स्थानीय इकाई के रूप में क्यों नहीं देखा जाए, जबकि यह महसूस हो चुका है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सामुदायिक वानिकी एक महत्वपूर्ण इकाई है ।"

"मेरा दूसरा मुद्दा है कि सामुदायिक वन, वन विभाग के अधिकृतों द्वारा बनाया जाता है और यह वन विभाग की दया पर निर्भर करता है, जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के बिल्कुल खिलाफ है । जबकि सामुदायिक वन अन्य इकाईयों की अपेक्षा अधिक स्थानीय जानकारी रखता है, तब क्यों इसके कार्ययोजनाओं को वन विभाग अधिकृत द्वारा स्वीकृत होना पडता है, क्यों नहीं समुदाय स्वयं ही इसका निर्णय करता है ? सामुदायिक वन के लिए एक विस्तृत निर्देशिका होनी चाहिए । 'सामुदायिक वनों' का निर्माण समानान्तर इकाईयों के रूप में किया गया है लेकिन इनके बीच आंगिक संबंध स्थापित नहीं किया गया है । ऐसी अवस्था को यदि सुल्झाया नहीं गया तो और भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं । मुझे लगता है कि विकेन्द्रीकरण के नाम में 'सामुदायिक वन' को पहचाना जाना चाहिए ।"

विजयराज पौड्याल, जिला वन अधिकृत, नुवाकोट जिला, नेपाल ।
"हमने सुना है कि किस तरह वन कानून और नियम बदलते रहे हैं और एक दूसरे के साथ उलझते रहे हैं । साथ ही कभी-कभी राष्ट्रीय हित, सामुदायिक वन कार्यक्रम में रूकावट का काम करता हैं । अन्तर्राष्ट्रिय हक-हित भी कभी-कभी राष्ट्रीय और स्थानीय हितों के विरोधी हो जाते हैं । इस लिए इस मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए । चूँकि आय और इच्छा (हित) वन पर निर्भर करते हैं, इसलिए 'गाँव विकास समिति' 'जिला विकास समिति' और 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहो' को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए ।वन आधारित योजना प्रक्रिया होनी चाहिए । चूँकि सामुदायिक वन आय उत्पादन करता है इसलिए यह विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है । हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा हित क्या है ? देश का विकास ? गरीबी निवारण ? या महिलाओं की स्थिति को उपर उठाना ? जब तक महिलाओं को संम्पत्ति का तथा व्यवस्थापन का अधिकार और उपभोक्ता के अधिकार को निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है ।'

समस्त सहभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दे

“मुद्दा यह है कि किस तरह प्रजातंत्र को मजबूत किया जाए । जिस किसी भी समूह में आप हैं, लिङ्ग और समानता के सिद्धान्त पर आधारित प्राजातांत्रिक सिद्धान्त कडा होना चाहिए, और यदि मैं प्रजातंत्र में विश्वास करता हूँ, तो मैं निर्वाचित इकाईयों में विश्वास करता हूँ । हम सभी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं । मैं जन सहमति में विश्वास नहीं करता हूँ । गाँवों में जहां कहीं भी जन सहमति दृष्टिकोण ने अपना पाँव जमाया है, वहाँ हमेशा शासक वर्ग ने अधिकार के पदों पर अपना वश किया है । जन सहमति के माध्यम से सीमान्त समूहों और महिलाओं को सामने नहीं लाया जा सकता है । आप इसका उदाहरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी महिलाएं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में हैं और, कौन से पद पर है । मुझे बहुत से स्थानों पर यह पता चला है कि जैसे ही नकद प्राप्त हो जाता है, उसी समय महिलाओं को (सा.व.स.की सदस्य महिलाओं) इस्तिफा देने के लिए कहा जाता है । संवैधानिक रूप से निर्वाचित इकाईयाँ इसके उत्तर हैं, चाहे वे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जल उपभोक्ता समूह, या सडक उपभोक्ता समूह आदि हों । जरूर त यह है कि सभी समूह स्थानीय निर्वाचित समूह के सहयोग करें और समन्वय स्थापित करें ।

हमें कानून और नीतियों में वर्तमान दोहरेपन को अवश्य दूर करना चाहिए । हमने यह भी देखा है कि जब लोगों के द्वारा कोई कार्यक्रम आरंभ किया जाता है तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है लेकिन जब कोई कार्यक्रम नौकरशाही के माध्यम से शुरू होता है तो विवाद उठते हैं । इसलिए मैं सोचता हूँ कि ‘उपभोक्ता समूहों’ को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ।

नियम और कानून एक तरफ हैं और ‘उपभोक्ता समूह’ दूसरी ओर, लेकिन फिर भी समुदाय इसे व्यवस्थित करने में सफल रहा है । नियम और कानून जब मूल स्तर के माध्यम से बनाए जाएंगे तभी ये व्यवहारिक और सत्यपरक होंगे । सिद्धान्तों के अनुसार ही केवल बनाए गए कानून और नियम कारगर नहीं होंगे ।

राष्ट्र और राज्य स्तर पर शुरू की गई विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया वर्ग गत थी, जो कारगर नहीं हुई है । विकेन्द्रीकरण का मुद्दा भी क्षेत्र आधारित जरूरतों को प्रतिबिम्बित करता है न कि वर्गगत दृष्टिकोणों को । जब विकेन्द्रीकरण का आरंभ होगा तब करीब-करीब स्वत: ही सभी प्रकार के राष्ट्रीय कानून प्रभावित होंगे ।

दूसरा मुद्दा कानूनों के सिलसिले से संबंधित है । इसके तहत करीब-करीब सभी देशों में बजट आफिस के आदेशों पर आधारित होते हैं और, विशेष संस्थाओं के दीवारों के बीच क्या होता है । क्या हम उन आँफीसों के आर्डर पर आधारित आर्थिक खर्चों की

अनुमति दे सकते हैं । आर्थिक स्रोत नीतियों के परिचालन को निश्चित कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर भारत में 'संयुक्त वन प्रबंध' एक आफीस के आर्डर पर निर्भर करता हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधान यह है कि वन कार्य जो गाँवो से जुडे हुए हैं, उन्हें वन पंचायत को दिया जाता हैं ।

"उपभोक्ता समूहों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे अपने व्यवस्थापन संबंधित निर्णय स्वयं लें जो उनके भोगौलिक अवस्था के अनुसार हों और इस प्रक्रिया में स्थानीय निर्वाचित इकाईयों के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ।"

"प्रश्न है राजनीति, विकास और लोग । प्रत्येक क्षेत्र में इनके बीच समन्वय और संतुलन होना चाहिए ।"

"हमें कानूनों में वर्तमान दोहरेपनको दूर करने के उपाय के विषय में सोचना चाहिए । हम किस प्रकार के कानून बनाएं जो तृण-मूल स्तर के लोगों के लिए लाभदायक हों ।"

"सहभागियों के इस मंच को एक नतीजे पर पहुंचाना चाहिए कि किस तरह स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ और उपभोक्ता समूह एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें और किस तरह उनके बीच अधिकारों का संतुलन हो । मुझे लगता है कि उपभोक्ता समूहों को जिला वन अधिकृत की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि उपभोक्ता समूह किसी पेड को काट सकता है जबकि जिला वन अधिकृत किसी पेडको काटने का आदेश नहीं दे सकता है ।"

नारायण बेलबासे की प्रतिक्रिया

"एक प्रश्न यह था कि स्व-शासन बिल को लागू करने के लिए ३६ कानूनों को बदलाना होगा जो कि संभव होगा ? तो मैं यह कहना चाहुँगा कि हाँ यह संभव है । इसके लिए सरकार के दृढ निश्चय की जरूरत है और, एक सरकारी संस्था को इसके लिए नेतृत्व की जिम्मेवारी लेनी होगी । यदि सरकार के अन्तर्गत वर्गगत पक्षपात को गोलमेज विचार के माध्यम से हटा दिया जाता है तो, इन कानूनों का संशोधन हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं हैं ।"

स्थानीय विकेन्द्रीकरण कानून के संदर्भ में 'उपभोक्ता समूह' का उल्लेख हुआ है, मैनें भी प्रस्तुति के दौरान इस मुद्दे को उठाया था । मुझे लगता है 'उपभोक्ता समूह' का उल्लेख 'वन उपभोक्ता समूह' को भी इंगित करता हैं ।

"विकेन्द्रीकरण का एक वर्गगत कानून के रूप में होने से संबंधित प्रश्न काफी तर्क संगत है । मुझे लगता है कि सभी कानूनों को विकेन्द्रीकरण के अर्थको समावेश करना चाहिए । विकेन्द्रीकरण के लिए अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है । यदि विकेन्द्रीकरण के अर्थको सभी कानूनों, (चाहे वे विकास या प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित हों), में प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो, विकेन्द्रीकरण वर्गगत आधारित कानून के रूप में प्रभावकारी नहीं होगा ।"

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या इस कानून के अन्तर्गत विद्यमान विवाद वन उपभोक्ता समूह को प्रभावित करेगा ? मेरा उत्तर कोई मायने नहीं रखता हैं क्योंकि सर्वोच्च अदालत के निर्णय अनुसार 'वन कानून' ही वन संबंधित क्रियाकलाप और स्रोतों संबंधित मामलों के लिए वर्तमान में चलन में हैं । यदि स्व-प्रशासन बिल पारित भी होता है तो भी वन कानून चलन में ही रहेगा ।

"दूसरा प्रश्न यह था कि किस प्रकार के वन स्रोतों का उपयोग 'उपभोक्ता समूह' कर सकता हैं ? इसके लिए उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्था के बीच उपयोग के अधिकार को लेकर विवाद है ।"

ए.एल.जोशी की प्रतिक्रिया

"हमें यह नहीं चाहिए कि हम राजनीति और विकास तथा विकास और लोगों को एक दूसरे से अलग रखें क्योंकि ये एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुडे हुए हैं । 'उपभोक्ता समूह' और 'गाँव विकास समिति' एक दूसरे से परस्पर सहयोगपूर्ण हों । अभी तक की वनों से संबंधित नीति और कानून काफी प्रजातांत्रिक और विकेन्द्रीकृत रहे हैं और, मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में किसी प्रकार की शंका है । मुद्दा यह है कि इसे मजबुत कैसे किया जाए । यही समय है सोचने का कि हम इसमें किस प्रकार से सहयोग करें, क्योंकि हम सभी विकास चाहते हैं ।

कुछ तराई क्षेत्रों में वन हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है । इसमें बहुत सारे मुद्दे संलग्न हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सामुदायिक वन कार्यक्रम नेपाल के तराई में भी लागू हो ।

६
द्वितीय सभा-सत्र

राष्ट्रीय समूह रूपरेखा एवं योजना
राष्ट्रीय समूह के प्रस्तुती से अंतिम सभा-सत्र आंरभ हुआ ।

अध्यक्ष : डा. महेश बाँसकोटा, सह निर्देशक, इसीमोड
उपाध्यक्ष : रैजा चौधरी, अफ्सरा चापागाईं और जोहरा खानम ।

भारत
हिमाचल प्रदेश
व्यक्तिगत प्रतिवद्धताएं
कुल भूषण उपमन्यू

मैं उन लोगों को एकतावद्ध करने की कोशिश करूंगा जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं । लोगों को प्राकृतिक स्रोतों पर स्वामित्व के विषय में सचेत कराने के उद्देश्य से गाँवों के विभिन्न समुदायों के साथ संपर्क कराया जाएगा । मैं महिलाओं और युवा वर्ग को नेताओं को आगे लाने की कोशिश करूंगा और उन्हें सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा ।

स्व-प्रेरित समुदायों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा ।

मैं गाँवों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए प्रयास करूंगा ताकि हम उपयुक्त नीति परिवर्तन की दिशा में आगे बढ सकें । मैं पंचायत संस्थाओं को गाँव स्तरीय प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक प्रणाली में कार्य करने के लिए प्रेरित करूँगा ताकि विभिन्न संस्थाओं के बीच सामञ्जस्य स्थापित हो । मैं स्थायी कृषि विकास कार्यक्रमों को अपने कृषि कार्यों के साथ जोड्ने का प्रयास करूंगा ताकि गाँव समुदाय स्वनिर्भर हो सकें और स्थायी पर्वतीय कृषि की ओर अग्रसर हो सकें ।

जस्सु देवी

इस कार्यशाला गोष्ठी के दौरान वन और प्रशासन संबन्धी जितनी भी जानकारियाँ मैंने प्राप्त की है, उन्हें मैं अपने क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराऊँगी । मैं महिला मण्डलों को अपने क्षेत्र में आमंत्रित करूंगी और वृक्षारोपण, वन संरक्षण, घास, ईंधन और टिम्बर संबन्धी जानकारियों को उन्हें उपलब्ध कराऊँगी । मैं वन विभाग के अधिकृतों से मिलकर उन्हें इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश करूंगी । मैं पंचायत की बैठकों में दबायी गई महिलाओं के विषय में आवाज उठाऊँगी और पुरूषों और महिलाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करूंगी ।

रतन चंद

मैं लोगों को जल, वन और मिट्टी से संबन्धित स्थायी पर्वतीय विकास की और कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा । मैं लोगों को जल, वन, मिट्टी के संदर्भ में रोजगार आधारित योजनाओं के विषय में सूचित करने का प्रयास करूंगा । मैं लोगों को सरकार और दूसरी संस्थाओं के उन कार्यक्रमों के विरोध में आवाज उठाने के लिए प्रेरित करूंगा, जिनके तहत आधुनिकीकरण के नाम में उनके जमीनों पर कब्जा कर वन ह्रास को निमंत्रण दिया जाता है । मैं प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधियों को कहने का प्रयास करूंगा कि गाँवों के लिए प्राकृतिक स्रोत विकास कार्यक्रम बनाते समय सकारात्म दृष्टिकोण अपनाए ।

पंचायतों के पुर्ननिर्माण के उद्देश्य से 'ग्राम सभा' की आयोजना कर सरकार को समझाने का प्रयास करूंगा कि वे इन्हें कानूनी इकाईयों के रूप में स्वीकार करें । इसे कार्यान्वित करने के लिए मैं सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं जैसे कि महिला मण्डलों, युवा क्लबों, बुद्धिजीवियों और सरकारी कर्मचारियों को एकत्रित करूंगा । हम ऐसे लोगों को निर्वाचित करेंगें जो स्थानीय स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हों, जिससे कि वे स्थानीय समस्याओं का अनदेखा नहीं कर सकें । साथ ही साक्षरता कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए मैं लोगों को राजनीतिक और आर्थिक कार्यकलापों के प्रति सचेत कराऊँगा । एजेन्टों और दलालों से छुटकारा पाने के लिए मैं 'सहकारी समाजों' को मजबूत बनाने में प्रयत्नशील रहुँगा, ताकि लोग अपने उत्पादनों का उचित दाम प्राप्त कर सकें । मैं लोगों को समझाऊँगा कि वे सहकारी वनों का विकास करें जिनमें ऐसे वृक्ष लगाएं जाएं जो पशुओं के लिए चारा, फल, और दूसरे आय प्राप्त कराने वाले उत्पादन प्रदान करें । वानिकी पर आधारित छोटे-छोटे लेख, नाटक और दूसरे साहित्यिक कार्यों को लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

अमित मित्रा

"मैं डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों और शोध संबंधी कार्यों पर ध्यान दुंगा ।"

"मैं खास कर मशहूर (लोकोन्मुख) प्रेसों में लिखुंगा ।"
"मैं छोटे और बडे स्तरों पर लोगों को प्रशिक्षित करूंगा ।"
"मैं वानिकी को प्रचारित प्रसारित करूंगा ।"

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समुदाय नियंत्रण और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए योजना निर्माण कराने का प्रयास करूंगा । यह प्रयास समानता, स्थायित्व क्रियाशील सहभागिता और लैंगिक मुद्दों की ओर प्रतिबद्ध होगा ।"

<u>सुभाष मेधुपुरकर</u>

"व्यक्तिगत रूप में"

मानवीय समाज और प्राकृतिक स्रोतों के बीच समझदारी के संबंध को बढाने के लिए कार्य करूंगा ।

"संस्था के रूप में"

- प्राकृतिक स्रोतों के उपयुक्त उपयोग के लिए पंचायत और ग्राम सभा के सदस्यों के बीच उत्साह और सचेतक मूलक कार्यक्रम के लिए प्रयत्नशील रहुँगा ।
- जमीन के ह्रास के कारण को समझने के लिए प्रयत्नशील रहुँगा और समाज के अच्छे के लिए भूमि के अधिक से अधिक उपयोग के लिए उपायों की सृजना करूंगा ।
- मैं ग्राम पंचायत और वन विभाग को छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से संवेदनशील बनाने की कोशिश करूंगा, लोगों की खास कर महिलाओं की जरूरतों के लिए, योजनाएं ऐसी होंगी जो इनके प्रति जिम्मेवार हों ।

<u>रमन देवी</u>

"व्यक्तिगत रूप में"

पंचायत के प्रधान के हैसियत से मैं पंचायत एवं समुदाय को वृक्षारोपण के लिए प्रस्ताव-पारित करूंगी ।

"संस्था के रूप में"

मैं वापस जाकर सामुदायिक वन और महिलाओं की सहभागिता के विषय में पंचायत के सदस्यों से विचार विमर्श करूंगी । महिलाओं के बीच में चेतना फैलाऊँगी और उन्हें 'हिमवन्ती' तथा इसके सकारात्मक प्रभाव के विषय में भी बताऊँगी ।

सुखदेव विश्वप्रेमी

विकास और चेतना के प्रसार प्रचार की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के सभी गाँवों में ग्राम सभा को संलग्न करना आवश्यक है । ग्राम सभा निश्चित रूप से गाँव के प्रत्येक परिवार के एक महिला और एक पुरूष को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करे, और इन्हें महिने में एक बार अवश्य मिलना चाहिए ।

मैं निम्नलिखित उद्देश्य से लोगों को अधिकार सम्पन्न करने की कोशिश करूंगा

- सहभागितामूलक प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिकता और उपभोक्ता के जरूरतों के आधार पर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए कार्यक्रमों का विकास करूंगा ।
- समुदायों और उनकें दूसरे महत्वपूर्ण जरूरतों की प्राथमिकता के आधार पर एकीकृत, और जन आधारित कार्यक्रम बनाऊँगा ।
- प्रभावकारी परिचालन के लिए जनमूलक कार्यक्रम बनाऊँगा ।

ऐसे समयों पर जबकि जन-आधारित कार्यक्रम संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किए जाएंगे तब में लोगों को एकीकृत कर उन्हे अपने अधिकारों की मांग के लिए परिचालित करूंगा ।

सत्य प्रसन्न

'व्यक्तिगत रूप में'

- ऐसी खोज की ओर ध्यान दुंगा जिनके माध्यमों से अवस्था को अच्छी तरह से समझ जा सके और, स्थानीय समुदायों तथा विभिन्न विभागों के बीच अन्तर्सम्बन्ध को और अधिक विकसित करूंगा ।
- सम्पूर्ण स्थानीय समुदाय एकीकृत कर के एक बडे समुदाय के रूप में लाने के उद्देश्य से स्थानीय समूह के कार्यों को प्रोत्साहित करूंगा ।
- गाँव समुदाय स्वतंत्र रूप से कार्य करने के सक्षम हैं और, शक्ति संपन्न इकाईया हैं, इस उद्देश्य से कानून और नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए वकालत (प्रयास) करूंगा ।
- स्थितिगत समझ और समीक्षा को इस प्रकार से विकसित करूंगा जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो सके कि स्थानीय स्तर पर समुदाय के विकास के लिए किस प्रकार के ढाँचे और प्रणाली की आवश्यकता हैं ।
- आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित कर तत्पश्चात उसे समुदाय संस्थाओं को उपलब्ध कराऊँगा ताकि वे पूर्ण रूप से सचेत हो सकें और उपयुक्त कार्यकलाप कर सकें ।

शोध कार्य करूंगा और, ऐसी नीतियों तथा संस्थागत रूप रेखा की समीक्षा करूंगा जो स्थानीय अर्न्तसबन्ध को विकसित करे तथा स्थायित्व प्रदान करे ।

आदर्श बाला

व्यक्तिगत रूप में

मैं उपभोक्ता समूह को गाँव तथा गाँव पंचायत के महिलाओं और पुरूषों में सचेतना फैलाने में मदद करूंगी । इस कार्य में उन्हें मनुष्य के जीवन में जल, वन और भूमि के महत्व को बताऊँगी ।

संस्थागत रूप में

गाँव के 'गाँव महिला समिति' के उप-प्रधान की हैसियत से मैं गाँव-वासियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करूंगी । साथ ही पडोस के गाँव में भी इस बात के लिए उन्हे प्रोत्साहन दुंगी ।

- मैं लोगों को इस कार्यशाला के विषय में बताऊँगी और, इससे क्या प्राप्त किया इस विषय में भी उन्हें अवगत कराऊँगी । मैनें जो जानकारी प्राप्त किया है उसे अभ्यास में लाने का प्रयास करूंगी और आशा है कि लोगों के सोच में भी परिवर्तन आएगा ।
- महिलाओं के विकास को बढावा देने के लिए मैनें कार्यक्रम आयोजना करने की योजना बनायी है और, अपनी समिति के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता को अपने गाँव में बढावा देने की कोशिश करूंगी ।

रामकी देवी

व्यक्तिगत रूप में

मैं गाँव वापस जाकर लोगों को बताउँगी कि मैने वन संरक्षण और, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के संबंध इस कार्यशाला गोष्ठी में क्या सीखा हैं । मैं लोगों को अपनी समस्याओं को पहचानने में मदद करूंगी, ताकि वे वन उसके स्रोत और उसकी उपयोगिता को पहचान सकें ।

संस्था के रूप में

जब मैं अपने गाँव लौटुँगी तब इस कार्यशाला के विषय में बताऊँगी, और हम लोगों ने वन संरक्षण के लिए क्या योजना बनाया है, इसे भी लोगों को बताऊँगी । मैं लोगों

को अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करूंगी । मैं लोगों को 'हिमवन्ती' के उत्साह वर्धक कार्य (जो कि गाँव की महिलाओं का स्थिति को उठाने से संबंधित है), के बारे लोगों को बताऊँगी । मुझे लगता है कि यह गाँव की महिलाओं को एहसास दिलाने में मदद करेगा कि वे भी सक्षम हैं ।

राज्य स्तर

'नव रचना' के माध्यम से सुभाष मेन्धुपुरकर ।

पंचायती राज और उससे संबंधित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन में नीतियों के लिए वकालत और, वन गरीबोन्मुख हो, जिसमें वन उत्पादन से प्राप्त लाभांशों का वितरण हो ।

- समग्र दृष्टिकोण अपनाने को उद्देश्य से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।
- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन संबन्धी कार्यकलापों को परिचालन करने में समक्ष बनाने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं और समितियों को मजबूत बनाना ।
- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन संबन्धी एवं गाँव स्तरीय समस्या संबन्धी शोधकार्य, डाक्युमेन्ट्री फिल्म निर्माण: सूचना प्रसार-प्रचार ।
- वर्तमान कानून में समुदायों को स्थान देने के लिए प्रोत्साहित करना जैसे कि संयुक्त वन प्रबंध, पी.आर.आई., भारतीय वन कानून, वन सहकारी आदि ।
- 'नवरचना' का विकसित विषय वस्तु और बढी हुई संख्या में प्रकाशन ।
- समुदाय आधारित और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराना ।
- छोटे-छोटे उत्पादन जैसे कि चारा आदि को प्रोत्साहन देना ।

हिमाल प्रदेश के सहभागियों में थे, सुभाष मेन्धुपुरकर, कुलभूषण उपमन्यू, अमित मित्रा, जी.एस.गुलेरिया, सत्य प्रसन्न, रतन चंद, सुखदेव विश्वप्रेमी, श्रीमती जस्सुदेवी, श्रीमती रामकी देवी, आदर्शबाला, रमन देवी ।

उत्तर प्रदेश

व्यत्तिगत प्रतिक्रिया

बंसती बेन

मैं उत्तराखण्ड में महिलाओं के विकास के लिए कार्य करूंगी और 'वन उपभोक्ता समूह' को मजबूत बनाने की कोशिश करूंगी । दबायी एवं सताई हुई महिलाओं को 'हिमवन्ती' के माध्यम से उत्साहित करूंगी ।

राधा भट्ट

'वन उपभोक्ता समूह' और वन पंचायत में तृण-मूल स्तर की महिलाओं के प्रतिशत को बढाकर ५० प्रतिशत तक करने का प्रयास करूंगी, ताकि वन से संबंधित मुद्दों पर अपना दबाव डाल सकें । इसके लिए हम महिलाओं के बीच चेतना फैलाने का प्रयास करेंगे ।

चण्डी प्रसाद भट्ट

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण और लोगों के जीवन के विकास से संबंधित नीतियों के योजनाओं और परिचालन में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करूंगा ।

रमेश पहाडी

'दशोली ग्राम स्वराज मण्डल' के 'पिपुल्स कम्यूनिकेशन एण्ड हेल्प सेन्टर' का पत्रकार एवं समन्वयक होने के नाते मैं निम्न लिखित बूंदो पर काम करूंगा ।

- लोगों के बीच चेतना पैदा करना ।
- समुदाय के लोगों को कानूनी मुद्दों के प्रति सचेत करना
- महिलाओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्येक गाँव में 'महिला मण्डल दल' का निर्माण करना ।
- प्रत्येक गाँव का अपना वन हो, इस दिशा में आंदोलन करना ।

मैं निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायत से संबंधित कानूनी बूँदों के प्रति सचेत करने का प्रयास करुंगा । इन दिनों मैं सरकारी संस्थाओं को परिचालन का काम कर रहा हूं । साथ ही मैं विकास संबंधित योजनाओं की गुणवत्ता के प्रति भी सचेत हूँ । भविष्य में मैं इन परियोजनाओं को सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में फैलाने की कोशिश करूंगा ।

राकेश शर्मा

- उत्तराखण्ड में वन पंचायत बनाने के लिए लोगों में चेतना जगाना ।
- उत्तराखण्ड में काम करने वाले सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को सहभागी प्रक्रिया के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करना ।
- उत्तराखण्ड के विकास कार्य में महिलाओं को भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना ।
- इस कार्यशाला गोष्ठी में प्राप्त किए गए अनुभवों को सबके साथ बांटना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन संस्थाओं के बीच एकरूपता लाने वाले शोध कार्य की ओर अग्रसर होना ।

शैला रानी रावत

“मैं महिला मण्डल दलों को एकत्रित करूंगी और समूह बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने की कोशिश करूंगी । वन उपभोक्ता समूह के माध्यम से मैं उन लोगों के विरूद्ध आवाज उठाऊँगी, जो वन नष्ट कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो, या सरकारी विभाग हो । उत्तराखण्ड में वन सें संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दुंगी । ‘गाँव विकास समिति’ के बैठकों में मैं वन पंचायत के अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगी । मैं महिला समूहों के सहयोग से अनउपयोगित जमीनों पर वृक्षारोपण संबन्धी कार्यक्रमों की योजनाओ की शुरूआत करूंगी ।

सावित्री देवी विष्ट

मैंने जो कुछ भी इस कार्यशाला गोष्ठी में सिखा है उसे मै दूसरों के साथ बांटुगी और ‘महिला मण्डल दलों’ तथा वन पंचायतों के बीच समन्वय लाने की कोशिश करूंगी । ‘महिला मण्डल दल’ की नेतृ होने के हैसियत से मैं उन लोगों के विरूद्ध कारवाही करूंगी जो वन ह्रास में संलग्न हैं ।

रैजा चौधरी

पत्रिकाओं और ‘महिला मण्डल दलों’ के माध्यम से मैं निर्वाचित इकाईयों और वन उपभोक्ता समूह में महिलाओं की 50 प्रतिशत सहभागिता हो, इसकी कोशिश करूंगी । उत्तराखण्ड में वन पंचायतों को कानूनी अधिकार प्राप्त हो इसके लिए वकालत करूंगी, ताकि वे प्रशासन पर दबाव डाल सकें ।

पुश्किन फुर्तियाल

निम्नलिखित व्यवहारिक अभ्यासों में मैं इस कार्यशाला गोष्ठी में प्राप्त अनुभवों को लागू करने की कोशिश करूंगा ।

- नए वन पंचायतों के निर्माण में परियोजना अधिकृत के नाते इनमें महिलाओं की सहभागिता निश्चित करने की कोशिश करूंगा ।
- ‘यू.पी. एकेडमी आँफ एडमीनिस्ट्रेशन’ के भविष्य के कार्यशाला गोष्ठी के दौरान मैं वन पंचायत के नेताओं के साथ वन स्रोतों के संरक्षण के विषय में विचार विमर्श करूंगा ।
- मैं लेखन के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए भविष्य में मैं प्राकृतिक स्रोतों पर केन्द्रित लेख लिखुंगा ।
- मैं लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करूंगा और जितना हो सकेगा वन स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए आर्थिक सहयोग भी जुटाऊँगा ।

हेम गड्डरोला

वे लोग जो वन और उसके व्यवस्थापन पर निर्भर करते हैं, उनके क्षमता वर्धन से संबंधित शोधकार्यों में सक्रिय रूप से भाग लुंगा । साथ ही लोगों के अधिकार के विषय में निरंतर आवाज उठाऊँगा । वन उपयोग से संबंधित विवादों को खतम करने के उद्देश्य से दूसरों की सहायता लेकर मध्यस्थ समूहों का निर्माण करूंगा ।

हेमा राना

"मैं ग्राम पंचायत और वन पंचायत के बीच में एकरूपता लाने की कोशिश करूंगी । वन पंचायत में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करूंगी और दबायी, एवं पिछ्डी हुई महिलाओं को वन पंचायत में आमंत्रित करूंगी । मैं ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार जुटाने की कोशिश करूंगी ।"

कलावती देवी

मैं अपने गाँव की महिलाओं को 'महिला मण्डल दलों' की बैठकों में शामिल होने के लिए समझाऊँगी और दूसरे गाँवों में भी महिला मण्डल दल बनाने की कोशिश करूंगी ।

- मैं वन संबंधि आन्दोलनों को मजबूत बनाती रहुँगी और वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहुँगी ।
- मैं लोगों को प्राकृतिक स्रोत से संबंधित अपने अधिकारों के विषय में आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करूंगी ।
- मैं उत्तराखण्ड की महिलाओं को समझाऊँगी कि वे प्रतिनिधि निर्वाचित संस्थाओं में भाग लें ।

बौनी देवी

दूसरी महिलाओं के साथ मैं गाँव-गाँव घुमुंगी और महिला संस्था बनाऊँगी । शिक्षित पुरूष भी यदि मदद के लिए इच्छुक हों तो उनका स्वागत है । मैं महिला की संस्थाओं को इस कदर मजबूत बनाना चाहती हूँ कि वे किसी भी विभाग के द्वारा उपेक्षित न हों । चुंकि पुरूषों के शराब की आदतों के कारण महिलाएं परेशान रहती हैं, इसलिए मैं महिलाओं के साथ मिलकर समाज के इस दुश्मन को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू करूंगी ।

संस्थागत स्तर

दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल

दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल पिछले चार दशकों से सामान सामाजिक रूप और सम्पूर्ण ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने में कार्यरत है । साथ ही प्राकृतिक स्रोत संरक्षण भी इसके मुख्य कार्यों में से एक है । इसके लिए :

- यह कैम्प और कार्यशालओं का आयोजन करता रहा है ताकि हम वानिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहें ।
- महिलाओं और दलित वर्गों में नेतृत्व की शक्ति जगाने के लिए सचेतता फैला रहा है, और, महिलाओं को एकत्रित करता रहा है ।
- प्रत्येक गाँव में वन को विकसित करने में संलग्न रहा है ।
- प्रशिक्षण कैम्पों की आयोजना के माध्यम से सामान्य लोगों को उनके अपने अधिकारों से परिचित कराता रहा है । उनकी क्षमता को बढाकर तथा उन्हें शक्ति सम्पन्न कर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण और व्यवस्थापन में उन्हें सक्षम बनाता रहा है ।

'दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल' इन कार्यों को निरंतर करता रहेगा और साथ ही इस कार्यशाला गोष्ठी से प्राप्त अनुभव से भी लाभान्वित होगा । जो लोग इच्छुक हैं उनके साथ सूचना खास कर विज्ञान संबंधि, और तकनीकि पक्षों का आदन-प्रदान करेगा । विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ गाँव स्तरीय संस्थाओं का संबंध और भी प्रभावकारी रूप में हो इसलिए इन संस्थाओं के बीच और अधिक समन्वय स्थापित किया जाएगा । अंत में स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय कोशिशों का अध्ययन किया जाएगा और साधारण लेकिन विश्वसनीय, जनोन्मुख तकनीकियों का विकास और प्रसार किया जाएगा ।

'दशोलाी ग्राम स्वराज्य मण्डल' में निम्नलिखित सहभागी थे - रैजा चौधरी, कलावती देवी, बौनी देवी, सावित्री देवी, चण्डी प्रसाद भट्ट, शैलारानी रावत, और रमेश पहाडी ।

उत्तराखण्ड

शैलारावत द्वारा प्रस्तुति

इस कार्यशाला गोष्ठी में प्राप्त अनुभवों को बांटने के लिए नैनीताल अगस्त्यमुनी, और गढवाल, में विकास अध्ययन केन्द्र और उत्तरप्रदेश अकादमी प्रशासन के तत्वावधान में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी । उत्तराखण्ड में वन पंचायत, महिला मण्डल दल और दूसरी स्वतंत्र संस्थाए तथा प्रतिनिधियों को 'ईसीमोड' निर्देशन स्थान और

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के कार्यप्रणाली को समझने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा । 'विकास अध्ययन केन्द्र' और 'उत्तर प्रदेश अकादमी प्रकाशन' इसकी पहल करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्थानों में उपयुक्त कुछ रूप रेखाएं

निर्वाचित/राजनीतिक प्रतिनिधि	• खास कर पी.आर.आई.के स्तर प्रतिनिधियों द्वारा अच्छी तरह से काम नहीं करने की स्थिति में साधारण जन सहमति से उन्हें वापस बुलाने के अधिकार के लिए प्रयत्न करने की रूप रेखा का अनुसरण
लिङ्ग समानता	• प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता के लिए आंदोलन (परिचालन) • लडकी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा खास कर उन क्षेत्रों में जहां खुले दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधि काम करते हों और जहाँ गैर-सरकारी संस्थाएं हों । • समान संम्पत्ति अधिकार • पुरूषों को शिक्षा
सहभागी वन व्यवस्थापन	• वडे और धीमी गति वाले संस्थाएं जैसे कि सं.व.प्र. के विरोध में परिचालन • सक्रिय सहभागी वन व्यवस्थापन का वृत्तचित्र तैयार करना और इस प्रकार की सूचनाओं का प्रसार-प्रचार करना ।

संस्थागत स्तर

क्षेत्रीय पंचायत

क्षेत्रीय पंचायत के स्तर पर, पंचायती राज संस्थाओं और वन व्यवस्थापन संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर, पाँच वर्षों के भीतर इन संस्थाओं को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होना । (हेम गइराला, पंचायत सेवा समिति, पौडी, गढवाल ।)

अन्तर्देशीय स्तर

अनुभव बांटने के लिए प्रोत्साहन देना । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूह और तृण-मूल स्तर के प्रजातांत्रिक निर्वाचित इकाईयों को शक्तिसम्पन्न करने में सहयोग देना ।

नेपाल

विजय राज पौड्याल द्वारा प्रस्तुत

नेपाल के देशीय समूह के सभी सहभागियों से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और प्रतिबद्धता को लिखें । तत्पश्चात सहभागी तीन समूह में विभाजित किए गए सरकारी एजेन्सी, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, और वन उपभोक्ता समूह ने इस पर विचार विमर्श किया कि किस प्रकार अपनी संस्थागत रूप रेखाओं और योजनाओं को तैयार करें । जब ये तैयार हो गई तब सहभागी एक बडे समूह में संस्थागत योजनाओं के विषय में विचार विमर्श करने के लिए और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं और रूपरेखाओं को तैयार करने के लिए एकत्र हुए ।

व्यक्तिगत प्रतिबद्धता

अफ्सरा चापागाई

मेरी व्यत्तिगत योजनाएं निम्न लिखित हैं

- इस कार्यशाला गोष्ठी में प्राप्त अनुभवों को अपने गाँव में प्रचारित करूंगी और, महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने और उनमें चेतना लाने में संलग्न रहुंगी ।
- वन कानून और नियमों और समस्याओं और समाधानों को खोजनें की कोशिश करूंगी ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ के बीच समन्वय को बरकरार रखने में मदद करूंगी ।
- मैं पारदर्शिता बरकरार रखने की कोशिश करूंगी ।

कुमार योञ्जन

“मैं निम्नलिखित उद्देश्य से वन उपभोक्ता समूह को मदद पहुँचाऊँगा

- यह निश्चित करना कि वन उपभोक्ता समूह द्वारा आर्जित आय वन उपभोक्ता समूह को ही जाए

- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय को बढाना
- उनके कार्यक्रमों का मूल्यांकन"

माया देवी खनाल

मैं अन्याय के विरूद्ध लडती रहुंगी और महिलाओं को उनके प्रकृतिक स्रोतों के प्रति कानूनी अधिकार के विषय में सूचित करूंगी । साथ ही उन्हें सम्पत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनके अधिकार से उन्हें अवगत कराऊँगी । मैं दूसरी संस्थाओं के साथ काम करूंगी और उनके दृष्टिकोण को लोगों में प्रचारित करूंगी । यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो में हमेशा इसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहुँगी ।

सानू कुमार श्रेष्ठ

"सामुदायिक वन व्यवस्थापन में स्थायी विकास लाने के लिए वन उपभोक्ता समूह और निर्वाचित संस्थाओं के बीच बचे हुए अन्तराल को खतम करना होगा । इसे कार्यान्वित करने के लिए मैं सहयोग करूंगा और निम्नलिखित को बढावा दुगा ।"

- असली वन उपभोक्ताओं की पहचान ।
- साधारण उपभोक्ताओं के सहमति का निर्माण । वन उपभोक्ता समूह को कानूनी तौर पर मजबूत बनाना ताकि उपभोक्ता सरकार के मंशा से भयभीत नहीं हों, अर्थात एक बार हस्तांतरण हो जाने के बाद पुन: अधिग्रहण का डर नहीं हो ।
- सामुदायिक वन के विकास के उद्देश्य से श्री ५ के सरकार 'गाँव विकास समति' को जो बजट उपलब्ध कराती है, उसे वन उपभोक्ता समूह को भी मिलना चाहिए ।
- वन उपभोक्ता समूह के आय को तीन महिने या 6 महिने में प्रकाशित किया जाना चाहिए । और साथ ही इस आय का 'गाँव विकास समति' द्वारा वर्ष में एक बार लेखा-परिक्षण होना चाहिए ।

भूमि रमन नेपाल

मैं समन्वय समिति के निर्माण में मदद करूंगा जिसमें स्थानीय निर्वाचित तथा वन उपभोक्ता समूह के सदस्य शामिल हों । मैं वन विभाग के साथ वन उपभोक्ता समूह के संबंध को विकसित करने में मदद करूंगा और वन उपभोक्ता समूह के कार्यों को प्रचारित-प्रसारित भी करूंगा ।

छोन्गबा लामा

मैं निम्न लिखित कार्य करूंगा

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के विकास के लिए कार्य करूंगा ।
- अपने गाँव विकास समिति को सहयोग करूंगा
- चूँकि बहुत से लोग सामुदायिक वानिकी के विषय में नहीं जानते हैं इसलिए उन्हें इसके विषयमें अवगत कराउँगा ।
- सामुदायिक वन से संबंधित कार्यों में अधिक समय लगाउँगा ।
- सामुदायिक वन से अधिक आय प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी ताकि गाँव का विकास हो ।

भीमलाल सुवेदी

"वन उपभोक्ता समूह के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नारे की अपेक्षा व्यावहारिक कार्यों की अधिक आवश्यकता है । संस्थागत विकास को कार्यान्वयन करने के लिए गाँव विकास समिति, जिला विकास समिति और दूसरी संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है । मैं व्यक्तिगत रूपसे गाँव और देश के विकास में मदद करूंगा और साथ ही गाँव में एकता लाने के उद्देश्य से कार्य करूंगा ।

वर्ण थापा

सरकारी स्तर और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समझदारी कायम करते हुए मैं स्थानीय समुदायों और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समन्वय लाने का प्रयास करूंगा । व्यक्तिगत स्तर पर संस्था की तरफ से मैं इसमें मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहुंगा ।

ज्ञान बहादुर तामाङ्ग

लिङ्ग समानता की ओर खास ध्यान देते हुए मैं हमेशा सामुदायिक वन विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहने का प्रयास करूंगा । मैं सामुदायिक आफिसों में गैर लाभान्वित वर्गों और निर्धन लोगों को कार्य करने का मौका दुंगा । मैं वन उपभोक्ता समूह को सामुदायिक वानिकी से संबंधित कानूनों प्रति अधिक सचेत करने की कोशिश करूंगा ।

मुरारी खनाल

मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा

- वन उपभोक्ता समूह को प्रतिदिन एक घंटा समय दुंगा ।
- सच्चे अर्थों में घर विहिन लोगों की पहचान करूंगा ।
- आय आर्जन के लिए वन के वैकल्पिक स्रोतों की ओर अग्रसर होना ।
- मिट्टी स्खलन की समस्या पर कार्य करना
- ऐसे रास्तों की खोज करना वन विकास के लिए तकनीकि सहयोग दे ।

जुनेली श्रेष्ठ

कार्यशाला गोष्ठी के दौरान मैंने जो ज्ञान हासिल किया है, उसे लोगों के साथ बांटुंगी । मैं निरंतर रूप से महिलाओं को सामाजिक कार्यों में संलग्न कराने और सामान्य महिलाओं के शक्ति सम्पन्न करने की प्रक्रिया में प्रोत्साहित करूंगी । मैं अधिक से अधिक लोगों को सामुदायिक वानिकी के विषय में अवगत कराने की कोशिश करूंगी ।

प्रकाश माथेमा

मैं निम्न लिखित कार्य करूंगा

- सामुदायिक वन में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका के विषय में सहकर्मियों और पेशावर साथियों के साथ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम का विकास करना ।
- सामुदायिक वन से संबंधित विभिन्न कानूनों में दोहरेपन को खत्म करने के उद्देश्य से विचार विमर्श के स्तर को उठाना ।
- मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजन करना ।
- संबंधित मुद्दों के प्रति क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगा ।

आरती श्रेष्ठ

- मैं उन लोगों को सामुदायिक वन के विषय में अवगत कराऊँगी जो इसके विषय में नहीं जानते ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और दूसरे समूहों में सदस्य बनने में इच्छुक व्यक्तियों को अवसर प्रदान करूंगी ।
- गाँवो में आय मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराऊँगी ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध कराऊँगी ।

किशोर चन्द्र दुलाल

- मैं इस बात से दृढ रूप से सहमत हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए और सभी समयों में पारदर्शिता के लिए प्रयत्नशील रहुँगा ।
- विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह से संबंधित दोहरेपन और विरोधाभास को दूर करने वाले समाधान की खोज में हमेशा प्रयत्नशील रहुंगा ।
- मैं हेमशा स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय लाने का प्रयास करूंगा ।
- मैं वन उपभोक्ता समूह को सहयोग करूंगा और जिला परिषद को उन योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए दबाव दुंगा ।
- मैं हमेशा यह कोशिश करूंगा कि उपभोक्ताओं को सभी विकास के कार्यक्रमों में शामिल करूं ।

सावित्री कुमारी भट्टराई

मैं शपथ लेती हूँ कि स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय लाने का प्रयास करूंगी । मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील रहुंगी और, मैं महिलाओं और निर्धनों के बीच चेतना फैलाने का प्रयास करूंगी । दूसरी संस्थाओं के साथ बैठकों के दौरान मैं वन संबंधित ज्ञान का आदान प्रदान करूंगी ।

सुर्य प्रसाद अधिकारी

कानूनी मुद्दे से संबंधित समस्याओं को सुल्भाने के लिए मैं कार्य करूंगा

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को वन संरक्षण, व्यवस्थापन और उपयोग का सम्पूर्ण अधिकार दिलाने का प्रयत्न करूंगा ।
- इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि निर्वाचित, स्थानीय संस्थाएं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को सकारात्मक सहयोग देते हैं ।
- महिलाओं और दबाए हुए लोगों को सामुदायिक प्रतिनिधि बनने का मौका उपलब्ध कराऊँगा ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय संस्थाओं को २०४९ वन कानून और २०५१ घन विधान का विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना ।

बिन्दू मिश्र

"महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने के विभिन्न तरीकों के खोज संबंधित कार्य करूंगी । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के विकास कार्यों में प्रगतिशीलता लाने के उद्देश्य से मैं

विभिन्न संस्थाओं के साथ संपर्क करूंगी और इन विकास के कार्यों मैं स्वयं ही लागू करने की कोशिश करूंगी । साथ ही विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के बाद मैं अर्न्तक्रिया कार्यक्रमों की आयोजना करूंगी ।"

बहादुर रोकाया

"मेरे जिले कंचनपुर में सामुदायिक वन का हस्तांतरण नहीं किया गया है । इस जिले में टिम्बर की तस्करी बहुत ही आम बात है । गरीब लोग वृक्षों की कटाई करते हैं, अगर यह ऐसा ही रहा तो यह क्षेत्र मरूभूमि हो जाएगा । टिम्बर की तस्करी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि वन के मुद्दों से ग़रीब लोगों को अवगत कराया जाए । हमें उन्हें वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे वे निश्चित रूप से रोजगार और आय आर्जन कर सकेंगे ।"

महेश हरी आचार्य

"मैं व्यक्तिगत स्तर पर सामुदायिक वन से संबंधित कानून, नीतियों और नियमों पर विचार करूंगा और इन जानकारीयों को व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं को उपलब्ध कराऊँगा ।"

- कर्मचारियों को वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय संस्थाओं के बीच समन्वय लाने के लिए प्रत्यक्ष निर्देशन देना ।
- महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने के उद्देश्य कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना महिलाओं की क्षमता में विकास लाने वाले कार्यों की आयोजना करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं, और समुदाय आधारित संस्थाओं को आग्रह करना ।

बी.आर. पौड्याल

मैं निर्वाचित इकाईयों को सामुदायिक वन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्य करूंगा और वन विभाग के निर्देशिकाओं और नीतियों को लागू करने के कार्य में तत्पर रहुंगा । क्षेत्रीय भ्रमण में प्राप्त जानकारियों को वन विभाग को उपलब्ध कराऊँगा ।

लक्ष्मी भंडारी

मैं वन विकास के लिए कार्य करते समय राजनीति से अपने आप को अलग रखुंगी और हमेशा ही महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहुंगी ।

विभिन्न संस्थाओं के साथ संपर्क करूंगी और इन विकास के कार्यों मैं स्वयं ही लागू करने की कोशिश करूंगी । साथ ही विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के बाद मैं अर्न्तक्रिया कार्यक्रमों की आयोजना करूंगी ।"

बहादुर रोकाया

"मेरे जिले कंचनपुर में सामुदायिक वन का हस्तांतरण नहीं किया गया है । इस जिले में टिम्बर की तस्करी बहुत ही आम बात है । गरीब लोग वृक्षों की कटाई करते हैं, अगर यह ऐसा ही रहा तो यह क्षेत्र मरूभूमि हो जाएगा । टिम्बर की तस्करी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि वन के मुद्दों से गरीब लोगों को अवगत कराया जाए । हमें उन्हें वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे वे निश्चित रूप से रोजगार और आय आर्जन कर सकेंगे ।"

महेश हरी आचार्य

"मैं व्यत्तिगत स्तर पर सामुदायिक वन से संबंधित कानून, नीतियों और नियमों पर विचार करूंगा और इन जानकारीयों को व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं को उपलब्ध कराऊँगा ।"

- कर्मचारियों को वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय संस्थाओं के बीच समन्वय लाने के लिए प्रत्यक्ष निर्देशन देना ।
- महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने के उद्देश्य कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना महिलाओं की क्षमता में विकास लाने वाले कार्यों की आयोजना करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं, और समुदाय आधारित संस्थाओं को आग्रह करना ।

बी.आर. पौड्याल

मैं निर्वाचित इकाईयों को सामुदायिक वन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्य करूंगा और वन विभाग के निर्देशिकाओं और नीतियों को लागू करने के कार्य में तत्पर रहुंगा । क्षेत्रीय भ्रमण में प्राप्त जानकारियों को वन विभाग को उपलब्ध कराऊँगा ।

लक्ष्मी भंडारी

मैं वन विकास के लिए कार्य करते समय राजनीति से अपने आप को अलग रखुंगी और हमेशा ही महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहुंगी ।

गुमान ध्वज कुँवर

"निम्न लिखित कार्य महत्वपूर्ण हैं

- वन उपभोक्ता समूह बनाना और वन संरक्षण से संबंधित जानकारी और सलाह उपलब्ध कराना । साथ ही वन विभाग और वन उपभोक्ता समूह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना ।
- लोगों के निर्णय के अनुसार वन उपभोक्ता समूह को विकास के कार्यो की ओर उन्मुख करना ।
- गाँव के जीवन के विकास के लिए शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि, बाजार और पीने के पानी को प्राथमिकता देना ।
- इस बात को सुनिश्चित करना कि महिलाओं द्वारा दिए गए सलाहों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया गया है या नहीं ।
- वन उपभोक्ता समूह में लिए गए निर्णयों को परिवार के सदस्यों को अवगत कराना ।

वन व्यवस्थापन, विकास और सफाई से संबन्धित कार्यो को आरंभ करूंगा । यदि मैं इन कार्यो को स्वयं ही आरंभ करूंगा तो दूसरों के लिए मैं उदाहण बन सकता हूँ ।

देवी अधिकारी

सामुदायिक विकास में राजनीतिकरण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसी तरह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में सदस्यता की प्रक्रिया में वर्ग, जाति और गरीबी रूकावट नहीं होनी चाहिए । इसलिए मैं उन लोगों को सहयोग करूंगी जिन्हें इन सबसे बाहर रखा गया है । मैं गाँव विकास समति, जिला विकास समिति और जन प्रतिनिधियों के सलाह से लाभान्वित होने की कोशिश करूंगी ।

ईश्वर पोखेल

"व्यक्ति स्तर पर मैं निम्न लिखित कार्य करूंगा"

- वन उपभोक्ता समूह में महिलाओं की ५० प्रतिशत सहभागिता के पक्ष में मैं आवाज उठाऊँगा ।
- मैं आर्थिक रूप से पिछ्डे हुए लोगों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करूंगा ।
- वन संबन्धित कार्यो में राजनीतिकरण को प्रवेश नहीं करने दूंगा ।
- मैं एकता की भावना को बनाए रखने के लिए कार्य करूंगा ।

घंट प्रसाद अर्याल

"मैं निम्न लिखित कार्य करूंगा"

- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के लिए आय-मूलक कार्यो का विकास करना और गाँव के विकास इस आय का उपयोग करना ।
- महिलाओं को वन उपभोक्ता समूह में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- वन विभाग, 'गाँव विकास समिति' और 'जिला विकास समिति' के सलाह से विकास के कार्यो का संचालन करना ।
- यह देखना कि 'वन उपभोक्ता समूह' विकास संबन्धित कार्यो के लिए निर्णय लेता है या नहीं ।
- पर्यावरण को साफ और हरा-भरा रखने के लिए कार्य करना ।

राम शरण घिमीरे

"मैं अपने 'वन उपभोक्ता समूह' में महिला सहभागियों की संख्या बढाने की कोशिश करूंगा और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाऊंगा । वन संम्पत्ति के उपयोग के उद्देश्य मैं यह विचार विमर्श करूंगा कि किस तरह वन उपभोक्ता समूह स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के साथ अच्छा संबंध कायम करे । वन उपभोक्ता समूह द्वारा उपयोगित वन से संबन्धित परस्पर विरोधि कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन की तैयारी करूंगा । मैं अपने साथियों को इस कार्यशाला गोष्ठी विचारों और निर्णयों से अवगत कराऊँगा ।

दिलराज खनाल

"मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा

- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन से संबंधित दोहरे अर्थ वालो कानूनों के संशोधन के लिए कार्य करूंगा ।
- सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक स्रोतों के प्रति उनके अधिकारों से अवगत कराऊँगा और साथ ही प्राकृतिक स्रोतों के प्रति लोगों का अधिकार और बढे, इसके लिए प्रयत्नशील रहुँगा ।
- प्राकृतिक स्रोत उपयोग संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए विकल्प की खोज करना और व्यवहारिक रूप में इन्हें लागू करने के लिए कार्य करना
- वन उपभोक्ता समूह के विरूद्ध कोर्ट दायर किए गए मुकदमें के विरूद्ध में स्वयंसेवक की हैसियत से लडना ।

कमला शर्मा

मैं महिलाओं को अपने कार्य में शामिल करूंगी और साथ ही मेरे कार्य निम्न लिखित होंगे

- पुरूषों और महिलाओं के भेद-भाव के प्रति सचेत करना ताकि महिलाएं गृह-अवरोधों से मुक्त हो सकें ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को आगे लाना ।
- इस बात को सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता समिति में महिलाओं की सहभागिता 50 प्रतिशत हो ।"

मोहन थापा प्याकुरेल

"व्यक्तिगत स्तर पर मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा

- विभिन्न संस्थाओं के साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के समूह को विकसित कर बरकरार रखना और अपना समूह सहयोग उपलब्ध कराना ।
- वन व्यवस्थापन से संबंधित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजित करना ।
- वन व्यवस्थापन और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के लोगों को सहभागी होने के लिए अवसर प्रदान करना ।
- विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ विकेन्द्रीकरण और उपभोक्ता के अधिकार संबंधि ज्ञान को बाटना ।
- महिलाओं की सहभागिता को बढाना ।
- वन उपभोक्ता समूह के साथ वन व्यवस्थापन संबंधि सभाओं की आयोजना करना ।

हरी प्रसाद न्यौपाने

"मैं हमेशा उपभोक्ता समूह के अधिकारों के संरक्षण में सहयोग दुंगा । साथ ही निर्णय निर्माण प्रक्रिया में साधारण सहमति को हमेशा प्रोत्साहित करता रहुंगा ।"

गणेश तिमिल्सिना

- उन स्थानों पर जहां सामुदायिक वन नहीं हैं वहाँ इसकी शुरूआत करने के लिए लोगों को उत्साहित करना ।
- मैं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में महिलाओं की सहभागिता समान हो इसके लिए प्रयत्न करूंगा ।

- मैं स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को समन्वयक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा ।

कुल बहादुर केसी

विकास के उद्देश्य से मैं जडी-बुटी की खेती को प्राथमिकता दुंगा ।

गणेश श्रेष्ठ

मैं स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच मध्यस्थ का कार्य करूंगा और विकेन्द्रीकरण और वानिकी से संबंधित विवादस्पद और दोहरे अर्थ से युक्त कानूनों के विषम में लोगों में चेतना फैलाऊँगा । मैं उस संस्था में जिसका कि मैं प्रतिनिधि हूँ, इस कार्यशाला गोष्ठी के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव को, प्रकाशित करूंगा । मैं अपने जिले में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के बीच एक दिवसीय कार्यशाला आयोजना करूंगा ।

संस्थागत स्तर

सरकारी संस्थाएं

- वन कानून 2049 और वन विधान 2052 के परिचालन के दौरान पायी जाने वाली समस्याओं और रूकावटों के समाधान की शुरूआत करना । क्योंकि ये समस्याएं और रूकावटें कार्यशालाओं, सेमिनारों और क्षेत्र-भ्रमण के दौरान पहचाने जा चुके हैं ।
- सामुदायिक वन व्यवस्थापन के प्रत्येक पक्ष पर स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह के बीच अन्तर्क्रिया की आयोजना करना ।
- वन उपभोक्ता समूह क्रियाकलाप संबंधित पारदर्शिता बरकरार रखने की शुरूआत करना और साथ ही उन्हें अपने विवरणों को उचित तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की आयोजना करना और यह देखना कि वन उपभोक्ता समूह अपने कार्यक्रम विवरण को नियमित रूप से भेजें ।
- वन व्यवस्थापन तकनीकि और क्षमता प्रदान करने और प्रत्येक गाँव एवं मुहल्ले से महिलाओं के नामांकन और चयन के लिए तथा उनन्त जिला स्तर पर आयोजित अध्ययन भ्रमण में भाग लेने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं की आयोजना करना ।

वन उपभोक्ता समूह और गैर-सरकारी संस्थाएं

- वन उपभोक्ता समूह का स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के साथ संबंध
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के समन्वय से वन उपभोक्ता समूह के निम्नलिखित कार्यों का परिचालन करना, उपभोक्ताओं और उपभोक्ता समूहों के बीच सामुदायिक वन विकास, और विवाद समाधान ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के वन उत्पाद संबंधि कार्यों में सहयोग देना ।
- सामुदायिक वन आधारित आय मूलक कार्यों को शुरू और लागू करना ।
- वन उपभोक्ता समूहस्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के सहयोग सें सामाजिक विकास कार्यों का आरंभ करे, जैसे कि शिक्षामूलक कक्षाओं का आयोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीने के पानी की योजनाएं, और छोटी-छोटी जीवन संबन्धी कार्य योजनाओं का आरंभ और विकास ।
- सामुदायिक वानिकी में वृक्षों के प्रवर्धन, कटाई, रोपाई आदि से संबंधित कार्य कलापों के लिए संबंधित निकायों से सहयोग की मांग ।
- समुदाय सभाओं में महिलाओं, निर्धनों, सीमान्त और गैर लाभान्वित वर्गों को शामिल करना और निर्णयों को उनके सहमति के आधार पर लागू करना । शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम, महिला साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित आवश्यकताओं की उपलब्धि ।
- नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से वन-उपभोक्ता समूहों के बीच स्व-सहयोग कार्यक्रमों की आयोजना ।
- अध्ययन भ्रमण के माध्यम से वन उपभोक्ता समूह संबंधित समस्याओं की पहचान और उनका समाधान ।
- सामुदायिक वन के साधनों के माध्यम से वन उपभोक्ता समूह के कार्यों को सामाजिक और सामुदायिक विकास की ओर उन्मुख ।
- संबंधित संस्थाओं को सलाह की उपलब्धि ताकि वे वन और दूसरे निकायों से संबंधित कानूनों में संशोधन कर सकें, जिससे ये संस्थाएं जनमुख और प्रगतिशील हों । सेमिनार, कार्यशाला गोष्ठी और अन्तर्क्रिया कार्यक्रमों की आयोजना की जाएगी और विकास के लिए संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाला जाएगा ।
- वन क्षेत्रों का संबंधित संस्थाओं की मदद से फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा ।
- संस्थागत विकास और वन उपभोक्ता समूह को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए जाएंगे ।
  - उपयुक्त विवरण रखना
  - उपयुक्त लेखा व्यवस्थापन
  - नियमित लेखा परिक्षण

- पंजीकरण संप्रेषण की नियमितता
- यदि वन उपभोक्ता समूह के पास बजट से अधिक अर्थ कोष हो तो निर्धन समूहों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना ।

- नियमित बैठकों और साधारण सभाओं की नियमित आयोजना ।
- बैठकों के निर्णयों का नियमित संप्रेषण और प्रत्येक महीने में इन निर्णयों का जन-सूचना पट्टी पर प्रकाशन ।
- वन उपभोक्ता समूह में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन, समान सहभागिता की अवधारणा का परिचालन, और महिलाओं के 50 प्रतिशत सहभागिता के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाएं

- नीति निर्धारण स्तर पर वन उपभोक्ता समूह को शामिल करना ।
- वन उपभोक्ता समूह के अवधिमूलक कार्यक्रमों को स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के अवधिमूलक कार्यक्रमों में शामिल करना । विभिन्न वन उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय समिति का निर्माण ।
- जिला स्तरीय वन उपभोक्ता समूह संघ (फेकोफन), जिला वन अधिकृत और जिला विकास समिति के द्वारा संयुक्त वन व्यवस्थापन प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजना ।
- निर्णय निर्माण के माध्यम से स्थानीय लोगों को बंजर और गैर कृषि जमीनों पर वन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहे वे सार्वजनिक या नीजि जमीन हों ।
- लोगों को अपने जमीनों को उत्पादन मूलक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीजि बंजर और सूखे जमीनों से कर संकलन ।
- सभी सार्वजनिक संस्थाओं और समितियों में महिलाओं कि संख्या 50 प्रतिशत हो इसके लिए उपयुक्त नीति बनाना ।
- स्वयं अपने द्वारा संकलित अर्थ के माध्यम से वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए वन उपभोक्ता समूह को आकर्षित करना ।
- प्रभावकारी तरीकों से विवरण रखने के पद्धति को नियमित करना ।
- स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के तकनीकि पक्ष को कार्यान्वित कराने के लिए प्रतिबद्ध होना ।
- गाँव विकास समिति, जिला विकास समिति और रेंज पोष्ट के संयुक्त तत्वावधान में गाँव स्तरीय वन व्यवस्थापान प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की आयोजना ।

राष्ट्रीय स्तर

- विकेन्द्रीकरण और वन संबन्धित नियमों, कानूनों नीतियों और विधानों में समन्वय, पूरकत्व और आवश्यक संशोधन के लिए संबन्धित इकाईयों के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के कार्यशालाओं का आयोजना करना और आवश्यक सलाह उपलब्ध

कराना । इसीमोड के सहयोग से ए.डी.डी.सी.एन., फेकोफन और हिमवन्ती के अध्यक्ष कार्यशालाओं की आयोजना करेगें ।

- वन आधारित आयमूलक कार्यकलापों (जडीबूटी औषधि, वन्यजन्तु, पर्यावरण, जैविक विषमता आदि) के विषय में अनुभवों के आदान प्रदान और उपयुक्त नीतियों निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं की आयोजना करना, इस कार्य में इसीमोड से फिर संपर्क किया जाएगा ।
- सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह के साथ महिला वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय प्रतिनिधि और महिला तकनीकि कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला गोष्ठी की आयोजना करना ।

अन्तरर्देशीय स्तर

- हिन्दू कुश-हिमालय सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करने वाले एकीकृत कार्यक्रमों पर नियमित रूप से कार्यशाला और सेमिनारों की आयोजना करना ।
- उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्तर की संस्था बनाना ।

बांगलादेश

व्यक्तिगत स्तर

डा. एम.एम. खान

- दूसरे देशों में खासकर दक्षिण एशिया में सामुदायिक वन और स्थानीय प्रशासन के सफल नमूनों की निरंतर खोज ।
- चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में सामुदायिक वन और स्थानीय प्रशासन प्रणाली को समझने के लिए शोधकार्य आरंभ करना, यदि आर्थिक मदद उपलब्ध हो तो । इस शोध का मुख्य उद्देश्य होगा वन कार्यक्रमों के कमजोरियों को प्रकाशित करना ।
- चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में सामुदायिक वन और स्थानीय प्रशासन की ओर सहकर्मियों और विद्यार्थीयों का ध्यान आकर्षित करना ।
- स्थानीय और राष्ट्रीय विकास में चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र के सामुदायिक वन और स्थानीय प्रशासन के भूमिका पर मशहूर सेमिनारों में व्याख्यान देना । उसी तरह महिलाओं एवं निर्धनों की संस्थाओं में सहभागिता वृद्धि की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना ।

संस्थागत स्तर

चिटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में सामुदायिक वन व्यवस्थापन एवं स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने से संबंधित ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए जन प्रशासन विभाग, ढाका विश्वविद्यालय को एक मंच के रूप में उपयोग करना ।

- प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन विषय (पठन-पाठन में) में नए विषय, जैसे सामुदायिक वन के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के विषय वस्तु को शामिल करना ।

राष्ट्रीय स्तर

विभिन्न निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं, दाताओं और शिक्षित समुदायों के सदस्यों के सहयोग से कार्यशालाओं और माध्यम सें नीति निर्माण कों को व्यावहारिक और मजबूत स्थानीय प्रशासन प्रणाली, और अत्यन्त आवश्यक एवं महिलाओं और निर्धनों की सहभागिता की आवश्यकता पर आधारित सामुदायिक वन के लिए सहमत करना ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

बांगलादेश में सफल नमूनों (सामुदायिक वन और स्थानीय प्रशासन के) को ग्रहण करने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया के विद्वानों और अभ्यासकर्मियों के साथ और अधिक अन्तर्क्रिया की आयोजना करना । इतना ही नहीं प्राप्त अनुभवों को और भी परिमार्जित कर बांगलादेश में लागू करना ।

पाकिस्तान

व्यक्तिगत/संस्थागत स्तर
अलि गोहर एवं जोहरा खानम

ए.के.आर.एस.पी. (आगा खाँ ग्रामीण सहयोग परियोजना)

- संबंध एवं वकालत
- क्षमता निर्माण
- योजना निर्माण
- लेखा जोखा एवं मूल्याकंन
- तकनीकि विकास
- सामाजिक संस्था
- संस्था निर्माण

हैदर खान

- नीति निर्माण
- आर्थिक स्रोतों के लिए प्रयत्न
- वकालत
- मध्यस्थता

शफा अली

- सामाजिक परिचालन
- संबंध
- जरुरतों की पहचान
- गाँव स्तरीय योजनाएं

मुहम्मद इकबाल

- नोकरशाही दृष्टिकोण से तकनीकि दृष्टिकोण की ओर अग्रसर
- सामुदायिक शक्ति संवर्धन में मदद पहुंचाने वाले नियमों और नीतियों का निर्माण
- कर्मचारियों के बीच क्षमता निर्माण
- शिक्षा, विस्तार, और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों का प्रारंभ ।

अलिगोहर द्वारा प्रस्तुत

गाँव-स्तर

इस स्तर पर विभिन्न गाँव-स्तरीय संस्थाओं के साथ, जैसे कि निर्वाचित परिषद, विभिन्न स्वयं सेवक संस्थाओं, महिला संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान करना । गाँव स्तरीय सरकार प्रशासनिक, और, दूसरे जन संस्थाओं जैसे कि वन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय, तवसिलदार और स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए । इनके क्षमता निर्माण को मजबूत बनाया जाना चाहिए, उनकी जरूरतों को पहचाना जाना चाहिए और उन जरूरतों को ठोस कार्यक्रमों में उतारा जाना चाहिए । नेटवर्क और संपर्क प्रणाली को स्थापित किया जाना चाहिए । ऐसी नेटवर्क प्रणाली को विवाद व्यवस्थापन के लिए प्रथम स्तर में उपयोग किया जा सकता है । साथ ही आदान प्रदान किए गए अनुभवों के माध्यम से स्थानीय तकनीकि का विकास किया जा सकता है ।

जिला स्तर

जिला स्तरीय संस्थाओं में जिला परिषद, जिला वन कार्यालय, स्वयंसेवक और महिलाओं की संस्थाओं के प्रतिनिधि और दूसरे जिला स्तरीय संस्थाएं आती हैं ।

उनके निम्न लिखित कार्य होने चाहिए

- नीति प्रस्तावना
- समन्वय
- विकास मूलक रूपरेखा
- लेखा-जोखा
- आर्थिक सहयोग
- विवादों का समाधान एवं व्यवस्थापन

उत्तर क्षेत्रीय स्तर

इस स्तर की संस्थाओं के अन्तर्गत उत्तर क्षेत्रीय परिषद, गैर-सरकारी संस्थाए/ अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाएं, वन संरक्षक और प्रमुख वन संरक्षक, वन संस्था और दूसरी संस्थाए आती हैं ।

<u>कार्य</u>

- इस विस्तृत स्तर पर नीति निर्माण
- अर्थ व्यवस्था : योजनाओं की स्वीकृति और परियोजनाएं
- जिला स्तरीय संस्थाओं को सहयोग
- विवाद समाधान एवं व्यवस्थापन
- आवश्यक कानून पुनर्निमाण के लिए दबाव
- प्रत्येक स्तर पर लैंगिक सहभागिता को सहमति और बल प्रदान करना ।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

इनके अन्तर्गत शोध संस्थां, शैक्षिक संस्थाए एवं गैर-सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए आती हैं ।

<u>कार्य</u>

- सूचना आदान-प्रदान, समन्वय और विकास तथा कार्यशाला के माध्यम से तकनीकि आदान-प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्ययन भ्रमण, और दूसर क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभाएं ।

- विभिन्न प्रकार के शोध पर आधारित तकनीकि सलाह, साथ ही निर्देशक परियोजनाएं, तुलनात्मक अध्ययन ।
- प्रस्तावित नीतियों को स्वीकृति ।
- आर्थिक स्रोतों का सामान्यीकरण ।

डा. महेश बाँसकोटा द्वारा समापन भाषण

डाँ. बाँसकोटा ने अपने समापन भाषण में कहा कि वे सहभागियों के व्यक्तिगत और संस्थागत प्रतिवद्धता से काफी प्रभावित हुए हैं । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वनों के बीच पहचान बनाने में उनकी इच्छा को प्रदर्शित करता है । डा. बाँसकोटा ने कहा कि ये योजनाएं 'इसीमोड' के लिए बहुत ही संतोषजनक हैं । क्योंकि इनके माध्यम से यह पता चला है कि इस कार्यशाला ने हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के विभिन्न देशों में प्रक्रियाओं के शुरूआत करने में अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है । उन्होंने कहा कि 'इसीमोड' हमेशा ही सहभागियों के अनुभवों से जानकारी प्राप्त करने में इच्छुक रहेगा और साथ ही विभिन्न संस्थाओं को सहयोग देने के लिए तरीको और साधनों की खोज की ओर सतत प्रयत्नशील रहेग ।

'इसीमोड' की तरफ से उन्होंनें कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया और घर के लिए प्रस्थान करने में सुरक्षित यात्रा की कामना भी की ।

७
अंतिम-सत्र

श्री अनुपम भाटिया ने अंतिम सत्र की शुरूआत की । उन्होंने कहा कि कार्यशाला गोष्ठी के दौरान पर्वतीय विकास वन-जंगल और स्थानीय संस्थाओं से संबंधित बहुत से मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए हैं । एक छोटे समूह ने कार्यशाला गोष्ठी के दौरान उभरे हुए मुख्य मुद्दों और प्रतिक्रियाओं को एकत्रित किया था । यह विचार किया गया कि हमें उभरे हुए (चिन्हिते) मुद्दों पर आम सहमति के आधार पर प्रशासन और, सामुदायिक वन व्यवस्थापन से संबंधित एक 'समान्यकथन' तैयार करना चाहिए ।

हिन्दू कुश-हिमालय में
प्रशासन और सामुदायिक वन
व्यवस्थापन पर एक सामान्य कथन

डा. महेश बाँसकोटा, सह निर्देशक, इसीमोड सत्र की अध्यक्षता करते हुए

भूमिका

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामाजिक एवं लिङ्ग समानता के सिद्धांत पर आधारित उपयुक्त स्थानीय प्रशासन प्रणाली के बिना प्राकृतिक स्रोत, खास कर वन जंगल के बिना स्थायी रूप से व्यवस्थापित नहीं किए जा सकते हैं । निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण स्टेक होल्डरों के सहभागिता को और अधिक बढाता है । शक्ति

प्रत्यायोजन और जिम्मेवारियों से समन्वित स्थानीय समुदाय सहभागिता स्थायी विकास को बढाने में एक प्रभावकारी मार्ग के रूप में उभर रही हैं । जैसा कि वर्षों से समुदाय आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और, अनौपचारिक गाँव स्तरीय संस्थाओं ने वन स्रोतों के व्यवस्थापन में अपनी योग्यता को दिखाया है, फलस्वरूप हम आज गाँव एवं जिला स्तरीय निर्वाचित संस्थाओं के साथ बढते हुए संबंध को महसूस (देख) कर रहे हैं । इस प्रक्रिया ने निर्वाचित संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेपण, और जिम्मेवारियों से संबंधित नए नियम, उपनियम और कानूनों को उभारने में मदद पहुँचाया है ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के कुछ देशों में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया सहभागी मूलक विकास के पूर्व अवस्था के रूप में शुरू किया गया है । लेकिन अभी भी कभी-कभी सहभागिता निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटने में असफल हो जाती है । साथ ही स्थानीय विकास और पर्यावरणीय व्यवस्थापन के कार्यों में लिङ्ग समानता और सामाजिक समानता की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता समूह के बीच पारस्परिक विश्वास और निर्भरता के अभाव के कारण झगडों, दोहरेकार्य और स्रोतों की हानि आदि का उद्भव होता है ।

अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन की ये नए स्वरूप वर्तमान सामान्य व्यवस्थापन प्रणाली के अन्तर्गत की नए रास्तों (रूपरेखाओं) की खोज करें । निर्वाचित संस्थाओं और अनौपचारिक समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच नयी संस्थागत व्यवस्थाओं को उभारने की आवश्यकता है ।

हम, कार्यशाला सहभागियों ने निम्न लिखित मुख्य संबन्धित बूंदों को चिन्हित किया है ।

- विकेन्द्रीकरण और वन निकाय के प्रशासन से संबन्धित नीतियों, कानूनों और विनियमों के बीच पूरकपन, सहयोग एवं सामंजस्य का अभाव ।
- राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की कम सहभागिता ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं, राज्यवन प्रशासन विकास संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन संस्थाओं की जिम्मेवारीओं और पारदर्शिता में कमी ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और अन्य विकास संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन में सामुदायिक वन व्यवस्थापन संस्थाओं की अपेक्षाकृत कम संलग्नता ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन संस्थाओं के बीच बढते हुए मतभेद खासकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं, एवं कार्यक्रमों में ।
- सामुदायिक संस्थाओं की कम शक्ति सम्पन्नता, साथ ही उनको अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करनें में रूकावटों का सामना करना ।

- निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के बीच कार्यान्वयन के कोशिशों में दोहरापन ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं द्वारा समुदाय आधारित वा व्यवस्थापन को अपेक्षाकृत कम स्रोतों को प्रदान करना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और समुदाय आधारित पर दबाब की आवश्यकता ताकि वे एक दूसरे की ओर से वकालत कर सकें ।
- विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता ताकि राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो सके ।
- किराये के अवधि पर प्राप्त और वन स्वामित्व से संबन्धित मुद्दों की उपेक्षा ।

अपेक्षित अवस्था

हम, कार्यशाला के सहभागियों ने यह महसूस किया कि इन मुद्दों पर अत्याधिक तत्परता से विचार किया जाना चाहिए । जिन पर विचार किया जाना चाहिए, वे परिवर्तन ये हैं कि स्थानीय लोग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इनका जीवन इन स्रोतों पर निर्भर करता है ।

उपर्युक्त सच्चाई इस बात पर जोर देता है कि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामुदायिक संस्थाओं के मार्फत् स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक स्रोत, खास कर वनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रदान किया जाना चाहिए । सर्वप्रथम हक के रूप, में न कि सरकार द्वारा सुविधा के तौर पर वन स्रोतों को उपयोग पर स्थानीयों लोगों का अधिकार होना चाहिए । वन उत्पादनों का व्यापार शर्तों के आधार पर होना चाहिए ।

- ऐसी नीतियों और कानूनों का निर्माण, जो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहों के बीच ऐसे सामर्थ्य पूर्ण वातावरण को तैयार करे जो निर्माणशील क्रियाकलापों को बढावा दे ।
- ऐसी नियमावलियों का आगमन जो राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की समान सहभागिता को निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर में प्रोत्साहित करे ।
- ऐसी प्रक्रियाओं की उपस्थिति जो व्यक्तिगत, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रत्येक स्तर में पारदर्शिता को निश्चित करे ।
- संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर ऐसे कानूनों का परिचय जो सीमान्त, सामाजिक आर्थिक समूहों के प्रतिनिधित्व और सहभागिता को निश्चित करता हो ।
- संम्पत्ति और विरासत से संबन्धित कानूनो में परिवर्तन ताकि पुरूषों और महिलाओं को समानता मिले ।
- सभी स्टेक होल्डर्स के सहमति के आधार पर गाँव सभाओं का निर्माण ताकि पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतों का एकीकृत व्यवस्थापन हो ।

- सभी सार्वजनिक संम्पत्ति प्राकृतिक स्रोतों का गाँव सभाओं में स्थानान्तरण और ऐसे कानूनों और नीतियों की व्यवस्था जो कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीवन यापन के लिए निर्भर व्यक्तियों को इन स्रोतों के परिचालन की जिम्मेवारी देता हो ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रूप रेखा

इन अपेक्षाओं की परिपूर्ति के लिए राजनीतिक इच्छा और उच्चस्तरीय व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । इस कार्यक्रम के (रूपरेखा) अन्तर्गत स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शोध, शिक्षा एवं प्रचार की आवश्यकता होगी । उपयुक्त नये कानूनों के विषय में सूचित एवं उन्हें प्रभावित करने के लिए आगामी रूप रेखा का वकालत भी एक महत्वपूर्ण भाग होगा । लिङ्ग समानता एवं सामाजिक समानता जैसे सिद्धान्तों से समुदायों एवं नीति निर्माण कर्ताओं को भी अवगत कराना होगा ।

हम, कार्यशाला के सहभागी इस बात पर पूर्ण रूप सें सहमत हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित आवश्यक कार्य जल्द-से जल्द आरंभ हो । व्यक्ति एवं संस्था को हमसे संपर्क स्थापित कर 'हरेक के लिए, हमेशा' के सिद्धान्त पर इस क्षेत्र में पारदर्शी प्रशासन एवं स्थायी पर्वतीय विकास की ओर आवश्यक कदम उठाएं ।

हरियाली संगीत समूह, नेपाल, द्वारा पर्यावरण के मुद्दे पर आधारित एक प्रस्तुती (उपर और मध्य में)

सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और भारत के सहभागी

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में प्रशासन एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन से संबंधि सामान्य कथन का ढांचा

वर्तमान	अपेक्षित	रुपरेखाएं
नीति कानून और नियमों के बीच पूरकपन का अभाव	ऐसी नीतियों और कानूनों का निर्माण जो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहों के बीच सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को तैयार करें, जो निर्माणशील क्रियाकलापों को बढावा दे ।	• स्थानीय से क्षेत्रीय स्तर तक के सभी स्तरों में वर्तमान कानूनी आकारों को परिवर्तित करने के लिए प्रचार-प्रसार एवं परिचालन । • पारंपरिक और आधुनिक कानूनों एवं लोगों के विचारों पर आधारित शोध कार्य के अनुसार वैकल्पिक कानूनों की रुपरेखा बनाना । • वर्तमान कानूनी रुप-रेखा को बदलने के लिए लोगों के मार्फत कानून निर्माताओं पर दबाव ।
लिङ्ग एवं सामाजिक समानता एवं	• ऐसी नियमावलियों का आगमन जो राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की समान सहभागिता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के हरेक स्तर में निश्चित करे । • ऐसे कानूनों की प्रस्तुति जो सीमान्त सामाजिक आर्थिक समूहों के प्रतिनिधित्व में संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करे ।	• सभी संस्थाओं केसभी स्तरों में महिलाओं एवं सीमान्त सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए कानूनी आरक्षण पर जोर । • समानता के सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की तैयार के क्रम में समुदायों को लिङ्ग और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विषय में शिक्षित करना । • सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा खासकर लडकी बच्चे के लिए ।
• समुदाय संस्थाओं की अपर्याप्त शक्ति संपन्नता, खास कर अनौपचारिकों की ।	• ऐसी सामुदायिक संस्थाओंका निर्माण जो समानता के सिद्धान्त पर आधारित हो और लोगों के द्वारा बनाया गया हो, उपर से थोपा नहीं गया हो । • पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासन का स्व-निर्भरता एक आदर्श स्वरूप हो ।	• लोगों के साथ कानून वेत्ताओं और उच्च समाज के लोगों के साथ काम करना ताकि सामान्य लोगों के साथ उनके कार्यों को बढाया जा सके । • क्षमता निर्माण और स्थानीय संस्थागत विकास ।

• जिम्मेवारी और पारदर्शिता की कमी	• सभी स्तरों पर ऐसे यांत्रिकी का अस्तित्व जो सभी व्यक्तियों स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह में पारदर्शिता को सुनिश्चित करे । • पारदर्शिता दैनिक जीवन का भाग हो ।	• विभिन्न स्तरों पर वकालत • सूचना और चेतना मूलक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार ।
• संम्पत्ति अधिकार में असमानता	• संम्पत्ति और वंशानुगत धरोहर के कानून में परिर्वतन ताकि महिलाओं और पुरुषों को समान रुप से देखा जा सके ।	• विभिन्न स्तरों पर वकालत • सूचना और चेतना मूलक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार ।
• सामुदायिक वन व्यवस्थापन का विकास के कार्यकलापों में असंलग्नता	• वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और सभी विकास कार्यों को गाँव सभाओं और इनके द्वारा अनुमोदित दूसरे निकायों को सौंपना ।	• स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और विकास से संबंधित आवश्यक कार्यों का संपादन करने के लिए मजबूत गाँव सभाएं बनाना ।
• सा.व.व्य.स. और निर्वा. प्र.नि. के बीच विकास के मुद्दों पर मतभेद ।	• गाँव स्तर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की उपस्थिति साथ ही प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित/चयित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार । • गाँव सभा को प्राकृतिक स्रोत एवं व्यवस्थापन की भूमिका प्रदान करना ।	• प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए प्रचार-प्रसार साथ ही प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार • प्रतिनिधियों को यह अवगत कराना कि यदि वे लोगों की ओर से इमान्दारी पूर्वक कार्य नही करेंगे तो पुन: वोट नहीं दिया जाएगा ।
• प्रतिनिधि समूह की ओर से कार्य करे न कि राजनीतिक पार्टी की ओर से । • किराए एवं स्वामित्व से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा	• ऐसी नीतियाँ जो स्पष्ट अधिकार की प्रत्याभूति दें ।	• प्रत्येक स्तर में कानून में बदलाव के लिए प्रचार-प्रसार

• प्रतिनिधि समूह की ओर से कार्य करे न कि राजनीतिक पार्टी की ओर से । • किराए एवं स्वामित्व से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा	• ऐसी नीतियाँ जो स्पष्ट अधिकार की प्रत्याभूति दें ।	• प्रत्येक स्तर में कानून में बदलाव के लिए प्रचार-प्रसार

८
परिशिष्ट १
क्षेत्रीय-भ्रमण

गोदावरी में वृक्षारोपण समारोह का विवरण

20 मई 1998 के सुबह सहभागी विविध भूमि आधारित तकनीकि के अवलोकन एवं वृक्षारोपण समारोह के लिए गोदावरी में 'इसीमोड' के 'प्रायोगिक स्थल' पर गए । यह 30 हेक्टर जमीन का टुकडा काठमाण्डू से 15 कि.मी. दक्षिण में है, यहाँ काफी कुछ दर्शनीय है । यह स्थान करीब 2,550 से 1,800 (मिटर) की उँचाई पर है । इस क्षेत्र में पतझड स्वभाव वाले एवं हमेशा हरे-भरे रहने वाले दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं । लेकिन वन ह्रास के कारण अब यह झाडियों वाले वन के रूप में परिवर्तित हो गया है । इस प्रायोगिक क्रियाकलाप का उद्देश्य है, नये तकनीकियों का प्रयोग का प्रदर्शन ताकि हिन्दू कुश क्षेत्र में स्थायी पर्वतीय विकास के प्रति लोगों के चाह को बढाया जा सके ।

इस क्षेत्र को दस अलग-अलग स्थलों में बाँटा गया है और प्रत्येक एक विशेष कार्यकलाप/कार्यकलापों को दर्शाता हैं । अपने भ्रमण के दौरान कार्यशाला के सहभागी इन प्रायोगिक स्थालों को देख सकते थे । स्थल- (१) में नर्सरी क्षेत्र है-जिसमें कुछ हिस्सों में प्लाष्टिक फिल्म तकनीकि के विषय में भी बताया जाता हैं, मधु मख्खी पालन, पौलोनिया रोपण और साथ ही छोटा पशुपालन केन्द्र है, जिसमें बकरियाँ, बालों वाले जानवर, खरगोश जो उच्च स्तर के ऊन का उत्पादन करते हैं । स्थल दो-में उद्यान निर्माण के नमुने का प्रदर्शन, खाद बनाना, प्राकृतिक वन, झाडी व्यवस्थापन (उगाना और संरक्षण) तथा जल निकास और संरक्षण के पद्धति को दिखाया जाता है । चारा के घास और लकडियों के नमूनों को भी दिखाया जाता है ।

वृक्षारोपण समारोह

श्री एगबर्ट पेलिङ्क, महानिर्देशक, इसीमोड, ने सभी सहभागियों का स्वागत किया और प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यशाला के व्यस्तता के बावजूद सहभागियों ने वृक्षारोपण के लिए समय निकाला । उन्होंने संक्षेप में इस प्रायोगिक स्थल प्रदर्शन के महत्व के बारे में बताया । यद्यपि इस स्थल में पूर्ण रूप से किसानों के खेती के तरीकों का अनुसरण नहीं किया गया है, फिर भी कुछ हद तक उनकी पद्धतियों को अपनाया गया है । उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन एक वडी समस्या होती है और सीढियों जैसी आकार में जमीनों को काट कर इसे रोका जाता है । 'इसीमोड' ने एक नयी पद्धति को अपनाया है जिसे 'हरित-टेरेसिंग' (सीढी जैसी जमीन) कहा जाता है । भारतीय सिसो (विलो) के वृक्ष को वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त समझा गया । 'सिसो' का वृक्ष लकडी के फर्निचरों के लिए काफी उपयुक्त समझा जाता है । 'सिसो' किसान के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी उपयुक्त होता है । यह सभी प्रकार के मौसमों को झेल सकता है । श्री पेलिङ्क ने कहा कि जब वे फिर भविष्य में इस स्थल पर आएंगे तो उन वृक्षों पर उन सहभागियों के देश के नाम लिखे होंगें जिन्होंने इन्हें लगाया था ।

वृक्षारोपण के दौरान कविताएं पढी गई जिनमें सम्पूर्ण मानव समाज के सुखद भविष्य की कामना की गई थी । पौधों पर सहभागितायों के नाम पहले से ही लिखे हुए थे । इन पौधों को सहभागियों द्वारा लगाया गया । वृक्षारोपण के बाद सहभागी इसीमोड के प्रायोगिक प्रदर्शन स्थल पर जलपान और एक समूह फोटोग्राफ के लिए गए । इसके बाद वे 'इसीमोड' के ही 'साल्ट प्रदर्शन स्थल' (ढुलकाव कृषि जमीन तकनीकि) पर भी गए ।

श्री एग्बर्ट पेलिङ्क, इसीमोड के महानिर्देशक, गोदावरीमे वृक्षारोपण कार्यक्रममे सहभागी होते हुए

गीताञ्जलि

जहां मस्तिष्क भयहीन हो और मस्तक ऊँचा
रहे जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो,
जहां विश्व छोटे-छोटे संकीर्ण दिवारों से टुकडों में न बटें हों ।
जहां शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हों
जहां अथकित बांहे संपूर्णता की ओर उन्मुख हों
जहां स्वच्छ सोच निश्चल अभ्यासों के धुंधले रेत के रेगिस्तान में
भटक नहीं रहे हों
जहां तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें निरंतर विस्तीर्ण होते हुए
सोच और कार्य की ओर तुम्हें ले जाए
उस स्वतंत्र स्वर्ग में मेरे हिन्दू कुश-हिमालय
को जागने दो ।

श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के
'गीताञ्जलि' से प्रेरित

सर्वधर्म प्रार्थना

तुम नारायण, सर्वोत्तम पुरूष और शिक्षक तुम हो
तुम सिद्ध, बुद्ध, गणेश और अग्नि हो
ब्रम्हा, मज्द, शक्तिमान, ईसा, भगवान और
पिता तुम हो ।
रूद्र विष्णु राम कृष्ण तुम हो
रहिम, ताओ, वासुदेव चित्रानंद तुम हो
तुम अतुलनीय समय से परे ।
और स्वयंभू भी तुम हो ।

प्रतिबद्धता

ऐ नम्र सोच सागर
निर्धन और असहायों के वासस्थल
इस सुन्दर स्थल में
जो गंगा यमुना और ब्रम्हपुत्र द्वारा सिंची जाती है ।
इस संपूर्ण क्षेत्र में तुम्हें पाने के लिए मदद करो
हमें सहन शक्ति और खुला हृदय दो
हमें तुम अपनी नम्रता दो
शक्ति और उत्साह भी हमें दो
ताकि हम हिन्दू-कुश के लोगों में मिल सकें
और तभी तुम मदद के लिए आ सकते हो
जब जन तुम्हारे समक्ष अकिंचन हो कर आएं ।
हमें वरदान दो कि हम उनसे अलग न हो
जिनकी हम मित्र और दास की तरह
सेवा करना चाहते हैं ।
हमें भक्ति और नम्रता का प्रतीक बनाओ
ताकि हम इस क्षेत्र को प्यार कर सकें ।

ग्यारह प्रतिज्ञाएं

अहिंसा
सत्य
अचौर्य
ब्रम्हचर्य
अ-संलग्नता
शारीरिक श्रम
अ-भेद
अभय
सर्वधर्मता
राष्ट्रीयता
नम्रता
ये गुण अपनाए जाने चाहिएं ।

‘गोदावरी रिसोर्ट’ में वृक्षारोण समारोह से संबंधित सहभागियों की प्रतिक्रिया

खगेन्द्र सिक्देल

‘इसीमोड’ का प्रदर्शन स्थल हरेक सुविधाओं से परिपूर्ण है । अगर हमें इसी प्रकार की आर्थिक सुविधा उपलब्ध करायी जाती तो हम अपने क्षेत्रों में भी ऐसे प्रायोगिक स्थल बना सकते थे ।

पुश्किन फुर्तियाल

आज जो हमने देखा और, जो बढीखेल में देखा वे दो प्रकार की अवस्थाएं हैं, बढीखेल में वन स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्थापित किए जाते थे जबकि गोदावरी प्रदर्शन स्थल में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया है । हम इनके (दोनोंके) सबसे सफल अभ्यासों को अपना कर लाभान्वित हो सकते हैं । यह जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक या समुदाय इसमें संलग्न है या नहीं, यदि कुछ खास तरीके अच्छी तरह से काम करते हैं तो हम उसे अवश्य ही अपना सकते हैं ।

शैला रानी रावत

गोदावारी स्थल के भ्रमण से मैनें बहुत कुछ सीखा, सबसे ज्यादा मुझे लकडियों के पतले डंडो और बांस से बनाए गए सीढियों ने प्रभावित किया । हमने ‘ढुलकांव’ कृषि के पद्धति को भी सीखा ।

समुदायों के लिए वन हमेशा से उपलब्ध रहता आया है ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों जैसे कि सूखी लकडियाँ, पत्ते, ईंधन योग्य लकडियाँ आीद इकठ्ठे कर सकते हैं । क्या ‘इसीमोड’ का यह प्रदर्शन स्थल सामान्य लोगों के लिए खुला है ?

भूमी रमन नेपाल,
हरियाली संगीत समूह
का परिचय देतें हूए

मैंने यह भी देखा कि एक तरफ तो हरियाली बनाई गई है लेकिन इसी हरे-भरे पहाडों के दूसरी ओर मार्बल की फैक्टरी भी बनाई गई है । ‘इसीमोड’ को इस विषय में कुछ करना चाहिए ।

सुभाष मेर्घुपुरक

यह सर्वविदित ही है कि हिन्दू कुश-हिमालय में महिलाएं घर और बाहर दोनों में ही कार्य करतें हुए ज्यादा समय बिताती हैं, साथ ही वन में भी

दैनिक जरूरतों के लिए जाती हैं । लेकिन गोदावरी के एक चार्ट पर पुरूषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में कार्य करते हुए दिखाया गया है । मैं समझता हूँ कि इस चार्ट में वन व्यवस्थापन में महिलाओं की भूमिका को दर्शाया जाए ।

स्टेक होल्डर समूह

तीन मुख्य 'स्टेक होल्डर समूहों' ने कार्यशाला में भाग लिया था वे थे: स्थानीए निर्वाचित समुदाय आधारित संस्थाएं, और गैर-सरकारी संस्थाए, सरकारी संस्थाएं, और शैक्षिक संस्थाएं ।

विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, दूसरे सत्र में इन उपर्युक्त स्टेक होल्डर समूहों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श का कार्यक्रम रखा गया ।

इस कार्यक्रम का उद्देशय था 'स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को सामुदायिक वन व्यवस्थापन में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रूपरेखा' । इस विचार विमर्श के लिए 'निर्देशिका' के तहत यह बताया गया कि स्थायी पर्वतीय विकास और सफल समुदाय आधारित वन व्यवस्थापन के लिए इस कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न स्टेक होल्डरो के बीच समन्वय आवश्यक है । सभी स्टेक होल्डर इस कोशिश में हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित जीवन शैली प्रदान कीजाए, महिलाओं और पुरूषों में समानता लायी जाए । और लोगों को अपने जीवन पद्धति को नियंत्रित करने का अधिकार स्वयं हो । इस तरह पर्यावरण भी सुरक्षित होगा ।

- स्थायी वन व्यवस्थापन के उद्देश्यकी प्राप्ति के लिए अपने समूह की भूमिका को पहचानना ।
- ऐसी पद्धतियों की पहचान करना जो निर्धन और सीमान्त लोगों को वन स्रोतों के उपयोग के लिए समान अवसर प्रदान करे ।
- उपयुक्त नीतियों और अभ्यासों को लाने में समूह के भूमिका को पहचानना ।
- सर्वोत्तम अभ्यासों की पहचान करना जो पारदर्शिता और जिम्मेवारी के सिद्धान्तों को प्रोत्साहित करे ।
- स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उन तकनीकि की पहचान करना जो निरंतर रूप से इन उपयुक्त मुद्दों पर कार्यशील रहे ।

स्टेक होल्डर समूह प्रस्तुति

प्रथम सभा सत्र स्टेक होल्डर समूह के प्रस्तुती से प्रारंभ हुई

सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका
एस श्रीधर द्वारा प्रस्तुत

समूह सदस्य

१. एम.एम.खान
२. राकेश शर्मा
३. पुश्किन फर्तियाल
४. आदर्श बाला
५. सुभाष मेंधुपुकर
६. मोहम्मद इकबाल
७. अलिगोहर
८. विजय राज पौडेल
९. महेशहरी आचार्य
१०. सूर्य प्रसाद अधिकारी
११. प्रकाश माथेमा
१२. वर्ण बहादुर थापा
१३. जुनेली श्रेष्ठ
१४. सबित्री कुमारी भट्टराई
१५. योको वातानवे
१६. अहमद अपजल
१७. एस.श्रीधर ।

सरकारी संस्थाएं

सरकारी संस्थाओं को अपनी पूर्व भूमिकाओं जैसे नियंत्रण, नियामक, बजट संस्था, को परिवर्तित कर सक्रिय और सकारात्मक सेवा प्रदायक के रूप स्थापित करना चाहिए । स्रोतों के स्वामित्व को उन्हें समुदाय को दे देना चाहिए । वे विभिन्न क्षेत्र जिनमें कि सरकारी संस्था बहुत ही सक्रिय हो सकती हैं, निम्न लिखित रूप से पहचानें गए हैं ।

- विधान और कानून सहयोग उन नीतियों का जो समुदाय सहभागिता और नियंत्रण को बढावा देते हों ।
- विकास प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए योग्य बनाने के लिए समुदाय सदस्यों का क्षमता प्रवर्धन ।
- सहभागी विकास पद्धति को आगे बढाने के लिए समसामयिक शोध की पहचान एवं परिचालन
- संस्थागत अन्तर्क्रिया और अनुभव आदान-प्रदान के माध्यम से विभिन्न कार्यशील निकायों के भूमिकाओं की पहचान और प्रवर्धन ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय समूहों को सहयोग
- स्थानीय संस्थाओं के बीच समन्वय को उपलब्ध कराना ।
- विवाद समाधान में सक्रिय तटस्थ भूमिका निभाना

गैर-सरकारी संस्थाएं एवं शैक्षिक संस्थाए

गैर-सरकारी संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा हस्तक्षेप और सहयोग के क्षेत्र में

विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान की गई थी ।

- सहभागी शोध कार्य
- समुदाय आधारित क्रिया कलाप
- इन्टरप्राइज विकास और सहयोग
- विस्तृत क्षेत्रों (पहले से अधिक) वृत्तचित्रों (विवरणों) का निर्माण और सूचना प्रसारण
- वकालत, कानूनी सहयोग, एवं स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा
- सभी स्टेक होल्डरों के बीच लाभांश के समान विभाजन की निश्चितता प्रदान करना ।
- विवाद समाधान में सक्रिय तटस्थ भूमिका निभाना ।
- विकास प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए योग्य बनाने के लिए समुदाय सदस्यों की क्षमता प्रवर्धन ।

समुदाय आधारित संस्थाओं की भूमिका कुलभूषण उपमन्यू द्वारा प्रस्तुत

समूह सदस्य

१. सावित्री देवी विष्ट	२. बोनी देवी चौहान
३. रमेश पहाडी	४. चण्डी प्रसाद भट्ट
५. राधा भट्ट	६. कुलभूषण उपमन्यू
७. सत्य प्रसन्न	८. जे.एस. गुलेरिया
९. रामकी देवी	१०. जस्सू देवी
११. हेम गइराला	१२. अहमद अपजल
१३. शफा अलि	१४. जोहरा खानम
१५. बी.पी.श्रेष्ठ	१६. भूमि रमन नेपाल,
१७. अप्सरा चापागांई	१८. मोहन माया प्याकुरेल
१९. मुरारी खनाल	२०. माया देवी खनाल
२१. भीम लाल सुबेदी	२२. ईश्वर पोखेल
२३. सबिता पोखेल	२४. बिन्दू कुमारी मिश्र
२५. देवी अधिकारी	२६. बाल कृष्ण खत्री
२७. कुल बहादुर के.सी.	२८. कमला देवी
२९. आरती श्रेष्ठ	३०. बसंती बेन

१. समुदाय आधारित स्थायी वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन योजनाएं

- विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के लिए दीर्घ और अल्पकालीन कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ।

- जब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बनाए जाते हैं तो उनमें निर्धनो, अलाभान्वित वर्गों, आदिवासियों, और महिलाओं को समान सहभागिता के अवसर के साथ-साथ अधिकारिक पदों पर भी उन्हें आसीन होने देना चाहिए ।
- स्थानीय लोगों की जरूरतों से संबंधित उद्योगों की स्थापना के समय उन्हें (स्थानीय लोगों) को साथ भी संपर्क करना चाहिए ।
- सभी कार्यक्रमों का अच्छी तरह से परिचालन हो इसलिए उसक्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष नीतियों के गुणों एवं अवगुणों के प्रति सचेत रहना चाहिए ।
- ऐसे कार्यक्रम, जो उपभोक्ता समूह के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग दे सके, उनका परिचालन होना चाहिए ।
- दबाए हुए वर्गों और महिलाओं के लिए आदर की भावना का नि:सरण होना चाहिए ।
- सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच समन्वय होना चाहिए ।

२. वन स्रोतों में पहुंच के लिए निर्धनों और सीमान्त लोगों के लिए समान अवसर

- नीति निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों की समान सहभागिता
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, क्षेत्रीय, भ्रमण, और आयमूलक कार्यक्रमों की आयोजना

३. उपयुक्त नीतियों एवं अभ्यासों का विकास

- नीति निर्माण और कार्यक्रम परिचालन के समय स्थानीय लोगों की जरूरतों एवं इच्छाओं को समावेश किया जाना चाहिए ।
- वर्तमान सोच को बदलने के लिए संस्थाओं और व्यक्तिओं को कदम उठाना चाहिए ।

४. जिम्मेवारी और पारदर्शिता

- लोगों के संस्थाओं से विकास संबंधि कार्य आरंभ होने चाहिएं ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के नेताओं को सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के सदस्यों के सम्मुख आर्थिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

५. स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्र्राष्ट्रीय स्तर-प्रक्रिया

- राष्ट्रीय समूह संस्थाएं, स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में दबाव समूह के रूप में कार्य करें
- हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समस्याओं की पहचान के लिए 'हिमवन्ती' के जैसा ही

एक नेटवर्क की स्थापना होनी चाहिए । संबंधित संस्थाओं को इसके लिए पहल करनी चाहिए ।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका रमन देवी द्वारा प्रस्तुत

समूह सदस्य

१. हीमा देवी राना
२. कलावती देवी रावत
३. रैजा चौधरी
४. शैला रानी रावत
५. रतन चंद
६. सुखदेव विश्वप्रेमी
७. रमन देवी
८. अमित्र मित्रा
९. हैदर खान
१०. हरीप्रसाद न्यौपान
११. लक्ष्मी भंडारी
१२. धन बहादुर तमाङ्ग
१३. घंट प्रसाद नेपाल
१४. छोन्गबा लामा
१५. अम्बर बहादुर पहाडी
१६. गणेश श्रेष्ठ
१७. गुमन धोज कुन्वार
१८. बहादुर रोकाया
१९. तुल्सी प्रसाद न्यौपाने
२०. रामशरण घिमिरे
२१. लाल कुमार के.सी.
२२. कृष्ण प्रसाद सापकोटा
२३. गणेश प्रसाद तिमिल्सिना
२४. माधव पौडेल
२५. राजेन्द्र पोखेल
२६. किशोर चन्द्र दुलाल
२७. कुमार भोमजन
२८. एस. नेपाल
२९. विजय राज पौडेल
३०. सानू कुमार श्रेष्ठ
३१. श्याम घिमिरे ।

मुख्य मुद्दे

- गाँव स्तर पर स्वायत्त समूह के सहयोग से निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय संस्थाओं से) 'ग्राम सभा' की स्थापना करें । वे लोग जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उन्हें इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सामुदायिक वन व्यवस्थापन सें संबंधित आय मूलक कार्यक्रमों का परिचालन करे सकें ।
- वे लोगों जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हैं, उन्हें भी इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए । इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाना चाहिए ।
- कार्यों को लागू करने के उद्देश्य से 'ग्राम सभा' के सदस्यों, और दूसरे संस्थाओं को पारदर्शक यांत्रिकी का उपयोग कर के एक साथ काम करना चाहिए । वे कार्यक्रम जो गाँव स्तर पर बनाए गए हों उन्हें गाँव स्तर पर ही लागू किया जाना चाहिए । ये जन-मुखी कार्यक्रम होने चाहिएं ।

- स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन प्रजातांत्रिक पद्धति पर होना चाहिए और 'ग्राम सभा' कानूनी तौर पर गाँव और वार्ड स्तर पर बननी चाहिए । महिलाएं और अलाभान्वित वर्गों को निर्णय-निर्माण कानूनों में भाग लेने के लिए कानून सम्मत तरीके अपनाए जाने चाहिए । दोपहर में सहभागी, 'देशीय समूह' में बंटे ताकि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार विर्मश कर सकें । इस दौरान सहभागियों से अपने-अपने देशों के लिए विभिन्न स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए आग्रह किया गया ।
- व्यक्तिगत रूप में
- संस्थागत रूप में
- राज्य स्तर पर और
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ।

कार्यशाला के सहभागियों के लिए विशेष रुप से आयोजित कार्यक्रम की एक झलक

कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग, नेपाल के उच्चस्तरीय पदाधिकारी

परिशिष्ट-२
सहभागियों की नामावलि

नं.	देश	नम	पता
१	बांगलादेश	प्रो.एम.एम.खान	जन प्रशासन विभाग ढाका विश्वविद्यालय ढाका-१००० बांगलादेश फैक्स # ८८०-२-८ ६५५ फोन # (८८०२) ८६१४११
१.	भारत	श्री राकेश शर्मा	सह-निर्देशक उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी नैनीताल-२६३००१ उत्तर प्रदेश भारत फैक्स # ३६२८० फोन # ३६१४९,३५५६६
२	भारत	डा.पुश्किन फर्तियाल	परियोजना मैनेजर, पर्वतीय विकास, एल.डी.एस. उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी नैतीताल २६३००१ उत्तर प्रदेश, भारत फैक्स # ३६२८०, २६३००१ फोन # ३६१४९
३	भारत	श्रीमती सावित्री देवी विष्ट	सरपंच वन पंचायत गोपेश्वर, उत्तर प्रदेश
४	भारत	श्रीमती बोनी देवी चौहान	सरपंच, वन पंचायत, उर्गम पो.बा.उर्गम, द्वारा जोशीमठ, जिला चमोली २४६४०२ उत्तर प्रदेश
५.	भारत	श्रीमती हेमा देवी राना	प्रधान गाँव पंचायत दोग्री केडई, पो.बा. तंगसा जिला, चमोली २४६४०१
६.	भारत	श्रीमती रैजा चौधरी	अध्यक्ष पोखरी जिला चमोली २४६४७३ उत्तर प्रदेश फोन # ०१३७२५३३०३

७	भारत	श्रीमती शैलारानी रावत	अध्यक्ष महिला जागृत संस्था अगस्त्यमुनी, जिला रुद्र प्रयाग, २४६४२१ फोन # ०१३७२३२०६ (निवास) २६२८८
८	भारत	श्रीमती कलावती देवी रावत	अध्यक्ष महिला मंगल दल बछेर, पो.बा. बछेर जिला चमोली २४६४०१
९	भारत	श्री रमेश पहाडी	दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल गोपेश्वर, चमोली २४६०१ भारत फोन # ०१३७२५२१-८३
१०	भारत	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट	दशोली ग्राम स्राज्य मंडल गोपेश्वर, चमोली २४६०१ भारत फोन # ०१३७२५२१-८३
११	भारत	सुश्री बसंती	दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल गोपेश्वर, चमोली २४६०१ भारत फोन # ०१३७२५२१-८३
१२	भारत	सुश्री राधा भट्ट	हिमालय सेवा संघ, राजघाट कोलोनी, राजघाट, नई दिल्ली ११०००२
१३	भारत	श्री रतन चंद	ग्रामीण विकास और कार्य समाज थलथुखोर १७६१२२ जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश
१४	भारत	श्री सुखदेव विश्वप्रेमी	ग्रामीण तकनीकि विकास केन्द्र RTDC राजगढ १७५०२७, मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत
१५	भारत	श्री कुल भूषण उपमन्यू	ग्रामीण तकनीकि विकास केन्द्र RTDC राजगढ १७५०२७, मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत

१६	भारत	श्री सत्य प्रसन्न	नवरचना टिका अइमा, पालमपुर १७६०६१ हिमाचल प्रदेश
१७	भारत	सुश्री आदर्श बाला	उपाध्यक्ष समृद्धि महिला ग्रामोद्योग संगठन द्वारा पा.बा. हल्दारा कोना तहसिल पालमपुर, जिलाको गडा, हिमाचल प्रदेश १७६०९३
१८	भारत	श्री जोगिन्दर सिंह गुलेरिया	कांगरा वन सहकारिता टीका अइमा, पालमपुर कांगरा, हिमाचल प्रदेश
१९	भारत	श्री सुभाष मेंघापुरकर	सूत्र पो.बा.जगजीत नगर द्वारा जुब्बेर जिला सालेन, हिमाचल प्रदेश फोन # ९११७९२-८३७२५/८३७३४ फैक्स # ९१-१७९२-८३७३४
२०	भारत	सुश्री रमन देवी	प्रधान ग्राम पंचायत दरोही जिला हमीर पुर, हिमाचल प्रदेश
२१	भारत	सुश्री रामकी देवी	सदस्य महिला मंडलराजपुरी, पो.बा., जबली जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश १७३२०९, भारत
२२	भारत	श्री अमित मित्र	बी.२७७ सरिता विहार नई दिल्ली ११००४४ भारत फैक्स # ६९४०-३८५ फोन # ६९४०३८५
२३	भारत	सुश्री जसो देवी	अध्यक्ष महिला मंडल,बथरी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, भारत फोन # ८८३०
२४	भारत	श्री हेम गैरोला	पर्वतिय पर्यावरण अकादमी 111/2-1 राजपुर सडक पोष्ट-ऑफिस बाक्स १८९ देहरादून, भारत फैक्स # ९१०३५-७४९५६०
२५	भारत	डा.बी.पी.मैथानी	समन्वय सदस्य सी.ए.पी.ए.आर.टी.एन.ई.जेड) अशोक पथ, वशिष्ठ सडक सर्वे, गोहाटी-२८ आसाम, भारत फैक्स # ९१०३६१-५६८३६८

२६	भारत	श्री आर.श्रीधर	निर्देशक पर्वतीय पर्यावरण अकादमी 111/2-1 राजपूर १८९, देहरादून, भारत, फैक्स # ९११३५७-४७३६४ फोन # ७४९५६०
१	पाकिस्तान	श्री अहमद अफजल	प्रशासन श्रोत सुविधा, यू.एन.डी.पी. दशवां महल, साउदी पाक, टावर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान फोन # ९२५१८२१८१६ फैक्स # ९२५१२७९०८०
२	पाकिस्तान	श्री हैदर खान	स्थानीय सरकार वन सलाहकार प्रतिनिधि, उत्तर क्षेत्रीय परिषद्
३	पाकिस्तान	श्री मोहमद इक बान	क्षेत्रीय वन अधिकृत
४	पाकिस्तान	श्री शफा अलि	सदस्य गाँव संस्था, चाल्ट
५	पाकिस्तान	सुश्री जोहरा खानम	वन संरक्षक ए.के.आर.एस.पी.
६	पाकिस्तान	श्री अलिगोहर	मैनेजर प्राकृतिक स्रोत प्रशिक्षण सहयोग इकाई ए.के.आर.एस.पी., गिलगित, पाकिस्तान
१	नेपाल	श्री हरि प्रसाद न्यौपाने	अध्यक्ष सामुदायिक वन विकास महासंघ, नेपाल पुरानो वानेश्वर, पो.बां. ५७२३, काठमाण्डू फोन # ४८५२६३, ४८८०९२ निवास फैक्स # ४८५६२
२.	नेपाल	श्री लक्ष्मी भण्डारी	गाम्चा वन उपभोक्ता समूह मार्फत्-फेकोफन पुरानो बानेश्वर पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-४८५२६३, फ्याक्स नं. ९७७-१-४८५२६२
३.	नेपाल	श्री धन बहादुर तामाङ्ग	सभापति मगपौवा गा वि स जिला: दोलखा जनकपुर, नेपाल

४.	नेपाल	श्री बि.पी. श्रेष्ठ	राम बजार वन उपभोक्ता समूह ओखलढुङ्गा ५, नेपाल मार्फत्-फेकोफन पुरानो बानेश्वर पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-४८५२६३, फ्याक्स नं. ९७७-१-४८५२६२
५.	नेपाल	श्री भूमिरमण नेपाल	जिला अदालत धादिङ्ग, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०१०-२०१३१
६.	नेपाल	श्री अप्सरा चापागाईं	एफ इ सि ओ एफ यु एन पुरानो बानेश्वर पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-४८५२६३, फ्याक्स नं. ९७७-१-४८५२६२
७.	नेपाल	श्री मोहनमाया प्याकुरेल	नौलो पोखेरी वन उपभोक्ता समूह बसन्तमाला-४, दैलेख, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०८९-२९३१६
८.	नेपाल	श्री घण्ट प्रसाद	मदन पोखरा पाल्पा, नेपाल
९.	नेपाल	श्री चोङ्वा लामा	बाम्ती गाउँ विकास समिति रामेछाप, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०४८-२९३००
१०.	नेपाल	श्री मुरारी खनाल	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तामागढी, निजगड बारा, नेपाल
११.	नेपाल	श्री अम्बर बहादुर पहारी	सभापति मासडाँडा वन उपभोक्ता समूह बडीखेल, गोदावरी ललितपुर
१२.	नेपाल	श्री गणेश श्रेष्ठ	सभापति बोखिम गाउँ विकास समिति भोजपुर, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०२९-२०२२६
१३.	नेपाल	श्री गुमनध्वज कुँवर	सभापति चौवासा गाउँ विकास समिति वार्ड नं-५, काभ्रेपलाञ्चोक टेलिफोन नं. ९७७-०११-६२०५४
१४.	नेपाल	श्री माया देबी खनाल	सभापति हिमावन्ती पुरानो बानेश्वर पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-४८५२६३,

१५.	नेपाल	श्री भीम लाल सुवेदी	एफ इ सि ओ एफ यु एन पुरानो बानेश्वर, काठमाण्डू पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-४८५२६३, फ्याक्स नं. ९७७-१-४८५२६२
१६.	नेपाल	श्री बहादुर रोकाया	सदस्य जिला विकास समिति कंचनपुर, महाकाली अंचल, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०९९-२११४७ फ्याक्स नं. ९७७-०९९-२११४८
१७.	नेपाल	श्री तुल्सी प्रसाद न्यौपाने	सभापति जिला विकास समिति संखुवासभा, कोशी अंचल, नेपाल
१८.	नेपाल	श्री रामशरण घिमिरे	सचिव काफ्ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लामाटार, ललितपुर
१९.	नेपाल	श्री लाल कुमार के. सी.	सभापति दोलखा जिला समिति दोलखा, जनकपुर अंचल, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०४९-२०१४४(अ) ९७७-०४९-२०११४ (नि) फ्याक्स नं. ९७७-०४९-२०१३३
२०.	नेपाल	श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा	सभापति जिला विकास समिति काभ्रेपलान्चोक, नेपाल टेलिफोन ९७७-०११-६१२४६
२१.	नेपाल	श्री गणेश प्रसाद तिमिल्सिना	सभापति जिला विकास समिति पर्वत, गण्डकी अंचल, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०६७-२०१४४ (अफिस) ९७७-०६७-२०२५८ (निवास)
२२.	नेपाल	श्री माधव पौड्याल	सभापति जिला विकास समिति महासंघ, नेपाल (ए डि डि सि एन) जिला कार्यालय, मानभवन, ललितपुर, नेपाल टेलिफोन नं. ९७७-०१-५२३४१०, २९०६०१ फ्याक्स नं. ५३३२१५

२३.	नेपाल	श्री ईश्वरा पोखरेल	अर्घाखाँची लुम्बिनी अञ्चल
२४.	नेपाल	श्री सबिता पोखरेल	अर्घाखाँची लुम्बिनी अञ्चल
२५.	नेपाल	श्री राजेन्द्र पोखरेल	सल्लाहकार प्रजापति सामुदायिक वन सुरुङ्गा, झापा, नेपाल टेलिफोन नं. ०२३-२९२१८, २९२१५
२६.	नेपाल	श्री विजयराज पौड्याल	जिला वन अधिकृत जिला वन कार्यालय नुवाकोट
२७.	नेपाल	श्री महेशहरि आचार्य	जिला वन अधिकृत जिला वन कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुर टेलिफोन नं. ९७७-१-६१०३११ फ्याक्स ९७७-१-२२७३७४
२८.	नेपाल	श्री सूर्यप्रसाद अधिकारी	कानून अधिकृत वन बिभाग बबरमहल, काठमाण्डू
२९.	नेपाल	श्री विन्दू कुमारी मिश्र	सहायक वन अधिकृत वन विभाग वबरमहल, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ९७७-१-२४७५९९ फ्याक्स नं. ९७७-१-२२९०१३
३०.	नेपाल	श्री प्रकाश माथेमा	अनुसन्धान (रिसर्च) अधिकृत भू-संरक्षण विभाग बबरमहल, काठमाण्डू टेलिफोन ९७७-१-२२०८२८ फ्याक्स नं. ९७७-१-२२१०६७ इमेल: cftp@wlink.com.np
३१.	नेपाल	श्री किशोर चन्द्र दुलाल	सभापति जिला विकास समिति तेह्रथुम, नेपाल टेलिफोन ९७७-०२६-६०१४५ ६०१४३ (निवास) फ्याक्स नं. ९७७-०२६-६०१३३
३२.	नेपाल	श्री कुमार भोमजन	उपसभापति छैमले गाउँ विकास समिति काठमाडौं मार्फत्-वाच (WATCH) पुरानो बानेश्वर, काठमाण्डू

३३.	नेपाल	श्री वर्ण बहादुर थापा	वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रीय निकुंज विभाग बबरमहल, काठमाडौं टेलिफोन ९७७-१-२२०९११, २२०८५० फ्याक्स नं. ९७७-१-२२७८७५
३४.	नेपाल	श्री देबी अधिकारी	कोषाध्यक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सिन्धुपाल्चोक टेलिफोन नं. ६१५३१
३५.	नेपाल	श्री जुनेली श्रेष्ठ	उपसभापति समाज सेवा परिषद् श्री ५ सरकार नेपाल टेलिफोन नं. २१७३१, मकवानपुर जिला
३६.	नेपाल	श्री सबित्रा कुमारी भट्टराई	सचिव महिला तथा वातावरण केन्द्र नेपाल समाज सेवा परिषद् शाखा कार्यालय, जमजुङ टेलिफोन ९७७-०६६-२९४२२ केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं ९७७-१-४११३०७
३७.	नेपाल	श्री विजय राज थेवे	सभापति जिला विकास समिति ताप्लेजुङ टेलिफोन ९७७-०२४-६०१२४
३८.	नेपाल	श्री बालकृष्ण खत्री	पुदली वन उपभोक्ता समूह लामाटार गाउँ विकास समिति वार्ड नं ३, ललितपुर
३९.	नेपाल	श्री सानु कुमार श्रेष्ठ	सभापति जिला विकास समिति काठमाण्डू टेलिफोन ९७७-१-३१२०३१, ४२२९२९

४०.	नेपाल	श्री कुल बहादुर केसी	सभापति पात्ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लामाटार १, ललितपुर
४१ं	नेपाल	श्री कमला शर्मा	
४२.	नेपाल	श्री आरती श्रेष्ठ	पोखरा, कास्की
४३.	नेपाल	श्री दिलराज खनाल	अधिवक्ता अर्घाखाँची, सीतापुर-६ मार्फत्-फेकोफन पुरानो बानेश्वर पि.ओ वक्स ५७२३, काठमाण्डू टेलिफोन नं. ४८५२६३, फ्याक्स नं. ४८५२६२
४४.	नेपाल	श्री श्याम घिमिरे	सभापति बडीखेल गाँव विकास समिति गोदावरी, ललितपुर

देशगत विभाजित समूह

देश	पुरुष	महिला	जम्मा	इसिमोड
बङ्गलादेश	१		१	६
भारत	१५	१२	२७	
पाकिस्तान	५	२	७	
नेपाल	३३	११	४४	
जम्मा	५४	२५	७९	
कूल सम्पूर्ण				८५

इसिमोड के सहभागी

१. अनुपम भाटिया
२. गोविन्द श्रेष्ठ
३. त्रिभुवन पौड्याल
४. खगेन्द्र सिक्तेल
५. मृणलिनी राई
६. विष्णु के.सी.

परिशिष्ट-३
कार्यशाला कार्यक्रम

प्रथम दिन सोमबार, 16 मार्च 1998	
१४:०० अपरान्ह	आगमन और पंजीकरण
१६:०० अपरान्ह	मिट्टी मिलन समारोह सहभागियों द्वारा व्यक्तिगत परिचय सहयोग उपलब्ध करानेवाले व्यक्तियों एवं दूभाषियों का परिचय कार्यशाला की पूर्व भूमिका/उद्देश्य/पद्धति/विषय वस्तु ठहराव संबंधि सूचना
१८:०० संध्या	'हरियाली संगीत समूह', धादिंग, द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, श्री मंजुल नेपाल द्वारा निर्मिता रात्रि भोजन
दूसरा दिन मंगलबार, 17 मार्च 1998	
७:३० सुबह	सुबह का नाश्ता
८:३० सुबह	आगमन और पंजीकरण
१०:०० सुबह	• उदघाटन • इसीमोड के महानिर्देशक, श्री एगबर्ट पेलिङ्क द्वारा स्वागत भाषण • सुश्री केसांग छुन्ग्याल्पा सह-आवासीय प्रतिनिधि, यू.एन.डी.पी. • श्री माधव पौडेलद्वारा स्वागत संबोधन • अध्यक्ष, जिला विकास समिति संघ, नेपाल और • अध्यक्ष, जिला विकास समिति ललितपुर, नेपाल, हरिप्रसाद न्यौपानेद्वारा स्वागत भाषण • अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसंघ, नेपाल • मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन, माननीय गजेन्द्र नारायण सिंह, स्थानीय विकास मंत्री, श्री पांच सरकार/नेपाल • देशीय प्रतिनिधि द्वारा संक्षिप्त प्रतिक्रिया • धन्यवाद ज्ञापन • समूह फोटो
११:४५ सुबह	भोजन
१३:०० अपरान्ह	सभासत्र

	समूह विचार विमर्श "विस्तीर्ण क्षितिज, हिन्दू कुश-हिमालय में एकीकृत प्रशासन और प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन में चुनौतियाँ । अध्यक्ष : डा. मोहन मान सैंजू सहभागी : पाकिस्तान, श्री हैदर खान, उत्तरी सभा क्षेत्र, सदसय, श्री शफा अलि, समुदाय परिचालक बांगलादेश : डा.एम.एम.खान, ढाका विश्वविद्यालय । श्री रमेश शर्मा, सह निर्देशक, यू.पी.ए.ए. सुश्री राधा भट्ट, लक्ष्मी आश्रम श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, दशोली ग्राम स्वराज्य मण्डल श्री कुलभूषण उपमन्यू, नवरचना डा.बी.पी.मैथानी, एन.आई.आर.डी. नेपाल : श्री हरिप्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष फेकोफन, श्रीमति मायादेवी खनाल, अध्यक्ष, हिमन्वती
१८:०० संध्या	हिमवन्ती - हिमाली तृण मूल स्तर महिला प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेटवर्क, बैठक
१८००-१९०० संध्या	'संबोधन' चलचित्र प्रदर्शन और विचार विर्मश
२०:०० रात्रि	रात्रि भोजन
तीसरा दिन बुधबार 18 मार्च 1998	
७:३० सुबह	सुबह का नाश्ता
८:३० सुबह	सभा सत्र
	ठहराव संबंधि सूचना
९:००	पत्र प्रस्तुति के लिए समसामयिक विचार विर्मश
	समूह-एक रमेश पहाडी, भारत सुभाष मेंधुपुरकर, भारत हरिप्रसाद न्यौपाने, नेपाल
	समूह-दो एस श्रीधर एवं हेम गोइराला, भारत अलि गोहर, पाकिस्तान एम.एम.खान, बांगलादेश दिल राज खनाल, नेपाल
	समूह-तीन कुलभूषण उपमन्यू, भारत माधव पौडेल, नेपाल राधा भट्ट, भारत (बी.पी.मैथाली-भारत)
१०:३० सुबह	चाय/काफी

११:०० सुबह	**दर्पण समूह** सभा समूह और समसामाजिक समूहों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चार समूहों का विचार विमर्श पत्र प्रस्तुति
१३:०० अपरान्ह	दिन का भोजन
१४:०० अपरान्ह	बढीखेल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मास डांडा, गाँव विकास समिति, के लिए क्षेत्रीय भ्रमण के लिए प्रस्थान
१४:४५ अपरान्ह	बढीखेल में आगमन
	- गाँव विकास समिति और वन उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुति - समुदाय व्यवस्थापित वन क्षेत्र में छोटे समूहों में प्रस्थान
१६:०० संध्या	चाय/नाश्ता
१६:३० संध्या	सर्वनाम नुक्कड नाटक 'हाम्रो गाँव राम्रो गाँव' ।
१७:३० संध्या	गोदावरी रिर्सोट के लिए प्रस्थान
२०:०० संध्या	रात्रि भोजन
२१:०० संध्या	चण्डी प्रसाद भट्ट द्वारा 'चिपको आंदोलन फिल्म' की प्रस्तुति ।
चौथा दिन **वृहस्पतिवार, 19 मार्च, 1998**	
७:३० सुबह	सुबह का नाश्ता
८:३० सुबह	बढीखेल क्षेत्रीय भ्रमण पर संक्षिप्त विचार विमर्श ।
९:०० सुबह	सभा सत्र

	अध्यक्ष : गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, जिला विकास समिति अध्यक्ष, पर्वत जिला, नेपाल
	• विकेन्द्रीकरण कानून और वन कानून का तुलनात्मक अध्यक्ष, द्वारा नारायण बेलबासे एवं ध्रुवेश रेग्मी
	• नेपाल में स्थानीय शासन और सा.व. के बीच संबंध से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ द्वारा अमृतलाल जोशी, प्रमुख योजना अधिकृत, वन तथा भू-संरक्षण मंत्रालय ।
	• सहभागी
	  • कल्याण राज पांडे, पी.डी.डी.पी.
	  • सूर्य अधिकारी, कानूनी अधिकृत, वन विभाग, नेपाल
	  • विजय राज पौडेल, वन अधिकृत, नुवाकोट जिला, नेपाल

१३:०० अपराहन	दिनका भोजन
१४:०० अपराहन	स्टेक होल्डर समूहों के लिए निर्देशिकाएं
	स्टेक होल्डर समूह स्थानीय निर्वाचित समूह समुदाय आधारित संस्था समूह गैर-सरकारी संस्थाएं/सरकारी संस्थाएं/शैक्षिक संस्थाएं समूह

१६:३० संध्या	दृश्यावलोकन और बाजार के लिए प्रस्थान
१९:३० संध्या	दरबार मार्ग से गोदावरी रिसोर्ट के लिए प्रस्थान
२०:३० संध्या	रात्रि भोजन
पांचवा दिन शुक्रबार 20 मार्च 1998	
७:३० सुबह	'इसीमोड' के प्रायोगिक प्रदर्शन स्थल के लिए प्रस्थान
८:०० सुबह	प्रविधि प्रदर्शन वृक्षारोपण समारोह
११:०० सुबह	होटल आगमन/नाश्ता
१२:००	सभा सत्र • स्टेक होल्डर समूह द्वारा प्रस्तुती प्रत्येक समूह के लिए २० मिनेत • विचार विर्मश
१४:०० अपरान्ह	दिनका भोजन
१५:०० अपरान्ह	देशीय समूह में रुप रेखाएं और योजनाएं • पाकिस्तान • भारत • नेपाल • बांगलादेश
१८:३० संध्या	श्री मंजुल और उनके समूह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुती
२०:३०	रात्रि भोजन
छठा दिन शनिवार 21 मार्च 1998	
७:३० सुबह	सुबह का नाश्ता
८:०० सुबह	अंतिम सभा सत्र • देशीय सूमह की प्रस्तुति-प्रत्येक समूहको 20 मिनट • विचार विर्मश
१०:०० सुबह	चाय/काफी
१२:०० दोपहर	सहभागियों का प्रस्थान

परिशिष्ट-४
पंजीकरण

कार्यशाला पंजीकरण गोदावरी रिसोर्ट के सभा हाल में अपराहन दो बजे आरंभ हुआ । इसीमोड के कर्मचारियों ने मिलकर सहभागियों को उनके रूम का नं और चाभियाँ आदि प्रदान किया । सभी सहभागियों को एक छोटा ब्रीफकेस दिया गया, जिस पर हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य और लोगों का अंकन किया गया था । इस ब्रीफकेस में कार्यशाला के कार्यक्रमों और ठहराव संबंधी सूचनाओं को लिखित रूप में रखा गया था । साथ ही सहभागियों को एक गद्दा भी दिया गया जिसमें नेपाली शैली में कढाई की गई थी । इसका उपयोग कार्यशाला के दौरान बैठने के लिए अर्धगोलाकार भूमि की व्यवस्था में किया जा सकता था । पंजीकरण के बाद सभी सहभागियों को चाय के लिए आमंत्रित किया गया । इसमें कार्यशाला के विषय में जानकारी के साथ वानिकी से संबंधित 'इसीमोड' के प्रकाशन को भी सहभागियों को दिखाया गया । इन प्रकाशनों में वानिकी संबंधि सभी मुद्दों जैसे विवाद समाधान, और सामुदायिक वन आदि की विवेचना की गई थी ।

इसी भवन में पांच रूम वाले काटेजों में एक बडे हाल (उपर के महल में जहाँ कि खाने और सभा हाल की भी व्यवस्था थी) सहभागियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी । सहभागियों को लिंग भेद के आधार पर रूम उपलब्ध कराया गया था । तीन काटेज खास कर महिलाओं के लिए सुरक्षित था । एक ही देश सहभागियों को डबल रूम में ठहराया गया था । लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश की गई की अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों के बीच अधिक से अधिक अन्तर्क्रिया हो सके ।

हिन्दू कुश–हिमाली क्षेत्रका सहभागी राष्ट्र

अफगानिस्तान	बंगलादेश
भुटान	चीन
भारत	म्यान्मार
नेपाल	पाकिस्तान

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र

४/८० जावलाखेल, जि.पी.ओ. बक्स ३२२६, काठमाडौं, नेपाल।

टेलिफोन : (९७७-१) ५२५३१३
इमेल : distri@icimod.org.np
वेब साइट : http://www.icimod.org.sg

फेसिमाइल : (९७७-१) ५२४५०९
(९७७-१) ५३६७४७
केबल : ICIMOD NEPAL